# jktuhfrd fl)kUr

**Ch-,- I**

**(Option-II)**

njLFk f'k{kk funs'kky;
egf"kZ n;kuUn fo'ofo|ky;
jkgrd&124 001

Copyright © 2002, Maharshi Dayanand University, ROHTAK
All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means; electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the copyright holder.

Maharshi Dayanand University
ROHTAK – 124 001

Developed & Produced by EXCEL BOOKS PVT LTD, A-45 Naraina, Phase 1, New Delhi-110028

# विषय सूची

## çFke [k.M


| | | |
|---|---|---|
| अध्याय 1. | राजनीतिक सिद्धान्त, अर्थ, प्रकृति तथा महत्त्व | 5 |
| अध्याय 2. | शक्ति की अवधारणा | 16 |
| अध्याय 3. | सत्ता | 28 |
| अध्याय 4. | औचित्यपूर्ण (वैधता) | 37 |
| अध्याय 5. | विशिष्ट–वर्ग (अभिजन) तथा विशिष्ट–वर्ग के सिद्धान्त | 46 |
| अध्याय 6. | नौकरशाही | 59 |
| अध्याय 7. | राजनीतिक संस्कृति | 82 |
| अध्याय 8. | राजनीतिक समाजीकरण | 95 |


## f}rh; [k.M


| | | |
|---|---|---|
| अध्याय 9. | राजनीतिक सहभागिता | 105 |
| अध्याय 10. | राजनीतिक आधुनिकीकरण | 114 |
| अध्याय 11. | राजनीतिक विकास | 129 |
| अध्याय 12. | राष्ट्र–निर्माण तथा राष्ट्रीय एकीकरण | 144 |
| अध्याय 13. | उपभोक्ता संरक्षण | 158 |


## r`rh; [k.M


लघुत्तरात्मक / वस्तुनिष्ठ (बहु–विकल्पी) प्रश्न 166

# çFke [k.M

# v/;k; 1

# राजनीतिक सिद्धान्तः अर्थ, प्रकृति तथा महत्त्व

## (Political Theory: Meaning, Nature and Significance)

- राजनीतिक सिद्धान्त का विकास
- राजनीतिक सिद्धान्त का अर्थ
- राजनीतिक सिद्धान्त का कार्य–क्षेत्र अथवा विषय वस्तु
- राजनीतिक सिद्धान्त की प्रकृति
- समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त
- राजनीतिक सिद्धान्त का महत्त्व

*आधुनिक काल में होने वाली गतिविधियों के कारण मनुष्य की विवेकशीलता बढ़ गई है। वह अपने अलावा सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था को भी जानने की लालसा रखता है। इन्हीं स्वभावों के कारण शास्त्रों का जन्म हुआ और निरन्तर इन पर खोज जारी है। इन्हीं कारणों से राजनीतिक सिद्धान्त (Political Theory) का जन्म हुआ। अनेक राजनीतिक संस्थाओं और समस्याओं के बारे में विचार किया गया व निष्कर्ष निकाले गए, जिनकी सहायता से नियमों का निर्माण किया गया, इन पर दुबारा विचार किया गया तथा कुछ परिणाम निकाले गए, यही सिद्धान्त बन जाते हैं। राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक प्रक्रिया के साथ–साथ इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का भी अध्ययन करता है। आज वस्तुस्थिति यह है कि राजनीति से सम्बन्धित नियमों के समूह तथा निष्कर्षों को ही राजनीतिक सिद्धान्त (Political Theory) के नाम से जाना जाता है। कार्ल पापर (Karl Papper) के अनुसार, "सिद्धान्त एक प्रकार का जाल है जिससे विश्व को पकड़ा जा सकता है ताकि उसको समझा जा सके। यह एक अनुभव–परक व्यवस्था के प्रारूप की अपने मन की आँख पर बनाई गई रचना है।"*

### jktuhfrd fl)kUr dk fodkl

मानव–जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था में जटिलता के कारण, राजनीतिक सिद्धान्त का विकास काफी तीव्र गति से हुआ। प्राचीन काल में मनुष्य संतुलित तथा सीधा–सादा था। मानव–जीवन का प्रत्येक पहलु एक–दूसरे से जुड़े होने के कारण, इनका इकट्ठा अध्ययन किया जाता था। उस समय राजनीतिक मानव–जीवन के सीमित रूप से प्रभावित किया करती थी। व्यक्ति धर्मनिष्ठ तथा विवेकी होने के कारण शुभचिन्तक के रूप में परस्पर व्यवहार किया करते थे। उस समय न दण्ड था, न दण्ड देने वाला, न शोषक था न शोषित। ऐसी स्थिति में जब राज्य ही नहीं था तो उस समय के विचारकों ने राजनीतिक के किसी सिद्धान्त की आवश्यकता ही महसूस नहीं की। परन्तु धीरे–धीरे अत्याचार, अधर्म, काम, क्रोध, लोभ व शोषण बढ़ा तब राज्य रूपी संस्था का विकास के साथ ही उस काल के दार्शनिकों ने राजा, राज्य और प्रजा के संबंधों को निर्धारित किया। उस समय राजा शान्ति–व्यवस्था के साथ–साथ, लोगों को धर्माचरण के लिए प्रेरित किया करता था। इस समय के विचारकों जिन सिद्धान्तों की रचना की उनका लक्ष्य, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की स्थापना करना तथा उन मूल्यों को तोड़ने वालों को, दण्डित करने के लिए राजा के सक्षम बनाना था। राजा सामाजिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर किया करता था, वह आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक जीवन में कोई

हस्तक्षेप नहीं किया करता था। प्राचीन काल से लेकर, आधुनिक युग तक भारत के विचारक ऐसे ही राज्य के सम्बंध में सिद्धान्तों की रचना करते रहे।

यूनान के दार्शनिको (Philosophers) ने राजनीति के जिन सिद्धान्तों का वर्णन किया, वे सिद्धान्त उस काल के नगर–राज्यों को आदर्श रूप देने की ओर थे। प्लेटो (plato) के राज्यों का कार्य नैतिक और न्यायपूर्ण नागरिकों का निमार्ण करना था। अरस्तु ने प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की और उसके स्थान पर व्यवहारिक आदर्श राज्य की स्थापना का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। वह राज्यों के कार्यों में नागरिकों की भागीदारी को महत्त्व देता था, इसलिए उसने नागरिकों को राजनीतिक प्राणी भी कहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनानी दार्शनिकों ने उस समय के अनुरूप सिद्धान्तों की रचना की।

राजनीति के विद्वानों ने आज के युग में राज्य का सर्वशक्तिमान बना दिया है। एक ओर यूरोप में पनपे फासिस्टवादी (Fascists), नाजीवाद (Nazism) तथा मार्क्सवादी (Marxists) विचारकों ने अधिनायकवादी राज्यों (Totalitarian States) की स्थापना का समर्थन किया, दूसरी ओर यूरोप के कुछ देशों तथा अमेरिका ने धनी और निर्धन के बीच अन्तर बड़ा कर दिया। जिन दार्शनिकों, लेखकों ने ऐसी व्यवस्था का प्रतिपादन किया, उन्होंने ही सिद्धान्तों की रचना की। आज लोकतन्त्र, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता आदि की व्यवस्था और उसके स्वरूप आदि के प्रतिपादन के लिए सिद्धान्तों की रचना राजनीति की मुख्य विषय वस्तु है।

इस प्रकार हम पाते हैं कि प्राचीन युग से ही दार्शनिकों ने, विद्वानों ने अपने काल के परिस्थिति के अनुरूप राजनीति की व्याख्या की और अपने दृष्टिकोण को समझाने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए, सिद्धान्तों की रचना करते रहे।

## jktuhfrd fl)kUr dk vFk
## (Meaning of Political Theory)

राजनीतिक सिद्धान्त को अग्रेजी में 'पोलिटिकल थ्यूरी' (Political Theory) कहा जाता है। 'थ्यूरी' शब्द, ग्रीक भाषा के थ्योरिया (Theoria) से ली गई है; जिसका अर्थ है–एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो कि वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। केवल वर्णन (Description) या किसी लक्ष्य के विषय में विचार या सुझाव ही सिद्धान्त नहीं कहलाता है। आर्नोल्ड ब्रैशर (Arnold Brechter) के अनुसार–

"किसी भी विषय के सम्बंध में एक लेखक की पूरी की पूरी सोच या समझ शामिल रहती है। उसमें तथ्यों का वर्णन, उनकी व्याख्या शामिल रहती है। उसमें तथ्यों का वर्णन, उनकी व्याख्या, लेखक का इतिहास–बोध, उसकी मान्यताएं और वे लक्ष्य शामिल हैं जिनके लिए किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है।"

विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धान्त की भिन्न–भिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार के हैं–

1. कोकर (Coker) के अनुसार, "जब राजनीतिक शासन, उसके रूप एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन केवल अध्ययन या तुलना मात्र के लिए ही नहीं किया जाता अथवा उनको उस समय के और स्थायी प्रभावों के संदर्भ में ही नहीं आंका जाता बल्कि इनको लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं का समझा व इनका मूल्य आंका जाता है, तब हम इसे राजनीतिक सिद्धान्त कहते हैं।
2. डेविड हैल्ड (David Held) के अनुसार, "राजनीतिक सिद्धान्त राजनीतिक जीवन से सम्बंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना–बाना है, जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है।"
3. एण्ड्रयु हैकर (Andrew Hecker) के अनुसार, "राजनीतिक सिद्धान्त एक ओर बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य तथा समाज की तलाश है तो दूसरी ओर राजनीतिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपात–रहित जानकारी का मिश्रण है।"

4. जॉन प्लेमेनेज (John Plamentaz) के अनुसार, "एक सिद्धान्तशास्त्री राजनीति की शब्दावली का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करता है। वह उन सभी अवधारणाओं की समीक्षा करता है, जो कि राजनीतिक बहस के दौरान प्रयोग में आती हैं। सीमाओं के उपरान्त अवधारणाओं के औचित्य पर भी प्रकाश डाला जाता है।"

ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धान्त में अवलोकन (Observation), व्याख्या (Explanation) तथा मूल्यांकन (value judgement), तीन तत्त्व शामिल हैं।

1. **अवलोकन (Observation)**—जब कभी राजनीतिक विचारक का अध्ययन करते हैं जिसने किसी सिद्धान्त–निर्माण का कार्य किया है तो हम पाते हैं कि वह अपने काल की राजनीति के किसी विशेष पक्ष से चिंतित अथवा असंतुष्ट था, और इससे दुःखी होकर उसने अपना विचार प्रकट किया है। प्लेटो, मैक्यावली, हाब्स, लॉक, मार्क्स, लॉर्ड ब्राईस आदि विद्वानों ने उस समय की परिस्थितियों का विवेचन इस कारण से किया क्योंकि वे असंतुष्ट थे और उसका हल चाहते थे। हाब्स ने अपने समय की परिस्थिति को देखते हुए निरकुंश राजतंत्र का सर्मथन किया। लॉर्ड ब्राईस ने लोकतंत्र सरकारों की सफलता, असफलता की जाँच के लिए न केवल पुस्तकों का सहारा लिया बल्कि उस समय के प्रमुख लोकतंत्रीय देशों की कार्यप्रणाली का बहुत निकट से अध्ययन किया। यह अध्ययन कुछ मान्यताओं के आधार पर किया जाता है जैसे कि लोकतंत्र के बारे में यह मान्यता है कि इसमें नागरिकों के अधिकार तथा स्वतंत्रता सुरक्षित है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, राजनीतिक दलों पर पाबन्दी नहीं है। इन अवधारणाओं के बिना तथ्यों का ठीक संकलन नहीं किया जा सकता।

2. **व्याख्या (Explanation)**—तथ्यों एवं घटनाओं का अवलोकन के इसमें से अनावश्यक सामग्री निकालकर तथा उचित सामग्री को कई श्रेणियों में बाँटकर, तथ्यों एवं घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। परिक्षण के द्वारा कारण और कार्य (Cause and effect) के बीच सम्बंध स्थापित किया जाता है, इस प्रकार जो निश्चित परिणाम निकाले जाते हैं उन्हें हम सिद्धान्त कहते हैं। इसे सामान्यीकरण (Generalization) भी कहते हैं, जिसका अर्थ है "निष्कर्ष को सामान्य रूप देना।" सिद्धान्त की वैज्ञानिकता निर्भर करती है कि तथ्यों का चलन तथा उनकी व्याख्या करते समय कितनी निष्पक्षता तथा ईमानदारी बरती गई है।

3. **मूल्यांकन (Value Judgement)**—सिद्धान्त निर्माण की प्रक्रिया में मूल्य तथा तथ्य (Value & facts) दोनों का महत्त्व है। कोई भी सिद्धान्त शास्त्री इनमें से केवल एक के सहारे किसी सिद्धान्त का निर्माण नहीं कर सकता। राजनीतिक का लेखक एक वैज्ञानिक (Sciencitist) और दार्शनिक (Philosopher) दोनों की भूमिका निभाता है। उसे तथ्यों और घटनाओं को इकट्ठा करना होता है तथा मूल्यों के रूप में अपने लक्ष्यों और आर्दशों को निधार्रित करना होता है। मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा लोकतंत्र आदि का मूल्यांकन करते समय वह अपने स्वभाव और रूचियों से बंधा होता है। राजनीतिक विचारक अपने पूर्व निर्धारित आर्दशों तथा लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए कारकों का प्रयोग करता है, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला विचारक अपने आर्दशों तथा रूचियों से परे हटकर वैज्ञानिक निष्कर्षों पर अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित करता है। दोनों परिस्थितियों में मूल्य निर्धारण का महत्त्व बना रहता है।

## jktuhfrd fl)kUr dk dk;l&{k= vFkok fo"k; oLrq

## (Scope or Subject Matter of Political Theory)

आज के युग में मनुष्य का कोई भी भाग राजनीति से अछूता नहीं है, उदारवादियों ने राज्य तथा राजनीति का सम्बंध केवल सरकार तथा नागरिकों तक सीमित रखा, तो मार्क्सवादियों ने उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व माना है। आज के नारीवादी लेखक (Feminist Writers) पारिवारिक तथा घरेलु मामलों में भी राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। इस प्रकार हम पाते है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है। राजनीतिक में सिद्धान्तशास्त्रियों को बहुत से विषयों के बारे में सिद्धान्तों का निर्माण करना पड़ता है। आजकल मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों को राजनीतिक सिद्धान्त के कार्य–क्षेत्र में शामिल किया जाता है–

1. **सरकार का अध्ययन (Study of the Government)**—राज्य का एक प्रमुख तत्त्व सरकार है, जिसके द्वारा सरकार की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सरकार भी राजनीतिक सिद्धान्त का एक

महत्त्वपूर्ण विषय है। सरकार के तीन अंग माने गए हैं–विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के संगठन, अधिकार, सम्बंध का अध्ययन भी हम करते हैं। जिस तरह से राज्य के ऐतिहासिक स्वरूप का हमें अध्ययन करना होता है वैसे ही सरकार के स्वरूप का भी अध्ययन करना होता है। अतः राजनीतिक सिद्धान्त में सरकार के अंग तथा संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है।

2. **राज्य का अध्ययन (Study of the State)**–प्राचीन युग से ही राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र के बारे में विचार होता रहा है। राज्य की उत्पत्ति, उसके विकास तथा नगर राज्य से लेकर राष्ट्रीय राज्य तक पहुंचने पर इसके स्वरूप का विकास कैसे हुआ। इसके अलावा मनुष्य के राज्य–सम्बधी विचारों में परिवर्तन हुआ है। प्राचीनकाल में लोग राजा की आज्ञा की अवहेलना को पाप समझा जाता था, परन्तु वर्तमान में राज्य की सत्ता का अन्तिम स्त्रोत जनता है। इस तरह से हम राज्य के स्वरूप, उद्देश्यों तथा कार्यक्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं।

3. **व्यक्ति तथा राज्य के सम्बंधों का अध्ययन (Study of Individuals Relation with State)**–राजनीतिक सिद्धान्त के विद्वानों ने व्यक्ति तथा राज्य के सम्बंधों के बारे में अपने–अपने मत दिए। अठाहरवीं सदी में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया तथा राज्य के अधिकारों को सीमित करने के कार्यों का समर्थन किया गया। आज लोकतंत्रिय व्यवस्था में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर काफी जोर दिया गया ताकि व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर अब तक जितने भी संविधान बने हैं उनमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक की साम्यवादी राज्यों में भी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है भले ही उनकी रक्षा की उचित व्यवस्था न की गई हो। आज सभी राष्ट्रों के लिए यह प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है कि नागरिकों के अधिकार को किस हद तक सुरक्षित किया जाए। भारत, जहाँ की आर्थिक उदारीकरण की क्रिया चल रही है यह प्रश्न बहुत गम्भीर है कि कहीं राज्य, नागरिकों के अधिकारों पर अतिक्रमण न कर दे।

इस प्रकार हम पाते है कि व्यक्ति तथा राज्य का आपसी सम्बंध राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण विषय है।

4. **शक्ति का अध्ययन (Study of Power)–** वर्तमान में, राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र में शक्ति के अध्ययन को भी शामिल किया गया है। शक्ति के कई स्वरूप है; जैसे सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति, आर्थिक व्यक्तिगत शक्ति, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति आदि। राजनीतिक सिद्धान्तकार, शक्ति के इन विभिन्न स्वरूपों को देखकर यह जानना चाहता है कि मानव समाज में किसको क्या, कैसे और क्यों मिलता है। परन्तु राजनीतिक सिद्धान्तकार, राजनीतिक शक्ति को ही अधिक महत्त्व देते हैं।

5. **मानव व्यवहार का अध्ययन (Study of Human Behaviour)**–राजनीति के आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शास्त्र का मुख्य विषय माना है। उन्होंने इस पर जोर दिया है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ करता है, या उसके पीछे जो प्रेरणा कार्य करती है, उनका अध्ययन राजनीतिक सिद्धान्त में होना चाहिए। मनुष्य समाज में रहकर जो भी क्रिया–कलाप करता है वे सभी राजनीतिक सिद्धान्त के अर्न्तगत आने चाहिए। इन आधुनिक विद्वानों के अनुसार मनुष्य भावनाओं का समुह है, उसकी अपनी प्रवृत्तियां और इच्छाएं होती है, जिसके आधार पर उसका राजनीतिक व्यवहार को बहुत महत्त्व देते हैं। वैज्ञानिक रीति से अध्ययन कर मनुष्य की कमियों को दूर करने के उपाय बताए जा सकते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी गल्तियां न हों।

6. **अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों का अध्ययन (Study of International Relations)**–यातायात की सुविधा के कारण आज कहीं जाना पहले के अपेक्षा सुगम हो गया है जिस कारण भिन्न–भिन्न राज्यों में आपसी सम्बंध होना स्वभाविक है। इसी कारण राजनीतिक सिद्धान्त में अर्न्तराष्ट्रीय कानून, संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nation Organisation) आदि का भी अध्ययन करना होता है।

7. **नीति–निर्माण प्रक्रिया (Policy Making Process)–**आधुनिक विद्वानों के अनुसार, राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र नीति निर्माण प्रक्रिया की भी अध्ययन की जानी चाहिए। शासकीय नीति को योगदान देने वाले सभी साधनों का अध्ययन होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से विधानपालिका तथा कार्यपालिका के शासन सम्बंधी कार्यों, मतदाताओं, राजनीतिक दल, उनके सगंठन तथा उनको प्रभावित करने वाले ढंग को अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धान्त का मुख्य विषय, राज्य की अनेक संस्थाएं क्या नीति अपनाएं, उन नीति को किस प्रकार लागू किया जाए है। प्रायः तीन प्रकार की दलीय प्रणाली की चर्चा की जाती है–एक दलीय पद्वति, द्वि–दिलीय पद्वति तथा बहुदलीय पद्वति। इसी प्रकार मतदान तथा प्रतिनिधित्व के विषय में भी कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। पहले महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा जाता था, इस पक्ष में कई दलीले दी जाती थी लेकिन 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों (पागल, दीवालिए तथा अपराधियों को छोड़कर) को आज मतदान का अधिकार दे दिया गया है।

8. **नारीवाद (Feminism)–**पारिवारिक मामलों में केवल एक सीमा तक ही सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार इस ओर कोई ध्यान न दे। अनेक देशों में नारी उत्थान के लिए आन्दोलन हो रहे हैं पर व्यक्तिवादी तथा मार्क्सवादी विचारकों ने एक लम्बे अरसे से नारी उत्पीड़न के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। 1970 के दशक में नारी उत्थान के लिए सार्थक पहल किया गया। भारत में सती–प्रथा, बाल–विवाह, तथा देवदासी प्रथा को कानून बनाकर समाप्त किया गया। अब भारत में सभी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है तथा संसद तथा विधानमण्डलों के लिए उनका स्थान सुरक्षित रखने से सम्बंधित बिल संसद में विचारधीन है।

9. **शक्ति सिद्धान्त तथा क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपियन संसद तथा दक्षेस का अध्ययन (Study of the Concept of Power and SAARC-South Asian Association for Regional Co-operation)–**राजनीतिक शास्त्र के आधुनिक विद्वानों ने शक्ति को इस शास्त्र का मुख्य विषय माना है। इनके अनुसार राजनीतिक में जो कुछ होता है वो सभी इसी शक्ति संघर्ष के कारण होता है। कैटलीन ने भी राजनीति को संघर्ष पर आधारित माना है, उसके अनुसार जहाँ राजनीति है वहाँ शक्ति का होना स्वाभाविक है। इस विचारधारा का सर्मथन लासवैल ने भी किया है। इन विद्वानों के अनुसार शक्ति के कई रूप सत्ता, प्रभाव, दबाव, बल या दमन भी हो सकते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं।

10. **विकास, आधुनिकीकरण और पर्यावरण की समस्याएं (Problems of Development, Modernization and Environment)–**राजनीतिक सिद्धान्त में कुछ नवीन अवधारणाओं को भी समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव के कारण अपनाया गया है, जिसमें समाजीकरण, विकास, गरीबी, असमानता तथा आधुनिकीकरण शामिल हैं। विकासशील देशों के राजनीतिक विकास के सम्बंध में लिखने वाले लेखकों में जी० आमण्ड (G. Almond), डेविड एप्टर (David Apter) इत्यादि हैं। माइरन वीनर (Myron Weiner) तथा रजनी कोठारी (Rajni Kothari) ने भारत के सामाजिक– राजनीतिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि जातिवाद, दलित राजनीति और सम्प्रदायवाद अब भारतीय राजनीति के मुख्य केन्द्र बिन्दु है।

    आज पर्यावरण समस्याएं भी मनुष्य जाति के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है, जिसके कई उपाय सुझाए गए जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, वन संरक्षण आदि।

11. **स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के आदर्शों की समीक्षा (To Examine the ideals of Liberty, Equality and Justice)–**प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अनेक ऐसे प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हुए हैं जो बहुत सी विचारधाराओं–व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद (Utilitarianism) तथा गांधीवाद आदि के साथ जुड़े हुए हैं। उदारवादियों ने राजनीतिक स्वतंत्रता तथा नागरिकों के अधिकार के लिए जो संघर्ष किया उसका सर्मथन कार्ल मार्क्स द्वारा भी किया गया। यद्यपि इसने इस बात पर बल दिया कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तभी होगी जब समाज के वर्ग–भेद दूर होगें। महात्मा गाँधी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें सत्ता का अधिक–से–अधिक विकेन्द्रीकरण होगा, यह राजनीतिक तथा

प्रशासनिक के साथ–साथ आर्थिक क्षेत्रों में भी होगा। इस प्रकार की व्याख्या में प्रशासन, उत्पादन तथा वितरण की मूल इकाई 'ग्राम' (Village) होगी, इसे ग्राम स्वराज्य का नाम दिया।

इस प्रकार हम पाते हैं कि राजनीतिक सिद्धान्त का क्षेत्र अधिक विस्तृत है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।

## jktuhfrd fl)kUr dh çÑfr
## (Acquisition of Citizenship)

राजनीतिक सिद्धान्त का इतिहास बहुत पुराना है। इसे मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है–

(क) शास्त्रीय अथवा परम्परागत राजनीतिक चिंतन (Traditional or Classical Political Theory)

(ख) आधुनिक राजनीतिक चिंतन (Modern Political Theory)

वर्तमान शताब्दी के कई लेखकों–लॉर्ड ब्राईस, मैकाइवर तथा लास्की का नाम उल्लेखनीय है। परम्परागत राजनीतिक चिंतन से सम्बंधित लेखकों में प्लेटो, अरस्तु, हॉल्स, लॉफ हीगल, तथा कार्ल मार्क्स उल्लेखनीय हैं।

(क) **शास्त्रीय अथवा परम्परागत सिद्धान्त की विशेषताएं (प्रकृति) (Features/Nature of Classical or Political Theory)**–परम्परागत सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. **मुख्यतः आदर्शात्मक अध्ययन (Mainly Normative Studies)**–परम्परागत विचारकों के ग्रन्थों को पढ़ने से पता चलता है कि इनके कुछ आदर्शों को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है बल्कि इन्हीं मान्यताओं की कसौटी पर अन्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं और शासन को परखा जाता है। इस प्रकार लेखकों ने मानवीय उद्‌गम (Normative Approach) का सहारा लिया। मानवीय उद्‌गम का अर्थ है कि पहले मस्तिष्क में किसी विशेष आदर्श की कल्पना कर ली जाती है फिर उस कल्पना को व्यवहारिक रूप देने के लिए सिद्धान्त का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति को अपनाने वाले लेखकों में प्लेटो, हाब्स, रूसो, थॉंटे तथा हीगल प्रमुख हैं। प्लेटो ने दार्शनिक राजा (Philosopher King) तथा रूसों ने सामान्य इच्छा (General will) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

   लेकिन कुछ परम्परागत लेखक ऐसे भी हैं जिन्होंने मानवीय उद्‌गम के साथ–साथ आनुभाविक उद्‌गम को भी अपनाया। अरस्तु ने अपने काल के 158 नगर–राज्यों के संविधानों का अध्ययन कर आदर्श राज्य की कल्पना की।

2. **मुख्यतः कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन (Primarly Legal, Formal and Institutional Studies)**–परम्परागत अध्ययन मुख्यतः विधि तथा संविधान द्वारा निर्मित औपरचारिक संस्थाओं से सम्बन्धित था। उस काल के लेखकों द्वारा इस बात का प्रयास नहीं किया कि संस्था से बाहर जाकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाए, जिससे उसके विशिष्ट व्यवहार का परीक्षण किया जा सके। उदाहरणस्वरूप डायसी (Dicey), मुनरो (Munro), लास्की (Laski), जेनिंग्स (Jennings) आदि विद्वानों ने अपने अध्ययनों में संस्थाओं के कानूनी व औपचारिक रूप का ही अध्ययन किया।

3. **मुख्यतः वर्णनात्मक अध्ययन (Mainly Descriptive Studies)**–परम्परागत चिंतन की मुख्य विशेषता यह है कि यह मुख्यतः वर्णनात्मक है। अर्थात् इसमें राजनीतिक संस्थाओं का केवल वर्णन किया गया है। अतः न तो ये व्याख्यात्मक है, न विश्लेषणात्मक और न ही इसके माध्यम से राजनीतिक समस्या का समाधान हो पाया है। इन विद्वानों के अनुसार राजनीतिक संस्था का वर्णन–मात्र पर्याप्त है और उनके द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि इन संस्थाओं की समानताओं तथा विभिन्नता के मूल में कौन–सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो इन्हें प्रभावित करती हैं।

4. **परम्परागत चिन्तन पर दर्शन, धर्म तथा नीतिशास्त्र का प्रभाव (Influence of Philosophy, Religion and Ethics on Classical Studies)**–परम्परागत चिन्तन की विशेषता यह है कि वे दर्शन एवं धर्म से प्रभावित रहे हैं तथा उनमें नैतिक मूल्य विद्यमान रहे हैं। यद्यपि प्लेटो तथा अरस्तु के चिन्तन कुछ हद तक यह दिखाई देता है, पर इसका स्पष्ट उदाहरण मध्यकालीन ईसाई धर्म के राजधर्म से

प्रभावित हो जाने पर प्राप्त हुआ। उस समय का मुख्य चर्चा का विषय राज्य तथा चर्च के आपसी सम्बंध कैसे हों, था। यूरोप के विद्वानों के अनुसार धर्म, राज्य से श्रेष्ठ है तथा धर्माधिकारी भी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सेंट थॉमस एक्वीनास (Saint Thomas Acquinas) इसी मत के विचारक थे। दूसरी ओर यह मुद्दा भी हमेशा महत्त्वपूर्ण रहा की राजसत्ता, धर्मसत्ता से श्रेष्ठ है और इसे चर्च को विनियमित करने का अधिकार है। विलियम आकम (William Occam), इस विचार का समर्थन करने वालों में प्रमुख थे।

5. **समस्याओं का समाधान करने का प्रयास (Study for Solving Problems)**–परम्परागत लेखकों की रचनाओं में अपने युग की समस्याओं, घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है तथा वे अपने–अपने ढंग से इन समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहे। उदाहरणस्वरूप हाब्स के चिन्तन का उद्देश्य किसी ऐसी व्यवस्था की खोज करना था, जिससे गृहयुद्ध तथा अशान्ति के वातावरण को समाप्त किया जा सके। हाब्स (1588-1679) ने निरंकुश राजतंत्र (Absolute Monarchy) का समर्थन किया। इटली के तत्कालीन स्थिति को देखकर मैक्यावली (Machiaveli) इस परिणाम तक पहुँचा कि शासक को अपने राज्य को विस्तृत तथा मजबूत बनाने के लिए झूठ, छल–कपट, हत्या आदि सभी साधन उचित हैं। प्लेटो (Plato) के यूनान में उस समय नगर–राज्यों में ईर्ष्या–द्वेष तथा कलह का वातावरण था, उससे छुटकारा पाने के लिए उसने दार्शनिक राजा (Philosopher King) के सिद्धान्त की रचना की। उस व्यवस्था का उद्देश्य शासक वर्ग को किसी भी प्रकार के निजी स्वार्थ से ऊपर रखना था।

(ख) **आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त का स्वरूप (Nature of Modern Political Theory)**–अनुभाविक पद्वति (Empirical Methods) ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया है। इन पद्धतियों में ये बल दिया गया कि राजनीति के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाए तथा तथ्यों और आंकड़ों (Facts & Figures) पर विशेष बल दिया जाए। वर्तमान सिद्धान्तशास्त्री, राजनीतिक प्रभाव (Political Effects), सत्ता (Authority), राजनीतिक विकास (Political Development), शक्ति (Power) जैसी अवधाराणाओं पर विशेष बल दे रहे हैं। चार्ल्स मेरियम (Charles Meriam) तथा हैरोल्ड लासवैल (Harold Laswell) द्वारा शक्ति के सिद्धान्त की पुष्टि की गई। जबकि राजनीतिक अभिजन (Political Elite) के सिद्धान्त जी० मोस्का (G. Mosca), रॉबर्ट मिशेल्स (Robert Michels), तथ पेरेटो (Pareto) ने विकसित किया। डेविड ईस्टन (David Eastm) की पुस्तक 'दि पोलिटिकल सिस्टम' (The Political System) 1953 में छपी, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया को निवेश तथा 'निर्गत' (Output) के माध्यम से समझाया है। निवेश, जनता की मांगे तथा न्यायपालिका तथा कार्यपालिका द्वारा लिए गए विशेष निर्णय 'निर्गत' हैं।

पिछले कई सालों से कुछ सिद्धान्तशस्त्रियों ने राजनीति में एक नई क्रान्ति को जन्म दिया, जिसे व्यवहारवादी क्रान्ति (Behavioural Revolution) के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति परम्परागत सिद्धान्तशास्त्रियों के प्रति असंतोष का परिणाम थी। व्यवहारवादी लेखकों जिनमें राबर्ट ए० डहल (Robart A. Dahl), पावेल (G.B. Powell) तथा डेविड ईस्टन (David Easten) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने राजनीति को शुद्ध विज्ञान बनाने पर बल दिया। सन् 1970 के दशक में कॉर्ल पॉपर (Karl Poper) तथा जॉन राल्स (John Rawels) जैसे लेखक आए, जिन्होंने वैज्ञानिक पद्वति अपनाते हुए मूल्यों (Values) का परित्याग नहीं किया।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएं अग्रलिखित हैं–

1. **आनुभाविक अध्ययन (Empirical Study or Approach)–**राजनीति को शुद्ध विज्ञान बनाने के लिए राजनीतिक तथ्यों के माप–तोल पर राजनीति के आधुनिक विद्वानों ने बल दिया। यह तथ्य–प्रधान अध्ययन है जिसमें वास्तविकताओं का अध्ययन होता है। इसमें उन्होंने नए–नए तरीके अपनाए, जैसे जनगणना (Census Records) तथा आंकड़ो (Datas) का अध्ययन करना तथा जनमत जानने की विधियां (Opinion Polls) और साक्षात्कार (Interview) के द्वारा कुछ परिणाम निकालना। डेविड ईस्टन (David Easten) ने कहा है कि ''खोज

सुव्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए। यदि कोई सिद्धान्त आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो वह निरर्थक साबित होगा।''

2. **विश्लेषणात्मक अध्ययन (Analytical Study)**—आधुनिक विद्वानों ने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। वे संस्थाओं के सामान्य वर्णन से सन्तुष्ट नहीं थे क्योंकि वे राजनीतिक वास्तविकताओं को समझना चाहते थे। ईस्टन, डहल, आल्मण्ड तथा वेबर इत्यादि विद्धानों ने व्यक्ति के कार्यों व उनके व्यवहार पर अधिक बल दिया क्योंकि इनके विश्लेषण से राजनीतिक व्यवस्था को समझना आसान था।

3. **मूल्य–विहीन अध्ययन (Value-Free Study)**—आधुनिक लेखक, विशेष रूप से व्यवहारवादी (Behaviouralists) राजनीति के मूल्य–विहीन अध्ययन पर बल देते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक विचारकों को 'मूल्य–निरपेक्ष' अर्थात् तटस्थ (Neutral) रहना चाहिए। उन्हें 'क्या होना चाहिए' (What Ought to be) के स्थान पर 'क्या है' (What Exists) का उत्तर खोजना चाहिए। उन्हीं सही तथा गलत के प्रश्नों से मुक्त रहना चाहिए। लेखक का कार्य तथ्यों तथा आँकाड़ों को वर्गीकृत करना होना चाहिए, उन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है कि कौन–सी शासन प्रणाली अच्छी है, कौन–सी बुरी।

4. **अध्ययन की अन्तःशास्त्रीय पद्वति (Inter Disciplinary Approach to the Study of Politics)**—आधुनिक विद्वानों की ये मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था की अनेक उप–व्यवस्थाओं (Multi-systems) में से एक है, और इन सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन अलग–अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक उपव्यवस्था, अन्य उप–व्यवस्थाओं के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसलिए किसी एक उप–व्यवस्था का अध्ययन अन्य उपव्यवस्था के संदर्भ में ही किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था पर समाज की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आदि व्यवस्थाओं का प्रर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

   वर्त्तमान समय में यह धारणा जोर पकड़ रही है कि विश्वीकरण (Globalization) की प्रक्रिया को समझे बिना राज्य के बारे में चिन्तन नहीं किया जा सकता। विश्व अर्थव्यवस्था, अर्न्तराष्ट्रीय कानून तथा अर्न्तराष्ट्रीय सम्बंधों का अध्ययन, राजनीतिक सिद्धान्त में अलग–अलग नहीं बल्कि एक साथ करने की आवश्यकता है। इसका कारण यही है कि ये सभी तत्त्व राज्य के कार्यक्षेत्र और उसकी प्रभुसत्ता को प्रभावित करते हैं।

5. **अनौपचारिक कारकों का अध्ययन (Study of Informal Factors)**—आधुनिक विद्वानों के अनुसार परम्परागत अध्ययन की औपचारिक संस्थाओं जैसे राज्य, सरकार व दल आदि का अध्ययन काफी नहीं है। वे राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए उन सभी अनौपचारिक कारकों का भी अध्ययन करना आवश्यक समझते हैं जो राजनीतिक संगठन के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस श्रेणी में व्यवहारवादी विचारक डहल, डेविड, ईस्टन, आल्मण्ड तथा पावेल शामिल है। ये सभी जनमत, मतदान, आचरण, विधानमण्डल, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा जनसेवकों (Public Servants) के अध्ययन पर भी बल देते हैं।

6. **समस्या–समाधान का प्रयास (Problem Solving Efforts)**—सिद्धान्तशास्त्रियों द्वारा मूल्यों को स्वीकार कर लेने का यह परिणाम निकला है कि अब वे समस्याओं के समाधान में जुट गए हैं। आधुनिक सिद्धान्तशास्त्री जिन समस्याओं से पहले से ही जुझ रहें हैं वे है युद्ध तथा शान्ति, बेरोजगारी, पर्यावरण (Environment), असमानता तथा राजनीतिक हलचल (Inequality & Social Turmoil)। राजसत्ता (Power of the state), प्रभुसत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा न्याय आदि तो पहले से ही राजनीतिक विज्ञान के अंग हैं।

7. **उत्तर व्यवहारवादः मूल्यों को पुनः स्वीकार करने की पद्वति (Post-Behaviouralism: Acceptance of Values in the Study of Politics)**—आदर्शों तथा मूल्यों को व्यवहारवादी क्रान्ति ने पूर्णतः अस्वीाकर कर दिया था। राजनीति को पूर्ण विज्ञान बनाने की चाह में व्यवहारवादी लेखक आंकड़ों तथा तथ्यों में ही उलझ कर रह गए थे। उन्होंने किसी आर्दश व लक्ष्य के साथ जुड़ने से साफ इन्कार कर दिया। परन्तु शीघ्र ही नई क्रान्ति का उदय हुआ जिसे उत्तर व्यवहारवाद (Post Behaviouralism) के नाम से पुकारा जाता है। इस युग के सिद्धान्तशास्त्रियों को ये अनुभव हो गया कि राजनीति प्राकृतिक विज्ञानों की भांति पूर्ण विज्ञान का रूप नहीं ले सकती। इसलिए उन्होंने मानवीय उद्‌गम (Normative Approach) और आनुभाविक उद्‌गम (Empirical

Approach) दोनों का स्वीकार किया। डेविड ईस्टन (David Eastern) लिखता है, "आप चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न करें, मूल्यों को आप इतनी सुगमता से नहीं नकार सकेंगे, जितनी सुगमता से आप अपनी कोट को उतार कर फेंक देते हैं। मूल्य हमारे व्यक्तित्त्व का अभिन्न अंग हैं। मनुष्य होने के साथ हम अपने मनोभावों और अपनी पसन्द या नापसन्द से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं।"

डेविड ईस्टन (David Easton) ने यह कहा है, "यह मानकर चलना गलत है कि मूल्य निरपेक्ष हुए बिना कोई व्यक्ति वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता।" डेविड ईस्टन की तरह कोबन (Cobban) तथा ल्यो स्ट्रास (Leo Staraure) ने भी मूल्यों के पुननिर्माण (Reconstruction of Values) पर बल दिया है। जॉन राल्स (John Rawls) ने उन सिद्धान्तों तथा प्रक्रियाओं का पता लगाने का प्रयत्न किया है जिन पर चलकर हम न्यायोचित समाज की स्थापना कर सकते हैं।

## ledkyhu jktuhfrd fl)kUr
## (Contemporary Political Theory)

राजनीतिक सिद्धान्त का अन्य रूप भी है जिसे समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के सातवें तथा आठवें दशक के बाद के राजनीतिक शास्त्रियों ने तेजी से बदलते हुए समय में उचित राजनीतिक सिद्धान्त की आवश्यकता पर बल दिया। मार्क्सवादी व्यवस्था के असफल हो जाने के बाद विश्व के कई भागों में पुर्नविचार करने की आवश्यकता को महसूस किया गया। इस विचारधारा के मुख्य प्रर्वत्तक जॉन रॉल्स (John Rawls) तथा आर० नोजिक (R. Nozick) आदि माने जाते हैं। इस सिद्धान्त ने केवल दर्शन से कुछ अधिक, बल्कि यह विज्ञान से भी बहुत अधिक है।

## राजनीतिक सिद्धान्त का महत्त्व
## (Significance of Political Theory)

राजनीतिक सिद्धान्त का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के समक्ष आने वाली सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूढ़ना है। यह मनुष्य पर आने वाली कठिनाइयों की व्याख्या करता है तथा सुझाव देता है ताकि मनुष्य अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सके।

राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन के महत्त्व (उद्देश्य) को निम्नलिखित भागों में प्रकट किया जा सकता है–

1. **सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक (Helpful in Understanding the Social Change)–**मानव समाज एक गतिशील संस्था है जिसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहे हैं। ये परिवर्तन समाज के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन देशों में स्थापित सामाजिक व्यवस्थाओं के विरूद्ध क्रान्ति हुई अथवा विद्रोह हुआ उसका मुख्य कारण उस समय की स्थापित सामाजिक व्यवस्थाएं (Established Social Order) नई उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थीं। फ्रांस की सन् 1789 की क्रांति का उदाहरण हमारे सामने है। कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक सिद्धान्त को एक विचारधारा (Ideology) का ही रूप माना है और उसका विचार था कि जब नई सामाजिक व्यवस्था (वर्ग–विहीन तथा राज्य विहीन समाज) की स्थापना हो जाएगी तो फिर सिद्धान्तीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। मार्क्स ने एक विशेष विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर वर्ग–विहीन और राज्य–विहीन समाज की कल्पना की थी। उसका यह विचार ठीक नहीं है कि समाज स्थापित हो जाने के पश्चात सिद्धान्तीकरण (Theorising) की आवश्यकता नहीं रहेगी।
2. **राजनीतिक सिद्धान्त की राजनीतिज्ञों, नागरिकों तथा प्रशासकों के लिए उपयोगिता (Utility of Political Theory for Politician Citizens and Administrators)–**राजनीतिक सिद्धान्त के द्वारा वास्तविक राजनीति के अनेक स्वरूपों का शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिस कारण वे अपने सही निर्णय ले सकते हैं। डॉ० श्यामलाल वर्मा ने लिखा है, ''उनका यह कहना केवल ढ़ोंग या अहंकार है कि उन्हें राज सिद्धान्त की कोई

आवश्यकता नहीं है या उसके बिना ही अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर रहे हैं अथवा कर सकते हैं। वास्तविक बात यह है कि ऐसा करते हुए भी वे किसी–न–किसी प्रकार के राज सिद्धान्त को काम में लेते हैं।

3. **भविष्य की योजना सम्भव बनाता है (Makes Future Planning Possible)–**राजनीतिक सिद्धान्त सामान्यीकरण (Generalization) पर आधारित है, अतः वैज्ञानिक होता है। इसी सामान्यीकरण के आधार पर वह राजनीति विज्ञान को तथा राजनीतिक व्यवहार को भी एक विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। वह उसके लिए नए–नए क्षेत्र ढूंढ़ता है और नई परिस्थितियों में समस्याओं के निदान के लिए नए–नए सिद्धान्तों का निर्माण करता है। ये सिद्धान्त न केवल तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं, बल्कि भविष्य की परिस्थितियों का भी आकंलन करते हैं। इस प्रकार देश व समाज के हितों को ध्यान में रखकर भविष्य की योजना बनाना सम्भव होता है।

4. **स्पष्टता प्राप्त करना (Acquiring Clarity)–**राजनीतिक सिद्धान्त वैचारिक तथा विश्लेषणात्मक स्पष्टता (Conceptual and Analytical) प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण सहायता करते हैं। राजनीतिक विचारों का यह कर्त्तव्य है कि लोकतंत्र कानून, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय आदि मूल्यों की रक्षा करें। इसके लिए राजनीतिक सिद्धान्त का ज्ञान होना अति आवश्यक है क्योंकि इससे हमें इन राजनीतिक अवधारणाओं का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। ये स्पष्टतया विश्लेषणात्मक अध्ययन से प्राप्त होती हैं।

5. **सिद्धान्त राजनीतिक आन्दोलन के प्रेरणा–स्त्रोत बनते हैं (Theories become the Force behind Many Political Movements)–**सिद्धान्त आन्दोलन को प्रेरित करते हैं। लेनिन (Lenin), जो राजनीतिक आन्दोलन के लिए सिद्धान्त के महत्व को समझते थे, ने सन् 1902 में कहा था, "एक विकसित या प्रगितिशील सिद्धान्त के बिना कोई दल किसी संघर्ष का नेतृत्व नहीं कर सकता।" लेनिन (Lenin) ने यह बात बार–बार कहा कि "क्रान्तिकारी सिद्धांत के बिना क्रान्तिकारी आन्दोलन संभव नहीं है।" 20वीं शताब्दी में इस कार्य के लिए ग्राहम वालास, लास्की, मैकाइबर, चार्ल्स मैरयिम, रार्बट डहल तथा डेविड ईस्टन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ऐलन आर. बाल (Alan R. Ball) ने लिखा है, "आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में विचारधाराओं का मुख्य कार्य वर्तमान राजनीतिक संरचनाओं (सरकारों) का वैधीकरण है, परन्तु विचारधारा परिवर्तन के लिए स्थान बनाने में भी सहायक होती है। यह राजनीतिक परिवर्तनों को समझाने का साधन है और उनकी स्वीकृति में सहायक होती है।

भारत में गाँधी जी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे देशवासियों का समर्थन उस विचारधारा के कारण था जो सत्य और अहिंसा के आधार पर आधारित थी।

6. **अनुगामियों का मार्ग–दर्शन (Guidance to Followers)–**सिद्धान्तशास्त्री विभिन्न सिद्धान्तों का निर्माण करके आने अनुगामियों तथा समर्थकों व शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं तथा उनमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करते हैं। मार्क्स तथा एंगेल्स (Engles) ने जिस साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया और जिस सिद्धान्त की रचना की, उसने उनके समर्थकों में बहुत विश्वास उत्पन्न किया था।

7. **समस्याओं के समाधान में सहायक (Useful in Solving Problems)–**राजनीतिक सिद्धान्त का प्रयोग विकास, अभाव, शान्ति तथा अन्य राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रवाद, जातिवाद, प्रभुसत्ता तथा युद्ध जैसी गम्भीर समस्याओं को सिद्धान्त के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। बिना किसी सिद्धान्त के जटिल समस्याओं को सुलझाना संभव नहीं होता।

8. **वास्तविकता को समझने का साधन (Source to Know the Truth)–**राजनीतिक सिद्धान्त हमें वास्तविकताओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। सिद्धान्तशास्त्री, सिद्धान्त का निर्माण करने के पहले समाज में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का तथा समाज की इच्छाओं, आकांक्षाओं व प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है और उन्हे उजागर करता हैं वास्तविकता को जानने के पश्चात हम निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं जो हमें शक की स्थिति से बाहर निकाल देता है।

9. **सरकार (शासन) को औचित्य प्रदान करती है (Provides Legitimacy to the Government)**—कोई भी शासन केवल दमन तथा आतंक के आधार पर अधिक समय तक नहीं चल सकती, उसका "वैधीकरण" आवश्यक है। जनता के मन में यह विश्वास बिठाना आवश्यक होता है कि अमुक व्यक्ति तथा दल को देश पर शासन का अधिकार है। हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे व्यक्तियों ने भी अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए नाजीवाद (Nazism) तथा फासीवाद (Fascism) जैसी विचारधाराओं का सहारा लिया। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद की स्थापना के लिए सिद्धान्त ही औचित्य प्रदान करते हैं और अपनी विचारधारा का प्रचार कर जनता का समर्थन पाते हैं। इससे उनका वैधीकरण हो जाता है।

10. **अवधारणा के निर्माण की प्रक्रिया सम्भव (Proven of the Construction of Concept Possible)**—राजनीतिक सिद्धान्त विभिन्न विचारों का संग्रह है। यह किसी राजनीतिक घटना को लेकर उस पर विभिन्न विचारों को इकट्ठा कर उनका विश्लेषण करता है। जब कोई निष्कर्ष निकल जाता है तो उसकी तुलना की जाती है। उन विचारों की परख कर एक धारणा बना ली जाती है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो नए संकलित तथ्यों को पुनः नए सिद्धान्त में बदल देती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के सम्पूर्ण ढांचे का भविष्य राजनीतिक सिद्धान्त के निर्माण पर ही निर्भर करता है।

## vH;kl ç'u
## (Exercise-Questions)

### fucU/kkRed ç'u (Essay Type Questions)

1. राजनीतिक सिद्धान्त की परिभाषा दीजिए। राजनीतिक सिद्धान्त का कार्य–क्षेत्र अथवा विषयवस्तु का वर्णन कीजिए।

   (Define Political Theory. Explain the Scope or Subject Matter of Political Theory.)

2. राजनीतिक सिद्धान्त का अर्थ तथा स्वरूप बताइए।

   (Describe the meaning and nature of Political Theory.)

3. आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त की विशेषताओं की चर्चा करते हुए राजनीतिक सिद्धान्त की प्रकृति का वर्णन कीजिए।

   (Describe the nature of Political Theory with special reference to the characteristics of Modern Political Theory.)

4. परंपरागत राजनीतिक सिद्धान्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

   (Describe the main features of Traditional (Classical) Political Theory.)

5. आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त के मुख्य लक्षणो का वर्णन कीजिए।

   (Discuss the main characteristics of Modern political Theory)

6. राजनीतिक सिद्धान्त के महत्व का वर्णन कीजिए।

   (Discuss the significance of Political Theory.)

# v/;k; 2

# 'kfDr dh vo/kkj.kk

## (Concept of Power)

- शक्ति की अवधारणा का विकास
- शक्ति का अर्थ और व्याख्या
- शक्ति की विशेषताएं
- शक्ति के स्वरूप (प्रकार)
- राष्ट्रीय शक्ति
- राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक (संधटक) तत्त्व
- शक्ति का माप
- शक्ति के स्त्रोत
- राजनीतिक शक्ति के प्रयोग करने के ढंग
- शक्ति तथा प्रभाव
- शक्ति एवं बल
- शक्ति की अवधारणा की आलोचना

*शक्ति की अवधारणा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण विषय है। बहुत पुराने समय से ही सभी विद्वानों ने राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्त्व को स्वीकार किया है परन्तु शक्ति की अवधारणा के संबंध में सभी विद्वान एकमत नहीं है। यूनान के प्रसिद्ध विचारकों सुकरात (Socrates) तथा प्लेटो (Plato) ने शक्ति का अध्ययन दार्शनिक (Normative) दृष्टिकोण के आधार पर किया तो दूसरी ओर अरस्तु (Aristotle), मैक्यावली (Machiavelli) तथा हॉब्स (Hobbes) ने शक्ति का यर्थाथवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। उनका कहना है कि शक्ति राज्य के अन्दर स्वाभाविक तौर पर निवास करती है। हाब्स (Hobbes) ने लिखा है, ''शक्ति तथा और अधिक शक्ति प्राप्त करने की कामना का ही दूसरा नाम 'जीवन' है। इस कामना का अन्त केवल मृत्यु के साथ होता है।'' (Life is ………. perpetual and restless desire of power after power that .......only in death)" बैकर (Becker) के अनुसार, ''राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता।'' (politics is inseparble from power).*

*फिर भी शक्ति की ओर विद्वानों का ध्यान राष्ट्र–राज्यों के उदय के बाद हो गया। आधुनिक समय में मैक्स वेबर (Max Weber), कैटलिन (Catlin), लासवैल (Lasseell), बर्टेण्ड रसल (Bertrand Russel) तथा राबसन (Robson) आदि विद्वानों ने इस पर गम्भीरता से विचार किया है और इसके महत्त्व पर बल दिया है। शक्ति की अवधारणा को राजनीति का केन्द्रीय तत्त्व मानने वाले विद्वानों का एक समूह है, जिसे शिकागो सम्प्रदाय (Chicago school) कहा जाता है। इनमें मार्गेन्थो (Morgenthan), लासवैल (Lasswell), तथा मेरियम (Meriam) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।*

*कैटलिन (Catlin) ने कहा है, ''राजनीति शक्ति का विज्ञान है।'' (Politics is the science of power)। शक्ति की अवधारणा के महत्त्व का वर्णन करते हुए प्रो० एस०एस० उलमर (Prof. S.S. Ulmer) ने लिखा है, ''सभी सामाजिक विज्ञानों में से राजनीति विज्ञान से अधिक शक्ति से संबंधित कोई अन्य सामजिक विज्ञान नहीं है। यदि अरस्तु के समय से वर्तमान समय तक के राजनीतिक लेखों का विश्लेषण किया जाए तो निःसंदेह यह सच्चाई प्रकट हो जाएगी कि शक्ति ही एक ऐसी केन्द्रीय धारणा है कि जिसके इर्द–गिर्द राजनीति की व्याख्या करने वाले सभी मंत्र घूमते हैं।''*

# 'kfDr dh vo/kkj.kk dk fodkl
# (Evolution of Concept of Power)

राजनीति–शास्त्र का केन्द्र बिन्दु शक्ति है। अतः अनेक विद्वानों ने शक्ति के बारे में बहुत पुराने समय से ही विचार प्रकट किया है। फिर भी सभी विद्वान एकमत नहीं है। उदाहरणस्वरूप यूनान के सुकरात तथा प्लेटो ने आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया तो दूसरी ओर हॉब्स, मैक्यावली, अरस्तु तथा थ्रैसीमेक्स आदि ने शक्ति का यर्थाथवादी विश्लेषण किया है।

एक अन्य प्रमुख विद्वान अर्नाल्ड ब्रैशर (Arnold Brecht) शक्ति को निरंकुश और अमूर्त्त मानने का विरोध करता है।

# 'kfDr dk vFk vkj 0;k[;k
# (Meaning and Explanation of Power)

शक्ति राजनीति–शास्त्र के अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण विषय है। राजनीति विज्ञान में अन्य अवधारणाओं की भांति ''शक्ति की अवधारणा' भी अति विवादग्रस्त है। कैटलिन (Katlin) ने राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान माना है। लासवैल ने भी शक्ति को राजनीति शास्त्र के अध्ययन का मूल विषय माना है। लासवैल (Lasswell) के अनुसार, ''एक अनुभववादी व्यवस्था के रूप मे राजनीति–शास्त्र शक्ति की रूप, रचना तथा उपयोग का अध्ययन है।'' (Political Science is an empirical discipline to study the shaping and sharing of power).

बेकर का कथन है, ''राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता।'' फिर भी शक्ति की परिभाषा अथवा अर्थ के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद पाया जाता है। इसे स्वीकार कर राबर्ट ए० डहल (Robert A. Dahl) ने अपनी पुस्तक 'Modern Political Analysis' में लिखा है, ''प्रथम तथा सबसे मुख्य बात जो जाननी चाहिए, वह यह है कि न तो साधारण भाषा मे न राजनीति शास्त्र में शक्ति के बारे में और उसकी परिभाषा के लिए विद्वानों में कोई समझौता है।''

विभिन्न विद्वानों द्वारा शक्ति की निम्नलिखित परिभाषा दी गई हैः–

1. मैकाइवर (Maciver) के अनुसार, ''शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित और निर्देशित करने की क्षमता से है।''
2. हार्टमन (Hartmann) के अनुसार, ''शक्ति वह बल अथवा क्षमता है जिसे प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य अपने हितों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करता है।''
3. शूमन (Schuman) के अनुसार, ''शक्ति मित्र बनाने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता है।''
4. एम० जी० स्मिथ (M.G. Smith) के अनुसार, ''लोगों तथा वस्तुओं के ऊपर बल या प्रोत्साहन द्वारा प्रभावशाली रूप में कार्य करने की योग्यता को शक्ति कहते हैं।''
5. आर० एच० टॉनी (R.H. Tawny) ने कहा है, ''शक्ति किसी व्यक्ति या समूह की उसकी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने की क्षमता है।''
6. मार्गेन्थो (Morgenthan) के अनुसार, ''सामाजिक सम्बन्धों में दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क और कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही शक्ति है।''
7. ऐलन आर० बाल (Allen R. Ball) का कहना है, ''राजनीतिक शक्ति दूसरों के व्यवहार को किसी प्रकार की धमकी के डर द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है।''
8. कार्ल ड्रयूश (Karl Deutsch) के शब्दों में, ''शक्ति विरोध में सफलता पाने और बाधाओं पर विजय पाने की योग्यता है।
9. गोल्डहेमर तथा शिल्स (Goldhamer and Shils) के मतानुसार, ''एक व्यक्ति को उतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना कि वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि शक्ति वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरों की नीतियों तथा कार्यों को इस तथ्य की सहायता से प्रभावित करता है और यदि उसकी इच्छा से कार्य न किया जाए तो अवज्ञा करने वाले को हानि उठानी पड़ सकती है। शक्ति की अवधारणा को समझने के लिए उसकी विशेषता को समझना होगा।

## 'kfDr dh fo'k"krk,¡
## (Characteristics of Power)

शक्ति के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैंः–

1. **शक्ति स्थिति–परक है (Power is Situational):** शक्ति स्थिति तथा पद पर निर्भर है। जैसे कॉलेज का प्रधानाचार्य, विद्यार्थी पर तब तक शक्ति रखता है, जब तक विद्यार्थी उस कॉलेज का विद्यार्थी है तथा वह (कर्त्ता) उस कॉलेज का प्रधानाचार्य है।

2. **प्रयोग पर निर्भरता (Dependence on its Usage) :** शक्ति की एक अन्य विशेषता उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। शक्ति का पता केवल मात्र उसके प्रयोग से ही लगता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अनेक शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन वह शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता जबकि मंत्रिमंडल के पास शक्तियां न होते हुए भी शक्तियों का प्रयोग करता है। परिणामस्वरूप राष्ट्रपति को नाममात्र का (Nominal Head) अध्यक्ष और मंत्रिमण्डल को वास्तविक शासक (Real Ruler) कहा जाता है।

3. **वैधता की अवधारणा (Concept of Legitimacy) :** शक्ति के साथ वैधता की अवधारणा जुड़ी है। सत्ता को प्रभावी बनाने के लिए वैधता जरूरी है। डेविड हैल्ड के अनुसार, ''वैधता का मतलब यह है कि लोग जब किसी नियम या कानून का पालन करते हैं तो उनके मन में यह भावना रहती है कि कानून सही और न्यायसंगत है तथा इस योग्य है कि इसे माना जाए। वैध राजनीतिक व्यवस्था उसे कहेंगे जिसके पीछे जनता की सामान्य स्वीकृति है।''

   लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से शासकों की सत्ता को वैधता मिलती है।

4. **शक्ति के वास्तविक प्रयोग करने वाले का पता लगाना कठिन है (Difficult to locate, who yields real power) :** शासन प्रणाली कैसी भी हो, उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह का पता लगाना बड़ा कठिन है जो शक्ति का वास्तविक प्रयोग करते हैं। प्रत्येक समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पर्दे के पीछे रह कर शासक के निर्णयों तथा आदेशो को प्रभावित करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनवाते हैं। इसी संदर्भ में स्टीफन एल वास्बी ने कहा है, ''समाज के अधिक शक्तिशाली लोग वे हो सकते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं या जो वातावरण को तथा समय–समय पर उठने वाले प्रश्नों को नियंत्रित करते हैं। वे प्रश्नों को सुलझाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते।''

5. **अन्यों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता (Ability to influence the behaviour of others) :** अन्य व्यक्तियों के व्यवहार, कार्यों तथा नीतियों को प्रभावित करने की योग्यता ही शक्ति की अवधारणा का मूल मंत्र है। ऐसी योग्यता या क्षमता के बिना शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस योग्यता या क्षमता के विभिन्न रूप हो सकते हैं जैसे आर्थिक क्षमता (योग्यता) तथा शारीरिक क्षमता (योग्यता) आदि।

6. **मानवीय संबंधों का विशिष्ट रूप (A certain kind of human relationship) :** शक्ति मानवीय संबंधों का एक विशिष्ट रूप है। शक्ति के लिए एक कर्त्ता (Actor) तथा कुछ अन्य व्यक्तियों का होना आवश्यक है, ताकि कर्त्ता उन अन्य व्यक्तियो पर अपनी क्षमता (योग्यता) के अनुसार प्रभाव डाल सके तथा उनसे अपनी इच्छानुसार कार्य करवा सके।

7. **शक्ति में हानि पहुंचाने की धारणा सम्मिलित है (Power involves the idea of deprivation) :** शक्ति की अवधारणा में कहीं न कहीं हानि पहुँचा सकने की धारणा भी शामिल है। शक्ति के पीछे मान्यता (Sanction) होती है कि यदि किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की क्षमता (योग्यता) के पीछे दबाव शक्ति नहीं है तो ऐसी क्षमता (योग्यता) शक्ति नहीं कहलाएगी। उदाहरण के लिए जैसे कि एक कारखाने का

मालिक मजदूरों से कहे कि अमुक काम निश्चित समय पर पूरा करो और एक मजदूर आदेश न माने तो कारखाने का मालिक वेतन काटकर या अन्य कार्रवाई कर उसे हानि पहुँचा सकता है।

8. **शक्ति का भौतिक स्वरूप नहीं (Power is not material) :** शक्ति कोई वस्तु या सम्पत्ति नहीं होती जिस पर भौतिक रूप से अधिकार किया जा सकता है। शक्ति एक भावना (विचार) होती है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। शक्ति को न हम देख सकते हैं न दिखा सकते हैं। कोई ऐसा मंत्र नहीं कि शक्ति को नापा तौला जा सके।

9. **शक्ति के लिए विरोधी हितों का होना अनिवार्य (Existence of conflicting interacts is essential for power) :** शक्ति के लिए यह आवश्यक है कि शक्ति के प्रयोग, करने वाले व्यक्ति और उन व्यक्तियों जिन पर ये प्रयुक्त की जा रही है में हितों का विरोध हो।

10. **उद्देश्यपरकता (Functional) :** शक्ति की अवधारणा की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता इसका उद्देश्यपरक होना है, इसका अर्थ यही कि शक्ति का प्रयोग किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए।

11. **शक्ति के पीछे बल प्रयोग की धमकी होती है (Power is accompanied by some form of threat or sanction) :** रूस के प्रसिद्ध चिंतक टाल्सटाय (Tolstoy) ने कहा था, ''बहुत से आदेश दिए जाते हैं, पर इतिहास ऐसे आदेशों (या कानूनों) से बनता है जिनका कि वास्तव में पालन किया जाए।'' अभिप्राय यह है कि कानून या नियम का यदि पालन न किया जाए तो वे बेकार हैं।

12. **शक्ति के दो स्वरूप–वास्तविक शक्ति तथा सम्भावित शक्ति (Two aspects of power–actual power and possible power) :** एक व्यक्ति की शक्ति की जांच करते समय उसकी शक्ति के दो पहलुओं–उसकी वास्तविक शक्ति तथा सम्भावित शक्ति का विश्लेषण करना पड़ता है। वास्तविक शक्ति का अर्थ व्यक्ति की वह शक्ति जिसे शक्तिधारी द्वारा एक स्थिति में वास्तविक रूप से प्रयोग किया जा रहा हो। सम्भावित शक्ति वह शक्ति है जिसका प्रयोग उस सत्ताधारी द्वारा किया जा सकता हो।

## 'kfDr d Lo:i ¼çdkj½
## (Kinds of Power)

शक्ति के अनेक रूप हैं, इस आधार पर इसको मापना कठिन है। प्रमुख विद्वानों के विचारों को लेकर शक्ति के आठ प्रकार बताए जा सकते हैं–

1. **औचित्यपूर्ण शक्ति (Legitimate Power) :** इसका विश्लेषण मैक्स वेबर ने किया है, इसके मतानुसार शासक वर्ग हमेशा अपने व्यवहार के औचित्यपूर्ण सिद्ध करने की कोशिश करता है। जब जनता शासक–वर्ग के व्यवहार को औचित्यपूर्ण (Legitimate) मान लेती है, तब उसे औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। वेबर शक्ति के औचित्यपूर्ण रूप को ही मानता है और जो औचित्यपूर्ण नहीं है, उसे दमन (Coercion) कहता है।

2. **अनौचित्यपूर्ण शक्ति (Illegitimate Power) :** गोल्डहेमर और शिल्स का कहना है कि शक्ति को मापने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक व्यक्ति या राष्ट्र की उतनी समझनी चाहिए जितनी मात्रा में वह अपने इच्छानुसार दूसरे व्यक्ति या राष्ट्रो के व्यवहार को प्रभावित कर सके। चूंकि इसमें शक्ति के व्यवहार पक्ष पर जोर दिया गया है, इसलिए इसे शक्ति का व्यवहार–परिवर्तन के आधार का एक प्रकार भी कहा जाता है। शक्ति के इस प्रकार में व्यवहार परिवर्तन के लिए (i) बल, (ii) प्रभुत्व और (iii) छल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अनौचित्यपूर्ण शक्ति कहा गया है।

3. **केन्द्रीयकरण के आधार पर (On the basis of centralization) :** कुछ विद्वानों ने इस आधार पर शक्ति के दो प्रकार बताए हैं। इनमें से पहले को संकेन्द्रित (Concentral) और दूसरे को विस्तृत या विकेन्द्रित (Diffused) कहा गया है। संकेन्द्रित शक्ति में शक्ति पर एक ही केन्द्रीय सत्ता का नियंत्रण रहता है, जबकि विकेन्द्रित प्रकार में शक्ति अनेक स्वायत्तशासी इकाइयों को दे दी जाती है। इसमें शक्ति का स्वरूप कई बार अस्पष्ट और बिखरा हुआ होता है। संघ अथवा परिसंघ इसके उदाहरण हैं।

4. **क्षेत्रीयता के आधार पर (On the basis of Regionalization) :** इस आधार पर शक्ति के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दो प्रकार बताए गए हैं। इनका स्वरूप सरल और स्पष्ट होने के कारण विवरण देने की जरूरत नहीं है।

5. **मात्रा और प्रभाव के आधार पर (On the basis of quantity and influence) :** कुछ विद्वानों ने इस आधार पर शक्ति के तीन रूप बताए हैं जो क्रमशः (i) महान शक्तियाँ, (Super power), (ii) मध्यम श्रेणी की शक्तियाँ (Middle Ranking powers); और (iii) निम्न श्रेणी की शक्तियाँ (Low Ranking powers) कही गई हैं।

6. **प्रयोग और परिणाम की दृष्टि से (On the basis of Use & Result) :** इस आधार पर शक्ति के दो रूप हैं जिन्हें क्रमशः इच्छित (Intended) और अनिच्छित (Unintended) बताया गया है।

7. **राष्ट्रीय शक्ति (National power) :** एक राष्ट्र द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति, जिसके आधार पर वह अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करती है, उसकी राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। इसके मुख्यतः तीन रूप होते है–(i) सैनिक शक्ति (Military Power), (ii) आर्थिक शक्ति (Economic power) तथा (iii) मनोवैज्ञानिक शक्ति (Psychological Power)।

8. **राजनीतिक शक्ति (Political Power) :** राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य उस शक्ति से है जिसके द्वारा शासकीय निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें लागू किया जाता है और निर्णयों की अवहेलना होने पर दण्ड दिए जाने की व्यवस्था की जाती है। प्रो० एलन (Prof. Allen) के अनुसार, ''राजनीतिक शक्ति का प्रमाण उन लोगों को देखने में मिलता है जिनका शासन के उपकरणों पर नियंत्रण हो और जो अपने निर्णयों का पालन करा सकें।''

9. **बायर्सटेड के शक्ति के चार रूप (Bierstedt's four forms of power) :** बायर्सटेड नामक विद्वान ने चार अलग–अलग आधारों पर शक्ति के चार प्रकार बताए हैं–

   (i) *दृश्यता के आधार पर (On the basis of visibility)* : जब शक्ति का रूप प्रकट तरीके से दिखाई नहीं देता, तब बायर्सटेड उसे छिपी हुई शक्ति (Latent power) कहता है। दूसरी ओर जब वह दिखाई देती है, तब वह उसे शक्ति का प्रकट रूप (manifest Power) कहता है।

   (ii) *दमन के आधार पर (On the basis of Coercion)* : दूसरा वर्गीकरण दमन के आधार पर है, जब शक्ति दमनकारी रूप में प्रकट होती है तब वह दण्ड पर आधारित होती है।

   (iii) *औपचारिकता के आधार पर (On the basis of formality)* : औपचारिकता के आधार पर शक्ति औपचारिक (formal) और अनौपचारिक (Informal) हो सकती है।

   (iv) *प्रयोग के आधार पर (On the basis of Practice)* : जब शक्ति का प्रयोग स्वयं उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे वह प्राप्त है तब उसे प्रत्यक्ष शक्ति (Direct Power) कहते हैं। लेकिन जब शक्ति का प्रयोग अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा होता है; तब उसे अप्रत्यक्ष शक्ति (Indirect power) कहते हैं।

10. **शक्ति–प्रवाह के आधार पर (On the basis of power's flow) :** कुछ विद्वानों ने शक्ति–प्रवाह या दिशा की दृष्टि से शक्ति के तीन रूप बताए हैं जिन्हें क्रमशः एक–पक्षीय (unilateral), द्वि–पक्षीय (Bilateral) और बहु–पक्षीय (Multilateral) कहा गया है।

11. **आर्थिक शक्ति (Economic Power) :** आर्थिक शक्ति का अर्थ है–देश के उत्पादन के साधनों, भौतिक टेक्नोलॉजी, उद्योगों तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण होना। अर्थात् जिस भी वर्ग का इन साधनों पर नियंत्रण होता है, वह उस देश की राजनीतिक सत्ता या शक्ति पर नियंत्रण करता है।

12. **वैचारिक या सैद्धान्तिक शक्ति (Ideological Power) :** सैद्धान्तिक या वैचारिक शक्ति 'राजनीतिक शक्ति' को मजबूत आधार प्रदान करती है। वैचारिक शक्ति का अर्थ है–लोगों की इच्छाएं, विश्वास।

वैचारिक शक्ति की व्याख्या करते हुए लासवैल (Lasswell) ने ठीक ही कहा था, ''शासकों को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हिंसा या बल प्रयोग का सहारा तो जरूर लेना पड़ता है लेकिन बल प्रयोग बड़ा महंगा पड़ता है। इसकी अपेक्षा लोगों के विचारों को अपने पक्ष में करना, ताकि जनता का समर्थन मिलता रहे, कहीं ज्यादा सस्ता और सुविधाजनक है।''

## jk"Vªh; 'kfDr
## (National Power)

एक राष्ट्र द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति, जिसके आधार पर वह अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करता है, उसकी राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। यह शक्ति राष्ट्र में सत्ताधारियों व नीति–निर्माताओं की शक्ति होती है। इसके मुख्यतः तीन रूप होते हैं– (i) सैनिक शक्ति (Military power) (ii) आर्थिक शक्ति (Economic Power), (iii) मनोवैज्ञानिक शक्ति (Psychological Power)। सैनिक शक्ति का संबंध राज्य की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है तथा देश में शान्ति व्यवस्था बनाए रखता है। आर्थिक शक्ति का संबंध राष्ट्र के आर्थिक साधनों, औद्योगिक तथा तकनीकी विकास तथा राष्ट्र के मानव धन से होता है। राष्ट्र की मनोवैज्ञानिक शक्ति से अभिप्राय है–राष्ट्र के नेताओं तथा विचारकों की नीतियां, निर्णयों तथा व्यक्तिगत योग्यताओं के द्वारा राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति।

## jk"Vªh; 'kfDr d fu/kkjd ¼l/kVd½ rÙo
## (Determinants of National power)

किसी भी राष्ट्र की सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति आदि का सामूहिक रूप राष्ट्रीय शक्ति कहलाता है। विश्व की सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति का स्तर एक जैसा नहीं होता। जिन राष्ट्रों में राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्त्वों की बहुलता है उन राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति पर्याप्त रूप से विकसित है। राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुखतम निर्धारक तत्त्वों का यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक ही होगा।

1. **भौगोलिक स्थिति (Geographical Position) :** किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण एवं विकास करने में उस देश की भौगोलिक स्थिति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य उस देश की नदियों, पर्वतों, झीलों, धातुओं, वन आदि प्राकृतिक साधनों से है, इसके अलावा समुद्र तल से ऊँचाई तथा दूरी भी है। देश की भौगोलिक स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा तथा सामाजिक ढांचे को बहुत प्रभवित करती है।

2. **औद्योगिक क्षमता (Industrial Capacity) :** आर्थिक तत्त्व राष्ट्र की औद्योगिक क्षमता के साथ सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। औद्योगीकरण के इस युग में केवल विकसित औद्योगिक क्षमता ही प्रभावशाली आर्थिक विकास का साधन है। केवल औद्योगिक रूप से विकसित देश ही महान बन सकते हैं। आज अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैण्ड आदि अपनी औद्योगिक क्षमता के कारण बड़ी शक्तियां हैं।

3. **आर्थिक पद्धति (Economic System) :** समुचित आर्थिक प्रणाली से ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बन सकती है। आर्थिक प्रणाली का रूप पूंजीवादी अथवा समाजवादी या मिश्रित हो सकता है। इसलिए प्रत्येक देश के नेतागणों एवं नीति–निर्धारकों का कर्तव्य है कि दलीय नीति का परित्याग कर, निःस्वार्थ भाव से, राष्ट्रीय हित को प्रमुखता देते हुए समुचित आर्थिक प्रणाली का चयन करें, तभी राष्ट्र उन्नत हो सकता है।

4. **जनसंख्या का आधार (Demographic Base) :** राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में देश की जनसंख्या का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। वस्तुतः मानवीय शक्ति राष्ट्र के विकास का मूल आधार होती है। अतः राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए पर्याप्त जनसंख्या होना चाहिए, न तो आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए और न ही कम। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए जनसंख्या शिक्षित एवं सजग होनी चाहिए। जनसंख्या का संतुलन सही न रहने पर विदेशी शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

5. **विदेश–नीति (Foreign Policy) :** उचित विदेश नीति भी राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने में सहायक होती है। अतः आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय युग में प्रत्येक राष्ट्र को विदेश नीति का संचालन करना पड़ता है। कोई

विकसित देश यदि गुटबन्दी की नीति ग्रहण करेगा तो उसे अपने नीतियों का निर्माण गुटीय नीतियों के आधार पर ही करना होगा।

6. **संचार के साधन (Means of Communication) :** राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण तथा विकास के लिए संचार एवं आवागमन के साधनों का विशेष महत्त्व होता है। संचार के साधन जैसे दूरभाष, डाक–तार, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि। वैसे ही रेल, सड़क, जलयान, वायुयान, लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं। जिस देश में आवागमन एवं संचार के साधन जितने विकसित होंगे, वह राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से उतना ही सुदृढ़ होगा।

7. **शासन प्रणाली (Form of Government) :** राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करने में अच्छी शासन प्रणाली का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। विश्व में अनेक शासन प्रणाली है, जैसे एकात्मक, संघात्मक, संसदीय और अध्यक्षात्मक। इनमें से जो शासन प्रणाली देश के लिए उपयोगी, लाभप्रद हो, राजनेतागण उसी का चयन करें।

8. **तकनीकी उन्नति (Technological Progress) :** तकनीकी उन्नति के बिना कोई भी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली और प्रभावशाली नहीं बना सकता है। जबकि राष्ट्रीय शक्ति के विकास के लिए तकनीकी विकास का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। आधुनिक युग में मानव विविध भौतिक सुख–सुविधाओ व साधनों का उपभोग तकनीकी विकास के कारण ही कर पा रहा है।

9. **राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय मनोबल (National Character and National Morale) :** राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण तथा विकास में राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय मनोबल का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रीय चरित्र से अभिप्राय है कि लोगों का राष्ट्रीय भावना से ओत–प्रोत होना चाहिए। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि समझना चाहिए। राष्ट्र के प्रति दृढ़ एवं अटूट आत्म–विश्वास व आस्था का होना ही राष्ट्रीय मनोबल है।

10. **राष्ट्रीय सामाजिक जीवन का गठन (National Social Life of the People) :** किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसका राष्ट्रीय जीवन का गठन कैसा है? संघर्षरत सामाजिक जीवन राष्ट्र की शक्ति को कमजोर बनाता है। जैसे पाकिस्तान के द्वारा भारत के मुस्लिम समुदाय पर ऐसा करने का प्रयास किया जाता है, परन्तु पिछले 55 वर्षों के इतिहास ने उनके ऐसे प्रयास को निरर्थक साबित किया है।

11. **नेतृत्त्व (Leadership) :** राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व नेतृत्त्व का भी है। जिस राज्य का जैसा संचालन होगा वहां की वैसी ही नीति होगी और वह उसको भंवर से निकालने में सफलता प्राप्त कर सकेगा। नेतृत्त्व राष्ट्र की शक्ति में दो प्रकार की वृद्धि कर सकता है– (i) राष्ट्र में राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्त्व विद्यमान हैं उनमें समन्वय की स्थापना करके तथा, (ii) राष्ट्र को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना।

    ये दोनों कार्य बिना सही नेतृत्त्व के पूर्ण नहीं हो सकते।

12. **कूटनीति (Diplomacy) :** राष्ट्र शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व कूटनीति होता है। प्रत्येक देश की विदेश–नीति का निर्माण उच्च राजनीतिक स्तर पर किया जाता है। कूटनीति उस समुचे यंत्र का निर्माण करती है जिसके द्वारा ये अपनी विदेश नीति को क्रियान्वित कर सके। मारगेन्थाऊ का विचार है कि कूटनीति का प्राथमिक लक्ष्य शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा राष्ट्र शक्ति की अभिवृद्धि करना होता है।

**निष्कर्ष (Conclusion) :** उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण व विकास के लिए अनेक तत्त्व हैं, जिनके समुचित उपयोग से राष्ट्र उन्नत हो सकता है।

## 'kfDr dk eki

## (Measurement of Power)

शक्ति के व्यवहारिक अध्ययन के लिए यह जानना आवश्यक है कि किसी विशेष राष्ट्र की शक्ति को कैसे मापा जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है क्योंकि किसी राष्ट्र की शक्ति को मापने में अनेक तथ्य अस्पष्ट अथवा अप्रत्यक्ष बने रहते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका आदि ने जर्मन व इटली को

हरा दिया। इसमें यह मालूम करना कि किस देश की शक्ति कितनी थी, उसका कितना बार प्रयोग किया गया, कठिन है। कभी–कभी राष्ट्र अपनी शक्ति का गलत माप कर लेता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम के संबंध में किया था, परिणामस्वरूप अमेरिका को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी।

वर्तमान समय में यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि कौन–सा राष्ट्र शक्तिशाली है, अमेरिका या रूस। परन्तु इसके साथ–साथ एक तटस्थ नीति के समर्थकों का भी गुट है जो अमेरिका तथा रूस की नीति को प्रभावित करता है।

## 'kfDr d: ókr
## (Sources of Power)

शक्ति के स्त्रोतों के बारे में भी राजनीति–शास्त्र के विद्वान एकमत नहीं है। वस्तुतः शक्ति अनेक स्त्रोतों से उत्पन्न होकर अपने आपको विभिन्न रूपों में प्रकट करती है। नेपोलियन, हिटलर, लिंकन, गांधी, लेनिन, चर्चिल, स्टालिन, होचीमिन्ह, बिस्मार्क, टीटो सभी शक्तिशाली थे। लेकिन उनकी शक्तियों में भेद था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जो शक्ति के पुंज थे, फिर भी उनकी शक्तियों में अन्तर था। अधिक वैज्ञानिक रूप में विद्वानों ने इन्हें (i) आन्तरित स्त्रोत (Internal Sources) और बाहरी स्त्रोत (External Sources) के दो वर्गों में रखा है। आन्तरिक स्त्रोत यानि व्यक्तित्त्व, सम्मान, ज्ञान, आत्म–नियंत्रण। बाहरी स्त्रोतों के स्वामित्व, प्रस्थिति या स्तर (Status), सत्ता, सामारिक शक्ति आदि का नाम लिया जाता है।

विषय की स्पष्टता के लिए कुछ प्रमुख स्त्रोतों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है–

1. **संगठन (Organization) :** संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत है। कहावत है कि 'संगठन में शक्ति है' (Unity is strength)। जब प्रतिद्वन्द्विता करने वाली अलग–अलग इकाइयाँ आपस में मिलकर एक संघ बना लेती है तब उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक समय में मजदूर संघ या व्यापारिक वाणिज्यिक संगठन इसके उदाहरण हैं। शक्ति की दृष्टि से राज्य ही सबसे बड़ा संघ है और इसका कारण है उसका संगठित होना।

2. **ज्ञान (Knowledge) :** मानवीय क्षेत्र में शक्ति का महत्त्वपूर्ण स्त्रोत करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। जानवरों से मनुष्य अधिक ज्ञान है। साधारण अर्थ में ज्ञान, व्यक्ति या व्यक्ति–समूह को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित शक्तिशाली इसलिए माना जाता है कि उसमें ज्ञान और कुशलता अधिक है। ज्ञान द्वारा ही व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। इसके द्वारा वह सीखने, सोचने आदि के रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने में सफल होता है।

3. **आकार (Size) :** बहुत बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और यह सोचा जाता है कि संगठन का आकार जितना बड़ा होगा, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। यदि संगठन का मेल आकार के साथ हो तो प्रायः ऐसा होता भी है। उदाहरण के लिए अकबर का राज्य, औरंगजेब से छोटा था पर ज्यादा शक्तिशाली था। मैकाइवर (Maciver) ने कहा भी है, ''शक्ति की कार्य–कुशलता उन अलग–अलग हालात द्वारा घटती–बढ़ती रहती है, जिसके अधीन उसे काम करना है।''

4. **सत्ता (Authority) :** जिन सब तत्त्वों के कारण शक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण बनती है उसे हम सत्ता कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि सरकारी तंत्र में वह सक्रिय रूप में भागीदार बन जाता है।

5. **आर्थिक साधन (Economic Resources) :** जिस राष्ट्र के पास आर्थिक साधन जितने अधिक होते हैं, वह दुनिया के अन्य देशों को आर्थिक सहायता देने के नाम पर बहुत अधिक प्रभावित करता है। दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात अमेरिका आज तक इसलिए प्रभावशाली बना रह सका है क्योंकि उसके पास प्रचुर मात्रा में आर्थिक साधन है। पश्चिम एशिया के अरब राष्ट्रों ने अपनी प्राकृतिक सम्पदा तेल के अकूत भण्डार पर ही अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति बनाई है।

6. **प्राप्तियां (Possessions) :** शक्ति को निर्धारित करने वाले बाहरी तत्त्व में प्राप्तियाँ (Possessions) प्रमुख है। इनमें भौतिक सामग्री, स्वामित्त्व एवं सामाजिक सामग्री की शक्ति, व्यक्ति द्वारा अपनाई गई प्रस्थिति और स्तर आदि शामिल है।

7. **करिश्मावादी नेतृत्त्व (Charismatic Leadership) :** अपने त्याग, बलिदान, कार्यक्षमता, सेवा, दूरदृष्टि आदि के द्वारा कई नेता इतने प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं कि आम आदमी इनके पीछे खींचता चला आता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, सुभाषचन्द्र बोस, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण आदि प्रमुख हैं।

8. **प्रेम और प्रभाव (Love and Influence) :** प्रेम और प्रभाव भी शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। महात्मा गांधी ने प्रेम पर आधारित सत्याग्रह के द्वारा इतनी अधिक प्रभावशीलता प्राप्त कर ली थी कि सभी देशवासी संगठित हो गए और उससे ऐसी असाधारण शक्ति पैदा हुई कि ब्रिटेन का भारत पर प्रभुत्व खत्म हो गया।

9. **सामरिक शक्ति (Power of Weaponary) :** आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्र ही आधुनिकतम सामरिक शस्त्रास्त्रों का जखीरा खड़ा करके स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं और संसार के अन्य देशों की सामरिक क्षमता पर रोक लगाने का काम वे शस्त्र नियंत्रण (Arms control)के नाम पर करते हैं। आज अमेरिका यही कर रहा है।

10. **वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति (Scientific and Technological Advancement) :** वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति भी शक्ति का एक प्रमुख श्रोत है। आज के इस संघर्षपूर्ण युग में कोई भी राज्य नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की दौड़ में भागीदार बने बिना और उसमें विशेष सफलता पाए बिना शक्तिशाली नहीं बन सकते। अमेरिका के शक्तिशाली होने का एक कारण यह भी है।

11. **विश्वास (Faith) :** शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत विश्वास है। अगर किसी देश के निवासी अपनी सरकार के प्रति वफादार नहीं हैं तो उनके विरुद्ध शक्ति का बड़े से बड़े प्रयोग भी कारगर सिद्ध नहीं हो सकेगा। वियतनाम में अमेरिका, अफगानिस्तान में सोवियत संघ तथा भारत में ब्रिटिश राजसत्ता आदि को इसलिए मुँह की खानी पड़ी क्योंकि उन्हें संबंधित देशों की जनता का विश्वास प्राप्त नहीं था।

***निष्कर्ष (Conclusion):*** ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट हो जाती है कि आधुनिक समय में स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी तरह की राजनीति में शक्ति नामक तत्त्व उसका केन्द्र बिन्दु है।

## jktuhfrd 'kfDr dk iz;ksx djus dh <x
## (Techniques Employed to Use the Political Power)

राजनीतिक शक्ति के अर्थ पर प्रकाश डालने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि उसे प्रयोग किए जाने वाले तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। इन तरीकों को साधारणतः तीन भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है–

1. **आधुनिक तरीके (Modern Techniques) :** आधुनिक युग में शक्ति प्रयोग के लिए अपनाए गए तरीके आवश्यक रूप से अधिक अच्छे हैं। इन तरीकों में मुख्य रूप से प्रचार के साधन, शिक्षा व प्रसार के साधनों का प्रयोग है। सरकार शिक्षण संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके जनता को शिक्षित करती हैं और अपने पक्ष में करती है। इसी तरह सरकार प्रचार व प्रसार के साधनों, अखबारों और टी०वी० पर अपना नियंत्रण करती है।

2. **बल का प्रयोग (Use of Force) :** शक्ति का प्रयोग का अंतिम तरीका यह है कि यदि कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है और वह राष्ट्र न माने, तो उसके विरुद्ध सैनिक बल का प्रयोग किया जा सकता है। बल प्रयोग का अर्थ है कि उस राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाए। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1956 में हंगरी के मामलों में सैनिक हस्तक्षेप किया क्योंकि हंगरी में हुए लोकतांत्रिक सुधारों को यह पसंद नहीं करता था। 20 अगस्त, 1968 को सोवियत संघ ने चैकोस्लोवाकिया में सशस्त्र हस्तक्षेप किया क्योंकि उसके विचार में वहां किए गए सुधार समाजवाद के विरुद्ध थे।

3. **परम्परागत तरीके (Traditional Techniques) :** प्राचीन तरीकों में बल प्रयोग करना, डराना, धमकाना, दण्ड देना आदि आते हैं। अपने विरोधियों पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। जनता में भय पैदा किया जाता

है। उसे जेल भेजने का भय भी दिखाया जाता है। यही नहीं कई बार विरोधियों का सफाया भी कर दिया जाता है। इसी तरह कई बार छल–कपट का सहारा भी लिया जाता है। जैसा अंग्रेजों ने भारतीयो के साथ किया, ''फूट डालो और राज करो'' (Divide & Rule) की नीति को अपना कर।

4. **विशिष्ट तरीके (Distinctive Techniques) :** उपरोक्त तरीकों के अतिरिक्त दो अन्य तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है। इन दोनों तरीकों का प्रयोग आधुनिक युग में और प्राचीन समय में होता रहा है; जैसे झूठ बोलना और विजय का बहलावा। झूठ बोलने के तरीके का प्रयोग मार्क्सवादियों ने किया। इसी प्रकार हिटलर ने जर्मनी वासियों को विजय का बहलावा दिया कि विजय आखिर जर्मनी की ही होगी।

अतः साधारणतः जिन तरीकों का अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है वे निम्नलिखित हैंः–

1. **अनुनय (Persuasion) :** अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस पद्धति का प्रयोग शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा सबसे अधिक होता है। उदाहरण स्वरूप एक राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र से कुछ काम निकलवाना चाहता है और उसको उस कार्य से रोकना चाहता है जो उसके हित में नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है जो उसके हित में नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के सम्मुख सारी स्थिति अपने ढंग से प्रस्तुत करे और तर्कों के द्वारा उस राष्ट्र को आश्वस्त कर दे कि अमुक कार्य उसके हित में नहीं है।

2. **पुरस्कार (Reward) :** अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति के प्रयोग का दूसरा ढंग पुरस्कार देना है। उदाहरणस्वरूप 'क' नाम राष्ट्र 'ख' राष्ट्र से अपनी कुछ बात मनवाना चाहता है तो उसकी सन्तुष्टि बदले में किसी पुरस्कार के लालच से कर सकता है। यह पुरस्कार कई रूपों में हो सकता है–मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक।

3. **दण्ड (Punishment) :** शक्ति के प्रयोग का तीसरा ढंग दण्ड देना है। वास्तव में पुरस्कार और दण्ड का गहरा संबंध है। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को दण्ड देने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि वह राष्ट्र उस राष्ट्र को वे पुरस्कार देना बद कर दे जो वह उस राष्ट्र को देने वाला था, यदि दूसरा राष्ट्र पहले राष्ट्र की इच्छाओं के प्रतिकूल कार्य करे। कई बार शक्तिशाली राष्ट्र अपनी बात मनवाने के लिए निर्बल राष्ट्रों को धमकी दे देते हैं।

## 'kfDr rFkk iHkko
## (Power and Influence)

समाज में शक्ति संबंधों के हमें अनेक रूप दिखाई देते हैं। उनका वर्णन विद्वानों ने शक्ति, प्रभाव, सत्ता, अनुनय या समझाना, बुझाना दमन, दबाव, बल आदि के रूप में किया है। रॉबर्ट बायर्सटेड का कहना है कि प्रभाव, समझाने–बुझाने की भावना पर आधारित है, जबकि शक्ति दमन पर आधारित है। इसलिए व्यक्ति प्रभाव के सामने स्वयं झुकता है जबकि शक्ति उसे समर्पण करने के लिए मजबूर करती है।

उदाहरण के लिए 15 अगस्त 1947 से पहले गांधीजी का प्रभाव सम्पूर्ण देश में था, परन्तु उसके पास शक्ति नहीं थी।

राबर्ट ए० डहल ने अपनी पुस्तक 'Modern Political Analysis' में शक्ति और प्रभाव को केन्द्रीय अवधारणाएँ माना है। प्रभाव को स्वीकार करने के पश्चात् शक्ति अथवा दमन महत्त्वहीन हो जाता है। शक्ति तथा प्रभाव में निम्नलिखित बातों के आधार पर भेद स्पष्ट किया जा सकता है–

1. शक्ति दमनात्मक होती है जबकि प्रभाव में व्यक्ति की अपनी इच्छा कार्य करती है।

2. शक्ति एक भौतिक तत्त्व है, अतः उसका प्रयोग एवं उसका परिणाम स्पष्टतः दिखाई देता है। किन्तु प्रभाव एक नैतिक तत्त्व है और प्रयोग मे यह एक मानसिक क्रिया है, अतः इसका प्रयोग एवं इसके परिणाम स्पष्टतः दिखाई नही देते।

3. शक्ति बाध्यकारी स्वरूप की होती है, अतः जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनमें कटुता उत्पन्न होती है। किन्तु प्रभाव नैतिक एवं मानसिक क्रिया है।

4. शक्ति को अलोकतंत्रीय माना जाता है क्योंकि यह भय पर आधारित है। इसके विपरीत प्रभाव को लोकतंत्रीय माना गया है।

5. शक्ति का प्रयोग निश्चित सीमित तथा विशिष्ट होता है जबकि प्रभाव अमूर्त तथा अस्पष्ट होता है।

6. जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो प्रभाव समाप्त हो जाता है, परन्तु शक्ति पर अनेक सीमाएं लगी होती है।

## 'kfDr ,oa cy
## (Power and Force)

शक्ति और बल राजनीतिशास्त्र की दो अलग–अलग अवधारणाएं हैं, किन्तु कुछ विद्वानों ने इन दोनों को प्राय' समानार्थक ही मान लिया है। प्राचीन सौफिस्ट विचारक थ्रैसीमैकस ने शक्ति एवं बल में भेद नहीं किया है और शक्तिशाली (बलवान) के हित को ही न्याय मानता है। हंस जे० मॉर्गेन्थाऊ ने शक्ति का अर्थ राजनीतिक शक्ति माना है और इसे सैनिक शक्ति (बल) से भिन्न माना है। आधुनिक युग में हैराल्ड स्प्राऊट एवं मारग्रेट स्प्राऊट ने शक्ति का अर्थ सैनिक शक्ति (बल) माना है।

शक्ति एवं बल के अन्तर को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है–

(i) बल की तुलना में शक्ति एक विस्तृत अवधारणा है। कुछ विद्वानों का मत है कि शक्ति में प्रभाव एवं बल दोनों ही पाए जाते हैं। किन्तु अप्रकट शक्ति मे बल की तुलना में प्रभाव अधिक होता है, जबकि प्रकट शक्ति के प्रभाव की तुलना मे बल अधिक होता है।

(ii) शक्ति की तुलना में बल बाध्यकारी एवं दमनात्मक होता है। बल प्रतिद्वन्द्वी पक्ष पर प्रतिबंधों की व्यवस्था करता है।

(iii) शक्ति सदैव अदृश्य, अप्रकट एवं अमूर्त होती है, जबकि बल सदैव दृश्य, प्रकट एवं मूर्त होता है। इसका कारण यह है कि शक्ति अपनी प्रकृति से बल की तुलना में एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल एक भौतिक क्षमता है।

वस्तुतः शक्ति एवं बल के संबंधों की प्रकृति जटिल है। इन दोनों में घनिष्ठ संबंध भी है और अन्तर भी। प्रायः यह कहा जाता है कि शक्ति में बल निहित है अर्थात् बल शक्ति का एक अंग या उपभाग है। शक्ति में बल उसी प्रकार निहित रहता है जैसे बादल में बिजली अथवा काष्ठ में अग्नि। इन दोनों की घनिष्ठता एवं अन्तर को रॉबर्ट वायर्सटेड ने व्यक्त करते हुए कहा है, ''शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि इसका वास्तविक प्रयोग।'' मार्गोन्थो (Morgenthau) का भी मत है, कि शक्ति द्वारा बल (सैनिक शक्ति अथवा बाध्यकारी भौतिक शक्ति) का प्रयोग किया तो जा सकता है, किन्तु तब यह माना जाता है कि शक्ति (राजनीतिक शक्ति) का अन्त हो गया है।

## 'kfDr dh vo/kkj.kk dh vkykpuk
## (Criticism of the Concept of Power)

राजनीति के अध्ययन में शक्ति की अवधारणा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके बावजूद भी इसमें कई दोष हैं जिनके आधार पर इनकी आलोचना की गई है। आलोचना के मुख्य आधार निम्नलिखित है–

1. **शक्ति साध्य नहीं, साधन है (Power is not an end, but a means) :** आलोचकों ने शक्ति को साध्य न मानकर इसे एक साधन माना है। उनका कहना है कि यदि शक्ति को साध्य मान लिया गया तो वह पाश्विक बन जाएगी। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत बन जाएगा। इसी संदर्भ में लॉस्की ने कहा था कि, ''मनुष्यों को शक्ति केवल शक्ति के लिए नहीं बल्मि समस्त जनता की भलाई के लिए दी जाती है।'' इस तरह मैकाइवर ने कहा था कि यदि शक्ति राज्य का निचोड़ बन जाती है तो राज्य निरंकुश बन जाता है और लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता का हनन होता है।

2. **यह समाज का विभाजन करती है (Divides the Society) :** शक्ति की आलोचना का आधार यह भी है कि यह समाज को दो भागों मे विभाजित करती है। मालिक व नौकर, अमीर व गरीब और शक्तिवान व शक्तिहीन। लेकिन यदि प्राचीन समय का अध्ययन किया जाए तो समाज में एकता मालूम पड़ती है।

3. **विशिष्ट वर्ग की आलोचना (Criticism of Elites) :** शक्तिवादियों का कहना है कि सम्पत्ति पर विशिष्ट वर्ग का नियंत्रण होता है और वे सम्पत्ति का प्रयोग पूंजीपतियों व जनता के हित में करते हैं। लेकिन साम्यवादियों द्वारा इस विचार की आलोचना की गई है। उनका कहना है कि सम्पत्ति पर वास्तविक नियंत्रण पूंजीपतियों का होता है और वे इसका उपयोग केवल अपने हित में ही करते हैं। पूंजीपतियों का ही राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण होता है।

4. **शक्ति की अवधारणा मूल्य–विहीन है (Concept of Power is Value free) :** शक्ति की अवधारणा मूल्य–विहीन है। इसका संबंध अच्छाई एवं बुराई दोनों से है। इस तरह यदि राजनीति को शक्ति के अध्ययन तक ही सीमित कर दें तो राजनीति भी मूल्य–विहीन बन जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में डेविड ईस्टन (David Easton) ने ठीक कहा है, ''शक्ति की धारणा सम्पूर्ण राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष तक ही सीमित कर देती है। वे सभी आदर्श, जिनको दार्शनिकों के जीवन के स्त्रोत के रूप में प्रतिपादन किया था, कुचल दिए गए हैं।''

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति की अवधारणा राजनीतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। शक्ति न केवल राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण है, बल्कि अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी इसका महत्त्व है।

## vH;kl&ç'u
## (Exercise-Questions)

### fucU/kkRed i:'u (Essay Type Questions)

1. शक्ति से आप क्या समझते हैं? शक्ति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
   What do you mean by power? Discuss the main characteristics of power.
2. शक्ति का अर्थ तथा इसके स्वरूपों का वर्णन कीजिए।
   Give the meaning of power and explain the various kinds of power.
3. शक्ति की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न स्त्रोतो का वर्णन कीजिए।
   Define power and discuss the various sources of power.
4. राष्ट्रीय शक्ति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
   Write a note on National Power.
5. राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्त्वों का वर्णन कीजिए।
   What do you understand by National power? Explain the Determinants of National Power.
6. शक्ति तथा प्रभाव व शक्ति व बल में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
   Distinguish between power and influence and power and force.
7. शक्ति की अवधारणा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
   Critically examine the concept of power.

# v/;k; 3

# lÙkk

# (Authority)

- सत्ता का अर्थ
- सत्ता की परिभाषाएं
- सत्ता के तत्त्व या विशेषताएं
- सत्ता के कार्य
- सत्ता के आधार
  *अथवा*
  सत्ता की स्वीकृतियाँ
  *अथवा*
  सत्ता का पालन क्यों होता है।
- सत्ता के स्वरूप (प्रकार)
- सत्ता का शक्ति में अन्तर
- उत्पीड़न एवं सत्ता में अन्तर

*सत्ता की अवधारणा भी राजनीति विज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। साधारण बोलचाल में शक्ति (Power) तथा सत्ता (Authority) का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है और इन दोनों में कोई अन्तर नहीं समझा जाता, परन्तु वस्तुतः ये अलग–अलग अवधारणा है और दोनों में स्पष्ट अन्तर है।*

## lÙkk dk vFk

## (Meaning of Authority)

सत्ता शब्द को अंग्रेजी भाषा में Authority कहते हैं जो लैटिन भाषा के शब्द 'आक्टोरिटस' (Auctoritas) से निकला है। इस शब्द का संबंध प्राचीन रोम की राजनीतिक संस्था सीनेट (Senate) के साथ रहा है। यह सीनेट बुजुर्गों का एक संगठन था जो सरकार को परामर्श तथा लोकसभा के निर्णयों (कानून) को स्वीकृति देता था। रोम में चूंकि लोग रूढ़िवादी थे, उन पर धार्मिकता का गहरा प्रभाव था अर्थात् यह निर्णय होना बाकी रहता कि अमुक कानून उचित है या नहीं। इस उचित या अनुचित का निर्णय देना सीनेट का काम था। जैसे ही सीनेट किसी पारित कानून को अनुमति दे देती तो उस कानून को ऑक्टोरिटस (Auctoritas i.e. Authority) प्राप्त हो जाती अर्थात् वह कानून तर्क के आधार पर कानून बन जाता है। जैसे अमेरिका का उच्चतम न्यायालय यह देखता है कि अमेरिका की संसद द्वारा पास किया गया कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं; तो इस प्रकार सत्ता में तर्क (Reason) का तत्त्व है। इसलिए प्रोफेसर फ्रेडरिक (Prof. Fredrick) के अनुसार, ''सत्ता, तर्क के माध्यम से यह निश्चित करने की क्रिया है कि हमारे लिए कौन सा कार्य इच्छा व प्राथमिकता के दृष्टिकोण से उचित रहेगा।''

## lÙkk dh ifjHkk"kk,a

## (Definition of Authority)

सत्ता की परिभाषाएँ विभिन्न विद्वानों के मतानुसार निम्नलिखित हैं–

1. राबर्ट ए० डहल (Robert A. Dahl) के अनुसार, ''उचित शक्ति को प्रायः सत्ता का नाम दिया जाता है।
2. मैकाइवर (MacIver) के अनुसार, ''सत्ता की परिभाषा प्रायः शक्ति के रूप में की जाती है। यह दूसरों से आज्ञाएं पालन करवाने की शक्ति है।''
3. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज (Encyclopedia of Social Sciences) के अनुसार, ''सत्ता एक समूह पर प्राप्त अथवा स्वभाविक उच्चता प्रयोग करने की योग्यता है। सत्ता–शक्ति को प्रकट करती है तथा अपने अधीन व्यक्तियों से आज्ञा पालन करवाती है।''
4. अरेन (Arendt) के अनुसार, ''सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृति पर आधारित है। इसकी प्रमुख विशेषता उन लोगों की पूर्ण स्वीकृति होती है, जिन्हें इसका आज्ञापालन करना होता है।''
5. जोविनल (Jouvenel) के अनुसार, ''सत्ता से अर्थ अन्य व्यक्तियों की स्वीकृति या इच्छा प्राप्त करना है।''
6. बायर्सटेड (Bierstedt) के अनुसार, ''सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है।''
7. बीच (Beach) के अनुसार, ''दूसरों के कार्यों को प्रभावित करने या निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं।''
8. ओसलन (Oslon) के अनुसार, ''सत्ता की परिभाषा औचित्यपूर्ण शक्ति के रूप में की जाती है। ऐसी शक्ति का प्रयोग व्यक्ति के मूल्यों के अनुसार और उन अवस्थाओं में किया जाता है जिनको वह ठीक समझता है।''

अतः सत्ता का राज्य में वही स्थान है जो आत्मा का शरीर में है। सत्ता द्वारा ही सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय किए जाते हैं तथा अधीनस्थों द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाता है। आज्ञाएं देना तथा अधीनस्थों द्वारा स्वीकारना, सत्ता के ये दो प्रमुख पहलु हैं। अतः जब राज्य की शक्ति की वहां की जनता का औचित्यपूर्ण (Legitimate) समर्थन प्राप्त हो तो उसे सत्ता कहा जाता है। बिना इस समर्थन के उसका समरूप शक्ति का ही रहेगा। यही कारण है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में तानाशाही शासन की तुलना में सरकार को अधिक औचित्यपूर्ण सत्ता (Legitimate Authrotity) की आवश्यकता है।

'सत्ता' को प्रभाव (Influence) का ही एक रूप माना जा सकता है। सत्ता निर्णय लेने की वह शक्ति है जो दूसरे व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित करती है। हर्बर्ट साइमन ने भी सत्ता को निर्णय लेने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। इसके अतिरिक्त, सत्ता दो व्यक्तियों के संबंध को भी स्पष्ट करती है। जिनमें एक सर्वोच्च तथा दूसरा अधीनस्थ व्यक्ति होता है। सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा आज्ञा दी जाती है, उसका पालन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अधीन पदाधिकारी ऐसे निर्णयों की आशा रखते हैं तथा उनका व्यवहार भी निर्णयों के द्वारा ही निश्चित होता है।

यूनेस्को की 1955 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ''सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण है।'' राबर्ट डहल (Robert Dahl) ने कहा है, ''जब एक व्यक्ति 'अ' दूसरे व्यक्ति 'ब' को आदेश देता है तथा 'ब' यह अनुभव करे कि 'अ' को ऐसा आदेश जारी करने का पूर्ण अधिकार है तथा उसका ('ब' का) यह कृत्य है कि ऐसे आदेश का पालन किया जाए तो 'अ' की स्थिति शक्ति को विधि–अनुकूल कहा जाएगा तथा इसी का नाम सत्ता है, अर्थात् विधि–अनुकूल शक्ति को ही प्रायः सत्ता कहा जाता है।

## lÙkk ds rÙo ;k fo'k"krk,¡

## (Elements or Features of Authority)

1. **उत्तरदायित्त्व (Responsibility) :** सत्ता का एक आवश्यक तत्त्व उत्तरदायित्त्व होता है; जैसे लोक कल्याण, विधि व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी उस व्यवस्था में सत्ताधारी की होती है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में यह तत्त्व स्पष्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इस प्रणाली में विधानपालिका व कार्यपालिका (शासन) जनता के प्रति स्पष्टतया उत्तरदायी होता है।

2. **प्रभुत्त्व (Dominance) :** प्रभुत्त्व राजनीतिक सत्ता का आवश्यक तत्त्व है। इसका अर्थ है कि सत्ताधारी का, उस व्यवस्था में हो रहे सभी कार्यों तथा रचनाओं (Functions, Role & Structures) पर प्रभुत्त्व रहे, क्योंकि सत्ता ही उस व्यवस्था में हो रहे कार्यों, क्रियाओं आदि को संचालित व नियंत्रित करती है।

3. **सत्ता एक संबंध है (Authority is a Relation) :** शक्ति की तरह सत्ता भी एक संबंध है। किसी भी संबंध की तरह इसमें भी कम से कम दो कर्त्ता शामिल होते हैं। जिनमें से एक के पास दूसरे पर सत्ता प्रयोग करने का अधिकार होता है। अतः स्पष्ट है कि सत्ता के लिए भी दो पक्षों की आवश्यकता होती है।

4. **सत्ता एक स्वीकृत शक्ति है (Authority is a recognized Power) :** सत्ता एक स्वीकृत शक्ति होती है। अधीनस्थ अधिकारी उच्च सत्ताधारी की शक्ति को स्वीकार करते हैं और उसके आदेशों का पालन करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं।

5. **सत्ता भौतिक नहीं है (Authority is not material) :** सत्ता का स्वरूप भौतिक नहीं होता, इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता और न ही इसे दिखाया जा सकता है। यह निराकार तथा अनुभावात्मक होती है।

6. **निश्चितता (Certainity) :** सत्ता को निश्चित होना अति आवश्यक है अनिश्चितता की स्थिति में सत्ता की अवहेलना होने की पूरी संभावना रहती है। सत्ता प्रत्येक राजनीतिक संगठन में सदैव औपचारिक व निश्चित होती है। यहीं नहीं निश्चितता के अभाव में विभिन्न संगठनों में समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता और अव्यवस्था हो जाएगी। अतः सत्ता के लिए निश्चित होना अनिवार्य है।

7. **विवेकपूर्णता (Rationality) :** विवेकपूर्णता भी सत्ता की अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता है। विवेकपूर्णता का अर्थ है, सत्ता विवेक पर आधारित होती है, सत्ता विवेक का साकार रूप है। विवके के अभाव में सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती है। फ्रैडिक ने भी विवेक को सत्ता का आधार माना है।

8. **पद–सोपान (Hierarchy) :** सत्ता की स्थापना विभिन्न अधिकारियों के आपसी संबंधों से होती है, जिन्हें पद सोपान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अधिकारियों की श्रेणियां बंटी हुई हैं। उच्च अधिकारी के पास अधिक सत्ता और उसके आदेश का पालन मातहत अधिकारियों को करना पड़ता है।

9. **सत्ता शक्ति नहीं है (Authority is not Power) :** लासवैल तथा कैपलन आदि कुछ विद्वानों ने सत्ता को औपचारिक शक्ति (Formal Power) कहकर उसे शक्ति का ही रूप माना है। लेकिन यह विचार उचित नहीं है। सी० जे० फ्रेडरिक (C.J. Fredrick) के अनुसार, ''सत्ता शक्ति का प्रकार नहीं है, परन्तु यह एक ऐसा तत्त्व है जो शक्ति को साथ लिए हुए है। सत्ता व्यक्तियों और वस्तुओं में एक गुण के रूप में होती है, जिससे उनकी शक्ति में बढ़ोत्तरी होती है। यह एक ऐसा गुण है जो शक्ति उत्पन्न करता है परन्तु स्वयं शक्ति नहीं है।''

   अतः स्पष्ट है कि सत्ता अपने आप में शक्ति नहीं है। यह शक्ति का गुण है। किसी व्यक्ति के पास शक्ति न होते हुए भी सत्ता हो सकती है।

## lÙkk dk dk;

## (Functions of Authority)

सत्ता के कार्यों का निम्नलिखित भागों में अध्ययन किया जा सकता है–

1. **उत्तरदायित्त्व (Responsibility) :** सत्ता का एक प्रमुख कर्त्तव्य यह है कि वह व्यक्तिगत कार्यों तथा समाज द्वारा स्थापित आदर्शों के मध्य एकरूपता स्थापित करती है। इसकी पूर्ति के लिए स्वीकृति (Sanction) का प्रयोग होना स्वाभाविक है। इस स्वीकृति के कई रूप हो सकते हैं जैसे कि राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, सामाजिक या नैतिक। अतः स्पष्ट है कि सत्ता के लिए दबाव का होना आवश्यक है।

2. **अनुशासन (Discipline) :** सत्ता का अन्य कार्य अनुशासन विषयक है। अनुशासन का महत्त्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। सत्ताधारी व्यक्ति के लिए अनुशासन का महत्त्व और भी ज्यादा है। ऐसे कर्मचारी जो अपने उत्तरदायित्त्व निभाने में कमी रखते हैं उनके लिए एक आचार–संहिता (Code of Conduct) तैयार की जाती है;

इससे कर्मचारी को पहले से पता होता है कि काम करने की स्थिति में अनुशासनात्क कारवाई होगी। इसका वास्तविक उद्देश्य सुधारवादी है।

3. **संगठन में समन्वय की स्थापना (Co-ordination in the organization) :** सत्ता का एक प्रमुख कार्य संगठन में समन्वय या तालमेल की स्थापना करना है। किसी भी संगठन विशेष रूप से राज्य में सत्ताधारी व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होता है कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों का आवश्यक आदेश दे तथा संगठन की कार्यविधियों की जानकारी प्राप्त करता रहे। सभी सदस्यों तक योजना पहुँचाना तथा उनसे स्वीकार कराया जाता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से प्रत्येक संगठन का सदस्य अपने को योजना का एक अंग समझने लगता है।

4. **नियंत्रण (Control) :** सत्ता के कार्यों की श्रेणी में नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। सत्ता को अपने कार्यों व नीतियों को कार्यान्वित करवाने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही नहीं नियंत्रण कार्य के अन्तर्गत उसे यह भी देखना होगा कि उसकी ओर से कार्यरत कर्मचारी उचित रूप से अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं। नियंत्रण या हस्तक्षेप से प्रशासन में कठोरता आ जाती है जो कार्य–कुशलता को प्रभावित करती है।

5. **निर्णयों में विशेषज्ञों की बुद्धि का प्रयोग (Use of the Advice of Specialists) :** सत्ता का तीसरा कार्य यह है कि जो भी निर्णय उसके द्वारा लिए जाए, उनमें विशेषज्ञों के द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ अधिकारी स्वीकार कर लेते हैं तथा इससे शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।

6. **निर्णय (Decision) :** सत्ताधारी व्यक्ति या सत्ता को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सही निर्णय लेने पड़ते हैं। सत्ता द्वारा सही समय पर सही निर्णय, यही उसके सफलता का आधार है। निर्णय सत्ता की योग्यता का विशिष्ट माप है। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में तो सत्ता द्वारा निर्णय लेने के कार्य का महत्त्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि सही और गलत के पक्ष में निर्णय न लिए जाने की स्थिति में सत्ता को अपनी शक्ति खो देने का भय होता है।

7. **विकास (Development) :** सत्ताधारी व्यक्ति या सत्ता का मूल्य लक्ष्य विकास होता है। सभी कार्य विकास को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि विकास ऐसी धूरी है जिसके चारों और सत्ता चक्कर लगाती रहती है और जो सत्ता विकास को अपना परम उद्देश्य नहीं बनाती उसका पतन शीघ्र ही सम्भावित होता है।

## lÙkk d vk/kkj
## (Basis of Authority)
## vFkok
## lÙkk dh LohÑfr ;k
## (Sanctions of Authority)
## vFkok
## lÙkk dk ikyu D;k gkrk gA
## (Why Authority is Obeyed?)

सत्ता के कार्य स्पष्ट करने के बाद यह भी बतलाना आवश्यक है कि सत्ता का क्या आधार है? सत्ता का आधार है–विश्वास तथा मूल्य। जो बातें या आज्ञाएं व्यक्ति के विश्वास तथा मूल्यों के अनुसार होती हैं या आवश्यकताओं के अनुकूल होती हैं, उन्हें वह मान लेता है। इसकी विपरीत स्थिति में आज्ञाओं की अवहेलना की जाती है। लोकतंत्रीय प्रणाली में, तानाशाही की तुलना में, इस तथ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सैद्धांतिक दृष्टि से सत्ता की आज्ञा अंतिम भले ही हो, परन्तु व्यवहारिक रूप से वह सीमित है और उसका प्रयोग भी इसी दृष्टि से होना चाहिए।

सत्ता के आधारों का अध्ययन करने के पश्चात् इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि सत्ता का पालन क्यों होता है अर्थात् यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता की स्वीकृतियां क्या हैं? सत्ता की स्वीकृतियां लोकतांत्रिक समाज, तानाशाही

समाज दोनों में ही भिन्न–भिन्न होती है। स्पष्टता की दृष्टि से सत्ता के विभिन्न आधार अथवा स्वीकृतियों का वर्णन निम्नलिखित है–

1. **वैधानिक स्वीकृति (Legal Sanction) :** सत्ता की स्वीकृतियों में से एक स्वीकृति वैधानिक स्वीकृति भी है। वैधानिकता का अर्थ है सत्ता के पीछे वैधानिकता का होना। यदि किसी अधिकारी या शासक की सत्ता को कानूनी या वैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है तो लोग उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। और आज के प्रजातांत्रिक युग में तो ऐसे आदेशों का पालन करने का प्रश्न नहीं होता, जिनके पीछे वैधानिक शक्ति (Legal Force) नहीं है।

2. **मनोवैज्ञानिक स्वीकृति (Psychological Sanction) :** सत्ता के संबंध में मनोवैज्ञानिक स्वीकृति का संबंध सत्ताधारी व्यक्ति से है। प्रथम तो सत्ता का मनोवैज्ञानिक स्वरूप ही ऐसा है कि अधीनस्थ पदाधिकारी अपने से उच्च पदाधिकारी की आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरे यदि सत्ताधारी व्यक्ति नेतृत्त्व के गुणों से युक्त है तो उसकी आज्ञा का पालन निश्चित ही हो जाता है।

3. **सामाजिक स्वीकृति (Social Sanction) :** सत्ता के पीछे सबसे शक्तिशाली स्वीकृति सामाजिक स्वीकृति है। समाज का एक बड़ा वर्ग स्वाभाविक रूप से सत्ता की आज्ञा का पालन करता है। इसके अतिरिक्त, जो लोग सत्ता की आज्ञा का पालन नहीं करते, वे जनता द्वारा अपमानित किए जाते हैं तथा समाज की दृष्टि में गिर जाते हैं। यही कारण है कि समाज के डर से लोग सत्ता की आज्ञा का पालन करते हैं।

4. **व्यक्तिगत गुण (Personal Qualities) :** सत्ताधारी कई बार अपने आदेशों का पालन केवल कानूनी आधार पर ही नहीं, बल्कि अपने गुणों तथा योग्यता के आधार पर भी करवाता है।

5. **जनमत की स्वीकृति (Sanction of Public Opinion) :** सत्ता की एक अन्य महत्त्वपूर्ण स्वीकृति है जनमत की स्वीकृति। जनमत की स्वीकृति में सत्ता के पीछे की शक्ति होती है। क्योंकि शासन जनमत के आधार पर संचालित किया जाता है। शासन का निर्माण भी जनमत के आधार पर ही किया जाता है। वह शासक सत्ता में नहीं रह सकता जिसे जनमत प्राप्त नहीं है। शासन का वास्तविक आधार तो जनमत ही होता है।

6. **आर्थिक सुरक्षा की स्वीकृति (Sanction of Economic Security) :** कर्मचारी अपने से ऊपर के पदाधिकारी की आज्ञा का इसलिए भी पालन करते हैं ताकि वे अपने पद पर बने रहें, धन कमाएं तथा सम्मान प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आर्थिक सुरक्षा की स्वीकृति सत्ता के लिए स्वीकृति है।

7. **उद्देश्य की स्वीकृति (Psychological Sanction) :** सत्ता की आज्ञा का पालन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारी यह समझते हैं कि इससे उद्देश्य की पूर्ति होती है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आज्ञा पालन करने वाले लोगों में यह विश्वास होना चाहिए कि वह जो कार्य कर रहे हैं, उससे संगठन के उद्देश्यों को पूरी करने में सहायता मिलेगी।

8. **उत्तरदायित्त्व से बचने की स्वीकृति (Tendency of Avoid Responsibility) :** अधीनस्थ कर्मचारी अपने उत्तरदायित्त्व से बचने के लिए अपने से उच्च पदाधिकारियों की आज्ञाओं का पालन कर लेते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों में उत्तरदायित्त्व न लेने की भावना से सत्ता की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है।

## lÙkk dk Lo:i ¼çdkj½
## (Kinds of Authority)

राजनीति–शास्त्र के विद्वानों ने सत्ता के कई रूपों का वर्णन किया है, जो निम्नलिखित है–

1. **संवैधानिक सत्ता (Constitutional Authority) :** जब किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा सत्ता प्राप्त होती है तो उसे संवैधानिक सत्ता कहा जाएगा, जैसे भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं, इनका आधार संवैधानिक सत्ता है।

2. **औचित्यपूर्ण सत्ता (Legitimate Authority):** वह सत्ता जो कानून के अनुसार उचित हो और जिसे सब व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा के आधार पर स्वीकार करते हैं उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। उदाहरणस्वरूप, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार की सत्ता औचित्यपूर्ण होती है।

3. **धार्मिक सत्ता (Religion Aurhority) :** जिस सत्ता को किसी धर्म के सिद्धांतों के द्वारा मान्यता दी जाती है और उसका पालन किया जाता है, तो उसे धार्मिक सत्ता कहा जाता है। अमृतसर के अकाल तख्त के प्रमुख ग्रन्थी की सत्ता तथा जामा मस्जिद के शाही ईमाम की सत्ता व ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए पोप (Pope) की सत्ता के उदाहरण हैं।

4. **अवैध सत्ता (Illegitimate Authority) :** जो सत्ता कूनून या संविधान के अनुसार न होकर अनुचित साधनों, बल–छल द्वारा प्राप्त हो, उसे अवैध सत्ता कहते हैं। जैसे–जब कोई अधिकारी या सैनिक अधिकारी बल, छल, सैनिक क्रान्ति आदि के द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेता है तो वह सत्ता अवैध सत्ता कहलाती है। यह सत्ता स्थाई नहीं होती तथा जनता कभी भी इसके विरुद्ध हो सकती है।

5. **राजनीतिक सत्ता (Political Authority) :** राजनीतिक सत्ता उस सत्ता को कहते हैं जो राजनीतिक नेताओं के पास होती है तथा जो किसी सरकारी पद पर विराजमान न होते हुए सरकार की नीतियों तथा निर्णयों को प्रभावित करते रहते हैं। भारत में महात्मा गांधी तथा जयप्रकाश नारायण की सत्ता इसी प्रकार की सत्ता के उदाहरण हैं।

6. **दैवीय सत्ता (Authority based on Divine Rights) :** आज के लोकतन्त्रीय युग में, दैवीय अधिकारों पर आधारित सत्ता का रूप विचित्र लगता है तथा इस सिद्धांत का आज कोई महत्त्व भी नहीं है। फिर भी, एक युग था, जब इस सिद्धांत का महत्त्व था, जैसे जेम्स–प्रथम के अनुसार, उनको राज्य सत्ता एक दैवीय अधिकार के रूप प्राप्त हुई थी। उनके अनुसार, ''मैं धरती का परमात्मा का दूत हूं।'' इस प्रकार की सत्ता का आधार दैवीय अधिकारों का रूप था।

7. **करिश्मावादी सत्ता (Charismatic Authority) :** जब एक सत्ताधारी की शक्ति को वहां की जनता उसके असाधारण गुणों, चरित्र, व्यक्तित्त्व के कारण महत्त्व देती है और उसकी आज्ञाओं का पालन करती है तो इसे चमत्कारी सत्ता कहा जाता है, जैसे भारत में नेहरु की सत्ता का आधार उनका करिश्मावादी व्यक्तित्त्व था। इसलिए वैबर (Weber) ने कहा है, ''करिश्मावादी सत्ता किसी विशिष्ट व्यक्ति के आदर्श, चरित्र, वीरता के प्रति श्रद्धा पर आधारित है।''

8. **परम्परागत सत्ता (Traditional Authority) :** जब अधीनस्थ व्यक्ति उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि, ''ऐसा तो सदा होता आया है तो इस प्रकार की सत्ता को परम्परागत सत्ता कहा जाता है। जैसे राजतंत्र में प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन करती है; परन्तु आधुनिक युग में इस सिद्धांत का महत्त्व भी कम है।

9. **पैतृक परम्परा पर आधारित सत्ता (Authority based on Lineage) :** इस प्रकार की सत्ता का अर्थ है कि वह सत्ता जो पैतृक परम्परा (वंशानुवली लाइन) के अनुसार प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में सत्ता विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। राजतंत्र में सत्ता का यही रूप विद्यमान है। जैसे इंग्लैण्ड में यद्यपि राजा नाम मात्र का अध्यक्ष है परन्तु उसके पद का आधार पैतृकता है। वर्तमान युग में इसका महत्त्व भी कम है।

10. **शक्ति पर आधारित सत्ता (Aurhority based on force) :** इस प्रकार की सत्ता का आधार है 'शक्ति या बल' अर्थात् इस सत्ता के पीछे सिद्धांत है–जिसकी लाठी उसकी भैंस (Might is Right)। परन्तु आज के लोकतंत्र युग में यह सिद्धांत भी महत्त्वहीन है, क्योंकि सत्ता का साधन शक्ति न होकर जनता का समर्थन है।

## lÙkk dk 'kfDr esa vUrj
## (Distinguish Between Authority and Power)

'सत्ता' तथा 'शक्ति' राजनीतिक विज्ञान की दो महत्त्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। साधारणतः इन दोनों अवधारणाओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है; परन्तु वास्तव में ये दो भिन्न–भिन्न अवधारणां हैं। सत्ता को आदेश देने का

अधिकार है, जबकि शक्ति आदेश देने की क्षमता है। इस तथ्य को समझ लेने से सत्ता तथा शक्ति का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। प्रत्येक संगठन में पद–सोपान की व्यवस्था होती है जिस पर आधारित आज्ञाओं का स्वरूप वैधानिक होता है। इन आज्ञाओं को देने वाला व्यक्ति को शक्ति सम्पन्न कहा जाता है। शक्ति सम्पन्न व्यक्ति अपनी शक्ति को सत्ता में बदलने का प्रयास करता है। इस प्रकार शक्ति एक व्यक्ति की क्षमता है और अधिकार उस व्यक्ति की सत्ता कहा जा सकता है। कभी–कभी शक्ति तथा सत्ता एक ही व्यक्ति में तथा कभी–कभी अलग–अलग व्यक्तियों में भी पाई जा सकती है।

इस प्रकार सत्ता तथा शक्ति अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, परन्तु व्यवहारिक रूप में शक्ति का प्रयोग सत्ता के लिए और सत्ता का प्रयोग शक्ति के लिए किया जाता है। सत्ता एक ऐसी वस्तु है जिसे पाया जाता है, रखा जाता है तथा खोया भी जाता है।

इसलिए सत्ता का स्वरूप प्रायः कानूनी होता है जबकि यह आवश्यक नहीं कि शक्ति का रूप भी कानूनी ही हो। लासवैल (Lasswell) के मतानुसार, ''जब शक्ति को कानूनी रूप दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है। आज्ञा प्रदान करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। दूसरी और, 'सत्ता' वह बिन्दु है जहां पर कि निर्णय लिए जाते हैं। निम्नलिखित मुख्य आधारों पर शक्ति तथा सत्ता का अन्तर स्पष्ट किया जा सकता है–

1. **सत्ता शक्ति से अधिक लोकतांत्रिक है (Authority is more democratic than the power):** सत्ता का स्वरूप शक्ति से अधिक लोकतांत्रिक होता है क्योंकि सत्ता के पीछे जनमत की इच्छा होती है। जनमत भी लोकतंत्र का आधार है। शक्ति में बल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसका झुकाव लोकतंत्र की अपेक्षा तानाशाही की ओर अधिक होता है।

2. **सत्ता शक्ति की तुलना बहुउद्देशीय है (Authority is Multi-objective as compound to power) :** शक्ति की तुलना में सत्ता बहु–उद्देशीय है। सत्ता का क्षेत्र सीमित है। सत्ता का प्रयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है जबकि शक्ति का प्रयोग विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

3. **शक्ति बल पर, जबकि सत्ता नियमों व धारणाओं पर आधारित है (Power is based on force, but authority on rules and concepts) :** शक्ति व सत्ता दोनों का अर्थ साधारण तौर पर नियंत्रण में रखने की स्थिति से लिया जाता है, परन्तु गहराई से देखें तो शक्ति का आधार बल अर्थात् कई बार हानि पहुँचा सकने का भय भी होता है अर्थात् अन्यों पर अपने निर्णयों को बल–पूर्वक लागू कराने को शक्ति कहा जा सकता है।

4. **उचित शक्ति ही सत्ता है (Legitimate Power is Authority) :** राबर्ट डहल का कहना है कि उचित शक्ति को प्रायः सत्ता का नाम दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब शक्ति का कोई उचित आधार होता है तो वह शक्ति सत्ता होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा कुछ अधिकार दिए जाए तो उसका शक्ति का अधिकार वैधानिक है, जिसे सत्ता कहा जा सकता है।

5. **शक्ति वैध भी, या अवैध भी संभव परन्तु सत्ता वैध (Power can be legitimate or illegitimate but authority is legitimate) :** शक्ति औचित्यपूर्ण भी हो सकती है अथवा अवैध (अनौचित्यपूर्ण) भी हो सकती है, परन्तु सत्ता औचित्यपूर्ण या वैध ही होगी। उदाहरण के लिए संविधान द्वारा सत्ता प्राप्त राष्ट्रपति के विरुद्ध सैनिक विद्रोह करके एक जनरल तानाशाह बन जाता है तथा जनता तानाशाह के शासन नीचे अनिष्ठापूर्वक रहती है तो इस तानाशाह की शक्ति तो है पर यह शक्ति अवैध है साथ ही इसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त न होने के कारण उसके पास सत्ता नहीं है।

6. **सत्ता में विवेक का अंश होता है जबकि शक्ति में यह अंश नहीं होता (Authority implies reason, power has no such element) :** सत्ता का मूल तत्व विवेक है। सत्ता के लिए आवश्यक है कि विवेक के आधार पर अपने विचारों द्वारा अन्य लोगों को सहमत कराना, न की धन या बल से अपनी योजना स्वीकृत कराना। यही पक्ष फ्रेडरिक (Fredrick) ने यूं स्पष्ट किया है, जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है, उसके पास विवेक–व्याख्या व सहमत कराने की योग्यता होती है।

7. **शक्ति अन्यों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है जबकि सत्ता अन्यों की स्वीकृति प्राप्त करने की क्षमता है। (Power is the capacity to influence others, but authority is the ability to gain consent) :** सत्ता का अर्थ अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने सुझावों व योजनाओं व सहमति प्राप्त करने की क्षमता से लिया जाता है। जोविनल (Jouvenel) ने कहा है–''सत्ता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अपनी योजनाओं को स्वीकृत करवाता है।

## mRihMu ,oa lÙkk esa vUrj
## (Distinction between coercion and Authority)

सत्ता और उत्पीड़न दोनों शक्ति का रूप है। कई जगह दोनों का प्रयोग एक–दूसरे के लिए किया जाता है। सत्ता और उत्पीड़न दोनों में हिंसा का भाव पाया जाता है। दोनों के अन्तर को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है–

1. **कानून व व्यवस्था के आधार पर (On the basis of law & order) :** कानून में व्यवस्था के आधार पर भी सत्ता और उत्पीड़न में अन्तर किया जा सकता है। सत्ता के अभाव में कानून व व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती।

   इसके विपरीत उत्पीड़न कानून व व्यवस्था को भंग करने का साधन है। उत्पीड़न कानून और व्यवस्था का शत्रु है।

2. **वैधानिकता के आधार पर (Distinction on the basis of legitimacy) :** दोनों के बीच वैधानिकता के आधार पर अन्तर किया जा सकता है। सत्ता का आधार वैधानिकता है अर्थात् सत्ता किसी कानून या प्रथा पर आधारित होती है। राज्य की सत्ता का आधार प्रायः कानून होते हैं जैसेः–पिता की पुत्र पर सत्ता की आधार प्रथा है। अतः सत्ता सदा वैधानिकता युक्त होती है।

   इसके विपरीत 'उत्पीड़न' न तो कानून पर और न प्रथा पर आधारित है। जैसे किसी असामाजिक तत्त्व द्वारा पैसा ऐंठना, 'उत्पीड़न' करने वाला है। इस प्रकार 'उत्पीड़न' का आधार वैधानिक नहीं है।

3. **कल्याण के आधार पर (On the basis of Welfare) :** कल्याणकारी गतिविधियों को सत्ता और उत्पीड़न के अन्तर का आधार बनाया जा सकता है। सत्ता का उद्देश्य मानव कल्याण है। सत्ता कल्याणकारी कार्यों में कार्यरत होती है। अतः सत्ता एक मानवीय शक्ति है। इसके विपरीत उत्पीड़न एक पाशविक शक्ति है। उत्पीड़न का प्रयोग मानव कल्याण की बजाए दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए किया जाता है। अतः यह पशुता है।

4. **हिंसा के तत्त्व के आधार पर (On the basis of Element of Violence) :** सत्ता और उत्पीड़न के अन्तर हिंसा के तत्त्व के आधार पर भी किया जा सकता है। साधारणतः सत्ता में हिंसा का तत्व शामिल नहीं होता, किन्तु कई बार सत्ता को अपना प्रभाव दिखाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है।

   इसके विपरीत 'उत्पीड़न' और हिंसा दोनों साथ–साथ चलते हैं। दोनों को एक–दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उत्पीड़न का आधार हिंसा है। हर उत्पीड़न करने वाली क्रिया में हिंसा का भाव निहित होता है।

5. **प्रकृति के आधार पर अन्तर (On the basis of Nature) :** सत्ता और उत्पीड़न दोनों में अन्तर इनकी प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है। एक सकारात्मक है तो दूसरा नकारात्मक। 'सत्ता' शक्ति का सकारात्मक रूप है। सत्ता का प्रयोग सृजनात्मक है। सत्ता का उद्देश्य सुधारात्मक है। इसके विपरीत 'उत्पीड़न' शक्ति का नकारात्मक रूप है। उत्पीड़न का उद्देश्य नाश करना है। उत्पीड़न का प्रयोग नकारात्मक दृष्टि से किया जाता है।

6. **दोनों का आधार भिन्न है (Basis is different) :** सत्ता और उत्पीडन दोनों का आधार भिन्न है। सत्ता सत्य पर आधारित है। सत्य ही शक्ति है, (Truth is power) सत्ता का आधार है। इस प्रकार सत्ता ही हमारी सभ्यता और संस्कृति का आधार बन जाती है। सत्ता द्वारा समाज में कानून व व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

इसके विपरीत 'उत्पीड़न' के आधार पर हिंसा एवं पाश्विक शक्ति है। उत्पीड़न में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के सिद्धांत को अपनाया जाता है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता और उत्पीड़न अलग–अलग धारणाएं हैं। चाहे यह सच है कि कई बार 'सत्ता' को भी दण्डात्मक विधियों का भी प्रयोग करना पड़ जाता है। परन्तु उस दण्ड का उद्देश्य सुधारात्मक होता है।

**निष्कर्ष (Conclusion) :** उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि शक्ति तथा सत्ता में कुछ संबंध है, परन्तु ये दोनों भिन्न–भिन्न अवधारणाएं हैं।

## vH;kl&iz'u
## (Exercise-Questions)

### fucU/kkRed iz'u (Essay Type Questions)

1. सत्ता की परिभाषा दीजिए। इसके मुख्य लक्षणों तथा स्वरूपों (प्रकारों) का वर्णन कीजिए।
   Define Authority. Discuss the main characteristics and kind of authority.
2. सत्ता की परिभाषा दीजिए। सत्ता के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।
   Define Authority. Discuss the main function of Authority.
3. सत्ता के आधारों का वर्णन कीजिए।
   Discuss the basis of Authority.
4. शक्ति तथा सत्ता में अन्तर स्पष्ट कीजिए। इनमें आपसी संबंध क्या है?
   Distinguish between Power and Aurhority. How are they related to one another?
5. सत्ता से आप क्या समझते हैं? उत्पीड़न एवं सत्ता में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
   What do you understand by Authority? Distinguish between Coercion and Autority.

# v/;k; 4

# vkSfpR; iw.kZ ¼oS/krk½

## (Legitimacy)

- औचित्यपूर्णता का अर्थ तथा महत्त्व
- औचित्यपूर्णता की विशेषताएं
- औचित्यपूर्णता का विकास
- औचित्यपूर्णता की प्रकृति
- औचित्यपूर्णता के आधार
- औचित्यपूर्णता के स्त्रोत
- औचित्यपूर्णता के प्रकार
- औचित्यपूर्णता का संकट
- औचित्यपूर्णता (वैधता) को प्राप्त करने तथा बनाए रखने के साधन
  *अथवा*
  सत्ता वैध अथवा न्याय युक्त केसे बनती है
- औचित्यपूर्णता का शक्ति तथा सत्ता से संबंध

*औचित्यपूर्ण राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। इस विचारधारा की शुरूआत यूनान चिन्तन के समय से हुआ, पर इसका व्यवस्थित अध्ययन वर्तमान समय में ही आरंभ हुआ है। औचित्यपूर्णता प्राप्त करके, प्रभावशाली होने के शक्ति, सत्ता आदि राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं हैं। आधुनिक युग में दमनात्मक शक्ति की तुलना में प्रभाव, सत्ता, नेतृत्त्व आदि अध्यनात्मक शक्तियों को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है। इसी कारण राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए औचित्यपूर्णता (Legitimacy) की अवधारणा जानना आवश्यक है।*

## vkSfpR;iw.kZrk dk vFkZ rFkk egÙo
## (Meaning and Importance of Legitamacy)

राजनीतिक व्यवस्था में सार्वजनिक विषयों के बारे में मतभेदों का पाया जाना स्वाभाविक है। इनमे कोई भी नीति या व्यवस्था उसी रूप में औचित्यपूर्ण मानी जा सकती है, जबकि उसे जनता का समर्थन मिलता रहे। इन मतभेदों को सुलझाने के लिए राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक ढंग अपनाए जाते हैं। गैर राजनीतिक स्तर पर सरकार का हस्ताक्षेप होना स्वाभाविक है। पर यह हस्तक्षेप न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए, उसी स्थिति में वह औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है। सरकार अगर औचित्यपूर्णता के सिद्धांत पर कार्य करे तो उसे जन समर्थन मिलता रहेगा, अन्यथा असंतोष पैदा होगा, जिसके फलस्वरूप क्रान्ति तक हो सकती है।

राजनीतिक व्यवस्थाओं की नीतियों, सरंचनाओं, कार्यकलापों, नेताओ, अधिकारियों के प्रति उक्त विश्वास को ही राजनीतिक शास्त्र में 'औचित्यपूर्ण' कहा जाता है।

रॉबर्ट ए० डहल (Robert A. Dahl) के अनुसार, ''नेता लोग राजनीतिक व्यवस्था राज्य में यह प्रयत्न करते हैं कि जब कभी सरकार द्वन्द्वों का निर्णय करे तो वे निर्णय जनता द्वारा व्यापक रूप से बिना किसी भय, दण्ड या दबाव के स्वीकार किए जाएं, इस विश्वास के साथ कि वे नैतिक दृष्टि से उचित है तथा ऐसा करना ठीक है। यदि लोगों को जिनको आज्ञाएँ दी जाती है, यह विश्वास है कि सरंचनाएँ, क्रिया–विधियां, कार्य, निर्णय, नीतियाँ, सरकारी पदाधिकारी

आदि में औचित्य का गुण है या इसमें नैतिक भलाई निहित है, तो वह सरकार औचित्यपूर्ण कही जा सकती है और उसे कानून बनाने का हक है।''

इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि शासक वर्ग (राजनेतागण) इस बात की कोशिश करते हैं कि वे अपने कार्यों को औचित्यपूर्ण सिद्ध कर सकें। प्रजातंत्रीय शासन में औचित्यपूर्णता की सबसे अधिक आवश्यकता है। तानाशाही शासन में शासक वर्ग अपने शासकीय कार्यों को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।

## o/krk dk vFk

## (Meaning of Legitimacy)

वैधता को अंग्रेजी में लेजिटीमेसी (Legitimacy) कहते हैं। लेजिटीमेसी लेटिन भाषा के लेजटीमस (Legtimus) शब्द से निकला है जिसका अर्थ है वैधानिक। मध्ययुग में इसे लेजटीमीटास (Legtimitas) और अंग्रेजी भाषा में Lawful कहा जाता था। वर्तमान लोकतन्त्र के युग में जन समर्थन को ही वैधता कहा जाता है।

औचित्यपूर्णता की कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैंः–

1. मैक्स वेबर के अनुसार, (Max Weber)- ''औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित होती है और अनुपालन प्राप्त करती है।''

2. कून एल्फेड (Kuhn Alfred) के अनुसार, ''औचित्यपूर्णता का अर्थ शासकों के मध्य एक समझौते की स्वीकृति हैं यह लोगों का ऐसा समझौता है जिसके अधीन लोग जीवित रहने और कारागार के बाहर रहने के बदले सरकार के आदेशों का पालन और कर देना स्वीकार करते हैं।''

3. एस०एम० लिप्सेट (S.M. Lipset) के अनुसार, ''औचित्यपूर्णता का मतलब, अर्थव्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास पैदा किया जाए तथा बनाए रखा जाए कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी है।''

4. स्टर्न बर्जर (Stern Berger) के अनुसार, ''औचित्यपूर्णता शासकीय शक्ति की नींव है। एक ओर सरकार को ध्यान दिलाती है कि उसे शासन करने का अधिकार है तथा दूसरी ओर जनता द्वारा उसे अधिकार का अभिज्ञान कराती है।''

5. जीन ब्लेण्डल (Jean Blendel) के अनुसार, ''औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है, जिस सीमा तक लोग उस संगठन को, जिससे वे संबंधित है, बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। ..... सहमति अथवा स्वीकृति का क्षेत्र जितना अधिक विशाल होगा, उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा।''

6. जी० के० राबर्ट्स (G.K. Roberts) के अनुसार, ''औचित्यपूर्णता (वैधता) वह सिद्धांत है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त या किसी एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा शक्ति के प्रयोग की स्वीकृति को सूचित करता है। यह स्वीकृति इस आधार पर सूचित की जाती है कि राजनीतिक पद की ऐसी प्राप्ति या शक्ति का प्रयोग सत्ता प्रदान करने के स्वीकृत सिद्धांतों और विधियों के अनुकूल है।''

   उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता हे कि औचित्यपूर्णता राजनीतिक व्यवस्था का वह गुण है जिसके आधार पर जनता को यह विश्वास होता है कि राजनीतिक सत्ता की रचना, उसकी नीतियां तथा कार्य समाज के कल्याण के लिए उचित हैं और जनता बिना किसी संकोच के उन्हें अपना समर्थन और सहमति प्रदान करती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि औचित्यपूर्णता शासकीय शक्ति की नींव है।

## vkfpR; i.k'krk dh fo'k"krk,a

## (Characteristics of Legitimacy)

वैधता कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसके भिन्न–भिन्न निर्धारक तत्व हो सकते हैं अपितु यह तो एक धारणा है जिसकी कुछ अपनी ही अवश्यभावी विशेषताएं मानी जाती है। इसकी विशेषताएं प्रत्येक देश में समान नही हो सकती अपितु ये प्रत्येक देश के लोगों के मानसिक स्तर, राजनीतिक विश्वास और आदतों पर निर्भर करती है।

औचित्यपूर्णता की विभिन्न परिभाषाओं से औचित्यपूर्णता की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है–

1. **औचित्यपूर्णता व्यवस्था में स्थायित्व लाती है। (Legitimacy brings stability in the system):** औचित्यपूर्णता किसी भी व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए आवश्यक है। किसी भी व्यवस्था में स्थायित्त्व तभी आता है जब लोगों का उस व्यवस्था में विश्वास हो और विश्वास पैदा करने की योग्यता और औचित्यपूर्णता में है।

2. **औचित्यपूर्णता की मूल्यों पर निर्भरता (Dependence of legitimacy on values) :** किसी व्यवस्था की औचित्यपूर्णता वहां के रहने वाले लोागें के मूल्यों तथा विश्वासों पर निर्भर करती हैं उसी व्यवस्था को औचित्यपूर्णता प्राप्त होती है जो लोगों के मूल्यों के अनुकूल हो।

3. **औचित्यपूर्णता शक्ति के प्रयोग को कम करती है (Legitimacy minimises the use of force) :** शासन में औचित्यपूर्णता के आने पर शक्ति का उपयोग कम हो जाता है क्योंकि शासन को अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए दमन की नीति का अनुसरण नहीं करना पड़ता है बल्कि जनता स्वेच्छा से नीतियों का पालन करती है।

4. **सहमति और स्वीकृति औचित्यपूर्णता का आधार (Consent and acceptance is the basis of legitimacy) :** औचित्यपूर्णता का आधार लोगों की स्वीकृति और सहमति होती है। जिस व्यवस्था से लोग सहमत होंगे उस व्यवस्था को तभी औचित्यपूर्णता प्राप्त होती है। बिना सहमति तथा स्वीकृति के औचित्यपूर्णता नहीं हो सकती।

5. **औचित्यपूर्णता में विश्वास पैदा करने की योग्यता निहित है (Legitimacy has the ability to create faith) :** औचित्यपूर्णता की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें विश्वास पैदा करने की योग्यता होती है और इस विश्वास के कारण ही जनता राजनीतिक व्यवस्था की सत्ता को स्वीकार करती है और उसका समर्थन करती है। लिप्सेट के अनुसार, ''औचित्यपूर्णता विश्वास पैदा करने की योगयता में विश्वास रखता है।''

6. **औचित्यपूर्णता शक्ति के सत्ता में बदलने का साधन (Legitimacy is a mean to change power into authority) :** यह औचित्यपूर्णता की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। जहाँ केवल शक्ति हो, वहाँ सत्ता नहीं होती और जब शक्ति औचित्यपूर्णता का जामा पहन लेती है, तब शक्ति सत्ता में बदल जाती है। औचित्यपूर्णता के आने पर शासक, शासन की औचित्यपूर्णता प्राप्त करता है। सत्ता का सम्बन्ध लोगों के दृष्टिकोण के अनुसार वैध होना अनिवार्य है तथा इसलिये कहा जाता है कि उचित शक्ति ही सत्ता होती है (Legitimate Power is Authority).

7. **औचित्यपूर्णता में राजनीतिक व्यवस्था की नैतिक अच्छाई में विश्वास पैदा करने की क्षमता होती है (Legitimacy has the capacity to create faith in moral goodness of political system) :** औचित्यपूर्णता का एक गुण यह है कि इसमें लोगों में यह विश्वास पैदा करने की क्षमता होती है कि सरकार का ढांचा, नीतियां, निर्णय और कार्य जनता की नैतिक अच्छाई और भौतिक भलाई के लिए है।

8. **औचित्यपूर्णता राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को निश्चित करती है (Legitimacy determines the effectiveness of political system) :** प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को इसकी आवश्यकता होती है। यदि कोई सरकार औचित्यपूर्ण न हो तो वह अधिक प्रभावशाली नहीं होती, बल्कि औचित्यपूर्ण (Legitimacy) सरकार अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए तानाशाह भी अपने शासन को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

9. **औचित्यपूर्णता में राजनीतिक व्यवस्था की उपयोगिता में विश्वास पैदा करने की क्षमता होती है (Legitimacy has the capacity to create faith in the utility of political system) :** औचित्यपूर्णता में राजनीतिक व्यवस्था की उपयोगिता के प्रति जनता में विश्वास पैदा करने की क्षमता होती है, ताकि आम व्यक्ति यह महसूस करे कि राजनीतिक संस्थाएँ अधिक लाभदायक है।

## vkfpR; i.krk dk fodkl

## (Evolution of the Concept of Legitimacy)

औचित्यपूर्णता का समान अर्थ रखने वाला अंग्रेजी शब्द 'Legitimacy' लैटिन भाषा के 'Legitimus' शब्द से बना है। मध्य युग में इसके लिए 'Legitimitas' शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ अंग्रेजी में 'Lawful' होता था और जिसे हिन्दी में हम 'कानूनी' या वैधानिक कह सकते हैं। सिसरो (Cicero) ने 'Legitimum' शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ 'कानून के आधार पर गठित शक्ति या न्यायधीश' हुआ करता था। कुछ समय बाद इस शब्द का प्रयोग परम्परा, रीति–रिवाज, रूढ़ियों पर आधारित नियमों आदि तत्त्वों के लिए किया जाने लगा। लेकिन चौदहवीं शताब्दी में इसमें सहमति का शब्द भी जुड़ गया। अब सहमति का यह विचार ही औचित्यपूर्णता के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है।

औचित्यपूर्णता का वर्णन प्लेटो ने अपने ग्रंथ 'रिपब्लिक' में 'न्याय–सिद्धांत' (Theory of Justice) के अन्तर्गत किया था। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता (Supermacy of Law) के द्वारा इस प्रकार का विश्लेषण किया था। मार्सीलियों ऑफ पेडुआ (Marsilo of Padua) ने संवैधानिक आधार पर इसे स्पष्ट किया था। जॉन लॉक (John Lock) ने संविदा (समझौता) तथा सहमति के द्वारा और रूसो (Rousseau) ने 'सामान्य इच्छा के सिद्धांत' (Doctrine of General Will) द्वारा औचित्यपूर्णता का विचार संसार के सामने रखा था। आधुनिक युग में मैक्स वेबर (Max Weber), कार्ल स्किमिट (Carl Schimitt) और फेरो (Fero) नामक विद्वानों ने औचित्यपूर्णता के संबंध में बहुत गहराई से विचार किया है।

## vkfpR; i.kkrk dh izÑfr
## (Nature of Legitimacy)

मध्य युग में औचित्यपूर्णता की प्रकृति को अनाधिकार कार्यों की भावना के रूप में स्वीकार किया था, परन्तु आधुनिक युग में औचित्यपूर्णता के अर्थ बदल गए हैं। इसका पहला कारण यह है कि प्रत्येक राज्य–क्रान्ति, विद्रोह या विप्लव को आवश्यक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं माना जाता। जब भी कोई क्रान्ति या विद्रोह सफल हो जाता है तो पुरानी शासन–व्यवस्था की औचित्यपूर्णता का स्थान औचित्यपूर्णता के नए नियमों द्वारा ले लिया जाता है। दूसरे, औचित्यपूर्णता तो सत्ता के कार्यों को न्याय संगत या तर्क संगत ठहराने का आधार होता है। तीसरे, औचित्यपूर्णता का अर्थ भौतिक हितों की बढ़ोतरी करना ही नहीं होता, वह तो न्याय के बराबर है। इसलिए, औचित्यपूर्णता के लिए केवल मान्यता (Recognition) ही जरूरी नहीं होती, उसमें आंतरिक एकता (Consolidation) भी आवश्यक होती है। इसलिए अनुभव यह बताता है कि शासन सदैव औचित्यपूर्णता की खोज में रहता हे और उसी के आधार पर अपने अस्तित्त्व को न्यायसंगत ठहराता है।

## vkfpR; i.kkrk d vk/kkj
## (Basis of Legitimacy)

औचित्यपूर्णता के आधारों का हम निम्नलिखित भागों में अध्ययन कर सकते हैं:–

1. **राष्ट्रवाद का आधार (Basis of Nationalism) :** औचित्यपूर्णता के आधारों को राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की भावना एक मुख्य आधार है। राष्ट्रवाद के आधार पर अनेक राज्यों का निर्माण हुआ। सन् 1971 में बांग्लादेश की स्थापना औचित्य राष्ट्रवाद के आधार पर हुई थी।

2. **शासन का आधार विचारधारा के अनुसार (Basis of Ideology) :** वर्तमान राज्यों में, भले ही उनकी शासन व्यवस्था लोकतंत्रीय या तानाशाही हो, देश का शासन निश्चित विचारधाराओं के अनुसार चलाया जाता है। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाला प्रत्येक दल अपनी 'चुनावी घोषणा' (Election Manifesto) में अपनी विचारधारा का स्पष्टीकरण करना है। जिस दल का सत्ता प्राप्त होती है वह अपनी चुनावी घोषणा में घोषित विचारधारा को ही अपनाता है क्योंकि जनता ने उस विचारधारा का समर्थन चुनाव के दौरान किया था, ऐसा न करने पर जनता विरोध करने लगती है।

3. **राज्य द्वारा सुरक्षा तथा सार्वजनिक कल्याण (Security and Public Welfare) :** औचित्यपूर्णता का एक मुख्य आधार है कि राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे तथा उनका आर्थिक कल्याण के लिए प्रयत्न करे। यदि शासक वर्ग इन कार्यों की अवहेलना करेगा तो जनता में असन्तोष पैदा होगा, जिससे जनक्रान्ति तक हो सकता है। जनता शासकों की आज्ञा उसी स्थिति में मानेगी जबकि वे आज्ञाएं औचित्यपूर्ण होगी।

4. **शासन के द्वारा विशेष कार्य (Performance of Certain functions) :** जहाँ शासक वर्ग को ऊपर दिए गए आधारों को अपनाना चाहिए, वहां इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए; जिससे उनके कार्य औचित्यपूर्ण कहे जा सकें।

    (क) अपने व्यवहार के निश्चित स्थापित विश्वासों (Established Beliefs) के अनुसार अपनाएं।

    (ख) कुछ विशेष कार्य करें। इसका अर्थ है–शासनीय व्यवस्था का आधार मानव कल्याण होना चाहिए; जिसका आधार नैतिकता (Morality) हो।

## vkfpR; i.krk d ókr
## (Sources of Legitimacy)

भिन्न–भिन्न विद्वानों ने औचित्यपूर्णता के भिन्न–भिन्न स्त्रोतों को मान्यता दी है, जिनका उल्लेख निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है–

(क) कार्ल जे० फ्रेडरिक ने औचित्यपूर्णता के पाँच स्त्रोत बताए हैं:–

1. धार्मिक
2. दार्शनिक और न्यायमूलक
3. व्यवहारिक तथा अनुभाषिक
4. परम्परागत तथा
5. प्रक्रिया मूलक

(ख) मैक्स वेबर ने तीन प्रकार के स्रोत आने हैं:–

1. परम्पराएं
2. कानूनी बौद्धिक सत्ता तथा
3. नेताओं के व्यक्तिगत कार्य

(ग) जॉन्स ने औचित्यपूर्णता के सात स्रोतों को स्वीकार किया है:–

1. अहिंसा की परम्परा
2. धार्मिक सुधार
3. समाज में सहयोग की भावना
4. राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं में निरन्तरता
5. निहित मूल्य में विश्वास
6. निर्वाचन प्रक्रिया, स्वतंत्रता तथा मतैक्य
7. राजनीतिक विचारधारा का राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल होना।

(घ) फरेरो ने चार प्रकार के स्त्रोतों का वर्णन किया है:–

1. निर्वाचन पर आधारित औचित्यपूर्णता
2. परम्पराओं पर आधारित औचित्यपूर्णता

3. लोकतंत्रीय औचित्यपूर्णता
4. कुलीनतंत्रीय राजतंत्रात्मक औचित्यपूर्णता

ऊपर दिए गए वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि औचित्यपूर्णता सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था (Political System) से संबंधित सिद्धांत है। लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में इसकी आवश्यकता तथा उपयोगिता सबसे अधिक हैं अन्त में हम कह सकते हैं कि औचित्यपूर्णता के आधार पर ही प्रभाव 'सत्ता' का रूप धारण करता है।

## vkfpR; i.krk d: idkj
## (Kinds of Legitimacy)

औचित्यपूर्णता के वर्गीकरण का कोई सर्वमान्य अधिकार नहीं है। इसलिए भिन्न–भिन्न लेखकों ने इसके भिन्न–भिन्न प्रकारों का वर्णन किया है, ये प्रकार निम्नलिखित हैः–

1. **व्यक्तिगत औचित्यपूर्णता (Personal Legitimacy) :** जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में जनता राजनीतिक नेताओं तथा सत्ताधारी वर्ग के गुणों, विचारों तथा आदर्शों में विश्वास रखती है और यह मानते हुए कि उनके कार्य उचित, न्यायसंगत तथा कल्याणकारी है, उनका समर्थन करती है तो उसे व्यक्तिगत औचित्यपूर्णता कहा जाता है।
2. **वैचारिक औचित्यपूर्णता (वैधता) (Ideological Legitimacy) :** जब किसी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता का स्त्रोत उस व्यवस्था की विचारधारा या समाज में प्रचलित व मान्यता प्राप्त मूल्य हों तो उस वैचारिक औचित्यपूर्णता कहते हैं। लोकतान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्थाओं का आधार व्यक्ति की स्वतन्त्रता, समानता, स्वतन्त्र प्रैस, कानून का शासन और स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि है।
3. **संरचनातमक औचित्यपूर्णता (Structural Legitimacy) :** जब किसी राजनीतिक व्यवस्था की औचित्यपूर्णता या स्त्रोत उस व्यवस्था की संरचना अर्थात ढांचा या संस्थाएं हों तो उसे संरचनात्मक औचित्यपूर्णता कहा जाता है।

डाल्फ स्टर्न बर्गर (Dalf Sten Berger) ने औचित्यपूर्णता का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किया है–

1. **नागरिक औचित्यपूर्णता (Civil Legitimacy) :** नागरिक औचित्यपूर्णता उस शासन को कहते हैं जिसे नागरिकों का समर्थन प्राप्त होता है। अर्थात शासकों को शक्ति जनता के आधार पर प्राप्त होती है। यह दैवी औचित्यपूर्णता के विपरीत हैं क्योंकि इसमें शासकों का समर्थन दैवी शक्ति के आधार पर मिलता है। अरस्तु का पोलिस, मध्य युग के आर्थिक संघ और आधुनिक में सैवधानिक व्यवस्थायें इसके उदाहरण हैं।
2. **दैवी औचित्यपूर्णता (Divine Legitimacy) :** दैवी औचित्यपूर्णता के अन्तर्गत राजनीतिक व्यवस्था या सत्ताधारी व्यक्ति को शक्ति दैवी आधार पर प्राप्त होती है। जैसे–चीन और जापान में सम्राट को 'सूर्य का पुत्र' (Son of the God) माना जाता था। इंग्लैण्ड में सम्राट जेम्स ने राजाओं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना।

मैक्स वेबर (Max Weber) ने औचित्यपूर्णता के तीन प्रकारों का वर्णन किया है जो इस प्रकार हैः–

1. **करिश्मात्मक औचित्यपूर्णता (Charismatic Legitimacy):** किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में लोकनायकों के आकर्षक व्यक्तित्त्व ने अहम भूमिका निभाई है। जब जनता किसी सत्ताधारी व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन उसके आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्ति, उसके कार्यों, उसकी योगयता, क्षमता के कारण करती है तो उसे करिश्मात्मक औचित्यपूर्णता कहा जाता है। जैसे– महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन आदि।
2. **परम्परागत औचित्यपूर्णता (Traditional Legitimacy):** परम्परागत औचित्यपूर्णता में रूढ़ियों, रीति–रिवाजों और प्रथाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। जनता द्वारा शासक की आज्ञा का पालन इसी आधार पर किया जाता है। अर्थात् राजनीतिक सत्ता का आधार रीति–रिवाज प्रथाएं एवं परम्पराएं होती हैं।

3. **कानूनी–बौद्धिक औचित्यपूर्णता (Legal-Rational Legitimacy) :** कानूनी–बौद्धिक औचित्यपूर्णता का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें जनता राजनीतिक व्यवस्था या सत्ताधारी व्यक्ति, अधिकारी एवं पदाधिकारी आदेशों की पालन उसकी कानूनी–बौद्धिक क्षमता के आधार पर करते हैं। कानूनी–बौद्धिक औचित्यपूर्णता का आधार संविधान होता है।

## vkfpR; i.krk dk ldV
## (Crisis of Legitimacy)

औचित्यपूर्णता तथा सामाजिक परिवर्तन में गहरा संबंध है। समाज में जब कभी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है। इस तरह हम पाते हैं कि औचित्यपूर्णता के संकट तथा सामाजिक परिवर्तन में गहरा संबंध है।

औचित्यपूर्णता के संकट का अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्था के बारे में, जनता की सहमति कम हो गई या समाप्त हो गई या समाप्त होने की आशंका पैदा हो गई। उदाहरण के लिए 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा है। जनता में इंदिरा गांधी के औचित्यपूर्णता के संबंध में शंका उत्पन्न हो गई थी।

आम तौर पर राजनीतिक व्यवस्था की औचित्यपूर्णता की समस्या के मुख्य कारण निम्नलिखित हैः–

**किसी व्यवस्था से अधिक आशाएं (Many hopes from a system) :** जब कभी नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना होती है तो जनता इस नई राजनीतिक व्यवस्था से काफी आशाएं लगा लेती है। उदाहरण स्वरूप जब मार्च 1977 में भारत में जनता पार्टी के सरकार की स्थापना हुई तो पूर्व कांग्रेस राज्य से सताई जनता को बड़ी आशा थी, पर बाद में जनता पार्टी के आंतरिक झगड़े बढ़ने के कारण समस्या हल न हुई। जनता की आशा धूमिल हुई तथा फिर से कांग्रेस सत्ता में आ गई।

## vkfpR; i.krk ¼o/krk½ dk iklr dju rFkk cuk, j[ku d lk/ku
## (Measures to Secure and Maintain Legitimacy)

## vFkok

## lÙkk o/k vFkok U;k; ;Dr dl curh g
## (How Authority becomes Legitimate?)

अनेक सरकारी अधिकारियों को सत्ता या प्राधिकार (Authority) कानूनों या नियमों (Rules) के अनुसार दिया जाता है। यदि वे कानूनों या नियमों से अधिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करें तो उनकी सत्ता या प्राधिकार (Authoriry) वैध (Legitimate) नहीं रहेगी। श्री एरिक रो (Eric Rowe) के अनुसार, ''शक्ति की तरह सत्ता भी दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का एक तरीका है। जिनके पास शक्ति होती है, वे दूसरों पर अपनी इच्छा को लादने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। सत्ता तथा शक्ति प्रायः साथ–साथ चलती है। जिन शासकों को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त होता है वे भी सत्ता के सहारे बहुत समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी समय–समय पर बल प्रयोग करना पड़ता है।''

प्रत्येक सरकार को अपनी नीतियों को मनवाने के लिए समय–समय पर बल प्रयोग करना पड़ता है, कानून के अनुसार प्रयोग होने पर ही वैध माना जा सकता हैं कानून और नियमों के अनुसार प्रयोग न होने पर यह हिंसा कहलाती है, और अवैध (Illegitimate) माना जाएगा।

एक राजनीतिक व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को प्राप्त करने तथा बनाए रखने के कुछ उपाय अथवा साधन हैं जो इस प्रकार है–

1. **राजनीतिक व्यवस्था की प्रभाविकता (Effectiveness of Political system) :** एस०एम० लिप्सेट (S.M. Lipset) ने अपनी पुस्तक 'Political Man' में इस बात पर बल दिया है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता

की स्थिरता के लिए उसका प्रभावी होना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोगों को यह विश्वास हो कि व्यवस्था उनकी भलाई के लिए कार्य कर रहा है।

2. **कानूनी व्यवस्था द्वारा (By Legal Provisions) :** वैधता की स्थिति के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्था का आधार वैधानिक हो। राजसत्ता भले ही एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा प्राप्त की गई हो लेकिन उसकी स्वीकृति व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा प्राप्त की गई हो, लेकिन उसकी स्वीकृति का आधार वैधानिक होना चाहिए। जैसे–भारत को 15 August 1947 को सत्ता प्राप्त करना; इसका आधार वैधानिक था।

3. **राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तनशीलता (Changeability in political system) :** किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता की स्थिति तभी बनी रह सकती है जब वह अपनी बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सके। ऐसा न होने पर वैधता के लिए संकट पैदा हो जाता है।

4. **परम्पराओं को उचित मान्यता (Due Recognition to Traditions) :** किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस देश की परम्पराओं, रीति–रिवाजों को उचित मान्यता दी जाए। यदि कोई परिवर्तन परम्पराओं की पूर्ण अवहेलना करके किया जाता है तो उसके लिए संकट उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

5. **निजी चमत्कारी गुण (Personal charismatic traits) :** किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए चमत्कारी नेतृत्त्व, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है। इस तत्त्व से राजनीतिक व्यवस्था को चार–चांद लग जाते हैं। वर्तमान समय में इस तत्त्व का महत्त्व बहुत अधिक हो गया है।

7. **लोकतांत्रिक ढांचा (Democratic Structure) :** किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह लोकतांत्रिक ढाँचे पर आधारित हो। इसका अभिप्राय यह है कि सत्ता जनता में निहित हो, देश का शासन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए तथा कानून का शासन हो।

8. **राजनीतिक संस्थाओं का सशस्त्र सेनाओं से अलगाव (Separation of Political Institutions from Armed Forces) :** प्राय यह देखा गया है कि जिस राज्यों में राजनीतिक प्रणाली वैधता सम्बन्धित थोड़ी सी शंका पर सैनिक क्रांति हो जाती है और सैनिक तानाशाही स्थापित हो जाती है जैसे पाकिस्तान में है। इसलिये कहा जाता है कि शासन प्रणाली के औचित्य को कायम रखने और सैनिक खतरे से बचने के लिये यह आवश्यक है कि सशस्त्र सेनाओं को राजनीतिक संस्थाओं से अलग रखा जाये।

## vkfpR; i.kZrk dk 'kfDr rFkk lÙkk ls lac/k
## (Relationship of Legitimacy with Power and Authority)

प्रसिद्ध विद्वान रोवे (Rowe) के मतानुसार सत्ता, शक्ति और प्रभाव आदि का औचित्यपूर्णता के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, वे तभी प्रभावी या कारगर हो सकती हैं जबकि वे औचित्यपूर्ण हो। सत्ता में बैठे व्यक्ति को राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार होता है और इस तरह शासनकर्त्ता अपने देश के नागरिकों या निवासियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन यह उन्हें इसलिए प्राप्त नहीं हो जाता कि उनके पास दमनकारी शक्ति है, बल्कि वह इसलिए प्रभावी होता है कि सामान्य जनता की स्वीकृति उन्हें प्राप्त है।

मैक्स वेबर ने सत्ता और औचित्यपूर्णता के गहरे संबंधों का वर्णन बहुत स्पष्टता के साथ किया है। उनका कहना है कि राजनीतिक दल और उनके नेता अपने प्रभाव को औचित्यपूर्णता के माध्यम से ही सत्ता में बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए सत्ता, प्रभाव का सबसे कुशल रूप होने के साथ–साथ उसका आधार औचित्यपूर्णता ही होता है।

टी०एच० ग्रीन (T.H. Green) ने जब राज्य का आधार 'शक्ति न होकर इच्छा' (Will, not force, is the basis of state) बताया था तो उसका अर्थ यही था कि शासन जनता की सहमति और स्वीकृति पर आधारित होता है। इसका स्पष्ट उदाहरण सन् 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान में याघा खां की सैनिक सत्ता का पतन।

**निष्कर्ष (Conclusion) :** ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि सत्ता के लिए औचित्यपूर्णता एक बहुत अधिक आवश्यक तत्त्व है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो यह मूल आधार है। यद्यपि औचित्यपूर्णता का अर्थ यह नहीं है कि जनता प्रत्येक प्रशासनिक मामले पर पूरी तरह एकमत हो। यह न तो संभव है और इसे उचित कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सीमा तक मतभेद तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक समझा जाता हे। परन्तु इन परस्पर विरोधी विचारों में तालमेल बैठाना भी आवश्यक है।

## vH;kl&iz'u
## (Exercise-Questions)

### fucU/kkRed iz'u (Essay Type Questions)

1. औचित्यपूर्णता का अर्थ तथा महत्त्व का वर्णन कीजिए।

   Explain the meaning and importance of legitimacy.

2. औचित्यपूर्णता की परिभाषा दीजिए। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

   Define legitimacy? Discuss its characteristics.

3. औचित्यपूर्णता का क्या अर्थ है? इसके आधारों तथा स्त्रोतों का वर्णन कीजिए।

   What is meant by legitimacy? Discuss its basis and sources.

4. औचित्यपूर्णता के विकास को समझाइये। औचित्यपूर्णता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।

   Discuss the evolution of the concept of legitimacy. Describe the various kind of legitmacy.

5. औचित्यपूर्णता के संकट का क्या अर्थ है? औचित्यपूर्णता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है?

   What do you mean by the crisis of legitimacy? How can legitimacy can be secured and maintained?

6. औचित्यपूर्णता का शक्ति तथा सत्ता के साथ संबंध बताओ।

   Discuss the relationship of legitimacy with power and authority.

7. औचित्यपूर्णता का क्या अर्थ है? इसको किस प्रकार प्राप्त किया तथा बनाए रखा जा सकता है?

   Define legitimacy. How can legitimacy can be secured and maintained?

# v/;k; 5

# fof'k"V&oxZ ¼vfHktu½ rFkk fof'k"V&oxZ ds fl)kUr

## (Elite and Theories of Elite)

- विशिष्ट–वर्ग (अभिजन) का अर्थ
- विशिष्ट वर्ग के लक्षण
- राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग के प्रकार
- विशिष्ट–वर्ग के सिद्धान्त
- विशिष्ट–वर्ग के विभिन्न सिद्धान्तों के समान लक्षण (विशेषताएं)
- विश्ष्टि–वर्ग के सिद्धान्त की आलोचना
- लोकतंत्र का विशिष्ट–वर्गवादी सिद्धान्त
- लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएं

*प्रत्येक शासन व्यवस्था में, चाहे उसका स्वरूप निरंकुश अथवा सर्वाधिकारवादी या लोकतांत्रिक हो, शासन की शक्ति कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित होती है और साधारण जनता उनका आदर और सम्मान करती है। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को जनता की, जनता द्वारा तथा जनता के लिए' (Government of the people, by the people and for the people) कहा जाता है, परन्तु व्यवहार में वह जनता के एक विशिष्ट वर्ग की सरकार होती है। इस वर्ग में कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जो अपनी बुद्धि, योग्यता, सत्ता, प्रभाव अथवा व्यवहार के कारण समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं और अपने इन्हीं गुणों के कारण या परिस्थितियों के कारण समाज के कर्णधार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में या तो वे खुद निर्णय लेते हैं या निर्णय लेने वाले के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। साधारणतया कुछ लोगों का यह वर्ग ही विशिष्ट वर्ग (Elite) कहलाता है। इस प्रकार के वर्ग को विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न–भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जो इस प्रकार है–विशिष्ट वर्ग (Elite), राजनीतिक विशिष्ट वर्ग (Political Elite), विशिष्ट शासक वर्ग (Ruling Elite), प्रशासकीय विशिष्ट–वर्ग (Governing Elite), शक्ति विशिष्ट–वर्ग (Power Elite), आर्थिक विशिष्ट वर्ग (Economic Elite) तथा उच्च नेतृत्त्व (Top leadership) आदि।*

*लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में जनता का शासन होता है। परन्तु इस पर अगर हम गम्भीरता पूर्वक विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि यह 'सब का शासन' की बजाय 'कुछ का शासन' दिखाई देता है। वास्तव में सब के नाम पर कुछ ही शासन करते हैं। निर्णय प्रक्रिया में साधारण लोगों को अलग अथवा बाहर रखा जाता है। यह निर्णय लेने वालों और निर्णय प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से जुड़े हुए लोगों का छोटा सा वर्ग राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग* (Political Elite) *के नाम से जाना जाता है। ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग प्रत्येक देश तथा हर प्रकार की शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं।*

## fof'k"V&oxZ ¼vfHktu½ dk vFkZ

### (Meaning of Elite)

शब्दकोष के अनुसार, ''विशिष्ट–वर्ग'' (Elite) शब्द का अर्थ है–'जनसंख्या में चुना गया तत्त्व' (The chosen element in population) इस प्रकार समाज में कुछ चुने हुए व्यक्तियों के समूह को विशिष्ट–वर्ग कहा जाता है। ये समाज के कुछ

ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी बुद्धि, योग्यता, प्रभाव अथवा परिस्थितियों के कारण समाज में अन्य व्यक्तियों से कुछ उच्च स्थान रखते हैं। समाज के विशिष्ट–वर्ग जैसे–नगर का विशिष्ट–वर्ग, वकीलों का विशिष्ट वर्ग, डाक्टरों का विशिष्ट वर्ग, अध्यापकों का विशिष्ट वर्ग, यहां तक परिवार में विशिष्ट वर्ग। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जो वर्ग करते हैं वो राजनीतिक क्षेत्र के अन्तर्गत विशिष्ट वर्ग में आते हैं।

विभिन्न विद्वानों द्वारा विशिष्ट वर्ग की भिन्न–भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जो इस प्रकार हैंः–

1. जेरियन्ट सी० पेरी (C. Pary) के अनुसार, ''विशिष्ट–वर्ग वे अल्पसंख्यक लोग हैं जो राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों पर अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं।''
2. सी० राईट मिल्स (C. Wright Mills) के अनुसार, ''विशिष्ट–वर्ग के व्यक्ति होते हैं जो आज्ञा देने वाले पदों पर आसीन होते हैं।''
3. प्रेस्थस (Presthus) के अनुसार, ''विशिष्ट–वर्ग अल्पसंख्या में विशिष्ट नेता होते हैं जो सामुदायिक विषयों में अनुपात से अधिक शक्ति रखते हैं।''
4. सूजन कैलर (Suzane Keller) के अनुसार, ''विशिष्ट–वर्ग वे अल्पसंख्यक होते हैं जो इन विभिन्न आबंटनों में एक या एक से अधिक क्षेत्राों में अपनी श्रेष्ठता के बल पर शेष समाज से श्रेष्ठता प्राप्त किए जाते हैं।''
5. लासवैल (Laswell) के अनुसार, ''राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग एक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति रखने वालों का वर्ग होता है। सत्ताधारियों में नेता तथा वे सामाजिक संगठन होते हैं, जिनमें से नेता आते हैं और जिनके प्रति उत्तरदायित्त्व को एक निश्चित अवधि के दौरान कायम रखा जाता है।
6. पेरेटो (Pareto), जिन्हें विशिष्ट वर्ग की अवधाारणा को लोकप्रिय बनाने का एक श्रेय जाता है, ने दो विशिष्ट वर्ग की परिभाषाएं दी हैं। इनमें से एक विस्तृत परिभाषा है जो सम्पूर्ण सामाजिक विशिष्ट–वर्ग से संबंधित है।
   (क) विस्तृत अर्थ में पेरेटो (Pareto) के अनुसार, ''विशिष्ट वर्ग में थोड़ी संख्या में व्यक्ति होते हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होते हैं और जिन्हें व्यवसायिक क्रम में उच्च अथवा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है।''
   (ख) पेरेटो (Pareto) के अनुसार, ''शासकीय विशिष्ट–वर्ग में वे कुछ लोग शामिल होते हैं जो सफल होते हैं और जो राजनीतिक तथा सामाजिक रूप में शासकीय कार्य करते हैं।

ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट–वर्ग (राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग) अल्पसंख्यकों का ऐसा समूह है जो प्रत्येक समाज अथवा राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का प्रयोग करता है।

## fof'k"V oxZ dh y{k.k
## (Characteristics of Elite)

अभिजन समाज एक विशिष्ट वर्ग होता है, जिसका प्रमुख कार्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्राों में समाज को नेतृत्त्व प्रदान करना होता है। पेरेटो ने अपनी रचना 'The Mind and Society', सी० राइट मिल्स ने 'The Power Elite', मोस्का ने 'The Ruling Elite' और टी०वी० बॉटोमोर ने 'Elites and society' में अभिजन वर्ग का पूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है। इन विभिन्न रचनाओं के आधार पर अभिजन वर्ग की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है, जो निम्नलिखित प्रकार है–

1. **विशिष्ट–वर्ग का विशेष महत्त्व (Special importance of the elite) :** प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विशिष्ट वर्ग का विशेष स्थान प्राप्त होता है। यह वर्ग देश की राजनीतिक दशा को निश्चित करता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन निश्चित करता है। इस वर्ग को जनता का विश्वास तथा समर्थन भी प्राप्त होता है।
2. **महत्त्वाकांक्षी समूह (Elite are ambitions group) :** विशिष्ट वर्ग की अन्य विशेषता है कि ये सदस्य बहुत महत्वकांक्षी होते हैं। वे साधारण जनता की अज्ञानता तथा उनके अंधविश्वास का पूरा लाभ उठाते हैं।

3. **समाज के सभी क्षेत्रों में विशिष्ट–वर्ग (Elite are found in every field) :** विशिष्ट–वर्ग समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विशिष्ट–वर्ग, सामाजिक विशिष्ट–वर्ग, राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग, धार्मिक विशिष्ट–वर्ग तथा सैनिक विशिष्ट–वर्ग।

4. **विशिष्ट–वर्ग स्थायी नहीं होता (Elite are not permanent) :** किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग सदा के लिए स्थिर नहीं रहता। इसका स्वरूप परिवर्तनशील होता है। समाज में आने वाले परिवर्तन सदैव विशिष्ट–वर्ग के स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक परम्परागत समाज में नातेदारी अथवा पारिवारिक स्थिति विशिष्ट–वर्ग को आधार प्रदान करती है।

   वर्नी (Verney) ने लिखा है, ''एक आधुनिक लोकतंत्रीय समाज में विशिष्ट–वर्ग विशेषाधिकार की अपनी विलक्षण स्थिति के लिए जनता द्वारा दी गई मान्यता तथा सम्मान का ऋणी होता है, यदि समाज अपने मूल्यों का मापदण्ड बदल ले, उदाहरण के लिए यदि साम्राज्य के युग का स्थान तकनीकी का युग ले ले तो व्यक्तियों के एक अलग समूह को सम्मान तथा आदर दिया जाता है और वे राष्ट्र के विशिष्ट–वर्ग का निर्माण करते हैं।''

   इसके अतिरिक्त विशिष्ट–वर्ग की सदस्यता समय की गति और अन्य परिस्थितियों के कारण बदलती रहती है। शासक दल के प्रबल राजनीतिक नेता राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि विरोधी दल के प्रबल नेताओं के सामूहिक रूप को विरोधी विशिष्ट–वर्ग (Counter Political Elite) कहा जाता है। इस प्रवाह की अवधारणा को 'विशिष्ट–वर्ग के प्रवाह की अवधारणा' (Concept of circulation of Elite) कहा जाता है।

5. **अल्पसंख्यक समूह (A Minority group) :** विशिष्ट–वर्ग में समाज के कुछ थोड़े से चुनिन्दा (Select few) लोग होते हैं जो सभी राजनीतिक संस्थाओं पर नियंत्रण रखते हैं तथा शासन व्यवस्था के लिए सभी राजनीतिक निर्णय लेते हैं। प्लेटो और अरस्तु ने कहा है कि शासन करने के गुण तो केवल कुछ ही व्यक्तियों में होते हैं और ऐसे लोगों का जन्म ही शासन करने के लिए होता है।

   मोरिस डिपो० बरजर ने लिखा है कि पश्चिम लोकतंत्रीय प्रणाली (Western Democratic System) को 'लोगों का, लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए शासन' कहना उचित नहीं है। इसकी उपेक्षा इसे 'लोगों का और लोगों में से विकसित हुए विशिष्ट–वर्ग' (Government of the people by an elite sprung from the people) कहना अधिक उचित होगा।

6. **श्रेष्ठ वर्ग (विशिष्ट–वर्ग) की अवधारणा मनुष्यों की प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत पर आधारित (The concept of elite is based on the natural inequality of man) :** विशिष्ट–वर्ग की अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्यों में प्राकृतिक रूप से असमानता पाई जाती है। यह धारणा इस विचार पर आधारित है कि समाज में दो प्रकार के वर्ग होते हैं। एक वह वर्ग जिसमें शासन करने और लोगों पर नेतृत्त्व करने की योगयता रहती है। दूसरा वह वर्ग है जिनमें नेतृत्त्व करने और राजनीतिक निर्णय लेने की योग्यता नहीं रहती। इसमें प्रथम वर्ग ही विशिष्ट–वर्ग कहलाता है।

7. ***राजनीतिक* विशिष्ट–वर्ग न तो अल्पतंत्र है और न ही कुलीनतंत्र है (Political elite neither oligarchy nor aristocracy) :** यद्यपि एक राजनीतिक व्यवस्थ में विशिष्ट–वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है और अल्पतंत्र (oligarchy) तथा कुलीनतंत्र (Aristocracy) भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की सरकारें ही होती हैं, परन्तु फिर भी कुछ विशिष्ट वर्ग न तो अल्पतंत्र और न ही कुलीनतंत्र होता है। इन तीनों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए डगलस वी० वर्नी (D. V. Verney) ने लिखा है, ''ऐसा प्रतीत होता है कि एक विशिष्ट वर्गीय शासन में अल्पतंत्रीय शासन और कुलीनतंत्रीय शासन दोनों की विशेषताओं का मिश्रण होता है; परन्तु इससे इनको एक जैसा नहीं समझ लेना चाहिए। अल्पतंत्र की तरह यह अल्पसंख्यक होता है, और कुलीनतंत्र की तरह इसमें श्रेष्ठ लोग होते हैं; परन्तु इसमें न तो अल्पतंत्र का स्वार्थपन और अपने आपको स्थाई बनाने की भावना होती है और न ही इसमे कुलीनतंत्र की ठाट–बाट (दिखावा) और दबदबा होता है।''

जे० सी० जोहरी (J.C. Johri) के अनुसार, ''अन्तर की रेखा इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि विशिष्ट वर्गीय शासन में परम्परागत भव्यता तथा आत्म–नित्यता की प्रवृत्ति दोनों की कमी है जो अल्पतंत्र तथा कुलीनतंत्र नाम से पुकारे जाने वाले राज्यों के मुख्य लक्षण होते हैं।''

## jktuhfrd fof'k"V&oxZ ds izdkj
## (Kinds of Political Elite)

'अभिजन' समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी लोगों को 'राजनीतिक अभिजन' कहते हैं। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक अभिजन होते हैं, जिन्हें धर्म के क्षेत्र में अपने लागों पर राजनीतिक अभिजनों से भी अधिक अधिकार प्राप्त होता है। धार्मिक प्रवृत्ति का लोगों के होने के कारण लोग इनकी आज्ञा का पालन करते हैं इसी प्रकार बुद्धिजीवियों का भी एक अलग से अभिजनवर्ग होता है। प्रशासनिक लोगों का भी अपना अभिजन वर्ग होता है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र के अभिजन समूह होते हैं।

साधारणतः उन लोगों को ही राजनीतिक अभिजन (विशिष्ट–वर्ग) मान लिया जाता है जो सत्ता संरचना (Power Structure) के शिखर पर होते हैं।

राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग (अभिजन) के दो रूप माने गए हैं जिनका विवेचन निम्नलिखित प्रकार से है–

1. **काउन्टर ऐलिट (Counter Elite) :** काउन्टर ऐलिट का तात्पर्य उन लोगों के समूह से होता है जो अब सत्ता में नहीं है परन्तु एक समय सत्ता में रह चुके हैं। ये वे लोग होते हैं जो समुचित अवसर आने पर सत्ता भी संभाल सकते हैं। ये निर्णय प्रक्रिया में शामिल न रहकर भी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। शासकीय अभिजन (Governing Elite) सत्ता प्राप्त किए होता है जबकि काउन्टर ऐलिट सत्ता के चारों ओर होता है।

2. **गवर्निंग या पावर ऐलिट (Governing or Power Elite) :** गवर्निंग या पावर ऐलिट ऐसे लोगों का समूह होता है। उन्हें सत्ता विधिवत रूप से प्राप्त होती है। ये औपचारिक रूप से निर्णय लेते हैं और उन्हें लागू भी करते हैं। इनके निर्णयों का पालन न होने की स्थिति में ये बल का भी प्रयोग करते हैं ये बहुसंख्यक वर्ग से अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। ये जनता पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए धोखाधड़ी, मनोरंजन तथा झूठे आश्वासन जैसे साधनों का प्रयोग करते हैं।

उपरोक्त दो प्रकार के राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन प्रकार के विशिष्ट वर्ग भी पाए जाते हैं:–

1. **नया विशिष्ट वर्ग (The New Elite)**–आधुनिक अथव नया विशिष्ट वर्ग औद्योगीकरण की उत्पत्ति है। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप बड़े–बड़े औद्योगिक घरानों तथा व्यापारी समूहों का उदय हुआ। कई सफल उद्योगपतियों ने अपने धन तथा साधन के बल पर विशिष्ट–वर्ग के रूप में काम करना आरम्भ कर दिया। ये देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं और कभी–कभी राजनीतिक निर्णय करने और बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. **परम्परागत विशिष्ट–वर्ग (Traditional Elite)**–परम्परागत विशिष्ट–वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जो परम्परागत मूल्यों के आधार पर शक्ति, सत्ता अथवा प्रभाव का प्रयोग करता है ऐसे विशिष्ट वर्ग के शक्ति के मुख्य स्त्रोत जमीन–जायदाद, पारिवारिक स्तर तथा विभिन्न धर्मों के मुखिया आदि होते हैं। इस श्रेणी में प्रायः रियासतों के राजकुमार, जमींदार, धार्मिक नेता, नवाब आदि आते है। जामा–मस्जिद का शाही इमाम, अमृतसर के स्वर्णमंदिर के संचालक आदि ऐसे विशिष्ट वर्ग के उदाहरण है।

3. **कुलीन विशिष्ट–वर्ग (Nobles)**–कुलीन विशिष्ट–वर्ग प्रायः उन देशों में पाया जाता है जिनमें राजतंत्र है अथवा कभी राजतंत्र मौजुद था। इंग्लैंड़ जापान तथा फ्रांस आदि देशों में इस श्रेणी के विशिष्ट–वर्ग बड़ी संख्या में भरा पड़ा है। वहाँ पर शाही परिवार के सदस्य भी इस श्रेणी में आते है। भारत में डा० कर्ण सिंह, माधवराव सिंधिया, वी० पी० सिंह, अर्जुन सिंह इंग्लैंड में हाउस ऑफ लार्ड (House of Lords) और राजा, रानी और राजकुमार इत्यादि इसके उदाहरण है।

# fof'k"V&ox d fl)kUr
# (Theories of Elite)

यद्यपि विशिष्ट–वर्ग के सम्बंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने सिद्धान्त पेश किए है, तथापि सभी विद्वान इस बात पर सहमत है कि प्रत्येक समाज में वास्तविक शक्ति थोड़े से विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में होती हैं प्रत्येक समाज में अल्पसंख्यको का शासन होता हे, जिनमें शासन करने की येग्यता तथा क्षमता होती है। इस बात का सर्मथन करते हुए डॉ० एस० पी० वर्मा (S.P. Verma) ने लिखा है, '' ये सभी सिद्धान्त इस पक्ष में है कि प्रत्येक समाज उन अल्पसंख्यकों द्वारा शासित होता है जो सम्पूर्ण समाजिक तथा राजनीतिक शक्ति को सम्भालने के लिए आवश्यक गुण रखते है। वे, जो शीर्ष में पहुँच जाते हैं, सर्वोत्तम होते हैं। उन्हें विशिष्ट वर्ग कहा जाता हैं। विशिष्ट–वर्ग उन सफल व्यक्तियों से बनते हैं जो समाज के प्रत्येक व्यवसाय तथा इसकी प्रत्येक परत में शीर्ष तक पहुँच जाते हैं। वकीलों का एक विशिष्ट–वर्ग होता है, कारीगरों का एक वर्ग होता हैं यहाँ तक कि चोरों वेश्याओं का भी एक विशिष्ट–वर्ग होता है।''

विशिष्ट–वर्ग के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैः

## 1- foYQMk i jVk dk fof'k"V ox fl)kUr ¼1848&1923½
## (Elite Theory of Villfred Pareto (1848-1923)

पेरेटो इटली का एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री था। उसने अपनी पुस्तक 'The Mind and Society' में अपने विशिष्ट वर्ग सम्बंधी सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या की है। परेटो का विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य अपनी मूल योग्यताओं व क्षमताओं में एक दूसरे से भिन्न होतें हैं और यह विशेषता समाज में असमानता को अनिवार्य बना देती है। परेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत सबसे अधिक उच्च क्षेणी पर हैं, वे ही विशिष्ट वर्ग होते है।

पेरेटो (Pareto) के अनुसार, प्रत्येक समाज की जनसंख्या को दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है–निम्न वर्ग (Lower Stratum) तथा उच्च वर्ग (Higher Stratum)। निम्न वर्ग में साधारण जनता तथा उच्च वर्ग में विशिष्ट वर्ग के लोग शामिल होते है। विशिष्ट वर्ग फिर दो श्रेणी में बाँटा गया है– शासकीय विशिष्ट वर्ग (Governing Elik) तथा गैर शासकीय विशिष्ट वर्ग (Non-Governing Elite)—

### विशिष्ट–वर्ग के संचालन की धारणा
### (Concept of the Circulation of Elite)

पेरेटो (Pareto) का कहना है कि ''इतिहास कुलीनतंत्रों का कब्रिस्तान है'' (History is the graveyard of aristocracies ) उसके अनुसार पुराने विशिष्ट वर्ग सदा अपना स्थान, नए विशिष्ट वर्ग को देते है। वे परिवर्तन शील होते है, स्थिर नहीं होते।

पेरेटो (Pareto) के अनुसार, ''प्रत्येक समाज में व्यक्ति और विशिष्ट वर्ग अनवरत रूप से ऊँचे स्तर से नीचे स्तर की ओर, नीचे स्तर से ऊँचे स्तर की ओर आते जाते रहते हैं। पतनकारक तत्त्वों की संख्या बढ़ती रहती है। और दूसरी ओर, शासित वर्गो में ऊँचे गुणों से सम्पन्न तत्त्व उभरते रहते है।'' परेटो (Pareto) का कहना है कि ''इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज का प्रत्येक विशिष्ट–वर्ग अन्ततः नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरे लोग आ जाते हैं।''

यह विशिष्ट–वर्ग के संचालन (Circulation of Elite) का सिद्धान्त है। पेरेटो (Poreto) का यह कहना है कि 'विशिष्ट–वर्ग का परिचलन' (Circulation of Elite) आवश्यक है तथा इसका अर्भाव घातक हैं पेरेटो ने कहा है, ''क्रांति तब होती है, जब व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन की गति बहुत धीमी हो जाती है। ''(Revolution occurs when rate of circulation of individuals in too low.)''

## 2- xVuk ekLdk dk fof'k"V&ox dk fl)kUr ¼1858&1941½
## (Elite Theory of Gaetano Mosca (1858-1941)

पेरेटो की भांति मोस्का भी एक इटालियन विद्वान था, जिसने अपनी पुस्तक ''The Ruling Class'' में अपने विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। मोस्का का कहना है कि विश्व में केवल एक ही प्रकार की सरकार कार्यशील है और वह है 'अल्पतंत्र' (Oligerchy)। मोस्का (Mosca) का कहना है, ''कम विकसित समाज से लेकर पूर्णत विकसित समाज तक प्रत्येक समाज में लोगों के सदैव दो वर्ग उभरते हैं–एक वर्ग जो शासन करता है और दुसरा वर्ग जो शासित होता है। पहला वर्ग जो सदैव कम संख्या में होता है, सभी राजनीतिक कार्य करता है, शक्ति पर एकाधिकार रखता है और शक्ति द्वारा लाए गए लाभ का आनंद लेता है, जबकि दूसरा वर्ग, जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोग होते है; पहले द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है, थोडा या बहुत कानूनी ढंग से तथा बहुत स्वेच्छाकारी तथा हिंसक ढ़ंग से और पहले पहले को, काम से कम दिखाने के लिए, जीविका के भौतिक साधन तथा राजनीतिक तंत्र की चेतना के लिए अनिवार्य कर्तव्य साधन प्रदान करता है।''

मोस्का (Mosca) ने आगे लिखा है, ''जितना बड़ा राजनीतिक समुदाय होगा, शासकीय अल्पसंख्यकों का अनुपात उतना ही कम होगा और बहुसंख्यकों के लिए शासित होना अधिक कठिन होगा।''

## 3- jkcVZ fe'kYl dk fof'k"V&oxZ fl)kUr ¼1876&1936½
## (Elite Theory of Robert Michels (1857-1936)

विशिष्ट वर्ग के संबन्ध में राबर्ट मिशल्स द्वारा एक नए सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, जिसे उन्होंने 'अल्पतंत्र के लौह नियम' (Iron Law of Oligarchy) का नाम दिया है। इसके अनुसार प्रत्येक समाज को एक विशिष्ट वर्ग द्वारा शासित किया जाता है।

जब एक नेता सत्ता में आ जाता है तो कोई भी उन्हें शक्ति के शिखर के स्थान से हटा नहीं सकता। यही कुलीनतंत्र का 'लौह नियम' कहलाता है।

मिशल्स (Michels) के अनुसार, ''यदि कानूनों के नेताओं के अधिकार–क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है तो कानूनों में ही धीरे–धीरे कमजोरी आती है, नेताओं में नहीं।'' वह यह स्वीकार करता है कि कभी–कभी क्रान्तियों के माध्यम से अत्याचारी शासकों को हटा दिया जाता है, परन्तु इस बात से कोई फर्क नही पड़ता, उनके स्थान पर जो शासक आते है वे भी उतने ही निरंकुश और अत्याचारी होते है। इस प्रकार सत्ता लगातार कुछ ही व्यक्यिों के हाथों में बनी होती है और उन्हें सत्ता से हटाया नहीं जा सकता। वास्तविक रूप से सरकार की सभी व्यवस्थाएं अल्पतंत्रीय व्यवस्थाएं होती है।

## 4- cuZgke dk fof'k"V&oxZ fl)kUr
## (Elite Theory of Burnham)

बर्नहाम ने विशिष्ट–वर्ग का सिद्धान्त और मार्क्सवादी विचारधारा के मिलाने का प्रयास किया है। उसका कहना है कि समाज में विभिन्न प्रकार के समूह है जिनमें सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष होता रहता है, उन्हें विशिष्ट वर्ग (Managerial Elite) कहा जाता है।

उसके अनुसार विशिष्ट–वर्ग की शक्ति का आधार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। बर्नहाम (Burnham) ने लिखा है ''किसी भी समाज में शासकीय विशिष्ट–वर्ग की खोज करने का सबसे आसान तरीका आमतौर पर यह देखना होता है कि कौन सा समूह सबसे अधिक आय प्राप्त करता है।'' (The easiest way to discover the ruling elite in any society is usually to see which group gets highest income-)

## 5- सी० राईट मिल्स का विशि"V oxZ fl)kUr
## (Elite Theory of C. Wright Mills)

सी० राईट मिल्स ने अपने विशिष्ट–वर्ग सम्बंधी सिद्धान्त का प्रतिपादन अपनी पुस्तक 'The Power Elite' में किया हैं उन्होंनें विशिष्ट वर्ग के स्थान पर 'शक्ति विशिष्ट–वर्ग (Power Elite) शब्द का प्रयोग किया है। मिल्स (Mills) ने शक्ति विशिष्ट वर्ग की परिभाषा शक्ति के साधनों अर्थात आदेश देने वाले पदों पर आसीन व्यक्तियों के रूप में की हैं (We may define the power elite in terms of power on those who occupy the command posts)। राईट (Wright) के

अनुसार ''विशिष्ट वर्ग समाज के संस्थागत दृश्य की उपज होता है। आधुनिक समाज में शक्ति को संस्थागत किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित संस्थान सामाजिक ढ़ाचे के व्यूह–रचित शासन पदों का निर्माण करते है। शक्ति ऐसे संस्थानों का एक गुण होती हैं। शक्ति विशिष्ट वर्ग उन लोगों के द्वारा मिलकर बनता है जो आधुनिक समाज के प्रमुख अनुक्रमों तथा संगठनों के शासन में अत्यन्त प्रभावकारी निर्णय लेने स्थिति में होते हैं।

मिल्स (Mills) के अनुसार, ''विशिष्ट वर्ग के इतिहास की शक्ति समाज के यथापूर्वक स्थित को बदलने, वर्तमान सामाजिक सम्बन्धों को चुनौती देने तथा एक नई संरचना को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होती हैं। विशिष्ट वर्ग का आन्तरिक केन्द्र समाज में इसके द्वारा अन्यों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को निर्धारित करने की योग्यता तथा क्षमता होती है।''

मिल्स (Mills) ने विशिष्ट वर्ग को यथार्थ शक्ति (Actual Power) की बजाए अन्तनिहित शक्ति (Potential Power) की दृष्टि से देखा है।

## 6- आरटेगा वाई० गासे का विशिष्ट वर्ग सिद्धान्त
## (Elite Theory of Ortega Y. Gasset)

आरटेगा वाई० गासे का विशिष्ट–वर्ग का सिद्धान्त उसके जनता के सिद्धान्त पर आधारित है। गासे (Gasset) के अनुसार, ''एक राष्ट्र की महानता इसके लोगों, जनता, भीड़, जनसमूहों की ऐसे निश्चित तथा चुने हुए लोगो में अपना चिन्ह प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करती है, गिन पर यह अपने जोश के विस्तृत भंण्डार को उंडेल देती है।'' एक राष्ट्र का ढ़ाँचा जनता द्वारा चुने गए थोड़े से व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट–वर्ग कहा जाता है, द्वारा तैयार किया जाता है।

आरटेगा वाई० गासे (Ortege Y. Gasset) ने लिखा है, ''एक राष्ट्र द्वारा अपनाए जाने वाला कानूनी रूप जितना तुम चाहो उतना लोकतांत्रिक या साम्यवादी हो सकता है, परन्तु इसका जीवन तथा कानूनी ढ़ांचा जनता पर अल्पसंख्यकों के गतिशील प्रभाव से ही बना रहेगा। यह एक स्वभाविक नियम है और यह उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि जीव विज्ञान में सामाजिक जीवों, भौतिक विज्ञान में घनत्वों का नियम हैं।'' आरटेगा गासे के अनुसार समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं–एक वे लोग, जिनमें नेतृत्त्व करने की क्षमता होती है, दूसरे वे लोग जिन्हें अनुसरण करने में रूचि होती है।

आरटेगा (Rotega) लिखते है ''एक व्यक्ति सम्पूर्ण रूप से समाज में न केवल अपनें व्यक्तिगत गुणों के कारण ही, बल्कि जनता द्वारा उसमें डाली गई सामाजिक शाक्ति के कारण अधिक प्रभावशाली होता है।'' आरटेगा (Ortega) आगे लिखते हैं कि, ''जहाँ सामूहिक जनता पर कोई अल्पसंख्यक शासन नही करता और जनता यह नही जानती कि उसे अल्पसंख्यको के प्रवाह को कैसे स्वीकार करना है, वहाँ समाज नही होता।''

टी० बी० बॉटामोर (T.B.Bottomore)–टी० बी० बॉटामोर ने अपनी पुस्तक 'Elites and Society' में अभिजन की धारणा का प्रतिपदन किया है। बॉटोमोर अभिजन या शासक वर्ग की धारणा को ऐतिहासिक परिस्थितियों में सामंतवाद के अन्त और आधुनिक पूँजीवाद को प्रारम्भिक देन मानते हैं। उनका कहना है कि उस समय से ही वर्ग समाज की अधिकाँश सम्पत्ति तथा राष्ट्रीय आय के बडे भाग का प्राप्तकर्ता एवं स्वामी बन बैठा है।

अभिजन की धारणा में एक प्रमुख विचार यह है कि अभिजन परिवर्तित होते रहते है।

एस० ई० फाइनर ने अपनी पुस्तक 'Comparative Government' में अभिजन से संबधित समस्त स्थिति को एक विभिन्न फॉकों (Slice) वाले सन्तरे के आधार पर अच्छे तरीके से प्रयास किया जो इस प्रकार है।

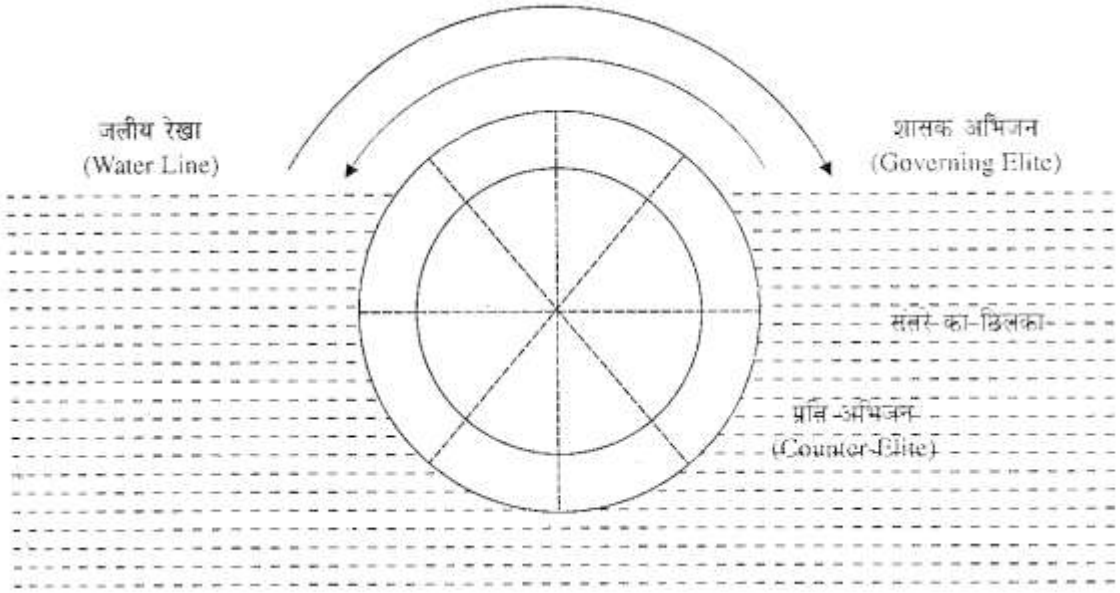

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि सन्तरे की सतह (छिलका) समाज का अभिजन है जो समुद्र रूपी समाज में तैर रहा है। सन्तरे के छिलके का जो भाग जलीय रेखा से ऊपर है, वह समाज का शासक अभिजन है। यह भाग समाज के उन समुदायों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं जो नेतृत्त्व प्रतियोगिता में असफल हुए है। जिनकी नीतियों की जगह विजेता वर्ग की नीतियों को अपनाया गया है और संतरे के छिलके का वह भाग जो की जलीय रेखा के नीचे के भाग को ढ़के हुए है, प्रति अभिजन (Counter-Elite) अर्थात वर्तमान अभिजन (जो जलीय रेखा से ऊपर है) का विरोधी है। यह प्रति अभिजन सदैव शासक अभिजन बनने के लिए प्रयासरत रहता हैं। एस० ई० फाइनर द्वारा की गई इस व्यवस्था में 'अभिजन वर्ग में परिवर्त्तन (Circulation of Elites) का भाव निहित है। जिस प्रकार हवाओं आदि के कारण, जल में संतरे की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है ठीक उसी प्रकार समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाज के अर्न्तगत अभिजन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में वर्तमान शासक वर्ग यदि समाज में लहरों रूपी आने वाले विभिन्न समस्याओं का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्त्व न करेंगें तो संतरे की स्थिति में जिस प्रकार लहरों के साथ परिवर्तन हो जाता है, वैसे ही समाज के शासक वर्ग में भी परिवर्तन हो जाती है। जिस समाज में प्रति अभिजन वर्ग (Counter Elite) प्रतीक्षा में रहता है कि उन्हें कब समाज का प्रतिनिधित्त्व करने का अवसर मिले।

संघर्ष या प्रतियोगिता में कुछ लोग जनसमर्थन के लिए जनता को गुमराह तक कर देते हैं और ऐसी 'गुमराह' हुई जनता का 'येन केन प्रकारेण' विश्वास तक प्राप्त करके सत्ता–अभजिन बन जाते है।

अतः उपरोक्त विवेचन से अभिजन की धारणा का यह मूल विचार स्पष्ट होता है कि अभिजन की स्थिति को जनसंमर्थन के अधार पर किसी के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता हैं

## fof'k"V&oxZ dk fofHkUu fl)kUrksa dh leku y{k.k ¼fo'ks"krk,¡½
## (Common Characteristics (features) of Various Elite Theories)

विशिष्ट–वर्ग के सिद्धान्त के बारे में विद्वानों के विचारो के आधार पर इन निम्नलिखित समान विशेषताओं का पता चलता है।

1. सभी विद्वानों जिन्होंनें विशिष्ट–वर्ग के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, वे स्वीकार करते है कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग होते हैः विशिष्ट वर्ग (Elite) तथा साधारण जनता (Masses) विशिष्ट वर्ग शासन करता है तथा जनता शासित होती है।
2. विशिष्ट–वर्ग के सिद्धान्त के अनुसार लोकतंत्र वास्तव में अन्तिम रूप से अल्पतंत्र ही होता है।

3. विशिष्ट–वर्ग के सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि चुनाव विशिष्ट वर्ग को सामने लाने का एक साधन है।
4. प्रत्येक समाज में सत्ता अल्पसंख्यक वर्ग (थोडे से व्यक्तियों) के हाथों में होती है, जिन्हें विशिष्ट वर्ग कहा जाता है।
5. विशिष्ट–वर्ग के सिद्धान्त का मानना है कि शासकीय विशिष्ट–वर्ग का जनता के प्रति उत्तरदायी होना मिथ्या (Myth) है, क्योंकि दक्ष तथा योग्य व्यक्ति (विशिष्ट–वर्ग) अज्ञानियों के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकते।
6. शासकीय विशिष्ट–वर्ग के सदस्य प्रमुख पदों पर आसीन होते हैं और निर्णय लेने वाले तंत्र पर नियंत्रण रखते हैं।
7. विश्ष्टि–वर्ग के सिद्धान्त का यह विश्वास है कि विश्ष्टि वर्ग का शासन एक स्वाभाविक तथा न्यायपूर्ण स्थिति है जिसके बिना कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, चाहे वह लोकतांत्रिक ही क्यों न हों, सफल नहीं हो सकती।
8. विशिष्ट–वर्ग के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वालें लगभग सभी विद्वान मानते हैं कि विशिष्ट–वर्ग बदलते रहते हैं। इसे 'विशिष्ट–वर्ग का परिचलन' (Circulation of Elite) कहा जाता है।

## fof'"V&oxZ dk fl)kUr dh vkykspuk
## (Criticism of Elite Theory)

विशिष्ट वर्ग के सिद्धान्त की निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर आलोचना की जाती है:

1. असमानता को समाज का आधार मानना, विशिष्ट–वर्ग के सिद्धान्त की सबसे बड़ी त्रुटी है। सभी व्यक्तियों को समान न मानना गलत है क्योंकि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है।
2. विशिष्ट–वर्ग का सिद्धान्त समाज को केवल दो वर्गो–विशिष्ट–वर्ग तथा साधारण जनता में विभाजित करता है। जो कि गलत है क्योंकि समाज में अनेक दूसरे वर्ग भी होते हैं।
3. विशिष्ट वर्ग के सिद्धान्त द्वारा लोगों की सामाजिक, राजनीतिक तथा कानूनी समानता को अस्वीकार करना गलत है। इसके द्वारा जनता के प्रति शासकों के उत्तरदायित्व को स्वीकार न करना भी गलत है।
4. यह सिद्धान्त लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में मौजुद बुराइयों को दुर करने के लिए कोई सुझाव नही देता। यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि लोकतंत्र अल्पसंख्यकों का शासन है, परन्तु यह नही बतलाता की इसे जनता का शासन कैसे बनाया जा सकता है।
5. यह सिद्धान्त साधारण लोगों को शासकीय कार्यों में शामिल नही करता जो वास्तव में सरकार के कानूनों तथा नीतियों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

### fu"d"kZ ¼Conclusion½

यद्यपि विशिष्ट–वर्ग के सिद्धान्त में अनेक त्रुटियाँ है, परन्तु इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का वास्तविक प्रयोग व्यक्तियों के एक छोटे समुह (विशिष्ट–वर्ग) द्वारा ही किया जाता है।

## ykdra= dk fof'k"V&oxZoknh fl)kUr
## (Elitist Theory of Democracy)

उदारवादी लोकतंत्र के सर्मथकों के अनुसार, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है, जिसमें देश के शासन में सभी लोग भाग लेते है। ब्राईस (Bryce) ने लिखा है कि "लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है, जिसमें शासन सत्ता किसी विशेष वर्ग के हाथों नही, बल्कि सम्पूर्ण समाज के लोगों में निहित होती हैं" सीले (Seeley) के अनुसार "लोकतंत्र वह शासन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है।"

20वीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में इटली के प्रसिद्ध विद्वानों–पेरेटो (Pareto) तथा मोस्का (Mosca) ने लोकतंत्र की इस विचारधारा का कड़ा प्रहार किया और कहा कि प्रत्येक समाज में शासन की शक्ति कुछ विशिष्ट व्यक्तियों' या एक विशिष्ट वर्ग (Elite) के हाथों में केन्द्रित होती है। बाद में कई अन्य विद्वानों रॉबर्ट मिशल्स (Roert Michels), बर्नहाम (Burnham) तथा लासवैल (Lasswell) द्वारा भी इस विचारधारा का सर्मथन किया गया है।

परेटो (Pareto) ने विशिष्ट–वर्ग को दो श्रणियों में विभाजित किया है 'सामाजिक श्रेष्टजन' (Social Elite) तथा 'अधिशासी श्रेष्ठजन (Governing Elite)। मोस्का (Mosca) ने प्रत्येक समाज को दो भागों में बाँटा है–'शासक वर्ग' (Class that Rules) तथा 'शासित–वर्ग (Class that is Ruled)। एक जो शासन करते हैं तथा दूसरे जिन पर शासन किया जाता है।

प्रेस्थस (Presthus) के अनुसार, '' हम विशिष्ट–वर्ग को विशिष्ट नेताओं की ऐसी अल्पसंख्या मानते हैं जो समाजिक कार्यों में असमान शक्ति का उपभोग करती है।''

सी० राईट मिल्स (C. Wright Mills) के अनुसार, ''शक्ति विशिष्ट–वर्ग की शक्ति के माध्यम के रूप में हम व्याख्या कर सकते हैं–अर्थात इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो आदेश देने वाले स्थानों पर अधिकार किए होते है।''

लासबैल (Laswell) के अनुसार, ''किसी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति पर अधिकार रखने वाला वर्ग राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग होता हैं इन शक्ति रखने वालों में नेतृत्त्व तथा वे सभी समाजिक समूह शामिल होते है; जिनसे नेता आते है तथा जिनके प्रति एक निश्चित काल के अन्दर नेता उत्तदायी होते है।

## ykdr= d fof'k"V oxh; fl)kUr dh ie[k fo'k"krk,
## (Main Characteristics of Elitist Theory of Democracy)

लोकतंत्र के विशिष्ट–वर्गीय सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः

1. **विशिष्ट वर्ग में सभी वर्गो के विशिष्ट व्यक्ति तथा नेता होते हैं (Power Elite Consists of Leaders and Prominent Persons of all Classes)—**इसमें शासक, विशिष्ट किसी एक जाति या वर्ग से संबध नही रखता बल्कि इसमें सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबन्ध रखने वाले नेता या उत्कृष्ट प्रतिभा के व्यक्ति होते है; जैसे कि सैनिक या असैनिक उच्च अधिकारी, बड़े राजनीतिक नेता आदि।

2. **विशिष्ट वर्ग का सत्ता पर नियंत्रण (Control of Power Elite Over Authority)**–समाज में विशिष्ट वर्ग सत्ता पर अपना नियंत्रण रखता है तथा सभी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करता है। यह राजनीतिक सत्ता का वास्तविक प्रयोग करता है। जहाँ सत्ता का प्रयोग नही करता, वहाँ नीति–निर्माण को प्रभावित करता है।

3. **समाज में विशिष्ट वर्ग का नेतृत्त्व (Leadership of Elite in Society)**–प्रत्येक दल, संस्था या समाज में एक विशिष्ट वर्ग होता है जो समस्त गतिविधियों का संचालन करता है। समाज में एक शासक विशिष्ट वर्ग होता है, जो शासन शक्ति पर नियंत्रण रखता है।

4. **विशिष्ट वर्ग के पास निरकुश शक्ति का आभाव (No Absolute Power with Ruling Elite)**–बेशक शासक विशिष्ट–वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है और पूरे प्रयत्न से अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करता है, परन्तु लोकतंत्र में वह निरकुंश शक्ति का प्रयोग नही कर सकता। आरों (Aron) तथा मैन हाइम (Men-Heim) का कहना है कि विशिष्ट वर्गों की बहुलता, नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धान्त तथा समय–समय पर होने वाले चुनावों के कारण जन–साधारण अपने मताधिकार द्वारा नेताओं को जन–हित में निर्णय करने के लिए विवश कर देती है।

5. **चुनावों के समय विशिष्ट वर्गो में सत्ता के लिए खुली स्पर्दा होती है (Open Competition among elites in Election)**–साभ्यवादी समाज में तो एक ही विशिष्ट वर्ग अपना नियंत्रण रखता है परन्तु लोकतंत्र में चुनावों के विभिन्न विशिष्ट–वर्गों में स्पर्धा होती है और प्रत्येक विशिष्ट वग्र नई–नई नीतियां तथा क्रार्यक्रम प्रस्तुत करके मतदाताओं को आकृष्ट करने का प्रयत्न करता है। बहुलवादी सिद्धांत के समर्थकों का लोकतंत्र में यही विचार है कि चुनाव के द्धारा श्ससक विशिष्ट वर्गों की अदला बदली होती रहती है।

6. **विशिष्ट वर्ग अपने हितों की रक्षा करते हैं (Elite Takes Care of its Own Interests)**–सार्वजनिक कल्याण तथा जनहित के नाम पर भी विशिष्ट वर्ग अपने हितों की रक्षा में संलग्न रहते हैं। किसी नए व्यक्ति को इसके साथ ही विशिष्ट वर्ग में प्रवेश नहीं होने दिया जाता।

## çtkr= dk fof'k"V oxZ fl)kUr

प्रसिद्ध विद्वान पैरेटो, (Pareto) मोस्का (Mosca), मिचेल्स (Michels) आदि ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त दिया और इन्ही के सिद्धान्त के आधार पर शुम्पीटर, रार्बट डाहल और एरन आदि विचारकों ने प्रजातन्त्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त दिया। इस सिद्धान्त का सारांश यह है कि प्रजातन्त्र चाहे जनता का शासन है परन्तु उसमें वास्तव में शासन केवल एक विशिष्ट वर्ग ही करता है जनता केवल उनका नेतृत्व स्वीकार करती है। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. अल्तन्त्र का लोह नियम (Iron Law of Oligarchy) प्रसिद्ध विद्वान मिचलेस (Robert Michels) का कथन है कि प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणाली में अल्पतन्त्र ही शासन करता है। अल्पतन्त्र का लोहनियम ही प्रजातन्त्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त का मूल आधार है। प्रजातन्त्र में यद्यपि जनता की जनता के द्वारा सरकार है परन्तु वास्तव में कुछ विशिष्ट लोगों के हाथ मे ही सत्ता होती है।
2. लोगों की लोगों के द्वारा सरकार एक कल्पना है (Government of the people and by the people is a sheer fantasy): प्रजातन्त्र लोगों की लोगों के द्वारा सरकार होती परन्तु विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त में सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है। समाज में दो वर्ग बन जाते है एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग, अतः एक विशिष्ट वर्ग ही शासन करता है अतः लोगों की लोगों के द्वारा सरकार केवल कल्पना है।

**लोकतंत्र के विशिष्ट–वर्गवादी सिद्धान्त का मूल्यांकन (Evaluation of Elitist Theory Democracy)**–लोकतंत्र के विशिष्ट–वर्गवादी सिद्धान्त को आलोचको द्वारा लोकतंत्र का विरोधी कहा गया है। यह जनता का शासन न होकर कुछ व्यक्त्यिों का शासन है, जिसका उद्देश्य स्वहित हैं। जी० सारटारी (G. Sartori) के अनुसार, ''आत्मशाही जनता की कल्पना एक भ्रामक कथा या जनता में उत्तेजना पैदा करने की कोई चाल है।'' (The imagery of a self-governing demos is either a deceptive myth or a demagogic device.)

डहल (Dahl) का कहना है कि विशिष्ट–वर्गवादी सिद्धान्त के समर्थक यह बताने में असमर्थ रहे है कि विशिष्ट जनों के प्रभाव को कम कैसे किया जाए, जिनका समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है।

परन्तु लासवैल तथा कार्ल मेनहम जैसे विद्वान इस सिद्धान्त को अलोकतांत्रिक नहीं मानते। लासवैल के अनुसार यह राजनीतिक सत्य है कि देश की समस्त जनता शासन में भाग नही ले सकती। लासवैल (Laswell) के अनुसार, ''सरकार सदैव कुछ लोगो की होती है, परन्तु यह तथ्य लोकतंत्र की धारणा को निश्चित नहीं करता। नेताओं की संरचना को लोकतंत्र का मापदंड मान लेना एक मौलिक भूल हैं। समाज थोड से नेताओं के नेतृत्त्व में काम करता हुआ भी लोकतंत्रीय रह सकता है। मौलिक प्रश्न तो उत्तरदायित्त्व का है।''

कार्ल मेनहम (Karl Menheim) के अनुसार, ''लोकतंत्र में शासित–वर्ग सदा अपने नेताओं को अपदस्थ करने का कार्य कर सकता है अथवा उन्हें अधिक लोगों के हित में निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है।''

अतः उदारवादी सिद्धान्त और विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त, ये दोनों प्रजातंत्र सिद्धान्त हैं। किन्तु कुछ कारण ऐसे भी है। जिनके आधार पर विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त की कटु आलोचना की जाती है। जिनका विवरण निम्न है:

1. **मूल्यों और विचारधाराओं को कोई महत्त्व नहीं (No Specific Importance to Values and Ideologies)**–विशिष्ट वर्ग की धारणा, विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त का मूलाधार है। इस सिद्धान्त ने प्रजातंत्र के संस्थापक पक्ष (Institutional Aspects) पर अधिक बल दिया है, प्रजातंत्र आदर्शों अथवा मूल्यों पर तनिक भी ध्यान नही दिया, जबकि उदारवादी सिद्धान्त ने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्त्व, इत्यादि पर विशेष आस्था व्यक्त की हैं। इस प्रकार मानवीय मूल्यों एवं प्रजातंत्र आर्दशों को समुचित महत्त्व न देने के कारण यह स्पष्ट है कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त अपने आप में अपूर्ण है।

2. **व्यक्ति को महत्त्वहीन बनाता है (Makes Individual Insignificant)**–प्रजातंत्र का उदारवादी सिद्धान्त व्यक्ति को अत्यधिक महत्त्व देता है, उसके अनुसार, प्रजातंत्र में व्यक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह सक्रिय रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। किन्तु विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त की मान्यता ठीक इसके विपरित है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त ने व्यक्ति को शासन करने के लिए विशिष्ट वर्ग के केवल चुनाव कराने तक ही सीमित रखा है। अतः जो सिद्धान्त व्यक्ति को महत्त्वहीन बनाता है, वह प्रजातंत्र सिद्धान्त नहीं, बल्कि सत्तावादी सिद्धान्त कहा जाएगा।

3. **सार्वजनिक भागेदारी का विरोध अप्रजातंत्रीय है (Opposition to Populate Participation is Undemocratic)**–विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त नीति–निर्माण के कार्यों में सार्वजनिक भागेदारी का विरोधी है। इस सिद्धान्त को मानने वालों का मत है कि नीति निर्माण या निर्णय–निर्माण विधि में सार्वजनिक भागेदारी से प्रजातंत्रीय संरचना विनष्ट हो जाएगी। वस्तुत यह विचार भ्रामक है, अप्रजातंत्र है। इस संबन्ध में उदारवादियों का मत अधिक समीचीन है।

4. **नेताओं का अत्याधिक महत्त्व (Too Much Importance to Leaders)**–विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त की मान्यता है कि विशिष्ट वर्ग द्वारा ही प्रजातंत्र संभव हो सकता है। अतः यह सिद्धान्त विशिष्ट वर्ग एवं नेताओं को अत्याधिक महत्त्व देता है, जनसाधारण को नहीं विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्तानुसार, ''प्रजातंत्र प्रणाली सामान्य जनसंख्या पर नहीं, अपितु राजनीति नेतागणों की बुद्धि, निष्ठा और दक्षता (कुशलता) पर निर्भर करती है।''

5. **विषमता का विचार अनुचित (The View of Inequality Improper)**–विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त राजनीतिक समता की धारणा को केवल चुनावों के स्तर तक स्वीकारता हैं। यह सिद्धान्त जन साधारण को मतदान के अधिकार के साथ–साथ सभी राजनैतिक अधिकार समान रूप से प्राप्त करने के पक्ष में हैं किन्तु दुसरी और विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त शासकों (Rules) और शासितों (Ruled) में गुणात्मक अंतर मानता हैं। गुणात्मक अंतर को मानना अप्रजातंत्रीय है।

6. **केवल मत देना ही भागीदारी नही (Mere Voting is not Participation)**–विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त के सर्मथकों का मत है कि लोगों को समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त है और यह अधिकार उनकी राजनीतिक भागीदारी को सिद्ध करता है। किन्तु यह समुचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि केवल मत देने से राजनीतिक सहभागिता पूर्ण नहीं होती।

**निष्कर्ष (Conclusion)**–यद्यपि विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त में कुछ अव्यावहारिक, तर्कहीन तथा अप्रजातंत्रीय तथ्य हैं, किन्तु फिर भी प्रजातंत्र में विशिष्ट वर्ग का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए जन साणारण में जागरूकता पैदा की जाए, जिससे विशिष्ट वर्ग को शक्ति का दुरूपयोग करने से रोका जा सके। आवश्यकता इस बात कि है कि राजनीतिक श्रेष्ठ वर्ग (विशिष्ट वर्ग) राजनीतिक शक्ति का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करें।

## vH;kl&iz'u
## (Exercise-Questions)

### fucU/kkRed iz'u (Essay Type Questions)

1. विशिष्ट (अभिजन) वर्ग की परिभाषा दीजिए। इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
   Define elite. discuss its, main characteristics.

2. राजनीतिक विशिष्ट वर्ग से आप क्या समझतें हैं? इसके विभिन्न रूप (प्रकार) कौन से हैं?
   What do you understand by political elite? Discuss its, various Kinds.

3. विशिष्ट वर्ग के विभिन्न सिद्धान्तों की संक्षेप में विवेचना कीजिए।

Explain in brief the various theories of elite.

4. विशिष्ट वर्ग के संबन्ध में परेटों तथा मोस्का के विचारों का वर्णन कीजिए।
Explain the theory of Pareto and Mosca.

5. विशिष्ट वर्ग के सी० राईट मिल्ज के संस्थात्मक सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए।
Critically examine C. Wright Mill's Institutional theory of elite.

6. लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गवादी सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्यवस्था कीजिए।
Critically examine Elitist Theory of Democracy.

# v/;k; 6

# ukSdj'kkgh

# (Bureaucracy)

- नौकरशाही का अर्थ
- नौकरशाही की विशेषताएँ
- नौकरशाही के कार्य
- नौकरशाही का महत्त्व
- नौकरशाही के गुण व दोष
- नौकरशाही की भर्ती
- लोक सेवा आयोग
- वचनबद्ध नौकरशाही
- राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका

*आधुनिक राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य में नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त करायी जाती है जिससे वे जीवन में सर्वांगीण विकास कर सकें। इस कल्याणकारी राज्य में सरकार का कार्यक्षेत्र काफी बढ़ गया है जिसके कारण सरकार का कार्य सुचारूपूर्वक चला पाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता एवं उन्नति चरित्रवान, प्रशासकीय योगयता व व्यवहारिक ज्ञान संपन्न प्रशासनिक अधिकारी अर्थात नौकरशाही पर निर्भर करती है। नौकरशाही का महत्व प्रजातंत्र में, विशेषकर संसदीय सरकार में और भी बढ़ जाता है जहाँ जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रिमंडल द्वारा प्रशासन चलया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका का अर्थ मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल से है जो नीति निर्धारण में मुख्य भुमिका निभाती है। स्थायी कार्यपालिका का अर्थ नौकरशाही यानि प्रशासकीय कर्मचारी से हैं जिनकी नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार की जाती है, जिनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। निश्चित कार्यकाल के बाद प्रशासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्ति होने तक वे अपने पदों पर आसीन रहते हैं। वास्तविकता में इन लोगों के पास ज्ञान एवं अनुभव का भंडार होता है। प्रशासकीय कर्मचारी इन ज्ञान एवं अनुभवों का उपयोग नीति निर्माण में मंत्रियों को परामर्श देने में करते हैं तथा उनकी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। वास्तविक प्रशासन इन्हीं नौकरशाही के द्वारा चलाया जाता है। लोकतंत्रीय शासन–प्रणाली में शासन में स्थिरता को बनाए रखने के लिए नौकरशाही यानि स्थायी कर्मचारी का होना अति आवश्यक है। अतः आधुनिक राज्यों में कल्याणकारी गतिविधियों के विस्तार के साथ ही राज्य की नीतियों के निष्पादन हेतु एक वृहत प्रशासनिक तंत्र यानि नौकरशाही एक अनिवार्य आवश्यकता है तथा इस तंत्र में उपयुक्त व्यक्तियों का प्रवेश, प्रविष्ट व्यक्तियों का सम्यक् प्रशिक्षण व अनुप्रेरण, उनकी समस्या का समुचित व समयबद्ध समाधान तथा उनपर उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण एक गंभीर चुनौती है। किसी भी देश का शासन इन्हीं प्रशासकीय कर्मचारी की दक्षता, सच्चरित्रता तथा योग्यता पर निर्भर करता है।*

## नौकरशाही का अर्थ
## (Meaning of Bureaucracy)

प्रशासन में ''नौकरशाही'' शब्द जितना सुपरिचित तथा सामान्य प्रयोग में आने वाला शब्द है उतना ही यह बदनाम तथा अप्रिय भी है। कई बार इसका प्रयोग फिजूलखर्ची, लालफीताशाही तथा तानाशाही आदि के रूप में किया जाता

है। परंतु इसके बावजूद आधुनिक युग में नौकरशाही का महत्त्व इतना बढ़ गया है कि इसके बिना राज्य के कार्यों को संपन्न नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका नीतियों का निर्माण करती है तथा विधानमंडल इसे कानून के रूप में वैधता प्रदान करती है। एवं जिस वर्ग के द्वारा इन कानूनों को लागू किया जाता है, उस वर्ग को सामूहिक रूप से नौकरशाही कहा जाता है। नौकरशाही को असैनिक अधिकारी अथवा प्रशासनिक अधिकारी भी कहा जाता है। आधुनिक युग में प्रशासनिक अधिकारियों के बिना राजनीतिक कार्यपालिका अथवा सरकार अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकती।

सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के मध्य में दि गार्ने (de Gournay) नामक एक फ्रांसीसी विचारक ने 'नौकरशाही'' शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग शिकायत के रूप में किया।

'नौकरशाही' का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'ब्यूरोक्रैसी' (Bureaucracy) फ्रांसीसी भाषा के 'ब्यूरो' शब्द से लिया गया है। इस अर्थ एक विभागीय उपसम्भाग अथवा विभाग से है। यह प्रायः सरकारी विभाग का परिचायक है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग ड्राअर वाली मेज अथवा लिखने की डैस्क के लिए हुआ करता था तथा क्रैसी (Cracy) का अर्थ शासन होता है। इसलिए नौकरशाही को डेस्क सरकार भी कहा जाता है। नौकरशाही पदसोपानिक व्यवस्था के अन्तर्गत लोकसेवकों से गुंथा हुआ है। इनकी नियुक्ति भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती तथा इसके पश्चात् इन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी नौकरी स्थायी प्रकृति की होती है तथा इन्हें पद के अनुसार वेतन तथा अन्य भत्ते दिये जाते हैं। एक निश्चित सेवाकाल के बाद सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें पेंशन दी जाती है। इन्हें प्रशासनिक समस्याओं की पूरी जानकारी होती है, इसलिए सरकार का सारा कार्य इन अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

प्रशासनिक सेवाओं अथवा नौकरशाही के संबंध में भिन्न–भिन्न विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं जो निम्नलिखित है–

1. फाइनर (Finer) के शब्दों में, ''प्रशासनिक सेवा ऐसे अधिकारियों का समुच्चय है जो स्थायी, वेतनिक तथा प्रशिक्षित होता है।''
2. मैक्स वेबर (Max Weber) के शब्दों में, ''नौकरशाही प्रशासन की उस व्यवस्था का नाम है जिसकी विशेषता है – विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव।''
3. डीमॉक (Demock) के अनुसार, ''नौकरशाही का अर्थ है विशेषीकृत पदसोपान एवं संचार की लम्बी रेखाएँ।''
4. पिफनर (Piffner) के अनुसार, ''नौकरशाही व्यक्तियों और कार्यों का ऐसा व्यवस्थित संगठन है जो सामूहिक प्रयास के द्वारा निश्चित लक्ष्य की सहज प्रति कर सकती है।''
5. रॉबर्ट सी० स्टोन (Robert C. Stone) के अनुसार, ''इस शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा शासन है।''
6. विलोबी (Willoughby) का कथन है, ''नौकरशाही शब्द का संकीर्ण रूप में अर्थ यह लोक सेवाओं का एक ऐसा संगठन है जो पद सोपान के अन्तर्गत संगठित है, परंतु जो प्रभावशाली लोक–नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर है।''
7. हैराल्ड जे० लॉस्की (Harold J. Laski) के अनुसार, ''नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था है जिसका नियंत्रण पूर्णतः अधिकारियों के हाथों में इस प्रकार से है कि उनकी शक्ति सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रताओं को समाप्त कर देती है।''
8. आर० के० मर्टन (R.K. Merton) के अनुसार, ''नौकरशाही कुछ कार्यों के करने के लिए बनायी गयी माध्यमिक समूह संरचना है जो कि प्राथमिक समूह कसौटी के आधार पर संतोषजनक ढ़ंग से नहीं किये जा सकते है।''
9. कार्ल जे० फ्रेडरिक (Karl J. Friedrick) के अनुसार, ''नौकरशाही उन लोगों के पद सौंपने, कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन हैं जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।''
10. एप्पल बाई (Apple By) ''यह तकनीकी पक्ष से शिक्षित उन व्यक्तियों की एक व्यवसायिक श्रेणी है जो सोपानिक रूप में संगठित है तथा निरपेक्ष रूप में राज्य की सेवा करते हैं।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग उन सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों के बड़े वर्ग के लिये होता है जो स्थायी रूप से सरकार के प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारियां संभालते हैं। इस नौकरशाही व्यवस्था में उपर से नीचे तक सभी कर्मचारी अलग–अलग विभागों में एक–दूसरे से जुड़े रहते हैं और नीचे का अधिकारी अपने से ऊँचे अधिकारी के प्रति वफादार और जिम्मेदार बना रहता है। इसे लोक प्रशासन के विद्वानों ने पदसोपान व्यवस्था (Hierachical System) नौकरशाही का वास्तविक संबंध सरकार के उन कर्मचारियों से है जो अन्दरूनी शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में सहायक है। इन कर्मचारियों के स्थायी होने की वजह से मन्त्रिमंडल के बदलाव का इनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे राजनीतिक दलबन्दी से उपर उठकर निष्पक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी तथा कर्त्तव्यपालन के साथ पूरा करते हैं।

नौकरशाही से संबंधित इन सरकारी कर्मचारियों के स्वरूप का एक और पहलू है जो जनता के प्रति इनके दृष्टिकोण तथा काम करने के तरीकों से संबंधित है। आजादी मिलने से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में सरकारी कर्मचारियों का प्रमुख कर्त्तव्य विदेशी शासन के प्रति पूरी वफादारी और उसके निर्देशों का पालन करना था। जनता की भलाई से इनका कोई सरोकार नहीं था। परंतु आजादी के बाद सैद्धान्तिक तौर पर इन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका अफसरशाही के स्थान पर जनता के सेवक के रूप में बदल गई, फिर भी व्यावहारिक तौर पर उसमें विशेष अन्तर नहीं आया। इसलिए आज भी अफसरशाही का ही बोल–बाला है और इसके लिए नौकरशाही का संगठनात्मक ढांचा भी काफी हद तक जिम्मेदार है जिसमें मानवीय संबंधों के स्थान पर नियमों की कट्टरता का बोल–बाला है। इसी तरह नौकरशाही की कार्यपद्धति इतनी जटिल है कि सरकार के कार्य में देरी लगना स्वभाविक है।

## ukdj'kkgh dh fo'k"krk,¡
## (Characteristics of Bureaucracy)

नीति निर्माण का कार्य राजनीतिक कार्यपालिका यानि विभागीय अध्यक्ष यानि विभागीय मंत्री द्वारा किया जाता है जो विभागीय अध्यक्ष यानि विभागीय मंत्री द्वारा किया जाता है। जो विभागीय कार्यकलापों में दक्ष नहीं होते हैं। जबकि नौकरशाही जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है।

नौकरशाही की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है–

1. **कानून व नियम में अटूट विश्वासः** नौकरशाही का कानूनों और नियमों में अटूट विश्वास होता है, उसको प्रारंभ से ही इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो कार्य किया जाये कानून एवं नियम के अनुसार किया जाय। लोकतंत्र में कानून को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। नौकरशाही के सदस्य अपनी स्वयं या मर्जी के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब कानून का पालन किसी के हित में नहीं होता है, परंतु नौकरशाही कानून की अवज्ञा नहीं कर सकती।
2. **योग्यता के आधार पर नियुक्ति (Appointment on the basis of Merit):** प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति प्रत्येक पद पर उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही की जाती है। लिखित तथा मौखिक परीक्षा के बाद ही उन्हें पदों पर नियुक्त किया जाता है।
3. **प्रशासन में विशेष योग्यता (Expert in Administration):** नौकरशाही के अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है तथा बाद में उन्हें प्रशासन में प्रशिक्षण दिया जाता है। नौकरशाही के सदस्य शासन संचालन में निपुण होते हैं और नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं।
4. **पदसोपान का सिद्धांत (Hierarchical Principle):** मार्क्स के अनुसार पदसोपान परंपरा नौकरशाही की विशेषता है। प्रत्येक अधिकारी अपने से ऊपर किसी अधिकारी के अधीन होता है। आदेश उच्चतर अधिकारियों द्वारा आते हैं तथा निम्न अधिकारियों को इनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता हे। निम्न अधिकारियों को इनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। निम्न अधिकारी अपने कार्यों के लिये अपने से ठीक उपर के

अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे भारत में प्रशासन व्यवस्था के पदसोपान में सर्वप्रथम मुख्य सचिव, अवर सचिव, अतिरिक्त सचिव, उपसचिव, जिलाधीश, डिप्टी कलक्टर व तहसीलदार आदि होते हैं।

5. **स्पष्ट श्रम विभाजन (Clearcut Decision of Labour):** नौकरशाही में संगठन के सभी कर्मचारियों के बीच कार्य का सुनिश्चित तरीके से स्पष्ट वितरण किया जाता है तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपना कार्य प्रभावशाली रूप से संपन्न करने के लिये उत्तरदायी बनाया जाता है।

6. **निश्चित वेतन, भत्ते एवं पेन्शन व्यवस्था (Fixed Salary, Allowance and Pension System):** नौकरशाही के सदस्यों को निश्चित वेतन तथा भत्ता प्रदान किया जाता है। पदोन्नति के साथ वेतन भी बढ़ता जाता है। रिटायर होने पर पेन्शन भी दिया जाता है।

7. **अनुशासन भावना (Sense of Discipline):** प्रशासनिक अधिकारियों में अनुशासन की भरपूर भावना देखने को मिलती है। उनकी इस अनुशासन भावना से कई बार निरंकुशता को भी बल मिलता है। अधिकारी वर्ग यंत्रवत कार्य करते हैं। सरकारी कर्मचारियों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने कार्य को नियमों के आधार पर उचित ठहरा सकें। अतः नौकरशाही नियमों का कट्टरता से पालन करते हैं।

8. **राजनीतिक तटस्था (Political Neutrality):** नौकरशाही पर आधारित प्रशासनिक ढांचे में कर्मचारी के व्यक्तिगत या राजनीतिक विचारों का कोई स्थान नहीं मिलता। कर्मचारीगण न तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं और न ही उनका उनसे कोई संबंध होता है। सरकार चाहे किसी भी दल की हो उनको जिम्मेदारी अपनी पूरी योग्यता और दक्षता के साथ प्रशासनिक सेवा करना है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि देश की राजनीतिक या समाज–संरचना के बारे में उनके स्वतंत्र विचार नहीं हैं। उनकी स्वतंत्र विचारधारा हो सकती है पर वे अपने विचारों को नहीं, बल्कि तात्कालीन सरकार की नीतियों को लागू करते हैं।

9. **पदोन्नति के लिए अवसरों की व्यवस्था (Provision of opportunities for promotion):** प्रशासनिक अधिकारी को पदसोपनिक व्यवस्था के अन्तर्गत उन्नति यानि पदोन्नति के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं। पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा भी होते हैं। इन परीक्षाओं तथा पदोन्नति के कारण प्रशासनिक अधिकारियों में अधिक से अधिक कार्य करने की इच्छा बनी रहती है।

10. **व्यवसायिक (Professional):** लोक सेवा के सदस्य पेशेवर कहे जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों का मुख्य कार्य सरकारी सेवा करना है। जिसके लिये सामान्य दक्षता की आवश्यकता पड़ती है, यद्यपि व्यवसायिक एवं प्राविधिक सरकारी सेवाओं के हंतु विशिष्ट तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है।

इन सैद्धान्तिक विशेषताओं के अतिरिक्त नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताएँ भी व्यवहारिक अध्ययन में प्रकट होती है।

1. **भ्रष्टाचार (Corruption):** हमारे देश में अधिकांश शासकीय कार्य लोक सेवा के कर्मचारियों के द्वारा ही किये जाते हैं। गांव की अशिक्षित जनता अपने छोटे–छोटे कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा छोटे–छोटे कार्यों के लिये उन्हें इन अधिकारियों की मुट्ठी गरम करनी पड़ती हैं

2. **राजनीति में संलग्नता (Involvement in Politics):** यद्यपि यह निश्चित किया गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। परंतु सर्वोच्च स्तर पर बड़े–बड़े अफसर उपर से तटस्थ दिखलायी देते हैं, किन्तु उनका राजनीति से कहीं–न–कहीं संबंध भी रहता हैं वे अपने विचारों को छिपाकर सरकारी निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं।

3. **लाल फीताशाही (Red Tapism):** प्रशाशनीक सेवाओं में लालफीताशाही अथवा अनाश्यक औपचारिकता पायी जाती है। अधिकारीगण प्रक्रिया की औपचारिकता में विश्वास करते हुए नियमों और विनियमों का पालन कठोरता के साथ करते हैं। इसके परिणामस्वरूप कार्य की संपन्नता में विलम्ब होता है और महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्र नहीं लिये जा सकते। औपचारिकता का अत्याधिक पालन करते–करते कर्मचारी मशीन की तरह बन गये हैं। अधिकारिगण उत्तरदायित्व वहन करना पसन्द नहीं करते, हर बात का उत्तरदायित्व दूसरों पर टालते रहते हैं।

4. **कार्य की गोपनीयता (Secracy of Functions):** नौकरशाही के प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह अपने पद से संबंधित कार्यों की गोपनीयता बनाए रखे। ऐसा करने से प्रशासन प्रभावशाली व कुशल बनता है।

उपरोक्त विशेषताओं का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नौकरशाही निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है। नौकरशाही प्रत्येक देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार कार्य करती है।

## *ukdj'kkgh d çdkj*

## (Types of Bureaucracy)

नौकरशाही के निम्नलिखित प्रकार है।

1. **अभिभावक नौकरशाही (Guardian Bureaucracy):** अभिभावक नौकरशाही से अभिप्राय है कि जब नौकरशाह जनता के साथ अभिभावकों के समान व्यवहार करते हैं। वे जो भी कार्य करते उनमें जनहित की भावना निहित होती है। प्लेटो के दार्शनिक राजा (King Philosophers) अभिभावक नौकरशाही के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

2. **जातीय नौकरशाही (Caste Bureaucracy):** जातीय नौकरशाही से भावार्थ है, जब लोकसेवक योग्यता के आधार की अपेक्षा एक वर्ग विशेष से चुने जाते हैं। नियुक्ति का आधार विशेष जाति होती है। जैसे प्राचीन भारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही राज्य प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन होते थे।

3. **संरक्षक नौकरशाही (Partronage Bureaucracy):** संरक्षक नौकरशाही से अभिप्राय है लोकसेवकों की नियुक्ति योग्यता की अपेक्षा शासक द्वारा पुरस्कार का प्रतिफल होती है। शासक अपने सहयोगियों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करते हैं। इग्लैंड में 17वीं शताब्दी के मध्य तक प्रचलित रहीं। अमेरीका में लूट प्रथा संरक्षक नौकरशाही के उदाहरण हैं।

4. **गुणों पर आधारित नौकरशाही (Merit Based Bureaucracy):** इस प्रकार की नौकरशाही में नौकरशाहों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। एक निष्पक्ष और खुली प्रतियोगिता के आधार पर इनका चुनाव होता है। जाती, रंग धर्म और वंश आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता केवल योग्यता के आधार पर चुनाव होता है। भारत के I.A.S. Officers इस प्रकार की नौकरशाही में आते हैं। ये लोकसेवक किसी विशेष दल के साथ वचनबद्ध नही होते अपितु नियमों के अनुसार काम करते हैं।

## eDl oscj dk ukdj'kkgh fl)kr
## (Max Weber's Theory of Bureaucracy)

मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री था। मैक्स वेबर और नौकरशाही, दोनों ही एक दूसरे के परिचायक बन गये। उन्होंने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना है। उनके अनुसार संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन नौकरशाही है। 1920 में प्रकाशित अपनी कृति 'सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत' में उसने नौकरशाही के 'आदर्श प्रकार' (Ideal Type) का वर्णन किया हैं इस आदर्श रूप का वर्णन करने से पहले नौकरशाही के विकास को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का योग मानते हैं जो निम्नलिखित हैं–

(1) नौकरशाही का पूर्ण विकास आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

(2) मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था ने नौकरशाही के विकास में विशेष सहायता प्रदान की।

(3) मुद्रा के प्रचलन से पूर्व वस्तु–विनिमय (Barter) के दौरान अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले वस्तुएं ही दी जाती थी। जैसे की मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ, अधिकारियों को मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाने लगा और वे वेतनभोगी बन गये।

(4) बड़े उद्योगों की स्थापना और प्रजातंत्रीय व्यवस्था के विकास ने नौकरशाही के विकास में विशेष योग दिया।

(5) आधुनिक राज्यों के कार्यों का जैसे–जैसे विस्तार होता गया वैसे–वैसे प्रशासन के क्रिया–कलापों में जटिलता बढ़ती गयी। जटिल समाज की समस्याओं और कार्यों को पूरा करने के लिये धीरे–धीरे नौकरशाही का विकास होता गया।

'नौकरशाही' शब्द सरकार, उद्योग तथा सेना जैसे आधुनिक बड़े–बड़े संगठनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये प्रयुक्त होता है। संस्थाओं के उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं परन्तु उनके 'नौकरशाही तंत्र' की विशेषताएं एक–सी होती है। वेबर ने नौकरशाही के ''आदर्श रूप' (Ideal Type) की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है।

(1) **स्पष्ट श्रम विभाजन (Clearcut Division of Labour):** नौकरशाही में संगठन के सभी कर्मचारियों के बीच कार्य का सुनिश्चित तरीके से स्पष्ट विवरण किया जाता है तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपना कार्य प्रभावशाली रूप से संपन्न करने के लिये उत्तरदायी बनाया जाता हैं।

(2) **निश्चित कार्य प्रक्रिया (Set Working Procedures):** नौकरशाही संगठन में कार्य करने की निश्चित प्रक्रिया होती है। समस्त कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न करने होते हैं। काम करने के लिए नियम एवं प्रक्रियाएँ कुल मिलाकर स्थिर और व्यापक होती है।

(3) **निश्चित कार्य क्षेत्र (Clearly defined Functions):** नौकरशाही में नियमों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य, अधिकार एवं सत्ता का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी के कर्त्तव्य पूर्व निर्धारित एवं परिभाषित होते हैं। कोई भी पदाधिकारी अपनी निर्धारित कार्य क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकता।

(4) **पदसोपानिक पद्धति (Hierarchical Structure):** नौकरशाही प्रणाली पदसोपान पद्धति पर आधारित होती है। इसमें कर्मचारियों के बीच उच्च–अधीनस्थ संबंध पाया जाता है। आदेश के सूत्र उपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। संगठन का प्रशासकीय ढांचा एक 'पिरामिड' के समान होता है। जिसमें उच्चतम और निम्नतम अधिकारियों के बीच कई सोपानें रहती है। हर काम 'उचित मार्ग से' (Through Proper Channel) होता है।

(5) **पद के लिये अर्दताएं अथवा योग्यताएं (Selection on the basis of Qualifications):** नौकरशाही में सरकारी सेवा में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जो सामान्य रूप से सेवा करने की निर्धारित योग्यताएं रखते हैं। ताकि सरकारी कार्यों का संचालन क्षमतापूर्ण ढंग से कर सकें। नौकरशाही शासन के पदाधिकारियों की न केवल भर्ती बल्कि पदोन्नति भी योग्यता के आधार पर की जाती है।

(6) **एकाधिकार का अभाव (Absence of Monopoly):** नौकरशाही में किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता क्योंकि आवश्यकतानुसार एवं समय–समय पर अधिकारियों के स्थानतरण भी किये जाते हैं।

(7) **वेतन एवं पेन्शन अधिकार (Monthly Salary and Pension Rights):** नौकरशाही संगठन में कर्मचारियों का वेतन उनके पदसोपान में उसका स्तर, पद के दायित्व, सामाजिक स्थिति, आदि का ध्यान रखकर तय किया जाता है।

(8) **अत्यौक्तिक संबंध (Impersonal Relations):** नौकरशाही की एक अन्य विशेषता यह है कि कर्मचारियों के बीच संबंध अव्यक्तिगत होते है। नौकरशाही ढांचे में दफ्तर की स्थिति व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभूतियों से मुक्त होती है। निर्णय औचित्य के आधार पर लिये जाते हैं, न कि व्यक्तिगत आधार पर।

(9) **तकनीकी विशेषता (Technical Specialization):** नौकरशाही में कर्मचारी विशेष तकनीकी क्षमता से युक्त होते हैं क्योंकि किसी भी संगठन में उसके उद्देश्यों एवं कार्यों के अनुसार ही उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

(10) **अहं भाव (The Spirit of Pride):** नौकरशाही संगठन में पदाधिकारियों में अहं भाव उत्पन्न हो जाता है। अपने प्रशासनिक स्थिति के कारण वे अपने आप को सामान्य जनता से ऊँचा मानने लगते हैं और जनता के सेवक बनने की बजाए वे उसके स्वामी बन जाते हैं।

(11) **लाल फीताशाही (Red Tapism):** नौकरशाही का एक लक्षण यह भी है कि इसमें अनावश्यक औपचारिकता पायी जाती है। इसमें प्रशासकीय अधिकारी प्रत्येक कार्य में कठोरता के साथ नियमों की पालन करते हैं और प्रत्येक कार्यवाही 'उचित मार्ग' से की जाती है। जिसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने में विलम्ब होता है।

(12) **आधिकारिक रिकार्ड (Official Records):** नौकरशाही वाले संगठन में अधिकारिक रिकार्डों को उचित ढंग से रखा जाता है। संगठन के निर्णयों और गतिविधियों को औपचारिक रूप से रिकार्ड कर लिया जाता है और भावी सन्दर्भ के लिये सुरक्षित रखा जाता है।

## eDl ocj d fl)kr dh vkykpuk
## (Criticism of the ideas of Max Weber)

नौकरशाही के अध्ययन तथा विवेचन में मैक्स वेबर का योगदान एक पथ–प्रदर्शक का रहा है। उसके द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण की प्रतिक्रियास्वरूप समाजशास्त्रियों तथा लोक प्रशासन के विज्ञानों द्वारा भारी आलोचनाएं प्रस्तुत की गयी है। मैक्स वेबर की मान्यताओं के विरूद्ध प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित है।

(1) वेबर द्वारा प्रयुक्त 'आदर्श रूप' (Ideal Type) शब्द ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नौकरशाही में कुछ भी आदर्श नहीं है।

(2) वेबर ने नौकरशाही के पूर्णतः औपचारिक रूप का अध्ययन किया है तथा सामाजिक घटनाओं या अनौपचारिक संबंधों को केवल प्रसंगवश मानकर छोड़ दिया है। जबकि अनौपचारिक कार्य एवं संबंध औपचारिक संगठन के सुचारू कार्य संचालन के लिए अति आवश्यक है।

(3) आलोचकों के अनुसार अगर वेबर के 'आदर्श रूप' की समस्त विशेषताएँ भी किसी संगठन में एक साथ अपना ली जायें तो भी वे अधिकतम कार्यकुशलता पैदा नहीं कर पाती क्योंकि यथार्थ में संगठन की कुशलता का निर्धारण कुछ संगठनात्मक स्थितियों द्वारा होता है। जैसे संगठन के लक्ष्य तथा संगठन का सामाजिक वातावरण इत्यादि।

(4) वेबर ने नौकरशाही को पूर्णतः औपचारिक रूप से अध्ययन किया है। इसमें केवल प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया है, कार्यों पर नहीं। इससे लालफीताशाही जैसी बुराइयाँ सामने आती है।

संक्षेप में, वेबर द्वारा 'नौकरशाही के आदर्शरूप' की अवधारणा अनेक आलोचकों के तीखे प्रहारों का शिकार बनी है। इतने पर भी नौकरशाही के अध्ययन में वेबर का अद्वितीय स्थान है। यद्यपि वेबर का नौकरशाही सिद्धांत आधुनिक नौकरशाही के लिये आधारभूत ढाँचा है परन्तु परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में यह भी आवश्यक है कि इसमें संशोधन कर लिया जाये क्योंकि नौकरशाही का लाभ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में पाये जाते हैं।

# नौकरशाही के कार्य
# (Function of Bureaucracy)

इस लोककल्याणकारी राज्य में शासन नौकरशाही के सहयोग के बिना संभव नहीं चलाया जा सकता है। लोकतांत्रिक राज्य में राज्य के कार्य इतने बढ़ गये हैं कि सभी कार्य कार्यपालिका के द्वारा नहीं किये जा सकते क्योंकि मंत्री शासन संचालन विशेषज्ञ नहीं होते तथा साथ में उनके पास समयाभाव भी होता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका यहां पर महत्त्वपूर्ण हो जाती है। अतः इस लोककल्याणाकारी राज्य में नौकरशाही द्वारा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य संपन्न किये जाते हैं।

(1) **मंत्रियों की नीति–निर्माण में सहायता करना (To render assistance to Ministers for policy making):** प्रजातंत्र में प्रशासन मंत्रियों द्वारा चलाया जाता हैं इसके लिये समय–समय पर नीति–निर्माण किया जाता है। मंत्रियों को संबंधित विभाग की पुरी जानकारी नहीं होती है। मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी अपने लम्बे प्रशासनिक अनुभव एवं स्थायी पदों के

कारण संबंधित मामलों में विशेषज्ञ होते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये सहयोग करें तथा मंत्रियों की सहायता करें।

(2) **नीतियों को क्रियान्वित करना (Executive of Policies):** देश का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिये मंत्रीमंडल नौकरशाही की सहायता से नीति निर्माण करती है। मंत्रियों द्वारा जो नीतियों या कार्यक्रम जनता के लिये बनायी जाती है उनका क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारी के हाथों में होती है।

(3) **प्रशासनिक कार्य (Administrative Functions):** देश के प्रशासन को चलाने का वास्तविक उत्तरदायित्व प्रशासकीय अधिकारी यानि नौकरशाही पर होती है। सरकार की नीतियों को लागू करने तथा उसके अनुसार प्रशासन चलाना नौकरशाही का ही कार्य होता है। नीति निर्माण के समय मंत्रियों को कई प्रकार के आँकड़े तथा सूचना (Facts and Figures) की आवश्यकता होती है जो उन्हें स्थायी कर्मचारियों यानि नौकरशाही के माध्यम से प्राप्त होती है। जिनसे मंत्री को विधानमण्डल तथा जनता द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता मिलती है। ये प्रशासनिक अधिकारी योग्य और अनुभवी होते हैं इस कारण प्रशासन चलाने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। वास्तविकता में शासन की सफलता तथा असफलता का सारा दारोमदार प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर करती है।

(4) **विभागों में समन्वय स्थापित करना (To establish co-ordination in different departments):** प्रशासन की सफलता के लिये भिन्न–भिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना बहुत अनिवार्य होता है, जिससे सरकार के सभी अंग मिलकर कार्य कर सकें। लोक सेवक विभिन्न विभागों में प्रशासन को कुशल बनाने के लिये समन्वय स्थापित करते हैं।

(5) **कानून–निर्माण में सहायता (Help in law-making):** तकनीकी तौर पर कानून बनाना विधायिका का काम है। परंतु समायाभाव के कारण वास्तव में संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा पेश किये गये विधेयकों पर ही विधायिका विचार करती है और पारित करती है। मंत्रियों द्वारा पेश किये जाने वाले विधेयकों की रूपरेखा वास्तव में स्थायी कर्मचारी यानि नौकरशाही के द्वारा बनायी जाती है। मंत्रीमंडल अपने विषय के विशेषज्ञ न होने के कारण विधेयक का प्रारूप तैयार नहीं कर सकते और इसके लिये वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की सहायता लेनी पड़ती है। संसद के पास समय का अभाव होता है, इसलिए संसद के द्वारा कानून का ढाँचा मात्र ही पास किया जाता है। बाकी जरूरत पड़ने पर यानि नीति के क्रियान्वयन के समय नियम व उपनियमों का निर्माण नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। अतः कानून निर्माण में नौकरशाही अहम् भूमिका निभाते हैं।

(6) **वित्तीय कार्य (Financial Functions):** बजट के संबंध में नीति मंत्रिमंडल द्वारा तय की जाती है और उस नीति के अनुसार ही बजट तैयार किया जाता है, परन्तु बजट की रूप–रेखा तैयार करना तथा सरकार की आर्थिक नीति का विवरण पेश करना नौकरशाही का कार्य है। अन्य वित्तीय कार्य जैसे करों को एकत्रित करना, बजट के अनुसार खर्च करना तथा लेखा परीक्षा आदि करना स्थायी प्रशासकों का काम है।

(7) **न्यायिक कार्य (Judicial Functions):** यद्यपि न्यायिक कार्य करना न्यायपालिका का काम है, परंतु न्यायधीशों के अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों को भी न्याय के अधिकार प्रदान किये गये हैं। आधुनिक युग में प्रशासकीय न्याय (Administrative Justice) की प्रथा प्रचलित हो गई है। जैसे भारत में आयकर कमिशनर को आय–कर के संबंध में अपीलें सुनने का अधिकार है।

(8) **नियोजन में सहायता (Contribution in Planning):** देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिये नियोजन का प्रारूप तैयार कराना राजनीतिक कार्यपालिका यानि मंत्रियों की जिम्मेदारी है। लेकिन इस प्रारूप को तैयार करने के लिये जिन तथ्यों या आँकड़ों की जरूरत होती है, वे प्रशासनिक कर्मचारी ही उन्हें उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार योजना के लिये साधन जुटाने के बारे में नौकरशाही की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। योजनाओं के निर्माण के पश्चात् उनको लागू करने की नीति को निश्चित करने में नौकरशाही के सदस्य ही मंत्रियों की सहायता करते हैं। अतः योजनाओं को नौकरशाही द्वारा ही लागू किया जाता है।

(9) **जन–सम्पर्क कार्य (Public Relations Functions):** प्रजातंत्र में सरकार जनमत पर आधारित होती है। नौकरशाही नीतियों की सफलता के लिये जनता से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसके लिये जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये जन–सम्पर्क विभाग की स्थापना की जाती है।

(10) **जनता की शिकायतों को दूर करना (To Redress the grievances of the public):** जनता अपनी शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करती है तथा प्रशासनिक अधिकारी लोगों को शिकायतों को दूर करने का प्रयास करते हैं। कई बार जनता अपनी शिकायतें मंत्रियों के पास भेजती है। मंत्री ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देते हैं। अतः जनता की शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही दूर की जाती है।

(11) **विकास तथा कल्याण संबंधी कार्य (Development and welfare functions):** विकासशील देशों में नौकरशाही का कार्य कानून व व्यवस्था बनाये रखने के साथ–साथ विकासात्मक तथा कल्याणकारी कार्यों को करना भी है। राज्य की नवीन कल्याणकारी अवधारणा में राज्य को नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पक्ष में विकास करना है, यह केवल विभिन्न योजनाएँ बनाकर ही हो सकता है। अतः कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन की सफलता नौकरशाही के सहयोग द्वारा ही संभव है।

## *fu"d"k*
## (Conclusion)

आधुनिक लोककल्याणकारी राज्य में नौकरशाही की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नीति निर्माण से लेकर नीति क्रियान्वयन तक सारे कार्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही किये जाते हैं यानि सरकार की विकासात्मक तथा कल्याणकारी कार्यों की सफलता तथा असफलता नौकरशाही की कार्य–कुशलता पर निर्भर करती है। नौकरशाही की इस तरह की भूमिका के कारण यदि यह कहा जाए की नौकरशाही ही वास्तव में सरकार है तो यह काई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

# नौकरशाही का महत्त्व
# (Importance of Bureaucracy)

लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य को अब केवल पुलिस को कार्य ही नहीं करने पड़ते हैं बल्कि इसके अतिरिक्त उसे बहुत से विकासात्मक तथा कल्याणकारी कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों में स्वास्थ्य संबंधी कार्य, प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षा संबंधी कार्य, बेरोजगारी दुर करना, आदि शामिल हैं राजनीतिक अकेले इस सब कार्यों को करने में असमर्थ है। अतः उनकी सहायता के लिये स्थायी अधिकारी यानि नौकरशाही होती है, जो राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनायी गयी नीति को क्रियान्वित करते हैं। इनके महत्त्व के कारण इन्हें 'आधुनिक राज्य का हृदय' कहा जाता है। नौकरशाही को प्रशासन का आधार माना जाता है। ये प्रशासनिक अधिकारी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किये होते हैं, तथा अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। प्रशासन की कुशलता और सफलता योग्य, निष्पक्ष और ईमानदार नौकरशाही पर निर्भर करती है। प्रशासन का स्तर नौकरशाही के कार्यों और भूमिका पर निर्भर करता है। नौकरशाही का महत्त्व आधुनिक युग में इतना बढ़ गया है कि इसे सरकार के समानार्थक माना जाने लगा हैं

नौकरशाही का महत्त्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है–

(1) **प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं (Bureaucrats are Experts):** इस लोकतंत्रात्मक सरकार में नीति निर्माण का कार्य राजनीतिक कार्यपालिका यानि विभागीय मंत्री के द्वारा किया जाता है, परंतु प्रशासनिक अधिकारी मंत्री को परामर्श देता है। मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों की सलाह को मानता है क्योंकि प्रशासनिक अधिकरी अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। जिस विभाग में वे नियुक्त किये जाते हैं, उस विभाग की उन्हें तकनीकी जानकारी होती है। उन्हें प्रशासकीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी मंत्रियों को प्रशासन चलाने में मदद करते हैं।

(2) **मंत्रियों के पास समयाभाव (Lack of Time with Ministry):** मंत्रियों को बहुत सारे संसदीय कार्य करने होते हैं, साथ ही उन्हें दल के बैठकों में भाग लेना पड़ता है। विदेशों का दौरा करना होता हैं इसलिए विभाग का सारा कार्य करने के लिये मंत्रियों के पास समयाभाव होता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकरियों को मंत्रियों के बहुत से विभागीय कार्य करने होते हैं।

(3) **मंत्रियों की शैक्षिक योग्यता नहीं (No Educational Qualification of Ministers):** प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने के लिये उम्मीदवार के लिये कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है। इसलिए बहुमत प्राप्त होने पर दल के प्रभावशाली व्यक्तियों को मंत्रीमंडल में शामिल किया जाता है जिनके पास विभाग संबंधी जानकारी का अभाव होता है। इसलिए विभाग का अधिकांश कार्य नौकरशाही के द्वारा किया जाता हैं।

(4) **राज्यों के कार्यों में वृद्धि के कारण नौकरशाही का महत्त्व (The increases in the functions of state has enhanced the importance of Bureaucracy):** आधुनिक राज्य लोक–कल्याणकारी राज्य हैं, जिसके कारण राज्य कार्य–क्षेत्र काफी बढ़ गया है। इस कारण नौकरशाही का प्रभुत्त्व तथा प्रभाव भी बढ़ गया है। मंत्री अपने कार्यों के लिये नौकरशाही पर निर्भर करते हैं।

(5) **स्रोतों का प्रबन्ध (Mobilization of Resources):** देश की आर्थिक प्रगति के लिये योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इन योजनाओं को कार्यरूप देने के लिये आर्थिक संसाधनों के साथ–साथ मानवीय संसाधनों का प्रबन्ध करना तथा उचित उपयोग करना नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। अतः नौकरशाही ही वास्तविक रूप में योजनाओं को बनाने व उन्हें लागू करने के लिये उत्तरदायी है। यही नहीं नौकरशाही ही समय–समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेती है तथा सुधार के उपाय भी करती है।

(6) **प्रशासन में निरन्तरता (Continuity in administration):** प्रशासनिक अधिकारी एक बार नियुक्त हो जाते हैं तो एक निश्चित कार्यवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। जबकि इस संसदीय प्रणाली में सरकार तथा मंत्री समय–समय पर बदलते रहते हैं। जिसके कारण शासन की निरन्तरता रहना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी पर ही नीति निर्माण तथा नीति क्रियान्वयन पूरी जिम्मेवादी आ जाती है। प्रशासनिक अधिकारियों के स्थायित्व के कारण प्रशासनिक नीतियों में निरन्तरता बनी रहती है।

(7) **संसदीय प्रणाली में विशेष महत्त्व (Special Importance in Parliamentary government):** नौकरशाही का संसदीय प्रणाली में और भी महत्त्व बढ़ जाता है क्योंकि विभागीय मंत्री के पास विभागों के लिये पूरा कार्य करने विशेषकर नीति निर्माण तथा नीति क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त अनुभव नहीं होता है। कई बार तो विभागीय मंत्री पुरी तरह से विभागीय कार्यों में अनुभवहीन होते हैं। ऐसी स्थिति में नौकरशाही या लोकसेवक प्रशासन चलाने में मंत्री की सहायता करते हैं।

(8) **कल्याणकारी राज्य में महत्त्व (Importance in Welfare State):** आधुनिक राज्य लोककल्याणकारी राज्य हो गया है जिसके कारण राज्य का कार्यक्षेत्र काफी बढ़ गया हैं ये सभी कार्य स्थायी कार्यपालिका यानि नौकरशाही द्वारा संपन्न किये जाते हैं। यदि नौकरशाही कुशल, ईमानदार, योग्य और कर्त्तव्य–परायण है तो कल्याणकारी राज्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाने में सफल हो पायेगा।

## *fu"d"k*

## (Conclusion)

प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन में यानि नीति निर्माण से लेकर नीति क्रियान्वयन तक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासशील देशों में राज्यों का स्वरूप लोककल्याणकारी हो जाने के कारण प्रशासन की सफलता तथा असफलता मंत्रियों के उपर प्रशासनिक अधिकारियों की अपेक्षा कम होती है। अतः इस विकासात्मक तथा कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही का महत्त्व बहुत बढ गया हैं ।

## ukdj'kkgh dh dk;dj'kyrk o biekunkjh dk cuk, j[ku d lk/ku
**(Methods for maintenance of efficiency and integrity of Bureaucracy)**

नौकरशाही की महत्ता उसकी ईमानदारी और कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। आधुनिक समय में कुशल प्रशासन कुशल नौकरशाही के बिना स्थापित नहीं किया जा सकता है। नौकरशाही की ईमानदारी व कार्य–कुशलता में योगदान देने वाले तत्व निम्नलिखित हैं।

(1) **नियुक्ति का ढंग (Method of Appointment):** हर देश की सरकार योग्यतम व्यक्तियों को प्रशासकीय पदों पर नियुक्त करने का प्रयास करती है। नौकरशाही के सदस्यों की नियुक्ति का प्रश्न काफी महत्त्वपूर्ण है। इसका सबसे उत्तम तरीका नौकरशाही के सदस्यों की भर्ती योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जानी चाहिए। खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती (Open Competition for Recruitment) सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में अपनाया गया। जिसे अभी सभी सभ्य देशों द्वारा अपना लिया गया है। भर्ती के लिए परिक्षा दो श्रेणियों में ली जाती है। लिखित परीक्षा (Written examination) तथा व्यक्तिगत परीक्षा (Personnal Test)। व्यक्तिगत परीक्षा के लिये साक्षात्कार की विधि अपनायी जाती है। यह परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा करायी जाती है। सिविल सेवकों की भर्ती प्रारंभिक आयु (Early Age) के आधार पर की जानी चाहिए क्योंकि इस आयु में उनमें जानने एवं सीखने की क्षमता होती है।

(2) **प्रशिक्षण (Training):** कुशल एवं दक्ष नौकरशाही के सदस्य के निर्माण के लिये दूसरी महत्त्वपूर्ण शर्त प्रशिक्षण है। चुने हुए उम्मीदवारों में योग्यता तो होती है परंतु वे लोक सेवा के दायित्वों से परिचित नहीं होते हैं। इसलिए उनके लिये प्रशिक्षण जरूरी है। लोक सेवाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ संस्थाएं भी स्थापित की जाती हैं जैसे भारत में प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों को लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीटयूट, मसूरी का प्रशासनिक अकादमी एवं पुलिस अकादमी जैसे प्रशिक्षण केन्द्रों पर हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथा बीच–बीच में प्रशिक्षण के लिये सारे देश के विभिन्न जगहों पर घुमाया जाता है, ताकि वे पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकें।

(3) **पदोन्नति (Promotions):** प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यकुशलता कायम रखने तथा कुशलता तथा कार्य के प्रति रूचि बनाये रखने के लिये पदोन्नित भी एक प्रभावी तरीका है। पदोन्नति प्रशासनात्मक व विश्वनीय कार्य करने के लिए एक तरह का पुरस्कार है। पदोन्नति लोकसेवकों को अपनी कार्यक्षमता को सुधारने का मौका प्रदान करती है और प्रशासकों को अच्छे व योग्य सेवकों को रखने का भी अवसर प्रदान करती है।

पदोन्नति वरीयता (Seniority) व योग्यता तथा विभागीय परीक्षा के आधार पर दी जाती है। तीनों को मिलाकर या वरीयता तथा योग्यता को मिलाकर पदोन्नति करने का ढंग सबसे अच्छा है।

(4) **लोकतंत्रीय सिद्धांत (Democratic Principle):** लोकसेवाओं (Civil Services) या नौकरशाही की कार्यक्षमता के लिये आवश्यक है कि लोकसेवाओं का समाज के साथ पूर्णता एकीकरण होना चाहिए। प्रो० विलियम ए० रोबसन का कहना है कि लोक सेवाओं का समाज से एकीकरण तीन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है।

(क) लोक सेवा के सदस्य समाज के सभी वर्गों से लिये जाने चाहिए।

(ख) शासकों और शासितों में लगातार संबंध बनाये रखा जाना चाहिए।

(ग) राजनीतिज्ञों के लोक सेवाओं से बाहर रखना चाहिए।

यदि उपरोक्त तीनों सिद्धांत अपनाये जाते हैं तो लोक सेवाएं अधिक निपुण, उत्तरदायी तथा विश्वस्त बन जाएगी।

(5) **तटस्था व निष्पक्षता (Neutrality and Impartiality):** नौकरशाही के सदस्य तटस्थ एवं निष्पक्ष होने चाहिए। निष्पक्षता का तात्पर्य यह है कि नौकरशाही को किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होनी चाहिए। उसे अपने मंत्री के लिये निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए।

भारत में नौकरशाही को निष्पक्ष व राजनीतिक रूप से तटस्थ बनाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये गये हैं।

(क) नौकरशाही के सदस्यों को किसी भी दल का सदस्य बनने की इजाजत नहीं है।

(ख) उन्हें विधामंडल के लिये चुनाव लड़ने की मनाही है। फिर भी उन्हें एक साधारण नागरिक की तरह वोट का अधिकार प्राप्त है।

(ग) उन्हें प्रसार माध्यमों के द्वारा राजनीतिक विचार प्रकट करने पर प्रतिबन्ध है।

(6) **प्रशासन के ढंग व तकनीक (Methods and Techniques of Administration):** प्रशासनिक प्रक्रिया साधारण, सरल और तेज होनी चाहिए। नौकरशाही के सदस्यों को नियमों व विनिमयों का पालन तो करना चाहिए लेकिन यंत्रवत रूप में कार्य नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने मस्तिष्क से भी काम लेना चाहिए। प्रत्येक निर्णय लिखित रूप में होना चाहिए। नौकरशाही के सदस्यों को अपने आप निर्णय लेने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रशासन के ढंग व तकनीक भी नौकरशाही को प्रभावशाली बनाने में सहायता करते हैं।

नौकरशाही प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण हो गया है। नौकरशाही का प्रशासन में महत्त्वपूर्ण स्थान है इसलिए इसकी निष्पक्षता को बनाये रखना आवश्यक है। वास्तविकता में संविधान को इनकी सहायता के बिना पुरी तरह एवं प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। अतः निपुण और निष्पक्ष नौकरशाही अच्छी सरकार के लिये अत्यावश्यक है।

## नौकरशाही के गुण एवं दोष
## (Merits and Demerits of Bureaucracy)

आधुनिक युग का स्वरूप लोककल्याणकारी राज्य का है। लोककल्याणकारी स्वरूप के कारण राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के कारण नौकरशाही का महत्त्व एवं प्रभुत्व भी बढ़ गया है। नौकरशाही आधुनिक एवं लोककल्याणकारी राज्य की आवश्यकता है। नौकरशाही के बिना प्रशासन को चलाना काफी कठिन कार्य है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं की नौकरशाही दोषों से मुक्त है। जहाँ नौकरशाही में कुछ गुण हैं, वहाँ इसके कुछ दोष भी है।

### ukdj'kkgh d/ x/.k
### (Merits of Bureaucracy)

प्रशासन में नौकरशाही के निम्नलिखित गुण हैं।

(1) **प्रशासन में स्थिरता (Stability in the Administration):** संसदीय प्रणाली में सरकारें तथ मंत्रीमंडल समय–समय पर बदलती रहती हैं। परन्तु लोक सेवक एक बार नियुक्त हो जाते हैं तो अपने पद पर एक निश्चित अवधि या लम्बे समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रियों के बदलने पर उनपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी दशा में प्रशासन में स्थिरता तथा निरंतरता बनी रहती है।

(2) **योग्यता के आधार पर नियुक्ति (Appointment on the basis of Merits):** प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर की जाती है। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के पश्चात् ही किसी व्यक्ति को उस विभाग में नियुक्त किया जाता है।

(3) **नियमों का पालन (Obedience of Law):** नौकरशाही का एक अनिवार्य गुण है कि प्रशासनिक अधिकारी निश्चित नियमों का पालन करते हुए कार्य करते हैं। लोक सेवक नियमों से बंधे होते हैं। पद पर रहने वाले व्यक्ति बदलते रहते हैं, परन्तु ये अधिकारी नियमों की निश्चित सीमा में कार्य करते हैं।

(4) **पेशेवर तथा निपुणः वर्ग (Professional and Expert Class):** नौकरशाही के लोग पेशेवर तथा निपुणः वर्ग के लोग होते हैं। ये कर्मचारी एक विशेष कार्य अर्थात प्रशासन चलाने में लंबी अवधि तक रहने के कारण निपुणः हो जाते हैं। कर्मचारी एक विशेष कला में प्रशिक्षित होता है। एक ही कार्य को बार–बार करने से नौकरशाही अपने कार्य में दक्ष हो जाती है।

(5) **निष्पक्षता (Neutrality):** नौकरशाही दलगत राजनीति से दूर रहकर कार्य करता है। मंत्री राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं। नौकरशाही अपने विभाग के राजनीतिक अध्यक्ष यानि मंत्री के आदेशानुसार कार्य करते हैं चाहे विभागध्यक्ष कोई भी व्यक्ति या किसी भी दल का क्यों न हो। प्रशासनिक अधिकारियों में निष्पक्षता तथा तटस्था एक विशेष एवं अनिवार्य गुण है।

## ukSdj'kkgh ds nks"k
## (Demerits of Bureaucracy)

नौकरशाही के निम्नलिखित दोष हैं–

(1) **औपचारिकता (Formality):** नौकरशाही में औपचारिकता पर बहुत जोर दिया जाता है जिसके कारण इनमें आत्मनिर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अधिकारियों को पूर्व निर्धारित नियमों एवं कार्यविधियों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अधिकारी निश्चित नियमों से बंधे होते हैं। जिसके कारण अधिकारीगण निर्णय लेने से घबराते हैं।

(2) **लाल फीताशाही (Red Tapism):** अधिकारीगण औपचारिकताओं तथा निश्चित नियमों का पालन करते हैं। फाइल निम्न अधिकारी से उच्च अधिकारी तक और विभागाध्यक्ष के पास पहुंचता है। यानि कायदे कानूनों के कारण कार्यों के निष्पादन में देरी लगती है। नौकरशाही परिस्थितियों के अनुसार कार्य नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। वे नियमों का पालन करते समय ये भूल जाते हैं कि नियम जनता के लिये है, न कि जनता नियमों के लिये। अतः इस प्रकार लाल फीताशही के कारण व्यर्थ की देरी होती है तथा नियमों को पालन करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

(3) **जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा (Ignorance of Public Demands):-** नौकरशाही परिवर्तन की विरोधी होती है तथा प्रायः जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा करती है।

(4) **अनुत्तरदायी (Irresponsible):-** नौकरशाही विधानमंडल के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं होती बल्कि वे मंत्री के माध्यम उत्तरदायी होती है। जिसके कारण उन पर बहुत हद तक संसदीय नियंत्रण कम हो जाता है। जिसके कारण यदि वे मंत्री को गलत तथ्य तथा आँकड़े प्रदान करती है तो इस गलती की सजा मंत्री को भोगनी पड़ती है, प्रशासनिक अधिकारी को नहीं। इस कारण नौकरशाही में उत्तरदायित्व की भावना में कमी यानि अनुत्तरदायित्व की भावना बढ़ जाती है।

(5) **शक्ति प्रेम (The Lust for Power):-** नौकरशाही शक्ति के भूखे होते हैं। विभिन्न विभागों के नौकरशाही शक्ति के संघर्ष में रत रहने के कारण लोकहित को भुला देते हैं। सिविल सेवा के सदस्य लोकतंत्र के नाम पर विभागों की शक्ति में निरंतर वृद्धि करते जा रहे हैं और मंत्रियों के उत्तरदायित्व के सिद्धांत के नाम पर उन्होंने सारी शक्तियां स्वयं के हाथों में कन्द्रित कर ली है।

(6) **केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति (Tendency towards centralization):-** नौकरशाही का एक दोष यह है कि इसमें केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। प्रशासनिक संगठन में पदसोानिक व्यवस्था पायी जाती है। इसमें निचले स्तर पर अधिकारी फैसला स्वयं नहीं लेते और मामलों को उच्च स्तरीय अधिकारीयों के पास भेज देते हें। वहां से ये मामले और ऊँचे स्तर के अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं। और अंत में केन्द्रीय सरकार के पास निर्णय के लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में इतना समय निकल जाता है कि निर्णय का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है।

(7) **श्रेष्ठता की भावना (Superiorty Complex):-** नौकरशाही का एक अन्य दोष यह है कि इस व्यवस्था में अधिकारियों में श्रेष्ठता की भावना आ जाती है। चूँकी इन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं इसलिए वे अपने आपको जनता से श्रेष्ठ और पृथक समझने लगते हैं। फलतः शासकों एवं शासितों के बीच गहरी खाई पैदा हो जाती है एवं उनके बीच उपयुक्त संबंध स्थापित नहीं हो पाते।

(8) **आकार में वृद्धि (Growth in Size):-** स्वतंत्रता के बाद नौकरशाही के आकार में लगातार वृद्धि होती जा रही है। नौकरशाही के आकार में वृद्धि के कारण इनके कार्यकुशलता में कमी आयी है तथा सरकारी खजाने में खर्च में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

(9) **प्राचीन नियमों का समर्थन (Support to Conservatism):-** लोक सेवक परिवर्तन नहीं चाहते हैं। वे पुराने नियमों का ही समर्थन करते हैं प्रशासनिक अधिकारी लम्बी अवधि तक एक सा कार्य करते हैं जिसके कारण उनके स्वभाव में रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी गुण आ जाते हैं। ये रूढ़ीवादी या प्रतिक्रियावादी होने के नाते समाज में आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं।

(10) **जटिलता में वृद्धि (Increase in Complexties):-** नौकरशाही का एक दोष यह भी है कि समस्याओं के शीघ्र निपटारे में विश्वास नहीं करते हैं। समस्याओं में जटिलताएं पैदा करना उनका स्वभाव है। उनके द्वारा बनाये गये नियम भी जटिल होते हैं, जिनको साधारण जनता समझ नहीं पाती।

(11) **नवीन निरंकुशता (New Depositism):-** नौकरशाही में एक अवगुण यह पाया जाता है कि इसकी प्रवृत्ति निरंकुशता की ओर रहती है। तीव्र नौकरशाही मनोवृत्ति के अफसर कुछ ऐसे विश्वासों के साथ काम करते हैं सिजके कारण उनके शासन में निरंकुशता आती है। इंग्लैण्ड में लॉर्ड चीफ जस्टिस देटार्र ने सिविल सेवकों की बढ़ती हुई शक्ति को 1929 ई० में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'New Despotism' में 'नवीन निरंकुशता' की संज्ञा दी है। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि इस बढ़ती हुई प्रशासकीय निरंकुशता के परिणामस्वरूप ब्रिटिश नागरिक अपनी स्वतंत्रता खो देंगे।

## fu"d"k
## (Conclusion)

इस प्रकार नौकरशाही के गुणों तथा अवगुणों का अध्ययन करने के पश्चातः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नौकरशाही अनेक दोषों से पीड़ित रहती है। समय अधिक बर्बाद होता है। लालफीताशाही पायी जाती है। नौकरशाही अपने कार्यों के लिये जनता तथा संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी अनने आप को एक श्रेष्ठ वर्ग का सदस्य मानते हैं। परन्तु नौकरशाही के महत्त्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक कार्यपालिका की प्रशासनिक कार्यों में अनभिज्ञता के कारण प्रशासनिक अधिकरी सारा कार्य करते हैं।

## ukdj'kkgh d nk"kk dk nj dju d mik;
## (Suggestions to remove evils of Bureaucracy)

सरकारी प्रशासन में नौकरशाही का योगदान कम महत्त्व का नहीं है। वस्तुतः नौकरशाही कार्यकुशलता, विशिष्ट ज्ञान, निष्पक्षता, नियमों तथा कानूनों के पालन, आदि के अनेक गुणों के कारण वर्तमान समय में प्रशासन का अनिवार्य अंग बन गयी है। किन्तु यदि इसे नियंत्रण में न रखा जाय तो विध्वंस का विनाशकारी कार्य करती है। अतः नौकरशाही को जनता पर हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए, बल्कि उसे सेवक ही बनाये रखना चाहिए। यह कार्य अग्रलिखित उपायों से किया जा सकता है।

(1) **योग्य मंत्रियों की नियुक्ति (Appointment of Suitable Ministers):-** नौकरशाही को नियंत्रित करना मंत्रियों का कार्य है यदि ये मंत्री योग्य और कार्यकुशल होंगे तो वे सरकारी सेवकों पर सुदृढ़ नियंत्रण रख सकेंगे अन्यथा सरकारी सेवक उन पर हावी होकर जनता की स्वतंत्रता को संकट में डाल देंगे।

(2) **जनता में जागृति पैदा करना (To make People Vigilant):-** नौकरशाही को सुधारने के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि नौकरशाही के प्रति जनता को जागरूक बनाया जाय। जनता को सरकारी कानूनों, नियमों व उपनियमों की जानकारी दी जानी चाहिए। जनता को उनके कर्त्तव्यों की जानकारी भी दी जानी चाहिए, ताकि नौकरशाही या प्रशासक उसे छल न करें।

(3) **सत्ता का विकेन्द्रीकरण (Decentralization of Authority):-** सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। अर्थात यदि सत्ता का केन्द्रीकरण होगा तो यह किसी को निरंकुश व तानाशाह बना सकती है। अधिकारियों में सत्ता का

अत्यधिक कन्द्रीकरण होने से उनमें नौकरशाही प्रकृति पनपती है। इसलिए यदि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया जायेगा, तो नौकरशाही अपने दोषों से मुक्त हो जायेगी।

(4) **प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल न हो (Administrative Process should not be complex):-** प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाया जाये ताकि आम जनता की समझ में प्रशासनिक क्रियाविधि समझ में आ सके और जनता को नौकरशाही के शोषण से बचाया जा सके।

(5) **प्रत्यायोजित विधि निर्माण की मात्रा में कमी (Delegated legislation should be decreased):-** नौकरशाही की निरंकुशता का मुख्य स्रोत प्रत्यायोजित विधि निर्माण है। अतः नौकरशाही को अधिक उपयोगी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्यायोजित विधि निर्माण (Delegated Legislation) की मात्रा में कमी की जाये।

(6) **प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना (Establishment of Administrative Tribunals):-** ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ आम नागरिक सिविल कर्मचारियों के विरूद्ध अपनी शिकायत रख सकें। प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये तथा नौकरशाही को दोषों से मुक्त करने के लिये ऐसे प्रशासकीय न्यायधिकरणों की स्थापना नितान्त आवश्यक है।

(7) **संचार व्यवस्था (Communication System):-** किन्हीं दो पक्षों में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रभावशाली संचार व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह तथ्य नौकरशाही व जनता के संबंधों के बारे में भी सही है। जनता व नौकरशाही के बीच संचार अन्तर (Communication gap) को दूर किया जाना चाहिए।

(8) **विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति (Appointment of Head of Departments):-** प्रशासन में विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति समुचित योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। इससे विभाग की कार्यक्षमता पर सकारात्मक (Positive) प्रभाव पड़ेगा। विभागाध्यक्ष को उस विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए।

(9) रिटायर्ड सिविल या सैनिक पदाधिकारियों की राजदूत या राज्यपाल के पद पर नियुक्ति भी एक गलत व्यवस्था को जन्म देती है। इससे कुछ अधिकारियों में यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि उन्हें अपने राजनीतिक प्रभुओं को खुश रखना चाहिए। भले ही इसके लिये उन्हें अनुचित कार्य भी क्यों न करना पड़े।

## fu"d"k
## (Conclusion)

नौकरशाही अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि नौकरशाही को इस भांति नियंत्रित किया जाये कि वह 'सेवक' ही बनी रहे, 'स्वामी' बनकर हावी न होने पाये। लोक कल्याणकारी युग में मानव जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जहाँ सरकार को नौकरशाही की आवश्यकता महसूस नहीं होती। लोकतंत्रीय राज्यों में नौकरशाही की भूमिका काफी बड़ी एवं महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नौकरशाही के दोषों को दूर किया जाय। नौकरशाही को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। उन्हें जनता की कठिनाईयों को समझना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

# ukdj'kkgh dh Hkrh
# (Recruitment of Bureaucracy)

भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशासन में योग्य कर्मचारियों के संगठन, उनका चयन किया जाता है और उन्हें अपने पदों पर नियुक्त कर प्रशासन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है।

अधिकारी वर्ग को शासन की आधारशिला कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना सरकार का चलना असंभव है। लोकसेवा में कर्मचारियों की भर्ती की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन की स्थिरता तथा कार्यकुशलता इन्हीं कर्मचारियों की योग्यता, ईमानदारी और लगन पर निर्भर है। शासन की सफलता और असफलता इन कर्मचारियों पर ही निर्भर है। भर्ती के लिये प्रत्येक देश में भिन्न–भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। अधिकांश देशों में अधिकारियों की भर्ती मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर की जाती है। क्योंकि इस ढंग से अयोग्य व अनुचित लोगों को प्रशासन से दूर

रखा जा सकता है। अतः लोक सेवकों की भर्ती का अर्थ केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा योग्य और कुशल अधिकारियों को नियुक्त किया जा सके।

(1) प्रो० एल० डी० व्नाइट ने भर्ती की परिभाषा देते हुए लिखा है, ''प्रतियोगिता परिक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिये व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है।''

(2) डॉ० एम० पी० शर्मा के शब्दों में, ''भर्ती शब्द का अर्थ किसी पद के लिये योग्य तथा उपयुक्त उमीदवारों को रिक्त स्थानों के लिये आकर्षित करना है।

(3) किंग्सले के अनुसार, ''सार्वजनिक भर्ती की व्याख्या यह है कि जिसके द्वारा लोक सेवाओं के लिये प्रार्थियों को प्रतियोगितात्मक रूप से आकर्षित किया जा सके। यह व्यापक प्रक्रिया का आन्तरिक भाग है। नियुक्ति में प्रक्रिया और प्रमाण संबंधी प्रक्रियाएँ सम्मिलित है।

नौकरशाही की भर्ती के लिये मुख्यतः निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैंः–

(1) **राजनीति पर आधारित नियुक्ति (Appointment on Political Basis):-** कुछ देशों में अधिकारियों की नियुक्ति राजनीति से प्रेरित होती है। सरकार के बदलने पर उच्च अधिकारियों को भी बदल दिया जाता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के पश्चात नया राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार अधिकारियों का कार्यकाल सरकार के कार्य–काल के साथ चलता है। इन अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीति के आधार पर की जाती है। इस पद्धति को लूट–खसोट पद्धति (Spoil System) कहते हैं।

(2) **योग्यता के आधार पर नियुक्ति (Appointment on the basis of merit):-** अधिकारियों की नियुक्ति का दूसरा आधार योग्यता है। प्रत्येक पद के अनुसार योग्यता निर्धारित की जाती है। नियुक्ति ठीक ढंग से करने के लिये लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जो विभिन्न पदों के लिये लिखित तथा मौखिक परीक्षा की व्यवस्था करता है तथा योग्यता के सूची के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करता है। भारत में इसी आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

इस पद्धति को 'प्रत्यक्ष भर्ती' (Direct Recruitment) भी कहते हैं। यह पद्धति भारत, इंग्लैण्ड, पश्चिमी जर्मनी आदि देशों में अपनाई गयी है।

(3) **अप्रत्यक्ष भर्ती अथवा पदोन्नति (Indirect Recruitment or Promotion):-** लोकसेवाओं की भर्ती का एक अन्य तरीका यह है कि एक विभाग ने काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित अनुभव प्राप्त करने के पश्चात उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। इस व्यवस्था को अप्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति का ढ़ंग कहा जाता है। इस प्रणाली के द्वारा अनुभवी व्यक्ति चुने जाते हैं जिसके कारण उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा इससे कर्मचारियों में उत्साह तथा कुशलता में बढ़ोत्तरी होती है।

(4) **व्यक्तिगत तथा सामूहिक भर्ती (Individual and Collective Recruitment):-** व्यक्तिगत भर्ती साक्षात्कार के आधार पर की जाती है। यदि पदों की अधिक संख्या हो और अधिक कर्मचारियों की भर्ती करनी हो तो सामूहिक भर्ती का ढ़ंग अपनाया जाता है। सामूहिक भर्ती में विशेष योग्यता की आवश्कयता नहीं होती।

## ykd lsok vk;ksx
## (Civil Service Commission)

प्रायः सभी देशों में लोक सेवाओं की भर्ती के लिये स्वतंत्र आयोग स्थापित किये गये हैं ताकि इनकी नियुक्ति योग्यता और निष्पक्षता के आधार पर हो सके। इंग्लैण्ड में सबसे पहले 1855 में लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी थी। 1870 में प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गयी और 1877 से मौखिक परीक्षा का आयोजन किया गया। भारत में संघीय सेवाओं की भर्ती, पदोन्नति और उनकी सेवा शर्तों और अनुशासनात्मक कारवाई के लिये संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) की स्थापना की गयी है। राज्य सेवाओं की भर्ती राज्य सेवा आयोग (State Public Service Commission) द्वारा की जाती है।

## Hkkjr esa HkrhZ dh i)fr
## (Methods of Recuritment in India)

भारत में लोक सेवाओं को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

(1) **अखिल भारतीय सेवाएं (All India Services):-** 1951 के एक अधिनियम के अर्न्तगत दो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गयी। भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Services) तथा भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service), संविधान के अनुच्छेद 321(2) में उपरोक्त दोनों सेवाएं IAS तथा IPS का उल्लेख किया गया है। सन् 1966 में भारतीय वन सेवा (Indian Forest Servce) नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर तीन अखिल भारतीय सेवाएं है।

(a) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(b) भारतीय पुलिस सेवा

(c) भारतीय वन सेवा

अखिल भारतीय पदाधिकारियों की भर्ती तो केन्द्रीय सरकार करती है, परन्तु उनकी नियुक्ति देश के किसी भी भाग में की जा सकती है। राज्य सरकारों का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता।

(2) **केन्द्रीय सेवाएँ (Central Services):-** केन्द्र सरकार की सिविल सेवाओं में केन्द्रीय सिविल सेवा के नाम से ज्ञात स्थापित सेवाएं तथा ऐसी स्थापित सेवाएं से बाहर सृजित सिविल पद शामिल है। जिनसे सामान्य केन्द्रीय सेवाएं बनती है।

केन्द्रीय सिविल सेवाओं को मोटे तौर पर (1) गैर तकनीकी सेवाओं (2) तकनीकी सेवाओं (जिसमें इंजीनियरों तथा वैज्ञानिक सेवाएं शामिल है) में वर्गीकृति किया गया है। इनमें से भारतीय विदेश सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा आदि शामिल है।

(3) **राज्य सेवाएं (State Services):-** राज्य सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सेवा आयोग द्वारा की जाती है। राज्य सेवाओं में से कुछ सेवाएं इस प्रकार है– राज्य सिविल सेवा तथा राज्य शिक्षा सेवा।

## HkrhZ
## (Recruitment)

केन्द्र के लिये लोक सेवाओं के पदाधिकारियों का चुनाव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होता है। उसके द्वारा चयन किये गये पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्य कर्मचारियों का चयन राज्यलोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है और उसकी सिफारिश पर राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है।

## izfr;kfxrk ijh{kk dh :ijs[kk
## (Pattern of Competitive Examination)

केन्द्रीय सरकार में प्रत्येक विभाग आयोग को रिक्तियों के अनुसार मांग भेजता है तथा इन्हीं मांगों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्त स्थानों को भरने के लिये ज्ञापन दिया जाता है। प्रार्थियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद, उनकी छानबीन की जाती है और उपयुक्त प्रार्थियों को निश्चित तिथि को परीक्षा के लिये बुलावा पत्र भेजे जाते हैं। परीक्षा का क्रम निम्नलिखित है।

(1) **प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination):-** सबसे पहले उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में बैठना होता है। इस परीक्षण में दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है, जो 150 अंक का होता है। दूसरा प्रश्न पत्र जो ऐच्छिक होता है, 300 अंक का होता है। दोनों ही प्रश्न–पत्रों में बहुविकल्पिक वस्तुनिष्ठ (objective) प्रश्न होते हैं।

(2) **मुख्य परीक्षा (Main Examination):-** मुख्य परीक्षा में केवल वे उम्मीदवार बैठ सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में उर्त्तीण होते हैं। मुख्य परीक्षा में 8 प्रश्न पत्र होते हैं। उम्मीदवारों को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी में परीक्षा देने की छूट होती है।

(3) **साक्षात्कार परीक्षा (Interview):-** जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में निश्चित अंक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिये बुलाया जाता है। साक्षात्कार 300 अंकों का होता है। इस साक्षात्कार में जो उम्मीदवार आयोग द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें निश्चित समय के लिये भेजा जाता है। उनकी नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भी की जाती है।

## dk;dky rFkk inP;fr
## (Tenure and Removal)

संघीय सरकार के कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा से रिटायर कर दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार भारत सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी पदाधिकारी को पहले भी रिटायर कर सकती है।

## opuc) ukdj'kkgh
## (Committed Bureaucracy)

वचनबद्ध का शाब्दिक अर्थ है – कहे अनुसार कार्य करना। वचनबद्ध नौकरशाही का अर्थ है। कि ऐसे अधिकारी जो किसी दल के या प्रशासकों की इच्छानुसार कार्य करें। साम्यवादी देश में वचनबद्ध नौकरशाही होती है। वहाँ के नौकरशाही के सदस्य साम्यवादी दल के प्रति या उसकी नीतियों के प्रति वचनबद्ध होते हैं और उन नीतियों को लागू करते हैं। रूस व चीन जैसे साम्यवादी देशों में वचनबद्ध नौकरशाही है।

वचनबद्धता का एक अन्य पहलू भी है। वह यह है कि नौकरशाही को संविधान के आदर्शों और जनता की आशाओं को पूरा करना चाहिए। नौकरशाही की वचनबद्धता का सही अर्थ 'सामाजिक व आर्थिक न्याय' के सिद्धांत को लागू करना है। नौकरशाही का काम उन नीतियों को पूरी तरह से लागू करना है, जो राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा बनाकर दी जाता है। अधिकारियों का निजी विचार उन नीतियों को लागू करने में रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए। यदि नौकरशाही किसी विशेष दल की नीतियों के प्रति वचनबद्ध है और वह दल सत्ता से हट जाता है तो नौकरशाही को दूसरे दल की नीतियों को लागू करने में कठिनाई आयेगी, इसलिए वचनबद्ध नौकरशाही की प्रथा ठीक नहीं है।

भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गयी है इसलिए नौकरशाही को तटस्थ रह कर कार्य करना चाहिए। भारत में नौकरशाही को किसी विशेष दल के प्रति निष्ठा न रखते हुए संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। नौकरशाही को अपने आप को दलबन्दी से दूर रखना चाहिए और और निष्पक्ष एवं स्वर्थ–रहित होकर जनता की सेवा करनी चाहिए।

## jktuhfrd dk;ikfydk rFkk LFkk;h dk;ikfydk
## (Political Executive and Permanent Executive)

हरेक देश की शासन व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिका होती है। (1) राजनीतिक कार्यपालिका (Political Executive) तथा (2) स्थायी कार्यपालिका (Permanent Executive)

राजनीतिक कार्यपालिका (Political Executive):- भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गयी है। संसदीय सरकार में दो तरह की राजनीतिक कार्यपालिका होती है– नाममात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष है जबकि प्रधानमंत्री सहित मंत्रीमंडल के सदस्य वास्तविक राजनीतिक कार्यपलिका है। जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं।

अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार होने के कारण राष्ट्रपति अकेला राजनीतिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। इसी तरह राजतंत्र या तानाशाही राज्यों में राजा या तानाशाह शासक राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं।

राजनीतिक कार्यपालिका की नियुक्ति का आधार राजनीतिक होता है। राजनीतिक कार्यपालिका के लिये कोई शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित नहीं होती है।

राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीतियों का क्रियान्वयन स्थायी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता हैं।

**स्थायी कार्यपालिका (Permanent Executive):-** स्थायी कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारी यानि नौकरशाही होती है जिनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती हैं स्थायी कार्यपालिका प्रशिक्षित तथा कुशल अधिकारियों का समूह होता है जो पदसोपानिक व्यवस्था के अंदर गुंथे हुए होते हैं। उनकी एक निश्चित पदावधि तथा निश्चित वेतन तथा अन्य भत्ते होते हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे दलगत राजनीति से उपर उठकर कार्य करें।

किसी भी देश का प्रशासन अकेले राजनीतिक कार्यपालिका यानि मंत्री या अकेले स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता बल्कि दोनों मिलकर प्रशासन चलाते हैं मंत्रीयों तथा प्रशासनिक अधिकारियों में जितना सहयोग होगा, प्रशासन उतना ही सुचारू रूप से चलेगा। दोनों में सहयोग अनिवार्य है। फिर भी दोनों में निम्नलिखित अन्तर है।

(1) **लोक सेवा के अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं, मंत्री नहीं (Civil servants are experts, Ministers are not):-** विधानमंडल में जिस दल को बहुमत होता है, उस दल का नेता मंत्रीमंडल में शामिल होता है तथा प्रत्येक मंत्री को एक या एक से अधिक विभागों के मंत्री बनाया जाता है। चूंकि विधानमंडल के चुनाव के लिये कोई विशेष योग्यता या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। परन्तु लोक सेवक प्रतियोगिता परिक्षाओं के आधार पर चुने जाते हैं, जिनमें चयन का आधार निश्चित योगयता होती है। तथा इनका एक निश्चित कार्यकाल काफी लंबा होता है तथा इस दौरान विभिन्न प्रशासनिक पदों पर लम्बी अवधि तक ये रहते हैं। अतः प्रशासनिक अधिकारी बहुत अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं।

(2) **राजनीतिक कार्यपालिका निर्वाचित तथा स्थायी कार्यपालिका नियुक्त होती है (Political Executive is elected whereas Permanent Executive is Appointed):-** राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव लोकतंत्रीय प्रणाली में देश के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। स्थायी कार्यपालिका का काम प्रशासन चलाना हैं इसके सदस्यों की नियुक्ति योग्यता के आधार की जाती है। उनके चयन के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर कार्यक्षेत्र में भेज दिया जाता है।

(3) **मंत्रियों का अनिश्चित कार्य–काल लेकिन लोक सेवाओं का निश्चित (Fixed tenure of civil servants but not of ministers):-** राजनीतिक कार्यपालिका की नियुक्ति अल्प समय के लिये होती है। प्रत्येक देश में राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य–काल अलग–अलग निश्चित होता है। भारत में संविधान के अनुसार ये पाँच वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते हैं, परंतु इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। कभी भी मंत्रीमंडल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें अपने पद छोड़ने के लिये विवश किया जा सकता है।

परंतु लोक सेवकों का कार्यकाल निश्चित होता है। अर्थात निश्चित कार्यकाल से पहले विशेष परिस्थिति को छोड़ कर हटाया नहीं जा सकता। इसके बाद ही वे रिटायर होते हैं। अर्थात मंत्रिमंडलों के बदलने से उनके कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(4) **मंत्री नीतियां बनाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कार्यान्वित करते हैं (Ministers form the policies and Civil Servants execute them):-** प्रत्येक मंत्री को एक या एक से अधिक विभाग दिये जाते हैं तथा संबंधित विभाग के नीतियों का निर्माण करना इनका काम होता है। तथा इन नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेवादी प्रशासनिक अधिकारी यानि नौकरशाही पर होती है।

(5) **मंत्री उत्तरदायी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं (Ministers are responsible, civil servants are not):-** मंत्रीगण प्रशासनिक कार्यों के लिये जनता तथा संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोक सेवकों द्वारा तो मंत्रीयों के अधीन रहते हुए उनके उत्तरदायित्व के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्य कने पड़ते हैं। परन्तु यदि प्रशासनिक अधिकारी से किसी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में गलती भी हो जाती है, तब भी उसका उत्तरदायित्व मंत्री का ही है। संसद और जनता के समक्ष मंत्रीयों को ही उत्तर देने पड़ते हैं।

(6) **मंत्रीयों को दूसरे बहुत से कार्य करने पड़ते हैं (Minister has to perform so many other functions):-** यदि मंत्री विशेषज्ञ बनना भी चाहे तो उनके लिये यह संभव नहीं है क्योंकि उन्हें संसद सदस्य होने के नाते विभागीय कार्य के अतिरिक्त और भी कार्य करने पड़ते है। जैसे संसद के अधिवेशन में भाग लेना, विदेशों में यात्रा पर जाना, अपने क्षेत्रों के मतदाताओं से संबंध रखना, उद्घाटन करना इत्यादि। अतः इन सब विस्तृत कार्यों के कारण मंत्री को विभागीय कार्यों के लिये समय नहीं बचता। जिसके कारण इन सभी कार्यों को प्रशासनिक अधिकारी को देखना तथा ध्यान देना पड़ता है। तथा इन सभी कार्यों की जिम्मेवारी प्रशासनिक अधिकारी पर होती है।

(7) **मंत्रीयों के पास कई विभाग, लोक सेवकों के पास नहीं (Many departments are kept by the ministers but not by civil servants):-** एक मंत्री के पास एक या एक से अधिक विभाग होते हैं तथा प्रधानमंत्री द्वारा अक्सर मंत्री के विभाग में परिवर्तन किया जाता रहता है। इसलिए मंत्री विशेषज्ञ नहीं हो सकते। परंतु प्रशासनिक अधिकरी एक ही विभाग में लंबे समय तक कार्य करते हैं, तथा विभाग में नियुक्ति से पहले उसको पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके कारण प्रशासनिक अधिकारी के पास ज्ञान तथा अनुभव का भंडार होता है।

(8) **मंत्री राजनीतिज्ञ होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी तटस्थ (Ministers are Politicians, Civil Servant are Neutral):-** राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति दल के आधार पर की जाती है। मंत्री अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हें। जबकि प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं। वे दलगत भावना से मुक्त होते हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने तथा कोई भी व्यक्ति विभाग का मंत्री बने, वे पूरी निष्ठा से संविधान के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

## jktuhfrd dk;Zikfydk o LFkk;h dk;Zikfydk esa lac/k
**(Relationship between political Executive and Permanent Executive)**

प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने के लिये यह जरूरी है कि राजनीतिक कार्यपालिका व स्थायी कार्यपालिका अर्थात् मंत्रियों और नौकरशाही में मधुर संबंध हो। दोनों को अपने–अपने कर्त्तव्य निष्ठापूर्वक अपने क्षेत्र में रहते हुए निभाना चाहिए। मंत्रियों के अनावश्यक नौकरशाही के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा नौकरशाही को भी मंत्रियों के कार्यों में पुरी तरह से सहयोग देना चाहिए। परतुं कुछ लोगों की यह धारणा है कि मंत्रीगण लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। नौकरशाही का कर्त्तव्य है कि वे मंत्रियों के नीति निर्धारण में निष्पक्ष होकर सही परामर्श दें। नीति निर्धारण के बाद नीतियों के क्रियान्वयन की सारी जिम्मेवारी नौकरशाही पर होती है। अतः नौकरशाही का यह कर्त्तव्य है कि नीति का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी तथा निष्ठा के साथ करे। दोनों के संबंधों के बारे में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है।

(1) मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ की कठपुतली नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों को ही मंत्रीमंडल में शामिल किया जाता है।

(2) लोक सेवक भी साधारणतः एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलते रहते हैं। यदि वे दूसरे विभाग में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं कर सकते।

(3) मंत्री नीति निर्माण करते हैं तथा लोक सेवक उन्हें क्रियान्वित करते हैं।

(4) यदि दोनों ही विशेषज्ञ हों और कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार न हो तो प्रशासन का कार्य ठप्प हो जायेगा।

मंत्री और लोक सेवकों का संबंध उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि मंत्री प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है तो वह लोक सेवा के सदस्यों पर हावी रहेगा। यदि मंत्री निर्बल व्यक्तित्व वाला है तो उसे लोक सेवा के सदस्यों के इशारे पर नाचना होगा।

# oLrqfu"B ¼cgq&fodYih½ iz'u
# (Objective Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(1) जनता तथा सरकार के मध्य कड़ी का काम करते हैं ?

(क) लोक सेवक
(ख) धार्मिक नेता
(ग) संसद
(घ) न्यायपालिका

(2) नौकरशाही किसको परामर्श देती है ?

(क) संसद को
(ख) राजनीतिक दलों को
(ग) मंत्रियों को
(घ) न्यायपालिका

(3) ''नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की वास्तविक कीमत है'' यह कथन किसका है ?

(क) फाइनर
(ख) गैटल
(ग) मौरिसन
(घ) मैक्स वेबर

(4) ''प्रशासनिक सेवा ऐसे अधिकारियों का समुच्चय है जो स्थायी, वेतनिक और प्रशिक्षित होता है''। यह कथन है?

(क) फाइनर
(ख) लास्की
(ग) डेविड ईस्टन
(घ) ब्राइस

(5) ''नौकरशाही प्रशासन की उस व्यवस्था का नाम है जिसकी विशेषता है – विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवाता का अभाव'' यह कथन है ?

(क) राबर्ट ए० डहल
(ख) वलंशली
(ग) मैक्स वेबर
(घ) वैण्टले

(6) ''नौकरशाही वह शासन प्रणाली है जिसमें लोक सेवकों में इतनी अधिक शक्ति केन्द्रीत हो जाती है कि सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है'' यह विचार है ?

(क) गिल क्राइस्ट
(ख) गैरल
(ग) लास्की
(घ) सीले

(7) नौकरशाही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ?

(क) राजनीतिक दल

(ख) संसद

(ग) सरकारी कर्मचारी

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

(8) Bureaucracy शब्द की उत्पत्ती किस भाषा से हुई है?

(क) लैटिन

(ख) जर्मन

(ग) फ्रांसीसी

(घ) अंग्रेजी भाषा

(9) फ्रांसीसी भाषा में Bureau शब्द का अर्थ होता है ?

(क) डैस्क

(ख) राज्य

(ग) सरकार

(घ) समाज

(10) लोक सेवकों की नियुक्ति होती है?

(क) राजनीतिक आधार पर

(ख) योग्यता के आधार पर

(ग) प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर

(घ) मनोनीत किये जाते हैं।

(11) सरकार की नीतियों को कार्यन्वित करने का अधिकार है ?

(क) संसद को

(ख) न्यायपालिका को

(ग) लोक सेवकों को

(घ) उपरोक्त सभी को

(12) ''मंत्रियों के उत्तरदायित्व की छाया में नौकरशाही फलती–फूलती है'' यह विचार है ?

(क) रैम्ज म्योर

(ख) ब्राइस

(ग) ऑग्स्टेन

(घ) लास्की

(13) भारत में स्थायी कार्यपालिका है ?

(क) मंत्रीमंडल

(ख) राष्ट्रपति

(ग) उपराष्ट्रपति

(घ) प्रशासनिक अधिकारी

**उत्तरः** (1) क, (2) ग, (3) ग, (4) क, (5) ग, (6) ग, (7) ग, (8) ग, (9) क, (10) ख, (11) ग, (12) क, (13) घ

## vH;kl&ç'u
## (Exercise-Questions)

### fucU/kkRed ç'u **(Essay Type Questions)**

1. 'नौकरशाही' से क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें।

   What do you mean by Bureaucracy? Discuss its main characteristics.

2. नौकरशाही का क्या अर्थ है? नौकरशाही के प्रमुख कार्यों का वर्णन करो।

   What is meant by Bureaucracy? Discuss the main functions of Bureaucracy.

3. नौकरशाही की भूमिका व उसके महत्त्व का वर्णन करें।

   Discuss the role and importance of Bureaucracy?

4. नौकरशाही से आप क्या समझते हैं ? इसके गुण एवं दोष की व्याख्या करें।

   What do you mean by Bureaucracy? Discuss its merits and demerits.

5. नौकरशाही की भर्ती किस प्रकार से की जाती है ? भारत के संदर्भ में उत्तर दें।

   How can bureaucracy be recruited? Give answer in Indian Context.

6. राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं ? दोनों प्रकार की कार्यपालिका में अंतर बताइये।

   What do you understand by Political Executive and Permanent Executive? Point out the differences between the two types of executives.

7. वचनबद्ध नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? ये नौकरशाही से किस प्रकार अलग है।

   What do you mean by committed Bureaucracy? How it differ from Bureaucracy?

8. नौकरशाही की कार्यकुशलता व ईमानदारी को बनाए रखने की उपायों की व्याख्या करें।

   Explain the methods for maintenance of efficiency and integrity of Bureaucracy.

9. नौकरशाही के दोष बताओ और उन्हें दूर करने के तरीकों पर प्रकाश डालिए।

   What are the demerits of Bureaucracy and explain the methods to remove them?

10. मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत का अलोचनात्मक व्याख्या कीजिए?

    Critically examine the Max Weber's Bureaucratic Theory?

# v/;k; 7

# jktuhfrd laLÑfr

# (Political Culture)

- राजनीतिक संस्कृति के दृष्टिकोण की आवश्यकता
- राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषाएं
- राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएँ
  *अथवा*
  राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति
- राजनीतिक संस्कृति के घटक या अंग
  *अथवा*
  राजनीतिक संस्कृति का विश्लेषण
- राजनीतिक संस्कृति के प्रकार
  *अथवा*
  राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण
- राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न रूप
- राजनीतिक संस्कृति के आधार अथवा निर्धारक तत्त्व
- राजनीतिक संस्कृति का धर्म–निरपेक्षीकरण
- राजनीतिक संस्कृति के धर्म–निरपेक्षीकरण की विशेषताएं
- धर्म–निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायक तत्त्व
- राजनीति संस्कृति की उपयोगिता
  *अथवा*
  राजनीतिक संस्कृति का महत्त्व
- राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा की आलोचना

*राजनीतिक संस्कृतिक की संकल्पना का अध्ययन राजनीतिक विकास के विषय के समाज वैज्ञानिक पहलुओं का परीक्षण करना है। जब से कुछ अमरीकी लेखकों, जैसे उलम (Ulam) वीर (Beer) और आमंड (Almond) ने इस शब्द की लोकप्रियता प्रदान की है, यह राजनीतिक व्यवस्थाओं के आकारिकीय अध्ययन के लिए एक महत्त्वपूर्ण कसौटी बन गया हैं समाजशास्त्रियों को इस बात का आग्रह करने के लिए प्रभावित किया है कि एक राजनीतिक व्यवस्था दूसरी राजनीतिक व्यवस्था से न केवल संरचना की दृष्टि से भी भिन्न है जिसमें यह स्थित होती है।*

## jktuhfrd laLÑfr dh n`f"Vdks.k dh vko';drk
## (Necessity of Political Cultural Approach)

किसी भी देश की संस्कृति में वहां के लोगों के व्यवहार, उनकी मान्यताओं, विश्वासों, घृणा, स्वामिभक्ति, साहित्य परम्पराओं, कला और कौशल को सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक समाज में कुछ सांस्कृतिक सामंजस्य अथवा सांस्कृतिक तनाव पाए जाते हैं। सांस्कृतिक सामंजस्य सामजिक व्यवस्था एवं विकास के कार्य को आसान बना देता है

जबकि सांस्कृतिक तनाव कई प्रकार की राजनीतिक एवं प्रशासकीय समस्याओं को जन्म देता है। अतः राजनीति और संस्कृति में गहरा संबंध है।

## jktuhfrd laLÑfr dk vFk ,oa ifjHkk"kk,a
## (Meaning and Definitions of Political Culture)

सुप्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान ग्राहम वालास ने संस्कृति का अर्थ बताते हुए कहा है, ''संस्कृति विचारों, मूल्यों और उद्देश्यों का समूह है। यह सामाजिक उत्तराधिकार है जो परीक्षण द्वारा हमें पीढ़ियों से प्राप्त हुआ है। वह जीव संबंधी सामाजिक उत्तराधिकार से अलग है जो कीटाणुओं द्वारा स्वयं हमारे पास आया है।

राजनीतिक संस्कृति को आधुनिक लेखकों ने अपने–अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैंः–

1. **आमण्ड और पावेल के मतानुसार,** ''राजनीतिक संस्कृति एक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति इसके सदस्यों की राजनीतिक समस्याओं के प्रति मिलने वाले दृष्टिकोणों और अभिवृत्तियों या अनुकूलन का नाम है।''
2. **वीयर और उलम (Beer and Ulam) का कहना है,** ''समाज को सामान्य संस्कृति के कुछ पहलू, विशेष रूप से इस बात से संबंधित होते हैं कि सरकार का संचालन किस तरह से किया जाना चाहिए और इसे क्या कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए संस्कृति के इस क्षेत्र को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है।''
3. **पारसन्स (Parsons) के मतानुसार,** ''राजनीतिक संस्कृति का राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति किया गया अनुकूलन है।''
4. **राय मैक्रीडिस का विचार है,** ''राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एक मानव–समूह के द्वारा स्वीकृत सामान्य लक्ष्यों और सामान्य नियमों से होता है।''
5. **फाइनर का कहना है,** ''राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति, मुख्य रूप से शासकों, राजनीतिक इकाइयों और प्रक्रियाओं की औचित्यपूर्णता से संबंधित है।''
6. **पीटर नेटल के अनुसार,** ''राजनीतिक संस्कृति का अर्थ राज्य सत्ता से संबंधित ज्ञान मूल्यांकन और संचारण के प्रतिमान या प्रतिमानों से है।
7. **ऐलन ए० बाल के अनुसार,** ''राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों और विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है, जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है।''

इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति लोगों के राजनीतिक विश्वासों, प्रवृत्तियों, मनोवृत्तियों और परम्पराओं का समूह हैं जो उनकी राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये अभिवृत्तियाँ सचेतन रूप से धाारित न हो और राजनीतिक वयवस्था में व्यक्ति या गुट के संबंधों में यह निहित हो।

## jktuhfrd laLÑfr dh fo'ks"krk,a
## (Characteristics of Political Culture)

## vFkok

## jktuhfrd laLÑfr dh izÑfr
## (Nature of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति की परिभाषाओं और इसके अर्थ की जानकारी मिल जाने के बाद इसकी निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती है–

1. **एक व्यापक धारणा (A comprehensive concept) :** राजनीतिक संस्कृति के बारे में सभी आधुनिक राजनीति–शास्त्रियों का यह कहना है कि वह एक व्यापक धारणा है, जो किसी देश में रहने वाले मानव समूह

की इसकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था प्रति अपनाई गई अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और मनोभावों आदि से बनती है। जिस तरह किसी देश का साहित्य, संगीत, उसकी परम्पराएं और आस्थाएं तथा कला एवं कौशल की लगातार चलने वाली धारा उस देश की संस्कृति बन जाती है, उसी तरह एक देश के राजनीतिक चरित्र और आदतें, राजनीतिक सूझ–बूझ और व्यवहार, राजनीतिक संस्थाएं और उसकी कार्य पद्धति की मिली–जुली धारा, इस देश एवं समाज की राजनीतिक संस्कृति कहलाती है।

2. **सामान्य संस्कृति का भाग (Part of General Culture) :** किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित राजनीतिक संस्कृति आधारभूत रूप में इस समाज की सामान्य संस्कृति का ही एक अंग या भाग होती है। क्योंकि वह इस समाज की अभिवृत्तियों, विश्वासों मूल्यों और मनोभावनाओं आदि से अभिन्न रूप से जुड़ी होती है। अतः इसे इस समाज की सामान्य संस्कृति का ही एक भाग माना जाता है।

3. **विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संस्कृतियों में भिन्नता (Difference between the political culture of different political system) :** विद्वानों का यह भी कहना है कि अधिनायकवादी, सैनिकतंत्र, कयुनिस्ट व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली और विकसित, विकासशील और अविकसिकत देशों की राजनीतिक संस्कृति में भी भिन्नता पाई जाती है क्योंकि उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग–अलग है। उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक और कम्युनिस्ट, सैनिक तंत्र या अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में आधारभूत भिन्नता के कारण ही उनकी राजनीतिक संस्कृतियां भी अलग–अलग होती है। इसी तरह भारत और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणालियों में ऊपरी समानता होने के बावजूद उनमें आधारभूत भिन्नता इस अर्थ में मौजूद है कि ब्रिटेन एक विकसित देश हैं जबकि भारत एक विकासशील देश है। इसी कारण दोनों देश की राजनीतिक संस्कृतियां भी अलग–अलग है। यही बात तीसरी दुनिया या विकासशील और अविकसित अन्य राष्ट्रों के ऊपर भी लागू होती है।

4. **अर्मूत नैतिक अवधारणा (Abstract Moral Concept) :** राजनीतिक संस्कृति को केवल अनुभव किया जा सकता है या उसे समझा जा सकता है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। इसीलिए उसे एक अभूर्त नैतिक अवधारणा कहकर पुकारा गया है।

5. **गतिशीलता (Dynamism) :** हालांकि राजनीतिक संस्कृति ऐतिहासिक विरासत और भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित होती है, फिर भी वह स्थिर न होकर सदैव गतिशील रहती है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक संस्कृति सामाजिक और आर्थिक परिवेश या तत्त्वों से बराबर प्रभावित होती है।

6. **परम्पराओं की भूमिका (Role of Traditions) :** राजनीतिक संस्कृतियां अपने देश की एतिहासिक एवं राजनीतिक परम्पराओं, जीवन–मूल्यों, आदर्शों और प्रथाओं आदि से बहुत अधिक प्रभावित रहती है और इस कारण राजनीतिक व्यवस्था के विकसित स्वरूप की वजह से कोई बड़ा अन्तर नहीं आता। इसलिए रिचर्ड रोज (Richard Rose), नामक विद्वान का कहना है कि ब्रिटेन में परम्परा और आधुनिकता के मिश्रण से ही इस देश के विकास को स्थायित्व और संतुलन प्राप्त हो सका है।

7. **राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास की घनिष्ठता (Close relationship between political culture) :** राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं और वे एक दूसरे से अभिन्न रूप से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं।

8. **निर्माणकारी तत्त्व (Formative factors) :** किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण और विकास में अनेक तत्व सहायक होते हैं। आमतौर पर इसके अन्तर्गत इस राष्ट्र का ऐतिहासिक विकास, इसकी परम्पराएं, जीवन मूल्य, आदर्श, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, सामाजिक और आर्थिक सरंचनाएं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, आदि अनेक तत्वों को शामिल किया जाता है।

9. **राजनीतिक संस्कृति के आधार (Basis of political culture) :** ल्यूसियन पाई ने राजनीतिक संस्कृति के आधारभूत तत्त्वों के रूप में ऐतिहासिक विकास, भूगोल और सामाजिक आर्थिक सरंचनाओं नामक तीन तत्त्वों का उल्लेख किया है। किन्तु कुछ विद्वान उनके अलावा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आम जनता

की अभिवृत्तियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसकी भागीदारी नामक दो और तत्त्वों का उल्लेख भी करते हैं।

10. **राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप व्यक्तिपरक है (Political culture in subjective in nature) :** राजनीतिक संस्कृति मुख्यतः व्यक्तिपरक स्वरूप की धारणा है क्योंकि राजनीतिक संस्कृति में लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यो व धारणाओं का विश्लेषण किया जाता है। लोगों के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विचार भिन्न–भिन्न होते हैं अर्थात् राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित विचार व्यक्तिपरक होते हैं। अतः राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप भी व्यक्तिपरक होता है।

## jktuhfrd lLÑfr d ?kVd ;k vx
## (Components of Political Culture)
## vFkok
## jktuhfrd lLÑfr dk fo'y"k.k
## (Analysis of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति मुख्य रूप से व्यक्तियों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोणों, भावनाओं और अभिवृत्तियों से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ यह है कि इस अवधारणा के अनुकूलन और राजनीतिक विषय नामक, दो घटक या अंग है।

1. **अनुकूलन (Orientation) :** अनुकूलन का शाब्दिक अर्थ प्रवृत्ति या झुकाव है। यह प्रवृत्ति ऐतिहासिक परम्पराओं, भावनाओं, मानदण्डों आदि के आधार पर निश्चित होती है। आमण्ड और पावेल के अनुकूलन के तीन घटकों या अंगों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है।

(i) *ज्ञानात्मक अनुकूलन या आचरण (Cognitive orientation)* : इसका अर्थ होता है कि व्यक्तियों को अपने देश की व्यवस्थाओं के प्रति जानकारी ही ना हो। अतः कितनी अधिक जानकारी है। अर्थात लोगों को राजनीतिक समस्याओं, राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कितनी व किस प्रकार की जानकारी है। यह संभव है कि एक व्यक्ति को देश की राजनीतिक समस्याओं व राजनीतिक व्यवस्था के बारे मे पूरी जानकारी हो। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने देश की राजनीतिक समस्याओं और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों को ज्ञानात्मक अनुकूलन को जानना अति आवश्यक है। इसीलिए ज्ञानात्मक अनुकूलन को राजनीतिक संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण भाग या अंग माना जाता है।

(ii) *भावनात्मक अनुकूलन या आचरण* : भावनात्मक, अनुकूलन का तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था और उसके व्यक्तियो के निष्पादन और अन्य राजनीतिक उद्देश्यों के साथ नागरिकों के लगाव संलग्नता या अस्वीकरण से है।

(iii) *मूल्यांकन अनुकूलन या आचरण* : इसका तात्पर्य राजनीतिक उद्देश्यों और घटनाओ के साथ जुड़े हुए मूल्यों के बारे में निर्णय करने और अभिमत बनाने से होता है।

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर लोग राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती तो लोग उसके असफल होने के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं।

अतः राजनीतिक व्यवस्था का कार्य पद्धति और इसके उद्देश्य के प्रति लोगों के मूल्यांकनकारी आचरण को जानना बहुत आवश्यक है। लोगों के मूल्यांकनकारी आचरण को जाने बिना राजनीतिक संस्कृति को समझा नहीं जा सकता। इसी कारण मूल्यांकनकारी आचरण को राजनीतिक संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाना है।

इसके अतिरिक्त रॉबर्ट डहल ने राजनीतिक संस्कृति के चार निम्नलिखित अनुकूलनों का उल्लेख किया है।

(i) समस्याओं का समाधान करने वाले अनुकूलन

(ii) सामूहिक रूप से काम करने की प्रवृत्ति

(iii) राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अनुकूलन।

(iv) अन्य व्यक्तियों के प्रति अनुकूलन।

2. **राजनीतिक विषय (Political Subjects) :** अनुकूलन के विषय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होते हैं। उसकी उप–व्यवस्थाओं के बारे में ही अनुकूलन का प्रश्न खड़ा होता है। अनुकूलन के ये चार विषय निम्नलिखित हैं–

(i) *राजनीतिक व्यवस्था (Political System)* : राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था अनुकूलन का विषय भी हो सकती है और नहीं भी। जिन राष्ट्रों की स्वतन्त्रता प्राप्त किए हुए थोड़ा समय होता है वहां पर अनुकूलन की समस्या अधिक दिखाई देती है। अफ्रीका, एशिया के नवीन राष्ट्र इसके उदाहरण है।

(ii) *राजनीतिक सरंचना अनुकूलन का विषय (Political Structure as the object of Orientation) :* जनता के द्वारा कूाननों का पालन राजनीतिक संरचना के प्रति अनुकूलन कहा जाता है, बशर्ते वह भय या आतंक पर आधारित न हो। अगर जनता को विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की प्रशासनिक संरचना पर विश्वास है तो जनता इनके कार्यों का समर्थन करेगी।

(iii) *नीतियाँ और समस्याएं (Problems and Policies)* : देश की राजनीतिक समस्याएँ और नीतियाँ भी अनुकूलन से संबंधित है। प्रत्येक राजनीतिक संस्कृति का झुकाव राजनीतिक उद्देश्यों की ओर होता है। अगर सरकार इन्हीं उद्देश्यों को पाने की कोशिश करती है तो जनता इसका समर्थन करती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों में खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन जनता द्वारा किया जाता है। इसी कारण इन देशों की सरकारें अर्थव्यवस्था में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती।

(iv) *व्यक्ति एक राजनीतिक अभिनेता के रूप में (Individual as the Political Actor)* : व्यक्ति को भिन्न–भिन्न तरह की भूमिकाएं निभाने के साथ राजनीतिक भूमिका भी पूरी करनी होती है। ऐसा करते समय व्यक्ति अपने राजनीतिक विचारों से बहुत अधिक प्रभावित होता है जो कि उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करते हैं।

## fu"d"k

## (Conclusion)

इसमें सन्देह नहीं कि किसी भी देश की राजनीति का उस देश की राजनीतिक संस्कृति के साथ गहरा संबंध होता है। इसका कारण यह है कि किसी भी देश की राजनीति उस देश के लोगों के राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक विश्वासों, जीवन मूल्यों, आदर्शों आदि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। अतः अगर हमें किसी भी देश अथवा दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तथ्यपरक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें उस देश या देशों की राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना होगा क्योंकि इसके अभाव में हम राजनीतिक जीवन की गुत्थियाँ या वास्तविकता को पहचान नहीं सकेंगे। यही कारण है कि आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक संस्कृति की प्रासंगिकता बराबर बढ़ती चली जा रही है।

# jktuhfrd lLÑfr ds izdkj
## (Kinds of Political Culture)

# vFkok

# jktuhfrd lLÑfr dk oxhZdj.k
## (Classification of Political Culture)

यह धारणा बिल्कुल सही है कि एक राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त जनसंख्या की एक ही राजनीतिक संस्कृति होती है। परन्तु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, एक राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर सहमति हो सकती है लेकिन उनमें शिक्षा का स्तर, रक्तवंशीय सदस्यता, भौगोलिक, अधिवास व सामाजिक व आर्थिक स्थितियों और धार्मिक विश्वासों को लेकर मतभेद हो सकता है। इन्हीं मतभेदों के आधार पर समाज में राजनीतिक उपसंस्कृतियां स्थापित हो जाती है।

राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न रूपों के बारे में ऐलन आर० बाल (Allen R. Ball) का कहना है कि राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि क्या समाज के सदस्य राजनीतिक क्रिया–कलापों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और सरकार की गतिविधियों से लाभ की उम्मीद रखते हैं अथवा क्या सरकार और व्यक्तियों में निष्क्रिय संबंध है जिससे व्यक्तियों को सरकार की गतिविधियों का बहुत कम ज्ञान रहता है और वे निर्णय करने की प्रक्रिया में भागीदार बनने की कोई इच्छा नहीं रखते।

# jktuhfrd lLÑfr ds fofHkUu :i
## (Various Types of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हुए आमण्ड का कहना है कि हमें पहले निम्नलिखित दो बातों को अपने ध्यान में रखना चाहिए–

(क) **प्रजा की भूमिका (Role of the subjects) :** आमण्ड के मतानुसार प्रजा से तात्पर्य समाज में रहने वाले उन व्यक्तियों से हैं जिन पर राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों और निर्णयों का प्रभाव तो पड़ता है लेकिन वे सरकार के सामने निवेश के रूप में मांगे रखने और निर्गत के रूप मे निर्णय लेने मे कोई भूमिका अदा नहीं करते अर्थात् भागीदारी पेश करने व निर्णय लेने में उनका कोई भाग नहीं होता।

(ख) **भागीदारों की भूमिका (Role of the participants) :** आमण्ड का भागीदारों से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो राजनीतिक व्यवस्था की निवेश और निर्गत प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। दूसरे शब्दों में, भागीदार वे व्यक्ति होते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख मांगे (Demands) पेश करने और निर्णय लेने (Decision-making) में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं।

इसी विश्लेषण के आधार पर ग्रैबील आमण्ड और सिडनी वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के तीन रूप बताए हैं जो निम्नलिखित हैं।

1. संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति (Parochial Political culture)
2. पराधीन राजनीतिक संस्कृति (Subject Political Culture)
3. भागीदार राजनीतिक संस्कृति (Participant Political Culture)

1. **संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति (Parochial Political Culture) :** इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति आमतौर पर कम विकसित और परम्परागत राजनीतिक समाजों में पाई जाती है। इसका अर्थ बताते हुए आमण्ड और वर्बा (Almond and Verba) ने लिखा है, ''संकीर्ण अनुकूलन राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों के प्रति अपेक्षाकृत रूप में व्यक्तियों की उदासीनता को दर्शाता है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था से किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं रखती।''

2. **पराधीन राजनीतिक संस्कृति (Subject Political Culture) :** पराधीन राजनीतिक संस्कृति से आमण्ड और वर्बा का तात्पर्य इस समाज की राजनीतिक संस्कृति से है, जहाँ पर आम आदमी या तो अकर्मण्य है या फिर वह राजनीतिक व्यवस्था की तनिक भी प्रभावित नहीं करता और शासकों के आदेशों का पालन स्वभाववश या विवशता के कारण चुपचाप करता चला जाता है।

3. **भागीदार राजनीतिक संस्कृति (Participant Political Culture) :** ऐसी राजनीतिक संस्कृति उन समाजों में पाई जाती है जो लोकतंत्रीय व्यवस्था के अन्दर राजनीतिक जागरुकता रखते हुए राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत चलने वाले निवेश और निर्गत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं।

4. **मिश्रित राजनीतिक संस्कृति के रूप (Kinds of Mixed Political Culture) :** उपरोक्त तीनों प्रकार की संस्कृति के तत्त्व, दूसरे राजनीतिक संस्कृति के तत्त्वों से मिल जाते हैं। आमण्ड के अनुसार सभी राजनीतिक प्रणालियाँ सांस्कृतिक रूप में मिश्रित प्रकार की होती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में इसकी सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृति एक प्रकार की नहीं होती।

प्रत्येक समाज में इन संस्कृतियों का मिश्रण होता है। आमण्ड (Almond) ने इन तीन प्रकार की मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों का वर्णन किया है–

(i) संकीर्ण पराधीन राजनीतिक संस्कृति

(ii) पराधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति

(iii) संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति

(i) **संकीर्ण पराधीन राजनीतिक संस्कृति :** इस प्रकार की संस्कृति मिश्रित संस्कृति का प्रथम रूप है। इसमें संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति व पराधीन राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं सम्मिलित होती है। इसमें ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनमें किसी प्रकार का लगाव या रूचि नहीं होती। साथ ही इस प्रकार के लोग भी पाए जाते हैं जिनकी राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों के प्रति रुचि होती है।

(ii) **पराधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति (Subject Participant Political Culture) :** इस प्रकार की संस्कृति पराधीन राजनीतिक संस्कृति और सहभगी राजनीतिक संस्कृति के गुणों के मिश्रण से बनती है। ऐसी संस्कृति उन समाजों में पाई जाती है जहां लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव होता है। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका लगाव सरकार के निवेशों और निकासों से होता है।

(iii) **संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति (Parochial participant Political Culture) :** इस प्रकार की संस्कृति संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति के गुणों का मिश्रण होती है। साधारण शब्दों में इस प्रकार की संस्कृति समाजों में प्रचलित होती है, जहां पर लोगों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति किसी प्रकार का लगाव नहीं होता। उन्हें राजनीतिक प्रणाली के बारे में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, लेकिन इसके साथ इस समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों और निकासों का पूर्ण ज्ञान होता है।

उपर्युक्त तीन प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों के अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने इसके अन्य पाँच रूप और बताएँ हैं जो निम्नलिखित हैंः–

1. पंथ–निरपेक्ष या धर्म–निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति (Secular Political Culture)
2. नागरिक राजनीतिक संस्कृति (Civil Political Culture)
3. सैद्धांतिक राजनीतिक संस्कृति (Ideologcal Political Culture)
4. समरूप राजनीतिक संस्कृति (Homogeneous Political Culture)
5. खण्डित राजनीतिक संस्कृति (Fragmented Political Culture)

1. **पंथ–निरपेक्ष या धर्म–निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति (Secular Political Culture) :** पंथ–निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताते हुए आमण्ड तथा पावेल ने लिखा है कि इसमें परम्परागत अनुकूलनों तथा वृत्तियों का स्थान अधिक गतिशील निर्णय प्रक्रियाएं ले लेती हैं और वहां तथ्यों को इकट्ठा करके उनका मूल्यांकन किया जाता है, वैकल्पिक रास्ते तय किए जाते हैं और एक मार्ग चुनकर यह पता लगाया जाता है कि इससे इच्छित परिणाम निकलेगा या नहीं।

2. **नागरिक राजनीतिक संस्कृति (Civil Political Culture) :** इस तरह की राजनीतिक संस्कृति में भागीदारी और सहनशीलता के तत्त्व विद्यमान होते हैं। यह हमें सच्चे लोकतान्त्रिक व्यवस्था में ही प्राप्त हो सकती है और उसकी सफलता के लिए आवश्यक भी मानी जाती है। इसमें विशिष्ट वर्ग को राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार भी होता है, लेकिन साथ–साथ इस वर्ग को उत्तरदायी भी बनाया जाता है जिससे वह वर्ग न तो अपनी मनमानी कर सकता है और न ही जनता उसे ऐसा करने दे सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश ऐसी राजनीतिक संस्कृति के उदाहरण हैं।

3. **सैद्धांतिक राजनीतिक संस्कृति (Ideological Political Culture) :** इस प्रकार की संस्कृति एक विशेष प्रकार की विचारधारा पर आधारित होती है तथा समाज के व्यक्तियों के जीवन को इसी विचारधारा के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में राज्य के द्वारा एक विशेष राजनीतिक विचारधारा को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसी विचारधारा को सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन में पूरी तरह लागू किया जाता है। स्वतन्त्र विचार या चिन्तन का इसमें कोई स्थान नहीं होता।

4. **समरूप राजनीतिक संस्कृति (Homogeneous Political Culture) :** जिस देश के निवासियों के राजनीतिक विचारों में बहुत अधिक विषमता नहीं होती, वहां समरूप राजनीति संस्कृति पाई जाती है। ऐसे देश में लोगों के राजनीतिक उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति के साधनों के विषय में एक जैसे विचार होते हैं और विभिन्न नेताओं तथा दलों में आधारभूत बातों पर गहरे मतभेद नहीं होते। अमेरिका, ब्रिटेन आदि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। वहां के लोगों में प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं जन कल्याण जैसे राजनीतिक विचारों पर एक मत है। यही नहीं, इस विचार को कार्यान्वित करने वाले साधनों पर भी सर्वसम्मति है।

5. **खण्डित राजनीतिक संस्कृति (Fragmented Political Culture) :** यह संस्कृति प्रायः ऐसे देशों में मिलती है जहां विभिन्न वर्गों या राजनीतिक दलों के राजनीतिक प्रतिमान अलग–अलग तरह के होते हैं और उनमें सहमति कायम होना सरल नहीं होता।

## fu"d"kZ (Conclusion)

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृतियों में अनेक रूप हैं। आधुनिक काल में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति का कोई एक विशुद्ध रूप देखने को नहीं मिलता। प्रायः इनके मिले–जुले रूप ही अधिकतर देशों में हमे देखने को मिलते हैं।

## jktuhfrd laLÑfr ds vk/kkj vFkok fu/kkjd rÙo
## (Foundations or Determinants of Political Culture)

प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संस्कृति के दायरे में कार्य करती है। राजनीतिक संस्कृति लोगों के मूल्यों, विश्वासों और झुकावों पर आधारित होती है। राजनीतिक संस्कृति देश की सामान्य संस्कृति से प्रभावित होती है। अतः सामान्य संस्कृति को प्रभावित करने वाले सभी तत्त्व–आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व भौगोलिक, राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं।

इससे यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन जाता है कि राजनीतिक संस्कृतियों के ऐसे कौन से आधार हैं जिनसे उनकी प्रकृति का निर्धारण होता है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख आधारों का वर्णन निम्नलिखित है–

1. **एतिहासिक आधार (Historical Foundations of factors) :** इतिहास हमें किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अतीत से पूर्णतया संबंध तोड़ लेना संभव नहीं है।

   राजनीतिक घटनाएं सदैव राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। जैसे इंग्लैण्ड की राजनीतिक संस्कृति को मैग्नाकाटा (1215), पैटीशन ऑफ राईट (Petition of Rights, 1628), बिल ऑफ राईट (Bill of Rights, 1689) आदि ने प्रभावित किया। इसी तरह अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति को स्वाधीनता संग्राम (War of Independence) व गृह युद्ध (1865) ने प्रभावित किया। फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति पर वहां की क्रान्ति (1789) का प्रभाव पड़ा।

2. **भौगोलिक आधार (Geographical foundations or factors) :** किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाला दूसरा व महत्त्वपूर्ण तत्त्व भौगोलिक आधार है। जैसे भारत, अमेरिका व रूस पर अधिक क्षेत्रफल व अधिक जनसंख्या वाले देश होने के कारण, छोटे मोटे राजनीतिक तूफानों का कोई असर नहीं होता और वे उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं।

3. **समाज की सामान्य संस्कृति का आधार (Foundations of general culture of society) :** राजनीतिक संस्कृति समाज की सामान्य संस्कृति पर आधारित होती है। यह इसका एक प्रमुख नियामक तत्त्व है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति से अलग या स्वतन्त्र नहीं होती। अतः सामान्य संस्कृति राजनीति संस्कृति का एक मौलिक व स्थायी अधिकार है इसलिए यह आवश्यक है कि सामान्य संस्कृति के अनुकूल राजनीतिक संस्कृति अपनाई जानी चाहिए।

4. **सामाजिक–आर्थिक संरचना का आधार (Foundations of Socio-Economic Structure) :** राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। प्रत्येक समाज में विभिन्न जातीय समूह होते हैं जो जातीय भेदभाव व विरोधों को जन्म देते हैं।

5. **विचारधाराओं का आधार (The ideological Foundations) :** वर्तमान युग में विचारधारा, विशेषतः राजनीकि विचारधारा, राजनीतिक संस्कृति का महत्त्वपूर्ण कारक बन गई है। विचारधारा सिद्धांतों का संग्रह होती है तथा यह लोगों के मूल्यों, झुकावों एवं उद्देश्यों आदि को बदलने में सहायता करती है। राजनीतिक सिद्धांत के नाजीवाद, फासीवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद व गांधीवाद मुख्य विचारधाराएं हैं।

## fu"d"k (Conclusion)

राजनीतिक संस्कृति के ये मुख्य निर्धारक तत्त्व हैं। ये राजनीतिक संस्कृति को आधार प्रदान करते हैं। अतः एक राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक संस्कृति के इन कारकों का अध्ययन करना अरपश्यक होता है। इन कारकों के अध्ययन के बिना राजनीतिक व्यवथ्था को समझना कठिन हो जाएगा।

# jktuhfrd lLÑfr dk /keZ&fujis{khdj.k
# (Secularization of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति की देन है। जब इस राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। अर्थात् इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में लोगों के राजनीतिक विश्वास और दृष्टिकोण सकीर्ण व रूढ़िवादी न होकर व्यापक और अन्तर्राष्ट्रीय होते हैं। लोगों को राजनीतिक सहभागिता के बारे में काफी मात्रा में जानकारी होती है तथा वे राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में बुद्धिमता के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

विषय की स्पष्टता के लिए धर्म निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है।

1. **आमण्ड और पावेल (Almond and powell) के अनुसार,** "धर्म निरपेक्षीकरण में लोग अपनी राजनीतिक व्यवहार में लगातार विवेकी, विश्लेषणात्मक व अनुभवी बनते चले जाते हैं।

## jktuhfrd lLÑfr dk /keZ&fujis{khdj.k dh fo'ks"krk,a
## (Features of Secularization of Political Culture)

उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के बाद राजनीतिक संस्कृति के निरपेक्षीकरण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

1. राजनीतिक संस्कृति के धर्म–निरपेक्षीकरण होने के पश्चात् लोग अधिक जागरुक हो जाते हैं तथा इस कारण लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था का विवेक व तर्क के आधार पर विश्लेषण करते हैं।
2. लोग अपने संकीर्ण विचारों को छोड़कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं।
3. लोग इसमें किसी एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से सम्बद्ध नहीं होते। वे राजनीतिक व्यवस्था व उसके निर्णयों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करते हैं और यह प्रयत्न करते हैं कि निर्णयों को अधिक से अधिक लोगों के लाभ के लिए लागू किया जा सके।
4. इसमें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक ढांचों, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक विषयों के प्रति अनुकूलन व्यावहारिक तथा आनुभाविक होते हैं।
5. इसमें रंग, धर्म, जाति, रीति–रिवाजों और क्षेत्रवाद की भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता।
6. यह सरंचनात्क भिन्नता पर आधारित होती है। सरंचनात्मक भिन्नता का अर्थ है कि विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न सरंचनाओं का होना।
7. राजनीतिक संस्कृति की धर्म–निरपेक्षता में लोगों का राजनीतिक प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण व्यावहारिक व क्रियात्मक होता है।

## /keZ&fujis{k jktuhfrd laLÑfr ds fodkl esa lgk;d rÙo
## (Factors Helpful in the Growth of Secular Political Culture)

धर्म–निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति के विकास में अनेक तत्त्वों में से मुख्य तत्त्वों का वर्णन निम्नलिखित है–

1. **शिक्षा (Education)** : शिक्षा का धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा व्यक्तियों के कल्याण और इसके मूल्यों को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति के विचारों व दृष्टिकोण को बनाने में शिक्षा की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आमण्ड और पावेल ने ठीक ही कहा है, ''साक्षरता के विस्तार से आचरणों की विशिष्टता भी बढ़ती है।
2. **रेडियो और टी०वी० (Radio and Television) :** आधुनिक युग में रेडियो और टेलीविजन जन प्रसार के मुख्य साधन है। इस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों को जनता बड़ी रुचि से देखती है। ये कार्यक्रम लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं।
3. **निष्पक्ष समाचार पत्र (Secular Press) :** निष्पक्ष समाचार पत्र राजनीतिक संस्कृति के धर्म–निरपेक्षीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। आधुनिक युग में समाचार पत्रों की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता।
4. **राजनीतिक व्यवस्था या प्रणाली के प्रकार (Types of Political System) :** राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार पर भी राजनीतिक संस्कृति का धर्म–निरपेक्षीकरण निर्भर करता है। समाज में तानाशाही सरकार होने पर लोगों को स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं होती।
5. **धर्म–निरपेक्ष राज्य (Secular State) :** धर्म–निरपेक्ष राज्य वे राज्य होते हैं जिनकी ओर से किसी धर्म का विशेष प्रचार, प्रचलन अथवा नियंत्रण नहीं किया जाता और जो धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं। इस प्रकार का राज्य धर्म और राजनीति में विश्वास करता है और यह मानता है कि राज्य की ओर से किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दी जाती है और न ही किसी धर्म विशेष का विरोध किया जाता है।

## fu"d"k (Conclusion)

धर्म–निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति की धारणा आधुनिक युग की देन है। यदि बारीकी से देखा जाए तो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की सफलता का आधार धर्म–निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति है। विश्व की सभी प्रजातांत्रिक प्रणालियों का आधार धर्म–निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति ही है।

# jktuhfr lLÑfr dh mi;ksfxrk
# (Utility of Political Culture)

# vFkok

# jktuhfrd lLÑfr dk egÙo
# (Importance of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति की उपयोगिता पर विभिन्न विचारकों ने भिन्न–भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। राजनीतिक संस्कृति की उपयोगिता पर चर्चा करने वाले मुख्य लेखक सिडनी, वर्बा, पीटर मर्कल, ल्युसियन पाई व ए०सी० वर्मा हैं। इन लेखकों के आधार पर राजनीतिक संस्कृति की उपयोगिता का वर्णन निम्नलिखित है–

1. **राजनीतिक व्यवस्था पर केन्द्रित करने में सहायक (Helpful in focusing attention on political system):** राजनीतिक संस्कृति की सर्वप्रथम उपयोगिता यह है कि इसने विद्वानों का ध्यान राजनीतिक व्यवस्था पर केन्द्रित किया, इससे व्यक्ति के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था अध्ययन का केन्द्र बनी है।

2. **राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र विस्तृत होने में सहायक (Helpful in Broadening the scope of political Science) :** राजनीतिक संस्कृति में साधारणतः राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक तत्त्वों का अध्ययन भी किया जाता है। इसी कारण राजनीतिशास्त्र के विद्वानों को राजनीतिक संस्कृति ने गैर राजनीतिक तत्त्वों का भी अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। अतः इससे राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई।

3. **व्यवहार के नियामकों के अध्ययन में सहायक (Helpful in the study of Determinants of Behaviour) :** राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा ने व्यक्ति के विवेकी और अविवेकी व्यवहार के नियामकों के अध्ययन में सहायता की है। इससे यह समझने में सहायता मिली है कि राजनीतिक समाज राजनीतिक विकास की भिन्न भिन्न दशाओं में कैसे जाता है। यह राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक ह्यस, कैसे और क्यों होता है, समझने में सहायता मिलती है।

राजनीतिक संस्कृति के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यह राजनीतिक व्यवस्था के विकास को समझने में सहायता करती है। यह धारणा यह भी स्पष्ट करती है कि किस समाज में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली अपनाई जाती है। राजनीतिक संस्कृति ने राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन को ओर अधिक उपयोगी बनाया है। इसे राजनीतिक समाजीकरण की कमियों को समाप्त करने वाला उपागम माना जा सकता है।

# jktuhfrd lLÑfr dh vo/kkj.kk dh vkykspuk
# (Criticism of Concept of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में मिश्रित स्वागत हुआ है। इसी अवधारणा के अध्ययन के कारण आमण्ड और वर्बा को बहुत प्रशंसा मिली। यह कहा गया कि इस अवधारणा द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को समझने में सहायता मिलेगी। इस धारणा को नए पक्ष की संज्ञा दी गई, लेकिन इस अवधारणा के अध्ययन में कई प्रकार की कठिनाइयां और कमियाँ सामने आईं। उन्हीं आधारों पर इसकी आलोचना की गई है।

राजनीतिक संस्कृति के जिन दोषों व कमियों का उल्लेख किया गया है, उनका वर्णन निम्नलिखित है–

1. **अस्पष्ट अवधारणा (A Vague concept) :** राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा अस्पष्ट है। विचारकों द्वारा न तो इसकी परिभाषाएं दी गई है और न ही कोई सुनिश्चित व्याख्या की गई है। विचारकों द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि राजनीतिक संस्कृति को किस प्रकार ठीक प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है।

2. **पुराना विचार, नया नाम (Old idea, new name) :** राजनीतिक संस्कृति की यह कहकर आलोचना की गई है कि यह पुराने विचारों के रूप में नया नाम है। जिन मान्यताओं का अध्ययन पहले किया जाता था, उन्हें ही नया नाम दिया गया है। जैसे राष्ट्रीय चरित्र, राजनीतिक मूल्य आदि जिनका राजनीतिक संस्कृति में उल्लेख किया गया है, उनका अध्ययन राजनीति शास्त्र में पहले भी किया जाता था। ऐसी स्थिति में मौलिकता कहाँ है, नवीनता क्या है? इसी सन्दर्भ में ऐबकरियन एवं मैसानेत ने कहा है कि यह अवधारणा पुराने विचार पर एक नया लेबल मात्र है।

3. **सामान्य संस्कृति एवं राजनीतिक संस्कृति के निर्धारिक तत्त्वों में अन्तर स्पष्ट नहीं (Difference between Determinants General culture and Political Culture is not clear):** यह ठीक है कि सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति का आधार है और इन दोनों में गहरा संबंध है। लेकिन राजनीतिक संस्कृति के विचारकों ने इस संबंध को ठीक से परिभाषित नहीं किया है। क्या दोनों के निर्धारक तत्त्व एक से हैं या अलग–अलग। मगर निर्धारक तत्त्व अलग है तो कौन से अलग हैं। क्या अब राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है तब वह सामान्य संस्कृति को भी प्रभावित करती है, आदि, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका अन्तर आमण्ड और वर्बा ने नहीं दिया है।

4. **राजनीतिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन असंभव (Comparative Study of political Culture is not Possible) :** राजनीतिक संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, परन्तु यह तुलनात्मक अध्ययन केवल लोकतन्त्रीय राष्ट्रों या समाजों में ही किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति के प्रतिपादकों ने यह नहीं बताया कि अधिनायकवादी समाजों में तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जा सकता है, जहाँ लोगों से कोई साक्षात्कार नहीं किया जा सकता और न ही कोई सर्वेक्षण किया जा सकता है।

## fu"d"k **(Conclusion)**

अन्त में यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त त्रुटियों के बावजूद भी राजनीतिक संस्कृति का अपना महत्त्व है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के विकास से ही राजनीतिक व्यवस्थाओं की वास्तविक प्रकृति, उनके विकास और विकास की संभावित दशाओं को समझने में सहायता मिलती है, किन्तु राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग सावधानी से करना होगा, अन्यथा यह अवधारणा भी राजनीति की वास्तविकताओं को समझने में विशेष सहायक नहीं होगी।

# vH;kl&iz'u
# (Exercise-Questions)

## fucU/kkRed ç'u **(Essay Type Questions)**

1. राजनीति संस्कृति की परिभाषा दीजिए। इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

   Define Political Culture. Discuss its characteristics.

2. राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य तत्त्वों का वर्णन कीजिए।

   What do you mean by political culture? Discuss its main components.

3. राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दीजिए। राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न रूपों या प्रकारों का वर्णन कीजिए।

   Define political culture. Discuss the various types of political culture.

4. राजनीतिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है? राजनीतिक संस्कृति के आधार अथवा निर्धारक तत्त्वों का वर्णन कीजिए।

What do you understand by political culture? Discuss the foundations or determinants of political culture.

5. राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताओ तथा इसका आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए।

State and critically examine the concept the political culture.

6. राजनीतिक संस्कृति के धर्म–निरपेक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके विकास के आवश्यक तत्त्वों का वर्णन करो।

What do you mean by secularization of political culture? Discuss its factors responsible for its progress.

7. राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दीजिए। राजनीतिक संस्कृतिक के महत्त्व या इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

Define political culture. Discuss the importance or utility of political culure.

# v/;k; 8

# jktuhfrd lekthdj.k

# (Political Socialization)

- समाजीकरण का अर्थ
- राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ एंव परिभाषा
- राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या
- राजनीतिक समजीकरण की विशेषताएं
- राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार
- राजनीति समाजीकरण के अभिकरण
- राजनीतिक समाजीकरण का महत्व

*बच्चा जब समाज में जन्म लेता है तो वह सभी सामाजिक बन्धनों से मुक्त होता है। उसका मन एंव मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। बच्चा धीरे–धीरे बढ़ता है तथा परिवार से स्कूल तथा स्कूल से समाज में पदार्पण करता है। बाल्यकाल से ही व्यक्ति जीवन के विभिन्न अनुभवों की अनुभूति करता है और स्थितियों का अध्ययन करता है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं।*

*समाजीकरण की प्रक्रिया एक अनवरत प्रक्रिया हैं। यह प्रक्रिया केवल समाजीकरण तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह राजनीतिक समाजीकरण की और अग्रसर होती है। आज का युग राजनीति प्रधान ु ग है। व्यक्ति तथा समाज का कोई भी पहलू राजनीति से अछूता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुडा हुआ है। क्योंकि पान या नाई की दुकान पर एकत्रित लोग, चाय की दुकान पर चाय का आनन्द उठाते लोग अक्सर राजनीतिक मुद्दों पर बहस करते हुए दिखायी देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि लोगों का राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है। लेकिन राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि हम समाजीकरण का अर्थ जान लें।*

## lekthdj.k dk vFk

## (Meaning of Socialization)

प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय को सीखने के लिये कोई–न–कोई औपचारिक संस्था होती है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ता ह। इसी प्रकार स्कूल या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन कोई ऐसा औपचारिक संस्था नहीं है जो मनुष्य को सामाजिक प्राणी होने के लिए शिक्षा देती है। समाजीकरण का पहला और सर्वाधिक महतवपूर्ण अभिकर्ता परिवार है। परिवार ही मनुष्य का प्रारंभिक शैक्षिक केन्द्र है, जहाँ वह खाना–पीना, उठना–बैठना, चला–फिरना, बोलना, रहना इत्यादि व्यवहार सीखता है। इस प्रकार मनुष्य का समाज के विभिन्न पक्षों से धीरे–धीरे ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य धीरे–धीरे अपने आप को समय के साथ–साथ बदलते समाज के मूल्यों के अनुसार ढालता है। अतः समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया हे जिसमें मनुष्य अपने आपको बदलती सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता है।

मनुष्य समाज में रहना या व्यवहार करना समाज से ही सीखता है। इस प्रकार मनुष्य धीरे–धीरे सामाजिक प्राणी के रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण की परिभाषा देते हुए बोगार्डस

(Bogardus) ने कहा है, "समाजीकरण इकट्ठे काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व को विकसित करने का एक क्रम है, जो कि अन्यों के कल्याण की भावना से प्रेरित होता है।" समाजीकरण के संबंध में जॉनसन (Johnson) ने कहा है, "समाजीकरण एक प्रशिक्षण है जो कि प्रशिक्षार्थी को समाज में उसकी भूमिका निभाना सिखाता है। "समाजीकरण के संदर्भ में ऑगबर्न्ज (Ogburns) ने विचार व्यक्त किया है, "समाजीकरण एक क्रम है जिससे व्यक्ति समूह स्तर या व्यवस्थाओं के अनुकूल ढल जाना सीखता है। "इसी तरह गिलिन और गिलिन ने समाजीकरण का अर्थ बताते हुए कहा है, "समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के स्तरों के अनुसार, समूह की गतिविधियों के अनुकूल उसकी परंपराओं का पालन करके और स्वंय और सामाजिक अवस्थाओं के अनुकूल करके समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में विकसित होता है।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समाजीकरण के निम्नलिखित तत्व हैं:–

1. यह एक प्रक्रिया (Process) है।
2. यह प्रक्रिया धीरे–धीरे चलती हैं
3. यह एक सतत् प्रक्रिया है।
4. यह व्यक्ति को सामाजिक–सांस्कृतिक नियमों, मुल्यों तथा सिद्धान्तों की जानकारी देता है।

## jktuhfrd lekthdj.k dk vFk ,oa ifjHkk"kk
## (Meaning and Definitions of Political Socialization)

राजनीतिक समाजीकरण, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तों के अन्तर्गत एक नई एवं महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को राजनीतिक दृष्टिकोण से विकसित होने में उसकी सामाजिक स्थिति, वातावरण, मनौवैज्ञानिक रचना इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ता है। 20वीं शताब्दी की यह नई अवधारणा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र से अत्याधिक प्रभावित हुई है। प्राचीन काल से राजनीतिक शास्त्र के प्रारंभिक विद्वानों ने राजनीतिक समाजीकरण की महता को पहचाना। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा एवं दीक्षा पर बल दिया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' (Republic) में नागरिकों के साथ–साथ शासकों को भी राजनीतिक शिक्षा पर बल दिया है। परंतु राजनीतिक समाजीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन 1959 के बाद हुआ जब हरबर्ट एच हायमन (Herbert H. Hyman) ने अपनी 'राजनीतिक समाजीकरण' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया।`

1. एल्मोण्ड और पॉवेल (Gabriel A. Almond and G. B. Powell) लिखते हैं, "राजनीतिक समाजीकरण एक क्रिया विधि (प्रक्रिया) है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखा जाता है और बदला जाता है।"
2. हरबर्ट एच० हायमन (Herbert H. Hyman) के अनुसार "राजनीतिक समाजीकरण विभिन्न मध्यस्थ एजेन्सियों के माध्यम से, व्यक्ति द्वारा अपनी समाजिक स्थितियों से संबंधति प्रतिरूपों का अध्ययन है।
3. डेनिस कावानाग (Dennis Kavanagh) के अनुसार, "राजनीतिक समाजीकरण शब्द उस प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति आकर्षित होता है और उसे सीखता एंव विकसित करता है।
4. रूश और अल्थॉफ (Rush and Althoff) का कहना है, "राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जो राजनीतिक ज्ञान और राजनीतिक घटनाओं के विषय में उसके संबंधों को सुनिश्चित करती है।
5. ऐलन आर० बाल (Allen R. Ball) के अनुसार "राजनीतिक व्यवस्था के बारे में दृष्टिकोण और विश्वास की स्थापना तथा विकास राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है।"
6. ऑस्टीन रेने (Austin Rainey) का कहना है, "राजनीतिक समाजीकरण का सामान्य अर्थ जनता का समाजीकरण है क्योंकि इसके द्वारा आम आदमी अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित करते हैं।"

7. राबर्टस (Roberts) के शब्दों में, "राजनीतिक एक विधि है, जिसके द्वारा एक और व्यक्ति राजनीतिक तथ्यों के द्वारा समाज विश्वासों और स्तरों केा एक पीढी से आने वाली को देता है।"

8. एरिक रो (Eric Rowe) के अनुसार, "राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक संस्कृति के मूल्य, विश्वास और भावनाएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुँच जाते है।"

अतः राजनीतिक समाजीकरण "वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और उनमें परिवर्तन किया जाता है। इस कार्य के निष्पादन के माध्यम से व्यक्तियों को राजनीतक संस्कृतियों में शामिल किया जाता है, तभी राजनीतिक वस्तुओं के प्रति उनके अभिविन्यास का निर्माण किया जाता है। अर्थात यह उस शिक्षण प्रक्रिया की और निर्देश करता है। जिसके द्वारा सुसंचालित राजनीतिक व्यवस्था के लिए स्वीकार्य मानकों और व्यवहारों को एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक सम्प्रेषित किया जाता है।

## jktuhfrd lekthdj.k dh 0;k[;k
## (Explanation of Political Socialization)

राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति से जुड़ी हुई एक ऐसी प्रक्रिया है जो बराबर चलती रहती है और जिसने हर देश की राजनीति या राजनीतिक गतिविधियों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया असामान्य हालतों या संकटों के दौरान बहुत अधिक तेज हो जाती है। जब कभी किसी देश में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, या मुद्रा–स्फीति अथवा राजनीतिक नेताओं के भ्रष्टाचार और अकुशलता की वजह से राजनीतिक स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है, तब सार्वजनिक समस्याओं के बारे में आम जनता का दृष्टिकोण क्रान्तिकारी रूप में बदल जाता है। साम्राज्यवादी देशों की दमनकारी नीतियों ने भी अधीनस्थ राज्यों की जनता के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाकर उन्हें उग्र रवैया अपनाने की प्रेरणा दी है। जैसे – पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सक्रिय सहायता करने वाले गाँधी जी काले रॉलेक्ट एक्ट और जालियावाला बाग हत्याकांड के बाद अहिंसक सत्याग्राही बन गये और उनके नेतृत्व में देश ने असहयोग आन्दोलन छोड़कर आजादी की मांग तेज कर दी। इसी प्रकार सन् 1920 तक राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले मुहम्मद अली जिन्ना बाद में साम्प्रदायिकता का आधार बनाकर उन्होंने देश का विभाजन तक करा डाला। इस प्रकार विद्वानों का यह कहना है कि राजनतिक समाजीकरण की इस प्रक्रिया में कल के विरोधी आज के सहयोगी और सहयोगी विरोधी के रूप में दिखायी देते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अगर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है तो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था एंव संस्कृति से सामंजस्य बिठाकर सामान्य रूप से चलती रहती है। परन्तु जब राजनीतिक समाजीकरण की गति बहुत तीव्र होती है तब राजनीतिक संस्कृति से सामंजस्य नहीं बैठा पाती है।

## jktuhfrd lethdj.k dh fo'k"krk,a
## (Features of Political Socialization)

राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है।

1. **राजनीतिक समाजीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया (Political Socialization is Universal Process)**– राजनीकि समाजीकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो सभी समाजों में चलती रहती है। इस पर सरकार के प्रकार यानि लोकतांत्रिक या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोकतात्रिंक या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था से केवल इतना अन्तर आता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रक्रिया की गति तेज होती जबकि सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था में गति धीमी होती है।

2. **राजनीतिक संस्कृति से गहरा संबंध (Close link with Political Culture)**–राजनीतिक समाजीकरण का राजनीतिक संस्कृति से गहरा संबंध है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया से राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तह पहुँचती है। प्रोफेसर एस० पी० वर्मा ने राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति के बीच गहरे संबंध की व्याख्या करते हुए कहा कि राजनीतिक समाजीकरण से राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने या नई

राजनीतिक संस्कृति का विकास करने के लिये भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात् राजनीतिक समाजीकरण के तीन मुख्य कार्य हैं– (1) राजनीतिक संस्कृति को बनाये रखना (2) उसमें परिवर्तन करना तथा (3) नई राजनीतिक संस्कृति को नई पीढी तक पहुँचाना। अतः राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दुसरी पीढ़ी तक केवल उन्हीं समाजों में पहुँचाया जा सकता है जहाँ राजनीतिक स्थायित्व है और लोगों के राजनीतिक मूल्य विवेक पर आधारित है।

3. **सीखने की प्रक्रिया (A Learning Process)**–प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों ओर के वातावरण या परिवेश से प्रभावित होता है और उसमें राजनीतिक अनुकूलन (Political Orientation) की भावनांए विकसित होती है और उसे नई–नई बातें सिखाती हैं, जिन्हें राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है।

4. **राजनीतिक समाजीकरण प्रकट एंव प्रच्छन्न दोनों रूप में (Political Socialization may be Mainfest or Latent)–**किसी विशेष उद्देश्य के लिए राजनीतिक समाजीकरण का स्पष्ट एंव प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता हैं तो इसे प्रत्यक्ष या प्रकट राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। स्कूलों, कॉलेजों आदि में विद्यार्थियों को अनुशासन, कर्तव्यों का पालन ओर कानून पालन आदि की शिक्षा देना प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण का उदाहरण है। गैर–राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये किये गये प्रयास राजनीति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य नियम, स्वतः एंव अचेत रूप में होती है। अतः राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक समाज में प्रत्यक्ष या स्पष्ट या प्रकट एवं गुप्त या अप्रत्यक्ष या प्रच्छन रूप में होती रहती है।

5. **राजनीतिक समाजीकरण औपचारिक एंव अनौपचारिक दोनों रूप में (The Political Socialization is both formal and Informal)–**राजनीतिक समाजीकरण सचेत रूप में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं, समाचार पत्रों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो यह राजनीतिक समाजीकरण की औपचारिक प्रक्रिया हैं। औपचारिक प्रक्रिया में प्रयत्न विशेष रूप से किये जाते है। जबकि यदि लोगों के राजनीतिक मुल्यों, विचारों विश्वासों में परिवर्तन विशेष प्रयत्नों से न होकर अपने आप होता है तो इसे अनौपचारिक राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। जैसे भारत में 1975 में श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा आपात घोषण के बाद लोगों पर बहुत अत्याचार हुए। आपात स्थिति के बाद 1977 में आम चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गाँधी एंव उनकी पार्टी को हार का मुँह देखना पड़ा। यह सब कुछ अपने आप हो गया। यानि कोई औपचारिक शिक्षा लोगों को देनी नहीं पड़ी अर्थात् यह अनौपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया का उदाहरण हुआ। अतः राजनीतिक समाजीकरण औपचारिक एंव अनौपचारिक दोंनों प्रकार से होता है।

6. **राजनीतिक समाजीकरण एक सतत् प्रक्रिया (Political Socialization is Continuous Process)–** राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी विधि है जो सारी आयु के लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक विश्वास सदा एक सा नहीं रहता है, बल्कि परिस्थति के अनुसार इनके राजनीतिक दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के कारण उनके राजनीतिक विश्वास राजनीतिक मूल्य एंव राजनीतिक दृष्टिकोण स्थायी नहीं रहती। इन्हीं कारणों से यह कहा जाता है कि राजनीतिक समाजीकरण एक सतत् प्रक्रिया है।

   प्रो० एलन आर० बाल (Alan R. Ball) के अनुसार, "राजनीतिक समाजीकरण ऐसी विधि नहीं है जो प्रभाव स्वीकार करने वाली बचपन की आयु तक सीमित हो अपितु यह आयु–पर्यन्त निरंतर रूप से जारी रहती है।

   अतः राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।

7. **सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन को प्रभावित करना (To influence the total Political life)–**राजनीतिक समाजीकरण से व्यक्ति समूह का सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन प्रभावित होता है।

8. **राजनीतिक परिवर्तन से संबंध (Close link with Political Change)**–राजनीतिक समाजीकरण का राजनीतिक परिवर्तन से गहरा संबंध है। एक तरफ राजनीतिक समाजीकरण से बनने वाले नए विश्वास और मूल्य

राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं तो दूसरी और राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है और वह चलती रहती है।

## jktuhfrd lekthdj.k d: i:dkj
## (Kinds of Political Socialization)

1. **प्रत्यक्ष या प्रकट राजनीतिक समाजीकरण (Mainfest Political Socialization)**—जब मनुष्य प्रत्यक्ष या प्रकट साधनों द्वारा राजनीतिक संस्कृति, मूल्यों व झुकावों आदि को ग्रहण करता है तो इसे प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है तो इसे प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। आमण्ड और पावेल (Almond and Powell) के अनुसार, "प्रकट राजनीतिक समाजीकरण उस समय होता है जब राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति सूचनाओं, मूल्यों या भावनाओं का प्रकट रूप से संचारण किया जाता है।" जैसे– स्कूलों और महाविद्यालयों में राजनीतिशास्त्र का विषय पढ़ाकर विद्यार्थियों का राजनीतिक समाजीकरण किया जाता है।

   रूस चीन एवं अन्य समाजवादी राज्य प्रत्यक्ष राजनीकि समाजीकरण के उदाहरण है। इन राज्यों में समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार की जाती हैं तथा उसी के अनुसार शिक्षा दी जाती है। साम्यवादी दल द्वारा समाजवादी व्यवस्था का प्रचार किया जाता है।

2. **प्रच्छन या अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण (Latent Political Socialization)**—जब मनुष्य अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा राजनीतिक संस्कृति को ग्रहण करता है तो उसे लुप्त या अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। इसमें राजनीति संबंधी मान्यताए व्यक्ति के बाध्य समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ स्वतः आ जाती है। अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण स्वतः आ जाती है। अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण स्वतः धीमी एंव जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। परिवार सामाजिक समुदाय तथा संस्थाओं द्वारा राजनीतिक संस्कृति को सिखलाए जाने की प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष या लुप्त राजनीतिक समाजीकरण भी कहा जाता है। आमण्ड के अनुसार इसमें सामान्य संस्कृति की मूल विशेषताएं राजनीतिक व्यवस्था तथा लोगों के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है।

3. **पुरातन राजनीतिक समाजीकरण (Primitive Political Socialization)**—प्राचीन समाजों में व्यकित रूढ़िवाद मूल्यों, विश्वासों व परंपराओं से जुड़े होते हैं जिसके कारण उनमें राजनीतिक चेतना का अभाव होता है। कोई भी एक व्यक्ति राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेता है तथा सता का प्रयोग करके लोगों से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है। साधारण व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। किसी भी प्रकार की राजनीतिक भूमिका निभाना शासक की सत्ता या शारीरिक शक्ति का विरोध माना जाता है। इस प्रकार का राजनीतिक समाजीकरण कबाइली समाजों में पाया जाता है।

4. **आधुनिक राजनीतिक समाजीकरण (Modern Political Socialtization)**—आधुनिक समाज में व्यकित को बाल्यावस्था से ही राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाता है। शैक्षिणक संस्थाओं में उन्हें विभिन्न राजनीतिक समस्याओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो ओर दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन सभी संचार साधनों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आदर, कर्तव्य परायणता की भावना, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना और नैतिक आदर्शों के प्रति आदर आदि चीजें व्यक्ति के जीवन में जागृत की जाती है।

   इसके अतिरिक्त निरंतरता और अनिरंतरता के आधार पर राजनीतिक सामजीकरण को फिर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

   1. समरूप तथा निरंतर राजनीतिक समाजीकरण (Homogeneous and Continuous Political Socialization)
   2. भिन्न तथा अविरल राजनीतिक समाजीकरण (Heterogeneous and discontinuous Political Socialization)

# jktuhfr lekthdj.k dh vfHkdj.k
# (Various Agencies of Political Socialization)

राजनीतिक समाजीकरण में अनेक तत्वों या अमिकरणों की भूमिका रहती है। व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण में कई साधनों, एवं संस्थाओं का योगदान रहता है। साधारणतः इन साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. प्राथमिक साधन (Primary Agencies)
2. द्वितीयक साधन (Secondary Agencies)

परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि संस्थाओं को प्राथमिक साधन कहा जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। किन्तु कुछ ऐसे साधन भी हैं जो व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे जनसंचार दबाव, समूह, शिष्टजन आदि, इन्हें द्वितीयक (Secondary) साधन कहा जाता है। परंतु वास्तविकता में इन दोनों साधनों में कोई भेद नहीं है।

अलग–अलग विद्वानों ने राजनीतिक समाजीकरण के अनेक अभिकरणों की पहचान की है। इन्हीं अभिकरणों के माध्यम से प्रभाव प्रक्रिया काम करती हैं और व्यक्तिगत समाज में निश्चित 'सामाजिक संरचना' की पहचान कर सकता है जो नियमित रूप से समाजीकरण का कार्य संपन्न करती है। अतः उनमें से कुछ प्रमुख तत्वों या अभिकरणों का संक्षेप में विवरण आगे दिया जा रहा है, जो राजनीतिक समाजीकरण में सहायक होते है।

1. **परिवार (Family)**–समाजीकरण का पहला और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अभिकरण परिवार है। कुछ विद्वानों का विचार है कि व्यक्ति अपने जीवन का 2/3 ज्ञान जीवन के प्रथम तीन वर्षों में प्राप्त करता है। परिवार पहला स्कूल है जहाँ व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और एक आदत के द्वारा कुछ सीखता है। जन्म के समय बच्चे का कोई विचारधारा या दृष्टिकोण नहीं होता है। उसकी शिक्षा–दीक्षा जन्म के बाद प्रारंभ होती है।

   शिशु का सबसे पहला संबंध अपने परिवार से ही होता है। परिवार में रहकर धीरे–धीरे नैतिक मूल्यों को परिवार से सीखता है। साधारणतः यह देखा गया है कि पिता का संबंध एक विशेष राजनीतिक दल से है तो बेटे का भी उस दल से सदस्यता प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। आम धारणा यही है कि जिन परिवारों में राजनीतिक समस्याओं पर गहराई से विचार होता है, परिवार के सदस्य सार्वजनिक मामलों में रूचि लेते हैं, उस परिवर के बच्चों का राजनीतिक समाजीकरण सरलता से एंव त्वरित गति से होता है। इसके ठीक विपरीत ग्रामीण इलाकों में, जहाँ परिवार में इस तरह के विचार का अभाव होता हैं वहाँ उन परिवारों के बच्चे बड़े होने पर भी राजनीतिक कार्यों के बारे में उदासीन देखे गये हैं।

   परिवार से बच्चा बहुत सी बातें सीखता एवं जानता है जिनका बाद मे उसके राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे – अनुशासन, आदर एंव सहयोग की भावना इत्यादि।

2. **शिक्षण संस्थाएं (Educational Institutions)**–समाजीकरण का दूसरा शक्तिशाली साधन (शिक्षण संस्थाएं) विद्यालय हैं। राजनीतिक ज्ञान एंव विचारों का स्पष्ट हस्तान्तरण विद्यालय स्तर पर ही होता है। विद्यालय में वाद–विवाद और विचार–विमर्श एंव निर्णय करने की अन्य पद्धतियों व्यक्ति की अन्य भूमिकाओं में कार्य निष्पादन पर बाद के जीवन में प्रभाव डालती हैं।

   विद्यालयों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में अनेक विषयों का अध्ययन कराया जाता है। इन विषयों के अध्ययन के बाद विद्यार्थियों के मस्तिष्क में अनेकों राजनीतिक विचार पनपते हैं। कई बार तो विशेष विचारधारा को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। प्रत्येक शिक्षण संस्था में एक प्रबंधकीय व्यवस्था होती है। जिसका विद्यार्थियों को पालन करना होता है। इसे उनमें नियमों का पालन करने अथवा विरोध करने के गुण का विकास होता है। अतः यह भावना राजनीतिक सत्ता के प्रति एक दृष्किोण का विकास करती है। अर्थात विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर के चुनाव लड़े जाते हैं जिनमें छात्र देश के मुख्य राजनीतिक दलों का सहारा लेते हैं। कोई भी शिक्षण संस्था देश की राजनीति को प्रभावित किये बिना नहीं रहती। अतः प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थाएं राजनीतिक समाजीकरण में अहम् भूमिका निभाते हैं।

3. **मित्र–मंडली (Friend's Circle)–**मित्रता आपस में एक–दूसरे की भावनाओं और मूलयों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। सार्वजतिनक मामलों में जानकारी पाने की रूचि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

4. **आजीविका के साधन (Means of Livelihood)–**अजीविका के विभिन्न साधन और उससे जुड़े हुए हालात भी व्यक्तियों के सोचने–समझने के तरीकों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अतः इन्हें भी राजनीतिक समाजीकरण का महत्वपूर्ण अभिकरण माना जाता है। पावेल ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि, "नौकरी और इसके इर्द–गिर्द औपचारिक एंव अनौपचारिक संगठन–क्लब मजदूर संघ आदि राजनीतिक सूचना ओर विश्वास तथा मूल्यों के स्पष्ट रूप से संचार संबंधी माध्यम हैं।"

5. **प्रचार के आधुनिक साधन (Modern Means of Publicity)–**संचार के आधुनिक साधन भी राजनीतिक समाजीकरण को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इस उदारीकरण एंव वैश्वीकरण के युग में संचार माध्यमों जैसे रेडियों, दूरदर्शन, समाचार पत्रों इत्यादि पर सरकार का ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण राजनीतिक समाजीकरण की गति बहुत तेज होती है।

6. **दबाव समूह (Pressure Group)–**आधुनिक युग लोकतांत्रिक युग है। इस लोकतान्त्रिक सरकार के नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले कई समूह होते हैं। यह समूह अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। इन समूहों को दबाव–समूह (Pressure Groups) या हित–समूह (Interest Groups) कहा जाता है। यह समूह राजनीतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। यह लोगों में भी अपनी विचारधारा का प्रसार व प्रचार करके लोकमत (Public opinion) का निर्माण अपने पक्ष में करते हैं। संगठित व्यवसायिक दबाव समूह, व्यापारिक संघ, कृषक संगठन, विद्यार्थी संघ आदि इन समूहों के उपयुक्त उदाहरण हैं।

7. **राजनीतिक दल (Political Parties)–**आधुनिक लोकतंत्र के युग में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दलों का निर्माण एक विशेष राजनीतिक विचारधारा को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। राजनीतिक दल अपने दल के वार्षिक अधिवेशन विशेष अधिवेशन, चुनावी घोषणा पत्र इत्यादि के द्वारा अपने विचारों का प्रचार एवं प्रसार करते हैं। इन सभी तरीकों से मतदाता बहुत प्रभावति होते हैं। अतः राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में बड़ी सहायता करते हैं।

8. **साहित्य (Literature)–**साहित्य भी राजनीतिक समाजीकरण का अति महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति जिस प्रकार के साहित्य का अध्ययन करता है, उस साहित्य के अनुसार ही व्यक्ति के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक 'दास कैपिटल' का अध्ययन करने के पश्चात् ही संसार में बहुत–से व्यक्ति साम्यवादी बन गए।

9. **राजनीतिक व्यवस्था (Political System)–**किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था ने समाज के नागरिकों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया है इससे भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत प्रभावित होती है। यदि लोग सरकार की गतिविधियों को पसन्द करते हैं तो यह सकारात्मक प्रभाव डालती है। यदि वे सरकार की गतिविधियों को पसन्द नहीं करते तो यह लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अर्थात सरकार की गतिविधियों लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित करती है।

10. **विभिन्न समुदाय (Different Associations)–**मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने और उसके हित तथा उनकी जरूरत होने की वजह से व्यक्ति उनको पूरा करने के लिए वे उनके समुदाय के सदस्य बन जाते हैं। इन विभिन्न समुदाय की गतिविधियां उनके अपने सदस्यों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इससे राजनीतिक समाजीकरण दोनों में बड़ी सहायता मिलती है।

11. **समान स्थिति वाले समूह (Peer Groups)–**परिवार के अतिरिक्त समाना स्थिति वाले समूह भी राजनीतिक सामाजीकरण के साधन हैं। इन समूहों में वे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनकी स्थिति लगभग समान होती है। बच्चों और माता–पिता को हम इस श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि माता–पिता की स्थिति बच्चों की अपेक्षा

उच्च होती है। ऐसे समूहों में व्यक्ति अपने राजनीतिक विचार निसंकोच प्रकट कर सकता है और अपनी विवेक शक्ति के आधार पर राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण कर सकता है।

12. **महान राष्ट्रीय नेताओं के भाषण तथा लेख (Speeches and Writings of Great National Leaders)**—महान राष्ट्रीय नेताओं के भाषण व लेख राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन हैं। महान राष्ट्रीय नेता अपने भाषणों द्वारा और अपने चमत्कारी लेखें द्वारा जनता को प्रभावित करते हैं। महात्मागांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धान्तों ने भारतीय जनता को कितना प्रभावित किया है। भारत की शान्ति पूर्ण सहअस्तित्व की नीति और गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त हमारे नेताओं की ही धरोहर है जिनका पालन आज भी अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से किया जाता है।

13. **जातिवाद (Castism)**—जातिवाद राजनीतिक सामाजीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। भारत जैसे जातीय भिन्नता वाले देशों में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वतन्त्रता के बाद भारत में जाति ने राजनीतिक को बहुत प्रभावित किया है। विभिन्न जातियों को पिछड़ेपन के आधार पर आरंक्षण दिया जा रहा है, इससे विभिन्न जातियों में सहभागिता को बढ़ाने की बात की है लेकिन पिछड़ी जातियां भी राजनीतिक लाभ उठाने सामूहिक रूप से प्रयास करती है।

## fu"d"k (Conclusion)

राजनीतिक समाजीकरण आधुनिक युग की अवधारणा है और अब उसका महत्व सभी देशों ने स्वीकारकर लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में समाजीकरण सरलता से एंव तेजी से होती है। इसके ठीक विपरित तानाशाही सैनिक व्यवस्था और साम्यवादी शासन–प्रणाली में राजनीतिक समाजीकरण की गति धीमी होती है।

## jktuhfrd lekthdj.k dk egRo
## (Importance of Political Socialization)

मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर समाज की राजनीतिक संस्कृति पर और राजनीतिक विकास पर राजनीतिक समाजीकरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक समाजीकरण आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त की महत्वपूर्ण अवधारणा है। जिसकी महता निम्नलिखित हैः–

1. **राजनीतिक विकास में सहायक (Helpful in Political Development)**—राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है या इसमे परिवर्तन किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण से ही राजनीतिक विकास की प्रेरणा मिलती है। यह परिवर्तन का आधार तैयार करती है। अतः यह राजनीतिक विकास में सहायक है।

2. **मनुष्य को राजनीतिक प्राणी बनाने में सहायक (Helpful in making man a Political creature)**—मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परंतु, आज मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी बनता जा रहा है। राजनीति उसके जीवन के प्रत्येक पक्ष में समा गया है। जीवन के प्रत्येक पक्ष का नियमन राजनीतिकता करती है। अतः राजनीतिक व्यक्ति का निर्माण राजनीतिक समाजीकरण से होता है।

3. **आधुनिकता का आधार (Basis of Modernization)**—राजनीतिक समाजीकरण को राजनीतिक समाज की आधुनिकता का आधार माना गया है। यह राजनीतिक संस्कृति की जीवनधारा है। राजनीतिक संस्कृतियां उन्नत आधुनिक राजनीतिक समाजों का आधार है।

4. **व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को निश्चित करती है (Determines Political Behaviour of Man)**—किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया क्या रही है। यदि उसकी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सन्तुलित व निरन्तर रही है, तो व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार रचनात्मक होगा अन्यथा राजनीतिक व्यवहार अस्थिर हो सकता है। यदि राजनीतिक समाजीकरण पूर्ण हुआ है तो व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में रूचि लेगा, अन्यथ व्यक्ति राजनीतिक उदासीनता का शिकार हो जाता है।

5. **राजनीतिक प्रणाली के कुशलता ओर स्थिरता प्रदान करती है (It provides efficiency and stability to Political System)**—राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक प्रणाली को स्थिरता और कुशलता प्रदान करती है।

6. **राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक (Necessary for Political Culture)**—जिस समाज में राजनीतिक समाजीकरण ठीक एंव सुव्यवस्थित है वहाँ राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायता मिलेगी। अगर राजनीतिक समाजीकरण अनियमित, अधूरा और अव्यवस्थित है तो इससे अधूरी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। इस संदर्भ में डॉ. ए. के. मुखोपाध्याय ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि "राजनीतिक समाजीकरण का कार्य राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करना, उसे बदलना तथा उसे बनाए रखना है।"

7. **राजनीतिक सहभागिता ओर राजनीतिक भर्ती में सहायक (Helpful in Political Participation and Political Recruitment)**—राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक सहभागिता व राजनीतिक भर्ती को निश्चित करता है। राजनीतिक व्यवस्था की सक्रियता राजनीतिक समाजीकरण से नियमन होती है। अतः राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक भर्ती राजनीतिक सहभागिता तथा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति तथा कार्यशैली का महत्वपूर्ण आधार है।

8. **राजनीतिक विकास में सहायक (Helpful in Political Development)**—राजनीतिक विकास की गति व दिशा राजनीतिक समजीकरण पर आधारित है। यदि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलती है तो राजनीतिक विकास की गति एंव दिशा ठीक रहती हैं, अन्यथा राजनीतिक विकास ठीक नहीं होगा।

## निष्कर्ष (Conclusion)

राजनीतिक समाजीकरण का राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास व राजनीतिक व्यवहार पर काफी प्रभाव पड़ता है। यह राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित कता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत् चलती रहती है जो व्यक्ति को राजनीति से जोड़ती है। राजनीतिक समाजीकरण से ही व्यक्ति का राजनीतिकरण होता है। यह व्यक्ति की उदासीनता को समाप्त करके उसे राजनीतिक व्यवस्था में सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है।

# vH;kl&iz'u
# (Exercise-Questions)

## fucU/kkRed iz'u (Essay Type Questions)

1. राजनीतिक समाजीकरण के अर्थ तथा इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए।

   (Define Political Socialization and Discuss its nature.)

2. राजनीतिक समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

   (What do you mean by Political Socialization? Discuss its main charactertistics.)

3. राजनीतिक समाजीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? इसके विभिन्न अभिकणों का वर्णन कीजिए।

   (What do you mean by the term of "Political Socialization." Discuss its various agencies.)

4. राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य अभिकर्ताओं का विवरण दीजिए।

   (Define Politcal Socialization and discuss its main agents.)

5. राजनीतिक समाजीकरण पर एक विस्तृत नोट लिखिए।

   (Write a note on Political Socialization.)

6. राजनीतिक समाजीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। व्याख्या कीजिए।

   (Political Socialization is a continious Process. Explain.)

7. परिवार की राजनीतिक समाजीकरण में भूमिका बताओ।

(State role of family in Political Socialization.)

8. राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा देते हुए इसकी महता पर प्रकाश डालिए।
(Define Political Socialization and discuss its importance.)

# f}rh; [k.M

# v/;k; 9

# jktuhfrd lgHkkfxrk

## (Political Participation)

- राजनीतिक सहभागिता का अर्थ
- राजनीतिक सहभागिता के लक्षण
- राजनीतिक सहभागिता के प्रकृति
- राजनीतिक सहभागिता की मात्रा और आयाम
- राजनीतिक सहभागिता के प्रकार
- राजनीतिक सहभागिता को निर्धारित अथवा प्रभावित करने वाले तत्व
- लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता के साधन
- राजनीतिक सहभागिता का महत्व

*राजनीति एक सर्वव्यापी गतिविधि है, जिससे वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा है। राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक प्रक्रियाओं अथवा गतिविधियों मे भाग लेना, रजनीतिक सहभागिता या भागीदारी कहलाती है।*

*राजनीतिक सहभागिता के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है – लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तथा निरंकुश अथवा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी बहुत अधिक होती है। जबकि निरंकुश अथवा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी का अभाव पाया जाता है। अरस्तु के समय से लेकर आज तक राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन करने वाले विद्वान राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण लोगों की सहभागिता के आधार पर करते हैं। यद्यपि राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन लोकतन्त्र से जुड़ा हुआ है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल लोकतन्त्र ही राजनीतिक भागीदारी प्रदान कतर है वर्तमान युग में सभी राजनीतिक व्यवस्थएं चाहे वे सव्रसतावादी हो, अनुदारवादी हों या प्रतिक्रियावादी हो, अपने नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का अवसर एंव अधिकार प्रदान करती है। आस्टिन रेने (Austin Rainey) के अनुसार, "अधिकांश सरकारके चाहे वे लोकतांत्रिक हों या किसी अन्य प्रकार की, यह चाहती है कि उनके नागरिक कम से कम कुछ राजनीतिक क्रियाओं में भाग लें।" वास्तविक रूप में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक भागीदारी या सहभागिता उस व्यवस्था की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। राजनीतिक सहभागिता का तथ्य हर समय में, हर राजनीतिक व्यवस्था को आंकने व परखने का साधन रहा है। अतः राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।*

## jktuhfrd lgHkkfxrk dk vFk

## (Meaning of Political Participation)

राजनीति एक सर्वव्यापी अवधारणा है, जिससे वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति अछुता नहीं रह गया है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं, कम अथवा आधिक मात्रा में राजनीति से जुड़ा हुआ अवश्य होता है। यानि

राजनीतिक क्रिया करना अथवा राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना राजनीतिक सहभागिता अथवा राजनीतिक भागीदारी कहलाती है। अतः राजनीतिक सहभागिता राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।

राजनीतिक सहभागिता की कुछ परिभाषाए कुछ विद्वानों ने दी है। वह निम्नलिखित हैंः–

1. **सामाजिक विज्ञानों के अन्तर्राष्ट्रीय शब्द कोष (International Encyclopaedia of Social Sciences)**–के अनुसार, "राजनीतिक भागीदारी से अभिप्रायः उन ऐच्छिक क्रियाओं से है जिनके द्वारा समाज के सदस्य अपने शासकों अथवा सत्ताधरियों के चुनाव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तथा सार्वजनिक नीति–निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं।"
2. **हीन्ज युलाऊ (Heing Eulau)**–के अनुसार, "साधारण जनता की निर्णय–निर्माण प्रक्रिया अथवा नीति–निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी को राजनीतिक भागीदारी कहा जाता है।"
3. **रूश तथा एल्थॉफ (Rash and Althof)**–के अनुसार, "राजनीतिक सहभागिता का भाव राजनीतिक प्रणाली के पृथक–पृथक स्तरों पर व्यक्तियों का शामिल होता है।"
4. **डी० के० विश्वास के अनुसार–** राजनीतिक सहभागिता का अभिप्रायः लोगों द्वारा मताधिकार जैसे राजनीतिक आधिकारों का केवल प्रयोग ही नहीं है, अपितु इसका भाव उनकी ऐसी क्रियाशील सहभगिता है जो सरकार के निर्णय–निर्माण कार्यों को वास्तव में प्रभावित करती है।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का राजनीतिक पद धारकों के चयन तथा नीति–निर्माण या निर्णय–निर्माण में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है।

## jktuhfrd lgHkkfxrk d y{k.k
## (Characteristics (Features) of Political Participation)

राजनीतिक सहभागिता की परिभाषा के आधार पर इसकी महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित हैः–

1. **समानता (Equality)**–समानता राजनीतिक सहभागिता की मुख्य विशेषता है। सभी नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। अर्थात नागरिकों में जाति, धर्म, रंग तथा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
2. **स्वतंत्रता (Liberty)–** राजनीतिक सहभागिता के लिए नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वे उनके नागरिक अधिकार यानि मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार इत्यादि का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर सकें।
3. **देश भक्ति (Patriotism)–** राजनीतिक सहभागिता से लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा होती है क्योंकि सभी को देश की राजनीति में भाग लेने का अवसर मिलता है। प्रायः यह देखा गया है कि जिन देशों में लोगों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, उनको देश के प्रति अधिक लगाव या प्रेम नहीं होता। लेवली ने इस संबंध में लिखा है कि, "फ्रांस के लोगों ने वास्तव में तब तक कभी भी फ्रांस से प्यार नहीं किया जब तक कि क्रान्ति के बाद उन्हें सरकार में भाग लेने का अवसर नहीं मिला।"
4. **लोक प्रभुसत्ता (Popular Sovereignty)–**राजनीतिक सहभागिता की एक अन्य विशेषता यह है कि इससे लोक प्रभुसत्ता की स्थापना होती है क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं।
5. **राजनीतिक अधिकार (Political Rights)–**राजनीतिक सहभागिता की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें प्रायः सभी व्यस्क नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

## jktuhfrd lgHkkfxrk d iÑfr
## (Nature of Political Participation)

राजनीतिक सहभागिता के अर्थ से यह स्पष्ट हो चुका है कि व्यक्ति की केवल एक प्रकार की गतिविधि अर्थात् उसकी राजनीतिक क्रिया ही सहभागिता है। राजनीतिक सहभागिता में राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीतिक गतिविधियां ही आती है और राजनीतिक दलों, हित–समूहों तथा दबाव–समूहों आदि या उनकी गतिविधियों को सहभागिता में शामिल नहीं किया जा सकता। देश के नागरिकों की केवल ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं किया जा सकता है जो शासन तंत्र की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसमें मूल तत्व व्यक्ति है।

ऐप्टर (Apter) और आमण्ड तथा पावेल (Almond and Powell) ने राजनीतिक सहभागिता को एक व्यापक अवधारणा माना हैं। ऐप्टर ने जन–परियोजन (mass Mobilization) को भी राजनीतिक सहभागिता में शामिल किया है। किन्तु हम विचार को नहीं मान सकते क्योंकि इससे राजनीतिक सहभागिता में नागरिकों के राजनीति की ओर दृष्टिकोण और झुकाव भी शामिल हो जाते हैं। इसी तरह आमण्ड तथा पावेल ने भी राजनीतिक दलों व हित–समूहों को राजनीतिक सहभागगिता में शामिल किया है। अतः राजनीतिक सहभागिता में कवेल व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों व दबाव–समूहों की राजनीतिक क्रियाएं भी शामिल हो जाती हैं। किन्तु राजनीतिक सहभागिता की यह व्याख्या भी ठीक नहीं हैं। क्योंकि ये सभी राजनीतिक सहभागिता को प्रेरित करने वाल तत्व हैं। उदाहण के लिए मतदान करना ओर मतदान करने के लिए लोगों में प्रचार करना, उनको वोट देने के लिए तैयार करना तथा उनसे एक अथवा दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिलवाना एक जैसी राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं है। इनमें से एक में व्यक्ति की स्वंय की राजनीतिक प्रक्रिया है और दूसरे में अन्य व्यक्तियों की राजनीतिक गतिविधि के प्रोत्साहन या उसके न करने संबंधी प्रेरणा की गतिविधि है। अतः इन दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति के उन राजनीतिक कार्यों को कहा जा सकता है जो राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इस कारण से सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक दलों विधायकों, पेशेवर पत्रकारों, व्यावसायिक प्रचारकर्ताओं तथा नागरिकों को राजनीतिक कार्य करने या न करने संबंधी प्रेरक गतिविधियों को सहभागिता नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में राजनीतिक सहभागिता में व्यक्ति की ऐसी राजनीतिक क्रिया जो राजनीतिक व्यवस्था में निष्पादित होती है, वहीं शामिल रहती है। यह व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप में किया गया राजनीतिक कार्य, राजनीतिक गतिविधि या राजनीतिक व्यवहार है जो राजनीतिक व्यवस्था के अन्दर राजनीतिक निर्णयकारिता को प्रभावित करता है।

लेस्टर मिलबाथ ने अपनी पुस्तक "Political Participation" में कहा है कि राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति की 'समुच्चयी क्रिया' (Cummulative Action) है। उसका कहना है कि जब व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से एक कार्य करता है तो वह दूसरी राजनीतिक क्रिया करता हुआ भी पाया जाता है। जैसे – यदि मतदान करने वाला व्यक्ति, मत देने के लिए प्रचार भी करता है, धन या जन से सहयोग भी देता है तथा राजनीति के अन्य तरीकों से राजनीतिक गतिविधि करता है तो उसकी ये सभी गतिविधियां राजनीतिक सहभागिता ही है। मिलब्राथ का यह विचार है कि सभी राजनीतिक गतिविधियों का समुच्चय राजनीतिक सहभागिता होती है, परन्तु इन सभी क्रियाओं का केन्द्र–बिन्दु व्यक्ति है।

## jktuhfrd lgHkkfxrk dh ek=k vkj vk;ke
## (The Extent and Dimension of Political Participation)

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता के आधार पर दो तरह के व्यक्ति होते हैं। प्रथम वे जो राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं और द्वितीय वे जो राजनीतिक सहभागिता में उदासीन रहते हैं। अतः राजनीतिक गतिविधियों की मात्रा के आधार पर राजनीतिक सहभागिता के तीन आयाम होते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

(क) **दर्शक गतिविधियाँ (Spectator Activities)**–दर्शक गतिविधियाँ का अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति राजनीति से पूरी तरह अलग तो नहीं होता, परन्तु उसका राजनीति में अधिक भाग नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः राजनीति का ऐसा दर्शक होता है जो अवसर प्राप्त होने पर उसमें सहयोगी बन जाता है। दर्शक गतिविधियों में मतदान करना, राजनीतिक बातचीत करना, दूसरों से इस तरफ या उस तरफ मतदान करने की बात करना, इत्यादि प्रक्रियाएं शामिल होती हैं।

(ख) **सांक्रान्तिक गतिविधियाँ (Transitional Activities)**–सांक्रन्तिक गतिविधियों में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल रहती हैं:–

1. राजनीतिक बैठकों, प्रदर्शनों तथा जलसे–जूलूसों में शामिल होना।
2. राजनीतिक नेताओं से संपर्क करना।
3. किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को आर्थिक सहायता देना।

(ग) **वादकुशल गतिविधायाँ (Gladiattorial Activities)**–वादकुशल गतिविधियाँ राजनीति में व्यक्ति की पेशवर गतिविधियाँ होती हैं, जिनके कारण राजनीति व्यक्ति के लिए एक पेशा बन जाती है। ऐसे व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता सबसे अधिक होती है। ऐसी गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:–

1. राजनीतिक प्रचार करना,
2. राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनाना,
3. राजनीतिक दल की सौदेबाजी में भाग लेना,
4. राजनीतिक गतिविधियों के लिए चन्दा इकट्ठा करना,
5. चुनाव लड़ना
6. राजनीतिक पद ग्रहण करना इत्यादि।

राजनीतिक सहभागिता में लोगों की राजनीतिक गतिविधियों की मात्रा से यह स्पष्ट है कि अधिकांश लोग तो राजनीति से विरक्त रहते हैं और जो उसमें भागीदार बनते हैं, उनमें से भी बहुत अधिक लोगों का राजनीति से केलव औपचारिक संबंध होता है। अधिकतर लोग राजनीति के केवल दर्शक ही रहते हैं। वे राजनीति से परहेज नहीं करते, लेकिन उनसे अधिक लगाव भी नहीं रखते। इसका मुख्य कारण यह है कि साधारण व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं यानि रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति में उलझा रहता है और इस कारण उसे राजनीतिक के लिए समय ही नहीं मिलता।

## jktuhfrd lgHkkfxrk d idkj
## (Types of Political Participation)

राजनीतिक सहभगिता के रूपों के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं, परन्तु इसके मुख्य प्रकार (रूप) निम्नलिखित हैं:–

1. **सक्रिय व निष्क्रिय सहभागिता (Active and Passive Participation)**–आमण्ड तथा वर्बा (Almond and Verba) ने राजनीतिक सहभागिता के दो प्रकारों या रूपों के बारे में कहा है:– सक्रिय सहभागिता तथा निष्क्रिय सहभागिता। उनके अनुसार व्यक्ति का राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना सक्रिय सहभागिता कहलाता है। राजनीतिक दलों की बैठकों में शामिल होना, प्रचार करना तथा उनके लिए चन्दा इकट्ठा करना, चुनाव लड़ना आदि सक्रिय सहभागिता में शामिल है।

   निष्क्रिय सहभागिता से तात्पर्य है कि जिसमें लोग राजनीतिक गतिविधियों में विशेष भूमिका नही निभाते। इसमें लोग देश की दिन–प्रतिदिन की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते, बल्कि केवल राजनीति की जानकारी रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये चुनाव के दिनों में चुनाव सभाओ, बैठकों (Election meeting) में नेताओ के विचार सुनने आते हैं। अतः राजनीति के बारे में जानकारी रखना और मतदान के समय वोट का प्रयोग करना निष्क्रिय सहभागिता के कुछ उदाहरण हैं।

2. **स्वायत व परियोजित सहभागिता (Autonomous and Mobilized Participation)**–भाईरन कीन ने दो प्रकार की राजनीतिक सहभागिता दी है– स्वायत सहभागिता तथा परियोजित सहभागिता।

   (क) ***स्वायत सहभागिता (Autonomous Participation)***–स्वायत सहभागिता से तात्पर्य उस सहभागिता से है जो व्यक्ति की स्वेच्छा से प्रेरित होती है। अर्थात जब व्यक्ति अपनी इच्छा से राजनीतिक कार्यों में

रूचि ले, राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहे, तथा उनके समाधान के लिए प्रयत्नरत रहे, तो उसे स्वायत राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। यह व्यक्ति का स्वाभाविक तथा सचेतन कृत्य है।

(ख) ***परियोजित सहभागिता (Mobilized Participation)***–भाईरन कीन के अनुसार परियोजित राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य उस सहभागिता से है जो शासनतंत्र के द्वारा प्रेरित होती है। प्रत्येक सरकार यह प्रयत्न करती है कि वह अपनी नीतियों तथा कार्यों के लिए अधिक से अधिक नागरिकों का समर्थन प्राप्त करें। अतः इनमें जन–सहभागिता प्राप्त करने के लिए सरकार अनेक विधियों का प्रयोग करती है।

3. **प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता (Direct and Indirect Political Participation)**–जब व्यक्ति देश की राजनीति में तथा राजनीतिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, तो उसे प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। जब लोग कानूनों का निर्माण करने, नीति निर्धारण करने तथा कानूनों को लागू करने के लिए अधिकारियों का चुनाव करने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जो उसे प्रत्यक्ष सहभागिता कहा जाता है। स्विटजरलैंड में इस प्रकार की सहभागिता है।

   जब नागरिक शासकों का एक निश्चित समय के लिये चुनाव करके नीति–निर्माण तथा राजनतिक निर्णयों के कार्य मे अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, तो उसे अप्रत्यक्ष राजनीति सहभागिता कहा जाता है। जैसे – भारत, ईंग्लैंड तथा अमेरिका इत्यादि में अप्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता है।

4. **औचित्यपूर्ण साधनों तथा अनौचित्यपूर्ण साधनों पर आधारित राजनीति सहभागिता (Political Participation based on Legitimate and illegitimate means)**–जब लोग राजनीतिक गतिविधियों में औचित्यपूर्ण साधनों द्वारा भाग लेते हैं तो उसे औचित्यपूर्ण साधनों पर आधारित राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। जैसे– जब व्यक्ति अपने अधिकारों के अन्तगर्त किसी राजनीतिक दल के सदस्य बनते हैं, दल की नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तथा अपने मतदान का प्रयोग करते है, तो उसकी ये सभी गतिविधियों औचित्यपूर्ण साधनों पर आधारित राजनीतिक सहभागिता कहलाती है।

जब लोग अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अनुचित तथा असंवैधानिक साधनों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो वह अनौचित्य साधनों पर आधारित राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। जब वे दंगा–फसाद तथा तोड़–फोड़ जैसे हिंसात्मक कार्रवाइयां करते हैं या उनमें भाग लेते हैं तो उसे अनौचित्यपूर्ण साधनों पर आधारित राजनीतिक सहभागिता का नाम दिया जाता है।

## jktuhfrd lgHkkfxrk dk fu/kkfjr vFkok izHkkfor dju oky rRo
## (Factors which Determine or Influence Political Participation)

विश्व के किसी भी देश में सभी लोगों का राजनीति स्तर एक जैसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की राजनीति में न तो एक जेसी रूचि होती है और न ही वह राजनीति से एक जैसा लगाव रखते हैं। यहाँ तक की इंग्लैण्ड जैसे देश में जहाँ पर लोगों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर बहुत ऊँचा माना जाता है, उनकी राजनीति में दिलचस्पी एक जैसी नही है। वास्तव में प्रत्येक समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। – विशिष्ट राजनीतिक वर्ग (Political Elite) तथा सामान्य राजनीतिक वर्ग (General Political Stratum)। पहले वर्ग में वे लोग आते हैं जो देश के राजनीतिक निर्णयों तथा नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसा वर्ग प्रत्येक देश में पाया जाता है और ऐसे लोगों की राजनीतिक सहभागिता को निश्चित अथवा प्रभावित करने वाले तत्वों को निश्चित करना कोई कठिन कार्य नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों के लिए राजनीति व्यवसाय होती है। परन्तु सामान्य लोगों की राजनीतिक सहभागिता कई तत्वों से प्रभावित होती है, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं:–

1. **सामाजिक तथा आर्थिक तत्व (Social and Economic Factors)**–व्यक्ति का सामाजिक–आर्थिक स्तर व उसका वर्ग, जाति व धर्म भी राजनीतिक सहभागिता को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का व्यापार, शिक्षा, ग्रामीण है अथवा नहीं, उसे सम्प्रदाय से समर्थन प्राप्त है या नहीं आदि चीजें उसकी राजनीतिक सहभागिता में असर डालती है। सामान्यतः ऊँचे सामाजिक स्तर वाले लोग राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित

करने में इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि ऊँचे पदों पर बैठे लोगों से वे संबंध स्थापित कर पाते है वहीं दूसरी और कमजोर वर्ग अपने मताधिकार का प्रयोग भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता क्योंकि एक तरफ तो उसे अपने दैनिक जरूरतों की पूर्ति करनी होती है वहीं दूसरी और उसके पास निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती।

2. **मनौवैज्ञानिक तत्व (Psychological Factor)**–मनुष्य का मनोविज्ञान उसके जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डालता है वस्तुतः मनुष्य शक्तिशाली बनने ओर लोकप्रियता प्राप्त करने की लालसा रखता है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करना चाहते हैं और उन्हें आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति हासिल करने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं होती। जैसे एक कलाकार या वैज्ञानिक अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने की कोशिश करता है और उसे राजनीतिक शक्ति और निर्णयों को प्रभावित करने में कोई खास रूचि नहीं होती, वहीं दूसरी और राजनेता आधिकाधिक राजनीतिक शक्ति हासिल करना चाहते हैं जाहिर है वे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीति के क्षेत्र में अधिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।

3. **राजनीतिक परिवेश (Political Setting)**–राजनीतिक परिवेश लोगों की राजनीति में सहभागिता को प्रभावित करता है। इसमें मुख्यतः तीन बातें शामिल हैंः–

   1. राजनीतिक संस्थाओं तथा दलों की मौजूदगी।
   2. राजनीतिक नियम
   3. राजनीतिक अभियान के लिए विशेष दशाओं का होना।

4. **लिंग और आयु (Sex and Age)**–आयु राजनीति सहभागिता को इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। मताधिकार की योग्यता रखने वालों में मध्यम आयु वर्ग के लोग तथा युवा गण राजनीति में अधिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उनकी रूचि राजनीति में अधिक होती है।

   आंकडे बताते हैं कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरूष राजनीति में अधिक रूचि रखते हैं। उसी प्रकार अविवाहित मनुष्य, विवाहित मनुष्यों से राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक होते हैं।

5. **राजनीतिक जागृति (Political Awareness)**–राजनीतिक जागृति राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है। राजनीतिक दृष्टि से जागरूक व्यक्ति राजनीति, निर्णयों व नीतियों के बारे में अधिक दिलचस्पी रखता है वहीं राजनीतिक दृष्टि से कम जागरूक वर्ग में राजनीतिक सहभागिता कम देखने को मिलती है।

6. **यातायात के साधन और जनसंचार (Means of Transport and Communication)**–संचार के साधन व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वह उसकी विचारधारा को प्रभवित करते हैं और उसे जागरूक बनाते हैं। समाचार पत्र, टेलिविजन, सिनेमा, रेडियों आदि जन प्रसार के प्रभावशाली माध्यम है। लोगों की समस्याओं सरकारी नीतियों, राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराओं आदि की जानकारी ये लोगो तक पहुँचाते है और उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से जागरूक बनाते हैं।

   यातायात के साधन भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं, वे अलग–अलग क्षेत्रों के लोगों के मेल–मिलाप को संभव बनाते हैं तथा इससे भी लोगों में जागरूकता आती है।

7. **राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं (National and Internationl Events)–**अक्सर देखा गया है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हर व्यक्ति कुछ विचार रखता है, वस्तुतः उसकी अभिव्यक्ति (लोकतांत्रिक देशों में) मताधिकार के द्वारा वह करता भी है। देखा गया है कि राजनीति के क्षेत्र में बड़े तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों में लोगों की गहरी रूचि के कारण उनकी राजनीतिक सहभागिता भी बढ़ जाती है। उदाहरणस्वरूप 1971 में बंग्लादेश को स्वतन्त्र करवाने का कारण भारत के लोगों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हो गई थी।

8. **शिक्षा (Education)–**शिक्षा राजनीतिक सहभागिता का महत्व तत्व है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा रुचि रखते है। शिक्षित व्यक्तियों में प्रायः आत्मविश्वास और नागरिक दायित्व की

भावना पाई जाती है। शिक्षण संस्थाओं में भी विद्यार्थियों को छोटे स्तर पर राजनीति में भाग लेने का अवसर मिलता रहता है।

9. **व्यवसाय (Occupation)**—व्यवसाय भी राजनीतिक सहभागिता में अहम भूमिका निभाता है। अच्छे व्यवसाय के लोग राजनीति को अधिक प्रभावित करते हैं क्योंकि इसमें उनके हित निहित होते हैं। श्रमिकों के लिये राजनीतिक सहभागिता की अपेक्षा अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। अतः व्यवसायों का स्वरूप भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है।

इस प्रकार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती है।

## yksdr=h; 0;oLFkkvksa esa jktuhfrd lgHkkfxrk ds lk/ku
## (Methods of Political Participation in Democratic System)

जैसा कि पहले बताया जा चुका है राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है। एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सहभागिता के ज्यादा अवसर उपलब्ध होते हैं। वस्तुतः लोकतन्त्र एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनीति सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। लोकतन्त्र में मतदाता सरकार के नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करता है। आमतौर पर लोकतांत्रिक देशों में लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उन अधिकारों के प्रयोग के लिए भी उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। जैसे भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग के हो को मताधिकार प्राप्त है।

इसी प्रकार भारत में अथवा अन्य लोकतान्त्रिक देशों में लोगों को चुनाव लड़ने, राजनीतिक दल बनाने आदि के अधिकार प्राप्त होते हैं। जाहिर है लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता अधिक होगी वही गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और परिवेशों में लोंगों को ऐसी छूटे नहीं होती और वहां राजनीतिक सहभगिता कम होती है। राजनीतिक सहभागिता प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy) में सर्वाधिक होती है। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र एक एसी व्यवस्था है जिसमें मतदाता प्रत्यक्ष रूप से कानूनों का निर्माण करता है। तथा राजनीतिक निर्णय लेता है। इस प्रकार की व्यवस्था कई छोटे देशों में की गई है। स्विटजरलैण्ड इसका एक उदाहरण है।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र में नागरिक निम्नलिखित साधनों द्वारा राजनीतिक में भाग लेते हैंः—

1. **प्रारम्भिक सभा अथवा लैंडज़िमेण्डी (Primary Assembly or Landsgemeinde)**—स्विटजरलैण्ड के एक पूर्ण कैण्टन तथा चार अर्द्ध—कैण्टनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के संचालन के लिए लैंडज़िमेण्डी अर्थात प्रारम्भिक सभा (Primary Assembly) स्थापित की गई है। ब्रूस (Brooks) के शब्दों में, लैडज़िमेण्डी स्विट्जरलैण्ड की सबसे अधिक सुन्दर तथा आकृर्षक संस्था है।" यह कैण्टन की एक सभा है, जिसमें कैण्टन के प्रत्येक मतदाता को भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार है। इस सभा का वार्षिक अधिवेशन एक सभापति की अध्यक्षता में, जिसे लैंजमान (Landamann) कहा जाता है, होता है। यह अधिवेशन प्रत्येक वर्ष अप्रैल अथवा मई के महीने में किसी खुले मैदान में अथवा बड़े हॉल में होता है। इसमें कैण्टन के प्रत्येक मतदाता को भाग लेना आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति जान—बूझकर या बिना किसी कारण के अपने आपको इस सभा की बैठक से अनुपस्थित रखता है तो उस पर जुर्माना आदि भी किया जा सकता है। कैण्टन की समस्त राजनीतिक शक्तियाँ उस सभा के हाथों में केन्द्रीय होती है। यह सभा उस कैण्टन के लिए कानूनों का निर्माण करती है, उन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करती है तथा उनके कार्य व वेतन आदि निश्चित करती है। कैण्टन का बजट भी इसी के द्वारा पास किया जाता है और इस सभा को कैण्टन के संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार होता है। इस प्रकार इस सभा को वे सभी राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो एक प्रभुसत्ता सम्पन्न विधानमण्डल के पास होती है। सभा का प्रारम्भिक कार्य एक सलाहकार समिति (Advisory Committee) के द्वारा किया जाता है, जो प्रस्तावों का मसौदा तैयार करके उन्हें प्रारम्भिक सभा के आगे रखती हैं।

लॉयड तथा हाब्सन के अनुसार, "लैंडज़िमेण्डी, प्रजातन्त्र का शुद्धतम रूप है, जिसमें सभी नागरिक इकट्ठे होकर सरकार के सभी कठिन कार्यो में अपनी प्रभुसत्ता – सम्पन्न शक्ति का प्रयोग करते हैं ओर यह उस लोकतन्त्र का स्पष्ट उदारहण है, जिसकी कल्पना रूसों तथा अन्य राजनीतिक दार्शनिकों ने की थी।"

2. **प्रस्तावाधिकार (Initiative)**–यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार कानून बना सकती है। यदि एक निश्चित संख्या में मतदाता संसद से किसी कानून को निर्मित करने की माँग करे, तो या तो संसद उनकी माँग को मानकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर सकती है या एक जनमत संग्रह द्वारा अपने समस्त जनता से इस संबंध में राय लेती है अगर जनता का बहुमत ऐसे कानून बनाए जाने के पक्ष में निर्णय देती है तो संसद को माँग की गई कानून बनाने ही पड़ते हैं।

स्विटजरलैण्ड जैसे देश में यदि 50000 की जनसंख्या किसी कानून के निर्माण या उसमें संसोधन की माँग संसद से कर सकती है।

3. **जनमत संग्रह (Referendum)**–जनमत संग्रह में संसद द्वारा निर्मित कानून पर जनता की राय ली जाती है। यदि संसद द्वारा निर्मित कानून को जनता के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तो वह पारित समझी जाती है। अन्यथा यह रद्द हो जाती है। इस प्रकार संसद कोई भी ऐसा कानून पारित नहीं कर सकती जिसे देश की बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो।

स्विटजरलैण्ड में दो प्रकार के जनमत संग्रह का प्रावधान हैः–

1. अनिवार्य जनमत संग्रह
2. एच्छिक जनमत संग्रह

1. ***अनिवार्य जनमत***–महत्त्वपूर्ण कानूनों के लागू होने से पहले संसद उसे जनमत संग्रह के लिए जनता के सम्मुख रखती है। यदि उसे जनमत संग्रह में बहुमत का समर्थन हासिल होता है तो कानून लागू कर दी जाती अथवा रद्द कर दी जाती है।
2. ***ऐच्छिक जनमत संग्रह***–संसद को यह अधिकार है कि वह कम महत्वपूर्ण कानूनों को जनता के समक्ष जनमत संग्रह के लिए रखे या न रखे। किन्तु यदि 30000 हजार लोग संसद से इस कानून पर संग्रह की मांग करें तो संसद को उसे अनिवार्य जनमत संग्रह के लिए जनता के सम्मुख रखना पड़ता है और यदि जनमत संग्रह के नतीजे कानून के पक्ष में हों तभी कानून लागू किया जा सकता है।

रूस में ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान है।

4. **वापसी (Recall)**–यह एक ऐसा साधन है जिसमें मतदाताओं का चयनित प्रतिनिधियों पर प्रभावी नियंत्रण हमेशा बना रहता है यदि जनता प्रतिनिधि के कार्य कलापों से सन्तुष्ट नहीं है तो उसे उसकी कार्यावधि से पूर्व वापस बुला सकती है। यदि मतदाताओं की निश्चित संख्या इस आशय का प्रस्ताव रखे तो प्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त समझी जाती है। अमेरिका के कुछ प्रान्तों तथा स्विटजरलैण्ड में ऐसे प्रावधान किए गए हैं।

5. **लोकमत संग्रह (Plebiscite)**–लोकमत संग्रह ओर जनमत संग्रह में अन्तर यह है कि जहाँ जनमत संग्रह संसद द्वारा पारित कानूनों पर जनता कीराय लेता है वही लोकमत संग्रह राजनीतिक प्रश्नों पर जनता की राय लेता है। 1935 में लोकमत संग्रह के आधार पर सार का प्रदेश (Sarar Region) जर्मनी में मिलाया गया था उसी प्रकार 1967 में गोवा, दमन ओर दीव भी भारत से लोकमत संग्रह के आधार पर ही मिलाये गए थे। उत्तर–पश्चिमी प्रान्त भी पाकिस्तान में विलय इसी आधार पर किया गया था।

## jktuhfrd lgHkkfxrk dk egRo
## (Significance of Political Participation)

राजनीतिक सहभागिता के सिद्धान्त का महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हैः–

1. **राजनीतिक शिक्षा (Political Education)**–राजनीतिक सहभागिता लोगों को राजनीति की शिक्षा प्रदान करती है। वे अपने कर्त्तव्यों ओर अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं और देश अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। ओर देश के संचालन तथा नीति निर्धारण में न सिर्फ रूचि लेते हैं वरन इसको प्रभावित भी करते हैं। यह राष्ट्र की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है।

2. **राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता (Stability in Political System)**–सहभागिता लोगों में अपनत्व की भावना विकसित करने में मदद करता है। सभागिता के कारण लोग संस्थाओं ओर प्रणालियों से जुडते हैं और सरकार के प्रति उनमें विश्वास पैदा होता है। इससे सरकार को उनका स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त हो जाता है तथा नीतियों एंव कानूनों के कार्यान्वयन में सहायता मिलती है। इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं।

3. **शान्ति व्यवस्था (Law and Order)–**जैसे कि हमने ऊपर देखा सहभागिता लोगों में अपनत्व की भावना पैदा करती है। तथा लोग स्वेच्छा से सरकार को सहयोग देने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे सरकारी आदेशों व कानूनों का पालन भी वे स्वेच्छा से करते हैं। यदि लोगों का कानून पर विश्वास कम भी होता है तो भी अहिंसात्मक विधियों का प्रयोग कर वे ऐसे कानूनों में संशोधन करवाने में सफल होते हैं। इस प्रकार हिंसात्मक क्रान्ति की संभावना कम हो जाती है।

4. **समानता (Equaluty)**–राजनीतिक स्थिरता तथा शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के अतिरिक्त, राजनीतिक सहभागिता समाज में समानता स्थापित करती है। समाज के सभी नागरिक एक प्रकार के अधिकार का प्रयोग करते हैं और उनमें ऊँच नीच जात–पात के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाता। इससे समाज में समानता तथा लोगों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। लार्ड ब्राइस (Lord Bryce) के अनुसार, "राजनीतिक मताधिकार से लोगों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

5. **नैतिक गुणों का विकास (Development of Moral Value)**–राजनीतिक सहभागिता लोगों में नैतिक गुणों का विकास करती है। इससे लोगों में सहयोग, सहनशीलता तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होती है।

6. **शासकों तथा शासितों के बीच सम्बंध का ज्ञान (Knowledge about the relationship between the rules and the ruled)**– राजनीतिक सहभागिता के द्वारा शासकों एंव शासितों के बीच सम्बंध का ज्ञान प्राप्त होता है।

## vH;kl&iz'u
## (Exercise-Questions)

### fucU/kkRed iz'u (Essay Type Questions)

1. राजनीतिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति तथा लक्षण बताओ।

   (What do you mean by Political participation? Discuss its nature and Characteristics.)

2. राजनीतिक सहभागिता का क्या अर्थ है? तथा राजनीतिक सहभागिता को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए।

   (What is meant by Political participation? Describe the various factors which determine or influence Politial Participation.)

3. राजनीतिक सहभागिता के महत्व का वर्णन कीजिए।

   (Discuss the importance of Political Participation.)

4. संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता के साधनों का वर्णन कीजिए।

   (Describe the methods of Political Participation in a democratic system.)

5. राजनीतिक सहभागिता का अर्थ बताओ और इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए।

   (Give the meaning of Political Participation and Discuss its various types.)

# v/;k; 10

# jktuhfrd vk/kfudhdj.k

# (Political Modernization)

- आधुनिकीकरण का अर्थ
- आधुनिकीकरण की विशेषताएं
- आधुनिकीकरण के विभिन्न पक्ष
- आधुनिकीकरण के तत्व
- आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधाएं
- राजनीतिक आधुनिकीकरण
- राजनीतिक आधुनिकीकरण के तत्व
- आधुनिकशील राष्ट्रों के पाँच मॉडल

*राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीति शास्त्र के विभिन्न अवधारणाओं में एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। आधुनिकीकरण आधुनिक युग की विशेषता है। आधुनिकीकरण की धारणा एक बहुत व्यापक और विशाल धारणा है। राजनीति शास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं में राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा नवीन अवधारणाओं में से एक है। आधुनिक युग में प्रत्येक राज्य में राजनीतिक आधुनिकीकरण हो रहा है। यह अलग बात है कि किसी राज्य में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति तेज है और किसी राज्य में धीमी है। कुछ विचारकों ने राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण की धारणा का एक ही अर्थ लगाया है। वे आधुनिकीकरण की अवधारणा का अभिप्राय राजनीतिक व्यवस्था में विकास एवं आधुनिकीकरण से लगाते हैं। कुछ इसे पाश्चात्यीकरण (Westernigation) का पर्यायवाची मानते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है क्योंकि राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का क्षेत्र विस्तृत है। राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें शहरीकरण, औद्योगीकरण, लौकिकीकरण, लोकतंत्रीकरण, शैक्षिक और सहभागिता सम्मिलित हैं। यानि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीति से संबंधित पहलुओं के द्वारा मानव दृष्टिकोण में परिवर्तन आना है।*

## vk/kfudhdj.k dk vFk

## (Meaning of Modernization)

आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता आधुनिकीकरण भी है। प्रत्येक राष्ट्र वर्तमान में आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है। आधुनिकीकरण की धारणा बहुत ही व्यापक एवं विशाल है। आधुनिकीकरण चारों ओर हो रहा है; उदाहरण के लिए उत्पादन के साधनों (Mean of Production), संचार व यातायात के साधनों, राजनीतिक व्यवस्था, वितरण प्रणाली (System of Distribution), यहाँ तक कि सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र भी इससे वर्तमान में अछूता नही रहा है। इसलिए इस धारणा को राष्ट्र या समाज के एक पक्ष तक सीमित नही किया जा सकता। अतः साधारण शब्दों में हम इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, आधुनिकीकरण सांस्कृतिक व सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हुए परिवर्तनों को समाज के लोगों ने लाभदायक व आवश्यक समझकर स्वीकार किया है अर्थात परिवर्तनों का लाभदायक व वांछनीय होना आवश्यक है। आधुनिकीकरण में अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण व विचारों का निरपेक्षीकरण आता है। लेकिन आधुनिकीकरण यहाँ तक ही सीमित नहीं है। आधुनिकीकरण में भौगोलिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। आधुनिकीकरण की अवधारणा (Concept of Modernization)

और विकास की अवधारणा (Concept of Development) को कुछ लोगों ने एक माना है, लेकिन यह उचित नही है क्योंकि विकास के लिए विशेष उद्देश्य या क्षेत्र निश्चित नही किया जा सकता है; जैसे–विकास आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में हो सकता है। जबकि इसके विपरीत आधुनिकीकरण की अवधारणा का सम्बंध समाज के समूचे परिवर्तन से है अर्थात विकास की अवधारणा अधिक व्यापक है। अतः आधुनिकता ने रीति–रिवाजों, कानूनों, शासन, पद्धतियों, सिद्धांतों, आर्थिक ढांचों व राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। विभिन्न विद्वानों ने आधुनिकता की भिन्न–भिन्न परिभाषाएं दी है जो निम्नलिखित हैं–

1. आई० आर० सिनाय (I.R. Sinai) के अनुसार, "आधुनिकीकरण परम्परावादी के स्थान पर नई व्यवस्था और समाज का विकास है।"
2. ल्यूसियन पाई (Lucian Pye) के अनुसार, "आधुनिकीकरण उस गम्भीर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते है जिसमें परम्परा पर आधारित गाँव या कबीलों के समाज, आधुनिक औद्योगिक व नगरीकृत विश्व के दबावों और भागों के प्रतिक्रिया करने के लिए विवश होते हैं।"
3. क्लाउडन ई० वेल्श (Clauden E. Welsh) के शब्दों में, "आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है।"
4. हॉन्टिंगटन (Huntington) के शब्दों में, "आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय विचारों तथा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल रहता है।"
5. लरनर (Lerner) के अनुसार, "यह विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है।"
6. वेलाह (Velah) के अनुसार, "आधुनिकीकरण साध्यों या गन्तव्यों की बुद्धि संगतता है।"
7. स्मैलर (Smeller) के शब्दों में, "किसी राज्य की आर्थिक उन्नति को आधुनिकीकरण कहते है।"

इस प्रकार आधुनिकीकरण की उपरोक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी दो लेखक एक परिभाषा पर सहमत नही है। एस० पी० वर्मा के अनुसार, "आधुनिकीकरण की परिभाषा करना एक कठिन कार्य है।" असहमति के बावजूद विभिन्न विचारकों ने आधुनिकीकरण पर सहमति प्रकट की है कि यह समाज में परिवर्तनों की सम्पूर्णता है, किन्तु हर परिवर्तन को आधुनिकीकरण नही कहा जा सकता क्योंकि कुछ परिवर्तन ऐसे भी हो सकते हैं जो समाज को पीछे धकेल सकते हैं। अतः आधुनिकीकरण परिवर्तनों की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज को प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख करती है।

एडवर्ड शिल्स ने आधुनिकीकरण को पश्चिमीकरण कहा है, किन्तु आधुनिकीकरण का अर्थ किसी भी दृष्टि से पश्चिमीकरण नही है। चीन के उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि चीन ने पश्चिम की नकल किए बिना ही आधुनिकीकरण किया है। आधुनिकता को लोकतंत्र के साथ भी नही जोड़ा जा सकता। रूस का जार पीटर, जापान का सम्राट मैनी तथा टर्की का सुल्तान महमूद निश्चित रूप से आधुनिक कर्त्ता थे, परन्तु उन्हें किसी भी रूप में लोकतंत्र का अग्रदूत नही कहा जा सकता।

## vk/kqfudhdj.k dh fo'ks"krk,a

## (Characteristics of Modernization)

आधुनिकीकरण ने समाज के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. **राष्ट्रीय एकीकरण (National Integration)–**एक समय था, जब नगर राज्य हुआ करते थे। नगर–राज्य के तीन कार्य थे, शान्ति, व्यवस्था व वाद्य आक्रमण से बचाव। लेकिन आधुनिकीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक समाज अपने वास्तविक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति राष्ट्र–राज्य में ही देखता है। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में तेजी आती है तो दूसरी तरफ विघटन की क्रिया समाप्त हो जाती है या धीमी पड़ जाती है। इसका स्पष्ट उदाहरण रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका आदि हैं। भारत भी आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है।

2. **आधुनिकीकरण मूल्य–युक्त है (Modernization is Value Ridden)–**आधुनिकीकरण मूल्य युक्त अवधारणा है। हर प्रकार का परिवर्तन आधुनिकीकरण में शामिल नही होता। उद्देश्य–युक्त परिवर्तन ही आधुनिकीकरण है। यदि इसे परिवर्तनों की तर्क सम्मतता कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नही होगी, अतः एम० एम० जिनिवास ने आधुनिकीकरण को सामाजिक परिवर्तन का अवतार (Incarnation of Social Development) कहा है। अतः आधुनिकीकरण में क्या अच्छा है या बुरा है, कौन सा परिवर्तन आगे को ले जाने वाला है कौन सा पीछे ले जाने वाला है इसका निर्णय समाज के मूल्य (value), साध्य (ends) या गन्तव्य (objective) पर होता है।

3. **बहुपक्षीय प्रक्रिया (Multifaceted Process)–**आधुनिकीकरण का कोई एक सिद्धांत न होकर अनेक सिद्धांत होते हैं। इसे शहरीकरण, औद्यांगिकरण, लौकिकीकरण, शैक्षणिक और संचार सहभागिता इत्यादि में ही नहीं पाते, बल्कि इसको राष्ट्रीय अभिज्ञान, प्रवेशन, एकीकरण आदि अनेक तत्त्वों से भी जोड़ा जा सकता है। ऐतिहासिक अवधारणा के रूप में इसके अर्तगत कुछ विशिष्ट तत्त्व समाविष्ट होते हैं जैसे अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण अथवा विचारों का धर्म–निरपेक्षीकरण (Sewlaization) आदि।

4. **साम्राज्यवादी युग की समाप्ति (End of Imperiatision)–**एडवर्ड शिल्स (Edward Shils) के शब्दों में, "समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा आधुनिकीकरण है" अर्थात द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद साम्राज्यवाद का पतन हुआ और लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका तथा मध्यपूर्व में नए राज्यों का उदय हुआ। इन नवोदित राष्ट्रों की जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति, धर्म में विभिन्नता होने के बावजूद, इनमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सक्रिय है। सभी राज्य परम्परागत राजनीतिक–आर्थिक संरचना (Political–Economic structure) के स्थान पर जीवन की आधुनिक शैली (Modern style of life) की ओर उन्मुख है।

5. **विवेकीकरण (Rationalization)–**आधुनिकीकरण की एक प्रमुख विशेषता विवेकीकरण है। यह जीवन के प्रति तर्कशील दृष्टिकोण का निर्माण करती है। विचारों, स्थितियों तथा सम्बंधों में किसी ग्रंथ को आधार नही बनाया जाता बल्कि विवेकशीलता की ही प्रधानता होने लगती है। इसमें नीतियों का निर्माण विवेक के आधार पर ही होता है।

6. **सामाजिक परिवर्तन (Social changes)–**आधुनिकीकरण की एक विशेषता यह भी है कि यह सामाजिक परिवर्तन लाती है। जो समाज रीति–रिवाजों एवं परम्पराओं पर निर्भर होता है उन्हें सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आधुनिकीकरण द्वारा नए समाज या आधुनिक समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति–व्यक्ति में किसी भी आधार पर भेदभाव नही किया जाता।

7. **शिक्षा का प्रसार (Spread of Education)–**शिक्षा के प्रसार को अत्यधिक महत्त्व देना भी एक आधुनिक समाज की पहचान है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आमूल–चूल परिवर्तन एवं विकास किया जा सकता है। आधुनिक विकसित समाज शिक्षा के प्रसार पर ही नही बल्कि विविधतापूर्ण शिक्षा पर भी बल दे रहे हैं।

8. **अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग पर बल (Stress on International Co-operation–**आज के आधुनिक समाज की विशेषता आज के परस्पर अन्तनिर्भरता के युग में अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग पर बल देना भी है। इस तरह हम देखते है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किसी एक राष्ट्र की सीमाओं तक सीमित न होकर एक अर्न्तराष्ट्रीय प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है।

9. **धर्मनिरपेक्षीकरण (Secularization)–**एक आधुनिक समाज धर्म–निरपेक्ष संस्कृति पर आधारित होती है जिसमें धार्मिक क्षेत्र में व्यापकता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार पूजा–अर्चना एवं आस्था रखने की स्वतंत्रता होती है। राज्य या सरकार द्वारा कोई धर्म किसी को थोपा नही जाता है। इस कारण यह एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बन गई है।

10. **संचार तंत्र का विस्तार (Extension of Communication Mechanism)–**आधुनिक समाज अपनी संचार व्यवस्था को अत्यधिक तीव्र और तकनीकी दृष्टि से उन्नत रूप प्रदान करने पर अत्यधिक बल देता है क्योंकि आज प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता एवं शीघ्रता से कार्य करने में संचार तंत्र की अग्रणी भूमिका हो गई है।

11. **लोकतंत्र (Democracy)**—आधुनिकीकरण की एक विशेषता यह भी है कि यह लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करता है। आधुनिकीकरण का पहिया विभिन्न राष्ट्रों को लोकतंत्र की ओर ले जाता है। इसका स्पष्ट उदाहरण भारत है, यहाँ पर आधुनिकीकरण के पश्चात लोकतंत्र की जड़े मजबूत हुई है।

12. **गतिशीलता (Mobility)**—आधुनिकीकरण की एक विशेषता है – गतिशीलता। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया रूकती नही है। एलपिन राफलर के अनुसार, "वह मशीनीकरण से कम्प्यूटरीकरण (From mechanization to computerization) की ओर चले रहे रही है।"

13. **राजनीतिक भूमिकाओं की विशेषज्ञता (Specialization of Political Roles)**—आधुनिकीकरण की एक प्रमुख विशेषता है – राजनीतिक भूमिकाओं की विशेषज्ञता। इसका अर्थ है कि भिन्न–भिन्न राजनीतिक कार्य एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा न किए जाएं, बल्कि भिन्न–भिन्न कार्य, भिन्न–भिन्न व्यक्तियों द्वारा किए जाएं। जैसे प्राचीन समय में सम्राट द्वारा सभी राजनीतिक कार्य किए जाते थे। इसके विपरीत आधुनिक युग में विभिन्न कार्यो के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है।

14. **नगरीकरण (Urbanization)**—नगरीकरण भी आधुनिकता की एक और विशेषता है। नगरीकरण का अर्थ है कि अधिक से अधिक लोग शहर में आकर बसें। इसका कारण है कि गाँव के लोग रूढ़ीवादी होते हैं। यही नही वैज्ञानिक व तकनीकी विकास भी शहरों तक ही सीमित रह जाता है। अतः लोगों के विकास व दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए अर्थात उनके आधुनिकीकरण के लिए नगरीकरण आवश्यक है।

15. **वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Approach)**—किसी भी समाज में रहने वाले व्यक्तियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसे आधुनिकता की ओर ले जाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस समाज के व्यक्तियों को संकुचित दृष्टिकोण से बाहर निकालकर उन्हें विवेकशीलता एवं तार्किकता के आधार पर निर्णय लेने के योग्य बनाता है।

16. **अधिक राजनीतिक सहभागिता (More Political Participation)**—एक आधुनिक राजनीतिक समाज में लोगों का राजनीतिक सहभागिता का स्तर उन्नत होता है और सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय–प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित भी करते हैं। जैसे पश्चिमी देशों में 80–85 प्रतिशत मतदान आधुनिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता को प्रदर्शित करता है जबकि तृतीय विश्व या पिछड़े देशों में 55–60 प्रतिशत मतदान का होना इस बात का संकेत है कि ये देश आधुनिकीकरण की दौड़ से अभी बाहर हैं।

## fu"d"k
## (Conclusion)

अतः आधुनिकीकरण एक अनिवार्यता है। यदि आधुनिक राज्य वर्तमान विश्व में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते है तो उन्हें आधुनिकीकरण की दौड़ में शामिल होना ही पड़ेगा। विभिन्न राज्यों को आर्थिक, वैज्ञानिक तथा राजनीतिक संरचनाओं को नवीन वातावरण के अनुकूल ढालना ही पड़ेगा।

## vk/kqfudhdj.k d fofHkUu i{k
## (Various Aspects of Modernization)

हॉन्टिंगटन के अनुसार, आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके आधार पर मानव की गतिविधियों, विचारों, मूल्यों व वृत्तियों आदि में परिवर्तन होता रहता है। आधुनिकीकरण से तात्पर्य समाज में परिवर्त्तनों से लगाया जाता है, परन्तु आधुनिकीकरण का अर्थ व्यापक रूप से समझने के लिए इसके अन्य पहलुओं व पक्षों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। आधुनिकीकरण के विभिन्न पक्ष अथवा आयाम निम्नलिखित हैं–

1. **आधुनिकीकरण का सामाजिक आयाम अथवा पक्ष (Social Dimension or Aspect of Modernization)**—मनुष्य जीवन के कई पक्षों में एक सामाजिक पक्ष भी है। जब तक मनुष्य जीवन के सामाजिक पक्ष का विकास नही होता, तब तक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। जैसे हमारे देश की जनता के एक बड़े भाग को निम्न वर्ग कहकर पुकारा जाता है यद्यपि इसे कानून बनाकर इस बुराई को दूर किया गया है लेकिन जब

तक लोगों के दिलों से इस भेदभाव को दूर नही किया जाता, तब तक लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। अतः सामाजिक दृष्टि से आधुनिकीकरण का आशय व्यक्ति के व्यवहार और मनोवृत्तियों के परिवर्तन से है।

2. **मनोवैज्ञानिक पक्ष या आयाम (Psychological Aspect or Dimension)**—आधुनिकीकरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष या आयाम बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक पक्ष से तात्पर्य है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोगों के मूल्यों, अभिवृत्तियों एवं आकांक्षाओं में परिवर्तन लाया जाए और उन्हे अधिक तर्कशील, विवेकी और वैज्ञानिक विचारों वाला बनाया जाए। उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक व तर्कशील बनाया जाए। ऐसा होने से लोग अंधविश्वासों व रीति–रिवाजों के दायरे से बाहर निकलेंगे और उनका आधुनिकीकरण होगा। यही नही कुछ लोग तो इतने भाग्यवादी और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करने वाले होते हैं कि वर्तमान को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानते हैं और इस चक्कर में पड़कर अपने भविष्य को अंधकारमय बना लेते हैं। लोगों के मनोवृत्तियों में परिवर्तन किए बिना किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है।

3. **आर्थिक पक्ष या आयाम (Economic Aspect or Dimension)**—मानव जीवन के विभिन्न पक्षों में से आर्थिक पक्ष एक है। साधारणतया आर्थिक पक्ष के विकास को ही आधुनिकीकरण मान लिया जाता है परन्तु यह धारणा ठीक नही है। वह समाज, जिसमें उत्पादन में शारीरिक परिश्रम के स्थान पर मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा हो, आर्थिक दृष्टि से औद्योगीकृत और आधुनिक कहलाता है।

   श्री एस० पी० वर्मा ने आधुनिकीकरण के आर्थिक पक्ष के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है, "आर्थिक क्षेत्र में जीवन–निर्वाही कृषि (Subsistence Agriculture), बाजारी कृषि (Market Agriculture) में बदल जाती है। व्यापार, उद्योगों और अन्य अकृषीय गतिविधियों की तुलना में कृषि की अवनति हो जाती है तथा ज्यों–ज्यों यह गतिविधि राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक केन्द्रीयकृत होने लगती है, त्यों–त्यों गतिविधियों का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है।"

   इसी सन्दर्भ में एस० पी० हॉन्टिंगटन के अनुसार, "आधुनिकीकरण एक व्यापक अवधारणा है जो आर्थिक विकास के क्षेत्र में विशेषकर औद्योगिकरण और पदार्थ उन्नति की दिशा के अति महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाता है।"

4. **राजनीतिक पक्ष या आयाम (Political Aspect or Dimension)**—प्राचीन काल में राजतंत्र व्यवस्था में सभी प्रकार के अधिकार राजा के पास होते थे। वह ही प्रत्येक प्रकार का कार्य करता था। प्रजा ही शासन किसी भी तरह की सहभागिता नही थी। उसकी तुलना में आधुनिक युग में प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थापित हो चुकी है जिसमे जनता की सहभागिता बढ़ चुकी है। राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ राजनीतिक परिवर्तन से है। अतः आधुनिकीकरण के राजनीतिक पक्ष का अर्थ है – राजनीतिक शासको की विशेषज्ञता और राजनीतिक संस्कृति का निरपेक्षीकरण। राजनीतिक संस्कृति के निरपेक्षीकरण का अर्थ है कि लोगों के राजनीतिक दृष्टिकोण का व्यापक होना। इसलिए आधुनिक युग में आधुनिकीकरण के राजनीतिक पक्ष या आयाम का काफी अधिक महत्त्व बढ़ गया है। इसी संदर्भ में डॉ० जे० सी० जौहरी (J.C. Johri) ने कहा है, "राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में, सामाजिक तथा भौतिक वातावरण में परिवर्तनों के अनुसार राजनीतिक संस्कृति को बदलने के प्रयास किए जाते हैं। इस अनिवार्य तथ्य के अर्न्तगत राजनीतिक परिवर्तन तथा आर्थिक कारकों के विस्तृत वर्णक्रम से गहन रूप में सबंधित होता है।" आमण्ड व पावेल (Almond and Powell) के अनुसार, "राजनीतिक आधुनिकीकरण का अभिप्राय संरचना की विभिन्नता की विधियों और राजनीतिक संस्कृति धर्म–निरपेक्षता से है जो समाज की राजनीतिक प्रणाली की सामर्थ्यता, प्रभाविकता और योग्यता को बढ़ाते हैं।"

## fu"d"k

## (Conclusion)

आधुनिकीकरण की अवधारणा का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा बहुमुखी (Multifaceted) है। इसका सम्बंध केवल आर्थिक विकास ही नही बल्कि इसका सम्बंध समाज में सामाजिक समानता लाना, सामाजिक न्याय स्थापित करना, लोगों को विवेकशील बनाना तथा

राजनीतिक व्यवस्था में वांछित परिवर्तन करना है। इस तरह हम पाते हैं कि आधुनिकीकरण के विभिन्न पक्षों में न केवल घनिष्ठ सम्बंध है वरन् वह अपृथकनीय है। उसी सम्बंध में हॉन्टिंगटन के अनुसार, "आधुनिकीकरण ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास के क्षेत्र तथा भौतिक प्रगति में मूलभूत परिवर्तन लाती है। इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति, संघटना, और जीवन के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन आ जाता है।"

## vk/kqfudhdj.k d rÙo
## (Factors of Modernization)

आधुनिक युग में प्रत्येक समाज व राजा आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। किसी देश में इसका स्तर अधिक है किसी में कम। इसलिए आधुनिकता को मापने का कोई निश्चित मापदण्ड नही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जहाँ आधुनिकता के तत्त्वों की प्रचुरता होगी, वहाँ यह अधिक होगी। रसेट (Ruset) ने विश्व के 108 देशों का अध्ययन करके आधुनिकता की दृष्टि से समाज को पाँच अवस्थाओं में बाँटा है–

(क) परम्परागत प्राचीन समाज (Traditional Primitive Societies), (ख) परम्परावादी सभ्यताएं (Traditional Civilizations), (ग) संक्रमणकालीन समाज (Transitional Societies), (घ) औद्योगिक क्रान्ति से प्रभावित समाज (Industrial Revolution Societies), (ङ) प्रचुर उपयोगी समाज (High Man Consumption Societies)।

**आधुनिकीकरण के तत्त्व (Factors of Modernization)–**आधुनिकीकरण की अवधारणा बहुमुखी है। इसके प्रभाव को मापना कठिन है। अतः जिस देश में इसको प्रभावित करने वाले तत्त्व अधिक होगें वहाँ आधुनिकीकरण अधिक होगा, और जहाँ ये तत्त्व कम होगे वहाँ आधुनिकीकरण कम होगा। आधुनिकीकरण के तत्त्वों का वर्णन निम्नलिखित हैं–

1. ***औद्योगीकरण (Industrialization)–***आधुनिकीकरण की परिभाषा करते हुए यह कहा गया है कि इसका अर्थ औद्योगीकरण है। यह औद्योगीकरण पर निर्भर करती है। जो राज्य औद्योगिक रूप से जितना विकसित होगा, उतना ही वहाँ आधुनिकीकरण होगा। औद्योगीकरण से न केवल आर्थिक विकास होता है बल्कि यह जात–पात को दूर करता है। इससे समाज में महिलाओं का स्वर ऊँचा उठता है। इसका स्पष्ट उदाहरण पाश्चात्य देशों को देखने से मिलता है जबकि इसके विपरित भारत का पूर्ण आधुनिकीकरण नही हुआ है, यहाँ के राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कृषि से प्राप्त होता है।

2. ***उच्च जीवन–स्तर (High Standard of Living)–***लोगों का जीवन स्तर जितना ऊँचा होगा, उतना ही आधुनिकीकरण अधिक होगा। उच्च जीवन स्तर, आधुनिकीकरण का प्रतीक है।

3. ***साक्षरता (Literacy)–***आधुनिकीकरण साक्षरता की मात्रा पर निर्भर करता है। साक्षरता आधुनिकीकरण का आधार है। इसके आभाव में आधुनिकीकरण नही हो सकता। भिन्न–भिन्न राज्यों या समाजों में साक्षरता का स्तर भिन्न–भिन्न होता है, अतः वहाँ आधुनिकीकरण का स्तर भी भिन्न–भिन्न होता है। जैसे– अमेरिका, कनाज, न्यूजीलैण्ड, इंग्लैण्ड में 80 प्रतिशत लोग साक्षर है अतः वहाँ आधुनिकीकरण अधिक है जबकि इसके विपरीत इण्डोनेशिया, अंगोला व अफगानिस्तान आदि देशों में साक्षरता की दर काफी कम है, इसलिए वहाँ आधुनिकीकरण कम है। भारत में साक्षरता की दर दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अतः आधुनिकीकरण भी उसी दर से बढ़ रहा है।

4. ***उच्च शिक्षा (Higher Education)–***आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाला अन्य तत्त्व उच्च शिक्षा है। आधुनिकीकरण के लिए उच्च शिक्षा का बढ़ना आवश्यक है। राज्य या समाज के उच्च शिक्षा के प्रसार व विस्तार से आधुनिकीकरण का भी विस्तार होगा। इसके आभाव में कोई भी समाज पिछड़ा रह सकता है।

5. ***समाचार पत्र (Press)–***आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाला अन्य तत्त्व समाचार पत्र है। इन दोनों में गहरा सम्बंध है। इससे लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। समाचार पत्र लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हैं। इसलिए समाचार–पत्र के पाठकों की अधिक संख्या को आधुनिकीकरण का चिन्ह माना जाता है।

6. ***शहरीकरण (Urbanization)***—आधुनिकीकरण का एक और तत्त्व शहरीकरण है, इसका अर्थ है शहरों की संख्या में वृद्धि। नगरों की वृद्धि का सीधा अर्थ आधुनिकीकरण है। नगरों की वृद्धि के साथ–साथ इनका विकास भी आवश्यक है। जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि देशों में नगरों का विकास हुआ है।

7. ***धर्म का घटता प्रभाव (Declining influence of Religion)***—धर्म–निरपेक्षता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव कम होना आधुनिकीकरण का सूचक है। भारत में आज भी धर्म का प्रभाव अत्यधिक है जो इसके आधुनिकीकरण में एक बाधा बना हुआ है। जबकि इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में धर्म का प्रभाव कम है और ये देश आधुनिकीकरण के रास्ते पर अग्रसर हैं।

8. ***अवकाश और आमोद–प्रमोद (Leisure and Recreation)***—अवकाश और आमोद–प्रमोद मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। यह मनुष्य के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है। इसके आभाव में मनुष्य निरसता का अनुभव करता है। अतः खेल–कूद की सुविधाएं, क्लब (Clubs), पिकनिक स्थल (Picnic Resort), आदि का होना आधुनिकीकरण का सूचक है।

9. ***वैज्ञानिक–दृष्टिकोण (Scientific Approach)***—लोगों का दृष्टिकोण आधुनिकीकरण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि दृष्टिकोण रूढ़िवादी हैं तो लोग परम्पराओं, रीति–रिवाजों में विश्वास रखेगें। वे परिवर्तन का विरोध करेगें जबकि परिवर्तन तो आधुनिकीकरण का आधार है। इसके विपरीत वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नागरिकों में परिवर्तन की चाह होगी, परिणामस्वरूप वे आधुनिकीकरण में सहायता करेगें।

अतः ये कुछ ऐसे तत्त्व हैं जिनके आधार पर आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है और विश्व आधुनिकीकरण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है।

## vk/kfudhdj.k dk ekxZ esa ck/kk,a
## (Hindrances in the Way of Modernization)

आधुनिकीकरण का आधार परिवर्तन है लेकिन परिवर्तन सभी को सुहाता नही है। कुछ परिवर्तन का विरोध करते है, वे लकीर का फकीर ही बने रहना चाहते हैं। परिवर्तन उनके खून में ही नही होता। उनके विरोध के कारणों का वर्णन निम्नलिखित है–

1. ***आर्थिक कारण (Economic Factors)***—कई बार लोगों की आर्थिक स्थिति आधुनिकीकरण के रास्ते में बाधा बन जाती है। आधुनिकता परिवर्तन लाती है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होना, लोगों पर बोझ बन जाता है। उनके खर्च को बढ़ा देता है अतः ऐसे परिवर्तन का लोगों द्वारा विरोध किया जाता है।

2. ***अज्ञानता (Ignorance)***—अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसके कारण मनुष्य आधुनिकीकरण के साधनों का ज्ञान प्राप्त नही कर सकता। अज्ञानता लोगों को रूढ़िवादी बना देती है। अतः अज्ञानता आधुनिकता के मार्ग में बाधा है।

3. ***नए आविष्कारों की अपूर्णता (Inadequacy of New Inventions)***—आधुनिकीकरण नए आविष्कारों को जन्म देता है। आविष्कार एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया और कई बार आविष्कार पूर्वतः सफल नही होते, उनके कुछ दुष्परिणाम भी उनके साथ जुड़े होते है, ऐसी स्थिति में आविष्कारों की प्रासंगकिता कम हो जाती है और कुछ लोग उससे होने वाले दुष्परिणामों को अनावश्यक रूप से उछालते हैं। इससे लोग संशकित हो जाते है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है।

4. ***लोगों का स्वभाव एवं आदतें (Nature and habbits of the people)***—अक्सर लोग अपनी आदतों और स्वभाव के कारण नई चीजों को अपनाने से घबराते हैं। रूढ़ीवादी और परम्परागत दृष्टिकोण के कारण लोग पुरानी मान्यताओं को पकड़ कर रखना चाहते हैं। जैसे ये जानते हुए भी कि जनसंख्या वृद्धि के काफी दुष्परिणाम हैं लोग परिवार नियोजन को अपनाने में अभी तक संकोच दिखाते हैं।

### fu"d"kZ
### (Conclusion)

आधुनिकीकरण परिवर्तन से सम्बंधित है। परिवर्तन अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि किसी एक स्थान पर सकारात्मक प्रभाव डालना वाला कोई परिवर्तन, किसी दूसरे स्थान पर न सिर्फ असफल रहे वरन् नकारात्मक प्रभाव छोड़े।

## jktuhfrd vk/kfudhdj.k
## (Political Modernization)

राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ राजनीति से सम्बंधित विभिन्न पक्षों के सम्बंध में होने वाले मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन है। प्रगति और विकास के साथ मानव दृष्टिकोण व्यापक और विस्तृत होता जाता है और परिणामतः इसका प्रभाव राजनीति शास्त्र पर भी पड़ता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ कुछ लोग राजनीतिक विकास के अर्थ में लेते हैं किन्तु यह एक संकीर्ण विचारधारा है यद्यपि यह सत्य है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से घनिष्ठ रूप में जुड़ा है। परन्तु सिर्फ राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण मान लेना गलत होगा। वस्तुतः राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से अधिक व्यापक है और इसमें शहरीकरण, औद्योगीकरण, लोकतंत्रिकरण सहभागिता आदि अनेक बातें कहीं सम्मिलित है।

## jktuhfrd vk/kfudhdj.k D;k g\
### (What is Political Modernization?)

राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभषित करना एक कठिन कार्य है। कोई भी दो लेखक इसकी परिभाषा पर सहमत नही है। कुछ इसे औद्योगिक प्रक्रिया मानते हैं तो कुछ इसे गैर–औद्योगिक प्रक्रिया मानते हैं। कुछ इसे पाश्चात्यीकरण (Westernization) का पर्यायवाची मानते है। कुछ विचारकों द्वारा इसे समाज में सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का परिवर्तन माना जाता है। फिर भी सभी विद्वानों ने इसे पुराने परिवर्तन के जगह पर नवीन परिवर्तन माना है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषाओं का विवरण निम्नलिखित हैं–

1. रार्बट वार्ड (Robert Word) के शब्दों में, "राजनीतिक आधुनिकीकरण आधुनिक समाज के प्रति एक ऐसा आन्दोलन है जो अपने वातावरण की भौतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित या प्रभावित करने की दूरगामी योग्यता रखता है।"
2. एस० पी० हॉन्टिंगटन (S.P. Hantington) के शब्दों में, "राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय चिन्तन तथा क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं।"
3. कोलमैन (Coleman) के अनुसार, "राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढाँचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला तथा इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का सामना कर सके।"
4. क्लाउडन ई० वेल्श (Clauden E. Welch) के शब्दों में, "राजनीतिक आधुनिकीकरण साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित प्रक्रिया है तथा इसका लक्ष्य एक आधुनिक समाज की स्थापना है।"
5. डॉ० जे० सी० जौहरी (Dr. J.C. Johri) के शब्दों में, "राजनीतिक प्रक्रिया के सन्र्दभ में सामाजिक तथा भौतिक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार राजनीतिक संस्कृति को बदलने के प्रयास किए जाते हैं। इस अनिवार्य तथ्य के अर्न्तगत राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के विस्तृत वर्णक्रम से गहन रूप से सम्बंधित होता है।"
6. बेन्जामिन श्वार्ज (Benjamin Schwartz) के शब्दों में, "राजनीतिक आधुनिकीकरण विभिन्न मानवीय उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण पर विवेकपूर्ण नियत्रंण के लिए मानवीय शक्ति को क्रमबद्ध, निरन्तर तथा शक्तिशाली ढंग से लागू करता है।"
7. डॉ० एस० पी० वर्मा (Dr. S.P. Verma) ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को बहु–स्तरीय प्रक्रिया बताया है। उनके अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित पाँच स्तरों पर मानवीय चिंतन, कार्यो एवं सम्बंधों में परिवर्तन करती है–

(क) सामाजिक स्तर पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की संस्थागत व संगठनात्मक निष्ठा एवं शक्ति के केन्द्र में परिवर्तन करती है।

(ख) मनोवैज्ञानिक स्तर पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया व्यक्तियों के मूल्यों, दृष्टिकोणों तथा आकांक्षाओं में परिवर्तन उत्पन्न करती है।

(ग) बौद्धिक स्तर पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का अर्थ है व्यक्ति को अपने वातावरण की अत्याधिक जानकारी होना तथा सम्पूर्ण समाज में बढ़ती साक्षरता तथा संचार व्यवस्था के द्वारा इस जानकारी का समाज में प्रसार होना।

(घ) आर्थिक स्तर पर कृषि के रूप में महत्त्व में कमी आती है और उद्योग व्यापार का विकास होता है। कृषि का बाजारीकरण होने लगता है तथा जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि के क्षेत्र से उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करता है।

(ङ) जनसंख्या के स्तर पर इसका अर्थ है प्रति व्यक्ति जीवन स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य में सुधार एवं आयु में वृद्धि, व्यक्तियों की भौतिक गतिशीलता में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर जनसंख्या का पलायन।

राजनीतिक आधुनिकीकरण की उपरोक्त परिभाषाओं को अध्ययन करने के बाद कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुराने समाज को आधुनिक समाज में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जाता है अर्थात समाज औद्योगिकृत, शहरीकृत, शिक्षित तथा राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार बन जाता है। इसमें राजनीतिक संस्कृतियों में सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के अनुकूल परिवर्तन सम्भव होता है। राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकीकरण कहेंगे।

## jktuhfrd vk/kqfudhdj.k dh fo'ks"krk,¡
## (Characteristics of Political Modernization)

राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि विशेष लक्षणों वाली राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकीकृत कहा जाता है। इसकी विशेषताओं पर सभी विद्वान एकमत नहीं है। फिर भी इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है–

1. **जनसहभागिता (Popular Participation)**–राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड यह देखना है कि राज्य में संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं में जन–सहभागिता किस मात्रा तक है। सर्वसाधारण की राजनीति में सहभागिता राजनीतिक आधुनिकीकरण की सर्वप्रथम शर्त है, जिसके आभाव में सभी प्रकार का विकास रूक जाएगा। यहाँ केवल सहभागिता ही पर्याप्त नही है बल्कि इसका उत्तरदायी होना भी आवश्यक है।

2. **राज्य का अधिकाधिक प्रवेशन (Penetration of State)**–प्राचीन काल में 'पुलिस राज्य' के कार्य समिति थे। यातायात तथा संचार के साधनों के विकास के कारण राज्य का कार्य इतना बढ़ा है कि राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। राज्य द्वारा सकारात्मक कार्य किए जाते हैं। राज्य तथा जनता की स्तर की सम्पर्कता बढ़ी है। इसे ही राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है।

3. **शक्तियों का केन्द्रीयकरण (Centralization of Powers)**–राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक प्रमुख विशेषता है कि मानव जीवन से सम्बंधित गतिविधियों की सभी प्रकार की शक्तियां राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्रीयकृत होने लगती हैं। राजनीतिक शक्ति का महत्त्व बढ़ना ही राजनीतिक आधुनिकीकरण का चिन्ह है।

4. **केन्द्र व परिसर में अनुःक्रिया (Interaction between State and Periphery)**–इसका अर्थ है केन्द्र अर्थात राजनीतिक व्यवस्था तथा परिसर अर्थात समाज में अन्तःक्रिया का बढ़ना। राजनीतिक आधुनिकीकरण दो तरफा प्रक्रिया है। व्यवहारवादियों की शब्दावली में इसको निवेश और निर्गल (Input-output) कहा जा सकता है।

5. **सत्ता का स्थानान्तरण (Transfer of Power)**—सत्ता के स्थानान्तरण से तात्पर्य है कि पुरानी राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सत्ताओं का स्थान राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता ले लेती है। सत्ता के परम्परागत स्त्रोत निर्बल होने लगते हैं उनका स्थान राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता ले लेती है। इसी सम्बंध में हॉन्टिंगटन ने लिखा है, "आधुनिक राजनीतिक समाज में धार्मिक, परम्परागत, पारिवारिक, जातीय सत्ताओं का स्थान एक लौकिककृत और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता के द्वारा ले लिया जाता है।" कार्ल डायच ने इस विशेषता को सामाजिक संचालन (Social Mobilization) का नाम दिया है। इसी तरह हॉन्टिंगटन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को परम्परागत से मुक्त (Disengagement from traditionalism) कहा है।

6. **नौकरशाही की भूमिका (Roll of Bureacoracy)**—आधुनिकीकरण के कारण सरकार के कार्यों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण उन कार्यों को करने के लिए सरकारी कर्मचारीयों एवं नौकरशाही की आवश्यकता है। इसलिए दिन–प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सन् 1947 से लेकर अबतक 50 गुणा अधिक वृद्धि नौकरशाही में हो चुकी है। नौकरशाही का आकार के साथ–साथ उसके आधार की व्यापकता भी आवश्यक है।

7. **राजनीतिक व्यवस्था में निष्ठा (Loyalty towards Political System)**—राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है, जिससे कि व्यक्ति राष्ट्रवादी बनेगें। व्यक्तियों का राज्य व राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनापन बढ़ेगा, इनके प्रति उनके मन में निष्ठा बढ़ेगी, राष्ट्रीयकरण तथा राष्ट्रीय निर्माण की भावना का विकास होगा।

राजनीतिक आधुनिकीकरण की उपरोक्त परिभाषाएं सामान्य लक्षणों की ओर संकेत करती हैं। इनके अतिरिक्त विशिष्ट विशेषताओं को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं– (क) बुद्धिसंगत सत्ता (Rationalized Authority), (ख) विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं (Differentiated Political Structures) तथा (ग) राजनीतिक सहभागिता (Political Participation)।

## jktuhfrd vk/kfudhdj.k d rÙo
## (Determinants and Factors of Political Modernization)

राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्त्वों की सूची तैयार करना कठिन तो है ही, साथ ही इसकी जरूरत भी नही है। इसकी सूची तैयार करना इसलिए कठिन है क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्त्व भिन्न–भिन्न होते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए नही है क्योंकि किन्हीं दो देशों के राजनीतिक आधुनिकीकरण के स्तर, दिशाएं व मात्राएं अलग–अलग होते हैं। फिर भी कुछ सामान्य तत्त्वों की सूची तैयार की जा सकती है, जिन पर विचारकों में मतभेद नही है। उनका वर्णन निम्नलिखित है–

1. **राजनीतिक सरंचनाएं और संस्कृति (Political Structures and Cultures)**—राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्त्व में प्रथम, देश की संरचना एवं संस्कृति है। यदि राजनीतिक संरचनाएं परम्परागतता के बंधनों में जकड़ी हुई हैं तो निश्चित रूप से उस देश का राजनीतिक आधुनिकीकरण नही हो सकता। इसका स्पष्ट उदाहरण नेपाल एवं भूटान है।

   इसके साथ ही सामान्य संस्कृति और विशेषकर राजनीतिक संस्कृति का राजनीतिक आधुनिकीकरण पर दीर्धकालीन प्रभाव पड़ता है।

2. **राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति (Nature of Political System)**—राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति की अहम् भूमिका है। राजनीतिक व्यवस्था का रूप सामाजिक व्यवस्था द्वारा तैयार किए गए वातावरण के अनुरूप ही होता है। लोकतंत्र में समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था में दो–तरफा आदान–प्रदान एवं सम्पर्कता रहती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र तथा शिथिल दोनों कर सकती है। अगर राजनीतिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक है तो यह राजनीतिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगी, पर यदि अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था है तो यह आधुनिकीकरण पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।

3. **ऐतिहासिक तत्त्व (Historical Factors)**—राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन या राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने का प्रयास किस समय किया जाए, यह महत्त्वपूर्ण बात है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब भी समय की धारा के विपरीत कोई भी परिवर्तन किया गया तो वह सफल नही हुआ। लेकिन इसके विपरीत इतिहास की धारा के अनुसार परिवर्तन लाना आसान ही नही होता, बल्कि स्वतः ही यह होने लगता है।

4. **राजनीतिक नेतृत्व (Political Leadership)**—राजनीतिक नेतृत्व का राजनीतिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने या रोकने में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। यदि राजनीतिक नेतृत्व आधुनिकता की पक्षधर है तो यह आधुनिकीकरण में सहायक सिद्ध होगें। जैसे भारत में राजनीतिक नेताओं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गाँधी व अन्य नेताओं ने राजनीतिक आधुनिकीकरण में सहायता की।

## fu"d"k

## (Conclusion)

राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्त्वों से यह निश्चित होता है कि इसका विकासशील देशों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। विकासशील देश विकास करना चाहते हैं लेकिन उनकी परम्परागत राजनीतिक संरचनाएं उन्हें ऐसा करने से रोकती है, जब ये देश इस बंधन से मुक्त होगें तभी इनका राजनीतिक आधुनिकीकरण हो सकता है।

## if'peh rFkk ubZ jktuhfrd 0;oLFkkvksa d vk/kqfudhdj.k e vUrj

## (Differences between Western and New Political Systems of Modernization)

आधुनिकीकरण को ही साधारणतया पश्चिमीकरण कहा जाता है, लेकिन यह पूर्णतयः गलत है क्योंकि नवोदित राज्यों ने पश्चिमी राज्यों की नकल नही की है। लेकिन इन राज्यों में आधुनिकता की ओर बढ़ने की इच्छा अधिक है। नवोदित राज्यों में आधुनिकीकरण बाह्य शक्तियों द्वारा आरोपित है जबकि पश्चिमी राज्यों में आधुनिकीकरण आन्तरिक शक्तियों और प्रभावों के कारण हुआ।

वास्तविकता यही है कि पश्चिमी और नवोदित राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण में काफी अन्तर है। इस अन्तर को सामाजिक संरचना के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। एडवर्ड शिल्स ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक 'राजनीतिक आधुनिकीकरण' (Political Modernization) में नवोदित राज्यों की सामाजिक सरंचना की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ये अन्तर निम्नलिखित हैं–

1. **शिक्षा के प्रसार के आधार पर अन्तर (Difference on the basis of Education)**—पश्चिमी राज्यों में अधिकतर लोग शिक्षित हैं, जिसके कारण वे जीवन के प्रति मूल्यों और प्राथमिकताओं के प्रति जागरूक होते हैं और आधुनिकीकरण में सहायक होते हैं। इसके विपरीत नवोदित राज्यों में अधिक लोग अशिक्षित होते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनका जीवन के मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अतः अशिक्षा आधुनिकता के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है।

2. **राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर अन्तर (Difference on basis of Political System)**—पश्चिमी राष्ट्रों में राजनीतिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक होती है, सरकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है, निर्वाचित सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निर्णयकारी प्रक्रिया (Decision Making Process) पर गैर लोकतांत्रिक तत्त्वों का भी प्रभाव पड़ता है। इसके विपरित नवोदित राष्ट्रों में राजनीतिक व्यवस्था कम प्रजातांत्रिक होती है। वहाँ परम्पराओं, रीति–रिवाजों व रूढ़ियों का गहरा प्रभाव होता है। राज्य के निर्णय लेते समय जनता के विचारों को ध्यान में नही रखा जाता। निर्णयकारी प्रक्रिया कुछ ही लोगों तक सीमित रहती है। नवोदित राष्ट्रो में सत्ता का केन्द्रीयकरण होता है जो राजनीतिक आधुनिकीकरण के रास्ते में बाधा बनता है।

3. **मध्यम वर्ग के आधार पर अन्तर (Difference on the basis of Middle class)**—पश्चिमी राष्ट्र औद्योगीकृत एवं नगरीकृत होते हैं तथा उनके मध्यम वर्ग की प्रचुरता होती है जो की समाज के प्रत्येक पक्ष में अहम् भूमिका निभाते हैं। इसी वर्ग से प्रशासक और कार्यकारी नौकरशाह निकलते हैं जो समस्त समाज की व्यवस्था को गतिशील बनाते हैं। इनसे ही आधुनिकीकरण को समर्थन मिलता है। इसके विपरीत नवोदित राष्ट्रों में मध्यम

वर्ग होता ही नही है अगर होता है तो नगण्य रूप से होता है। यहाँ लोग अधिकतर ग्रामीण होते हैं जो अशिक्षित होते हैं। वे अयोग्य होते है अतः आधुनिकीकरण की गति धीमी पड़ जाती है।

4. **आर्थिक व्यवस्था के आधार पर अन्तर (Difference on the basis of Economic System)**—साधारणतया नवोदित राष्ट्रो की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। इन राष्ट्रों में परम्परागत साधनों व तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, इस कारण इन राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय कम रह जाती है। इन राष्ट्रों में पुर्ननिर्माण और सुधार की समस्या उपस्थित रहती है। इसके विपरीत पश्चिमी राष्ट्रों का आर्थिक विकास पहले से हो चुका होता है जिससे उनका रहन सहन का स्तर ऊँचा रहता है तथा वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। उनका राजनीतिक आधुनिकीकरण निश्चित रूप से भिन्न होता है।

## vk/kfud'khy jk"Vªksa ds ikp ekMy
## (Five Models of Modernizing Nations)

नवोदित राष्ट्रों के सम्मुख आधुनिकशील राष्ट्रों के पाँच मॉडल एडवर्ड ए० शिल्स (Edward A. Shills) ने प्रस्तुत किए हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है—

1. राजनीतिक लोकतंत्र (Political Democracy)
2. आधुनिकशील अभिजाततंत्र (Modernizing Oligarchy)
3. संरक्षक लोकतंत्र (Tutelory Democracy)
4. परम्परावादी अभिजाततंत्र (Traditional Oligarchy)
5. सर्वाधिकारवादी अभिजाततंत्र (Tutalitarian Oligarchy)

1. **राजनीतिक लोकतंत्र (Political Democracy)**—राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसे प्रत्येक आधुनिकीकरण राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। शिल्स ने इसे प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं और सार्वजनिक स्वतत्रंता के माध्यम से नागरिक शासन के राज्य (A regime of Civilian Rule through Representative Institution and Civil Liberties) के रूप में परिभाषित किया है। इस व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं—

(क) ***सर्वोच्च विधानमण्डल (Supreme Legislature)***—इस व्यवस्था में विधानमण्डल सर्वोच्च होता है जिसका निर्वाचन जनता द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया जाता है। विधानमण्डल को कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को स्वीकार या रद्द करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सकता है।

(ख) ***राजनीतिक दल (Political Parties)***—इस व्यवस्था में राजनीतिक दल होते हैं और बहुमत प्राप्त दल द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अन्य दल विरोधी दल के रूप में भूमिका निभाते हैं। कई स्थानों पर कार्यपालिका का पृथक रूप से चुनाव होता है, वहाँ पर निर्वाचित उम्मीदवार बहुमत प्राप्त दल के साथ मिलकर कार्य चलाता है।

(ग) ***निश्चित अवधि (Fixed Time)***—कार्यपालिका अवधि निश्चित होती है। यह ध्यान रहे अवधि अल्पकालीन होनी चाहिए। कार्यपालिका की सत्ता के नियम ठीक तरह से परिभाषित होने चाहिए ताकि कार्यपालिका इसका दुरूपयोग न कर सके।

(घ) ***सत्ता पर नियत्रंण (Check on Authority)***—सत्ता के दुरूपयोग की हमेशा संभावना बनी रहती है इसलिए यह अति आवश्यक है कि सत्ता के दुरूपयोग पर नियत्रंण बना रहे। सत्ताधारी विधानमण्डल एवं निर्वाचन मण्डल के विश्वास प्राप्त रहने पर सत्ता में रह सकते हैं। जनता का विश्वास खोते ही उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए।

(ङ) ***स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary)***—प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका होने से संविधान की सुरक्षा होती है। राजनीतिज्ञों पर नियत्रंण बना रहता है।

2. **आधुनिकशील अभिजाततंत्र (Modernizing Oligarchy)**—राजनीतिक लोकतंत्र में लोगों को बहुत सी सुविधाएं व स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। लोग कई बार इस स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करते हैं जिससे आधुनिकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है अतः संरक्षक लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। आशावादी लोग संरक्षक तंत्र का अन्तरिम उपाय के रूप में देखते है और आशा करते हैं कि समय आने पर राजनीतिक लोकतंत्र फिर से स्थापित हो जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग राजनीतिक लोकतंत्र एवं संरक्षक लोकतंत्र के प्रति उदासीन हो जाते हैं और एक ऐसी व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं जिसमें अधिक स्थायित्व मिलेगा अर्थात वे लोकतांत्रिक शासनतंत्र से परे हटकर एक अधिक अधिकारवादी राज्य (A more Authorative Regime) की ओर उन्मुख होते हैं। उनका विश्वास होता हैं कि यह अधिकारवादी राज्य उस प्रकार के समाज के निर्माण में सक्षम होगा जिसकी अभिजाततंत्र की सरकार शक्तिशाली, स्थायी एवं ईमानदार हो और जिससे आधुनिकशील वर्ग (A Modernizing Oligarchy) की स्थापना हो सके। आधुनिकशील गुटतंत्र की विशेषता निम्नलिखित हैं—

(क) इस व्यवस्था में संसद की सभी शक्तियों को नियंत्रित कर दिया जाता है। संसद का कार्य केवल कार्यपालिका के निर्णयों का समर्थन करना होता है।

(ख) विरोध किसी भी रूप में सहन नही किया जाता। सभी विरोधी दलो को समाप्त कर दिया जाता है। केवल एक ही दल की तानाशाही होती है। चुनाव केवल नाममात्र होते हैं। विरोधी दलों एवं नेताओं पर झुठे आरोप लगा कर मुकदमे चलाए जाते हैं या उन्हें जेलों में ठूँस दिया जाता है।

(ग) नौकरशाही को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। अगर सैनिक विशिष्ट वर्ग के गुटतंत्र की स्थापना है तो असैनिक कर्मचारियों व अधिकारियों को आवश्यक रूप में भर्ती किया जाता है। महत्त्वपूर्ण स्थान पर अपने समर्थक कर्मचारियों को कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

(घ) न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता है और सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग द्वारा न्यायपालिका का प्रयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

(ङ) जन संचार के साधनों पर कड़ा नियत्रंण होता है।

अतः आधुनिकशील गुटतंत्र अप्रजातांत्रिक होता है। इस व्यवस्था में विद्रोह की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए सत्तारूढ विशिष्ट वर्ग सेना या पुलिस के सहारे जीवित रहता है।

3. **संरक्षक या अभिभावक लोकतंत्र (Tutelary Democracy)**—राजनीतिक लोकतंत्र के व्यवहारिक रूप को संरक्षक अथवा अभिभावक लोकतंत्र कहते हैं। इस लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र को सैद्धान्तिक रूप अथवा संरक्षात्मक रूप से बने रहने दिया जाता है, किन्तु व्यवहार में उसे बदल दिया जाता है। संरक्षक लोकतंत्र में लोगों के राजनीतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है। लोग अपने अल्पकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए या आधुनिकीकरण करने की दृष्टि से प्रभावशाली और स्थायी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। संरक्षक लोकतंत्र में कार्यपालिका की शक्तियों को अधिक विस्तृत एवं दृढ कर दिया जाता है। कार्यपालिका में अधिक शक्तियाँ केन्कद्रीत कर दी जाती है। विधानपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगया जाता है। राजनीतिक दलों की शक्तियां घटाई जाती है। ध्यान रहे कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ाते समय कानून के शासन और सार्वजनिक स्वतंत्राओं के किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई जाती। प्रतिनिधि संस्थाएं और जनमत संस्थाएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं परन्तु उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है।

संरक्षक लोकतंत्र समाज में विशिष्ट वर्गों को अधिकमात्रा में प्रभावित करता है परन्तु इसके द्वारा ही समाजों में अधिकारपूर्ण व्यवस्था (An Anthorative System) की स्थापना की जा सकती है। ये विशिष्ट वर्ग साधारण लोगों से हर क्षेत्र में अधिक सक्षम होते हैं। साधारण लोगों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से

न चलाने के कारण ही संरक्षक लोकतंत्र की स्थापना की जाती हैं। अतः संरक्षक लोकतंत्र की सफलता विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक लोकतंत्र की इच्छा पर निर्भर करती है। साथ ही संरक्षक लोकतंत्र की सफलता और कुशलता नौकरशाही की स्वामि–भक्ति पर भी निर्भर करती है कयोंकि सक्षम नौकरशाही ही कार्यपालिका की सहायता कर सकती है। नौकरशाही से यह आशा की जाती है कि वह संसद द्वारा प्रस्तुत नीतियों की निष्पक्ष आलोचना करे।

4. **परम्परावादी अभिजातंत्र (Traditional Oligarchy)**–किसी भी समाज में पूर्ण परिवर्तन संभव नहीं है। अतः परम्पराओं और रीति–रिवाजों का किसी न किसी रूप में प्रभाव होता है। परम्परावादी वर्ग तंत्र परम्परागत धार्मिक विश्वास से सम्बद्ध शक्तिशाली राजवंशीय संविधान पर आधारित होता हैं। यह व्यवस्था रक्त संबंधों पर आधारित होती है। परम्परावादी वर्ग तंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

(क) शासक द्वारा शासन सलाहकारों की सहायता से चलाया जाता हैं इन सलाहाकरों की नियुक्ति शासक अपने सम्बंधियों या मित्रों में से करता है।

(ख) नागरिक सेवाएं (Civil Services) न के बराबर होती है। जो होती भी है, उनकी भर्ती प्रतियोगिता के आधर पर न होकर शाही महलों के अनुचरों में से होती है।

(ग) केन्द्रीय सराकर कभी भी शक्तिशाली नहीं होती क्योंकि केन्द्रीय सत्ता अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रांतों पर निर्भर करती है।

(घ) विरोधी दल का अस्तित्व नहीं होता।

(ड.) शासक शासन चलाने के लिए पुलिस व सेना की मदद लेता है।

(च) राजनीतिक ज्ञान का प्रसार और जनमत निर्माण करने वाली संस्थाओं का आभाव होता है।

5. **सर्वाधिकारवादी अभिजातंत्र (Totalitarian Oliganchy)**–सर्वाधिकारवादी विचारधारा प्रजातंत्र व उदारवादी विचारधारा के विरूद्ध एक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति को गौण और राज्य को प्रधान सत्ता मानते हुए सम्पूर्ण शक्ति राज्य को प्रदान करना चाहती है। इसका उद्देश्य सन्तानोत्पादन से लेकर काव्य रचना तक के जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य को असीम, अपरिमित और अमर्यादित अधिकार प्रदान करना है। यह मनुष्य के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार के आचार विचार, व्यवहार और कार्यों पर राज्य का पूरा नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित करने का प्रबल समर्थक है। सर्वाधिक शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–

(क) सर्वाधिकार शासन से कोई भूल नहीं हो सकती है। यह समाचार–पत्रों, रेडियो, चलचित्र, रंगमंच व साहित्य आदि पर राज्य के निर्माण को स्थापित करना चाहता है।

(ख) यह प्रजातंत्र का विरोधी है। आम आदमी प्रजातंत्र के योग्य नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र इस दुनिया में अकाल मौत मर रहा है।

(ग) सर्वाधिकारवाद मानव जीवन में बुद्धि और विवेक की अपेक्षा स्वाभाविक प्रवृत्तियों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है।

(घ) सर्वाधिकारवाद नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों में आस्था नहीं रखता।

(ड.) विशिष्ट वर्ग के लोग अधिक अनुशासित और एकीकृत निकाय के रूप में होते हैं। वे दलीय संस्था के माध्यम से अपने सिद्धांतों के परस्पर कठोर रूप में बंधे होते हैं।

(च) दल एक अनिवार्य अंग होता है। जिसके द्वारा शासन का संचालन होता है।

(छ) राज्य की एकात्मक स्थापित करने के लिए धर्म को राज्य के अधीन रखा जाता है।

सर्वाधिकार राज्य में कानून के शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और विरोधी दल का कोई स्थान नहीं होता। एक ही दल का शासन होता है। दल द्वारा निश्चित ढाँचे पर ही जनता को चलना पड़ता है।

# vH;kl&iz'u
# (Exercise-Questions)

## fucU/kkRed iz'u (Essay Type Questions)

1. आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

   What do you mean by Modernization? What are main characteristics of Modernization.

2. आधुनिकीकरण की परिभाषा दीजिए। आधुनिकीकरण के विभिन्न पक्षों का वर्णन कीजिए।

   Define Modernization. Explain the various aspects of Modernization.

3. आधुनिकीकरण की परिभाषा दीजिए तथा इसके तत्वों का वर्णन कीजिए।

   Define Modernization and discuss its factors.

4. आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिकीकरण के मार्ग में आने वाले बाधाओं की विवेचना करें।

   What do you mean by Modernization? Explain the hindrances in the way of Modernization.

5. राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

   What is Political Modernization? Discuss the main characteristics of Political Modernization.

6. राजनीतिक आधुनिकीकरण के तत्वों का वर्णन कीजिए। परिश्चमी तथा नई राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

   Discuss the Determinants and factors of Political Modernization. Differentiate between Western and New Political System of Modernization.

7. आधुनिक राष्ट्रों के विभिन्न मॉडलों का वर्णन कीजिए।

   Explain the various Models of Modernizing Nation.

# v/;k; 11

# jktuhfrd fodkl

# (Political Development)

- विकास का अर्थ
- विकास की परिभाषा
- विकास के उद्देश्य
- विकास के विभिन्न पक्ष
- राजनीतिक विकास की अवधारणा
- राजनीतिक विकास का विश्लेषण
- राजनीतिक विकास की विशेषताएं
- राजनीतिक विकास के चरण
- राजनीतिक विकास के सूचक
- राजनीतिक विकास की उपयोगिता

*परिवर्तन जीवन का आधार है। परिवर्तन व्यक्तिगत, स्थानीय, राष्ट्रीय अर्न्तराष्ट्रीय आधार पर होता है। विकास की अवधारणा का सम्बन्ध परिवर्तन से बताया जाता है। अतः विकास राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होता रहता है। जिन देशों में विकास पूर्ण रूप से हो चुका है, उन देशों को विकसित देश कहा जाता है और जिन देशों में अभी भी विकास चल रहा है उन देशों को विकासशील देश या तृतीय विश्व के राष्ट्र भी कहा जाता है। प्रथम विश्व के राष्ट्र में अमेरिका तथा उसके गुट में सम्मिलित देश आते थे, जबकि दूसरे विश्व के राष्ट्र में सोवियत संघ तथा उसके समर्थक देश आते थे। तृतीय विश्व के राष्ट्र के अन्तर्गत साम्राज्यवादी शक्तियों या यूरोपीय औपनिवेशवाद की दासता से मुक्त आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास के प्रयत्नशील राष्ट्र है। सोवियत संघ के एक राष्ट्र के रूप में समाप्त होने पर द्वितीय विश्व के राष्ट्र की अवधारणा समाप्त हो गयी तथा अब विश्व केवल एक ध्रुवीय यानि अमेरिका के इर्द–गिर्द रहा गया है। साम्राज्यवादी शक्तियों यानि युरोपिय औपनिवेश ने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन–अमेरिका के अधिकांश देशों को लम्बे समय तक अपना दास बनाकर रखा तथा आर्थिक शोषण कर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास को अवरूद्ध कर रखा था। परिणाम स्वरूप ये देश अविकसित रहें। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् इन देशों के लोगों में जागृति उत्पन्न होने लगी जिसके कारण यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता–प्राप्ति के लिए आन्दोलन चलाए। बहुत–से देशों मे आन्दोलन सफल रहा तथा उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की इन स्वतंत्र देशों के सामने सर्वप्रथम विकास की प्रमुख समस्या यानि मानव की सर्वप्रमुख आवश्यकता–रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति करना था। अतः इन स्वतंत्र देशों ने सर्वप्रथम अपने आर्थिक विकास की और ध्यान दिया। तत्पश्चात् सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक क्षेत्रों में विकास, प्रारम्भ हुआ। अतः विकास की अवधारणा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास तथा राजनीतिक विकास से परस्पर जुड़ा हुआ हैं।*

## fodkl dk vFk

## (Meaning of Development)

परिवर्तन से ही विकास की अवधारणा का संबन्ध जोड़ा गया हैं। आधुनिक भौतिकवादी युग में व्यक्ति या समाज के विकास की अवधारणा का अर्थ आर्थिक विकास से लिया जाता है। भैतिकवाद से संबंधित दो मुख्य विचारधाराएं है–पूंजीवाद तथा साभ्यवाद। इस समय साभ्यवादी विचार धारा अपने अर्न्तविरोधों के कारणों से नष्ट होती जा रही है

और पूंजीवादी विचार धारा अपने ही बोझ में दबकर समाप्त होने के कगार पर है। लेकिन मनुष्य केवल भौतिक लक्ष्यों ही नहीं बल्कि उनसे भी उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जीवित रहता है। वह भौतिक सुख की प्राप्ति करना चाहता है।

## fodkl dh ifjHkk"kk
## (Definition of Development)

विभिन्न विद्वानों ने विकास की परिभाषा भिन्न–भिन्न तरीकों से दिया है अतः इसकी जटिलता बढ़ जाती है। कुछ विद्वानों विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुँचा सके। कुछ लोग इसका सम्बन्ध राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन से बताते हैं। कुछ विद्वान औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में विकास का अध्ययन करते हैं, कुछ लेखक राजनीतिक विकास को आधुनिकीकरण का सूचक मानते हैं। विकास को राज्य की राज्य की संस्थाओं के प्रसंग राष्ट्रवाद की राजनीति भी माना गया हैं इस दृष्टिकोण के अर्न्तगत विकास के लिए राष्ट्रवाद का होना आवश्यक होगा। कुछ विद्वान विकास का अर्थ प्रशासनीय और वैधानिक विकास से लेते है। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति में अधिक से अधिक लोगों का भाग लेना भी विकास में शामिल हैं। विभिन्न विद्वानों ने 'विकास' को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है–

1. **मैकेंजी** (Mackenzi) के अनुसार, ''विकास समाज में उच्चस्तीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है।''
2. **विलयम चैम्बर्स** (William Chambers) के शब्दों में, ''विकास को एक एसी आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था की ओर अग्रसर समझा जा सकता हैं जिसमें उन समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने की क्षमता हो जिनका उसे सामना करना पड़ता है। उसमें संरचनाओं का निवेदन और कार्यों की विशिष्टता होती है।''
3. **ल्युसिन पाई** (Lucin Pye) के मतानुसार, ''राजनीतिक विकास, संस्कृति का विसरण (difussion) और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है।''
4. **आमण्ड और पावेल** (Almond and Powell) के अनुसार, ''विकास राजनीतिक संरचनाओं की अभिवृद्धि, विभिन्नीकरण और विशेषकरण तथा राजनीतिक सांस्कृतिक का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है।''
5. **एच० मिटलमैन** (H.Miltman) के अनुसार, ''विकास का अर्थ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के तर्क–संगत प्रयोग की क्षमता को बढाना है।''
6. **एलफ्रड डायमेण्ट** (Alfred Diament) के कथानुसार, ''विकास एक एसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों का निरन्तर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है।''

उपरोक्त परिभाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकास एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति मात्र नहीं है बल्कि यह ऐसी प्रक्रिया जो संरचनाओं या संस्थाओं का निर्माण करती है जो समाज में उत्पन्न उमस्याओं का समाधान निकालने में समर्थ हो।

## fodkl ds mís';
## (Aims of Development)

जब हम विकास के उद्देश्य की बात करते हैं तो इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में विकास की परिभाषा या लक्ष्य बदल गया है। एक समय था, जब विकास का अर्थ मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति से था। लेकिन आज सामान्य लोग आवश्यक वस्तुओं के साथ–साथ विलास की वस्तुओं का भी अपभोग करने लगें हैं। अर्थात् वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से सबल व दुर्बल वर्गों की अवधारणा व धूमिल हो गई हैं।

विकास के उद्देश्य का विवरण निम्न लिखित रूप से दिया जा सकता है।

1. **जीवन का स्तर (Standard of Living)**–विकास का प्रथम महत्त्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि लोगों के रहन–सहन के स्तर का विकास हो। इसका तात्पर्य है कि लोगों के जीवन के स्तर की न केवल आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों बल्कि उन्हें वे सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जिन्हें प्राप्त करके वे अपने जीवन को सुखी और सम्पन्न बना सकें। उन्हें वे सुविधाएं प्राप्त होने चाहिए जिन्हें प्राप्त होने चाहिए करके वे अपनी प्रतिभा एवं कार्य कुशलता का विकास कर सकें।

2. **प्रकृति का दोहन (Exploitation of Nature)**–विकास का दूसरा उद्देश्य प्रकृति का दोहन हैं। भौतिकवादियों की यह धारणा है कि जो भी इस विश्व में है उसका चरम उपभोग किया जाना चाहिए। अतः आज वे प्रकृति का अधिक से अधिक शोषण कर रहें हैं परन्तु इसके बीच संतुलन बनाये रखना अत्याधिक आवश्यक है। अतः विद्वानों ने प्राकृतिक साधनों का शोषण न करके उनका मात्र दोहन (Milking of Nature) करने पर बल दिया है।

3. **दरिद्र की सहायता** (**Helping of the Poor**)–विकास के लिए राज्य द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता हैं लेकिन विकास को वास्तविक विकास तभी समझा जा सकता है। जब इससे दरिद्रता कम होगी। विकास से सभी का विशषेकर दरिद्रों का कल्याण होना चाहिए। इसके लिए सरकार को चाहिए की निवेश ग्रामीण क्षेत्र में किया जाए जिसे ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो सके। रोजगार उपलब्ध करवाना, (To Provieds Jobs) विकास का एक ओर लक्ष्य देश के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। आधुनिक युग में जिन देशों की जनसंख्या अधिक है वहाँ बेरोजगारी की समस्या काफी बढ़ गयी है। यही नहीं बेरोजगारी की समस्या इंग्लैण्ड़, अमेरिका आदि उन्नत देशों में भी विकट रूप धारण करती जा रही है। यह बात अलग है कि विकसित देशों में बेरोजगारों को बेकारी भत्ता (unemployment allowance) दिया जाता है। परन्तु यह समस्या का समाधान नहीं है। यह ठीक है कि इस भत्ते से बेरोजगार व्यक्ति की भौतिक आवश्यकता तो पूरी हो जाती है लेकिन उसकी मानसिक पीड़ा का कोई समाधान नहीं निकलता क्योंकी वह बेरोजगार होने पर अपने आप को समाज से अवांछित व्यक्ति समझता है। अतः विकास के लक्ष्य को तय करते समय बेरोजगारी को दूर करने का प्रावधान रखा जाय।

5. **लोकतंत्र का विकास (Development of Democracy)**–लोकतंत्र, विकास का एक अन्य लक्ष्य है। 'विकास' लोकतंत्र के विकास में सहायता करता है तथा इसके फलस्वरूप लोकतंत्र विकास में अपना योगदान करता है। यह सही है कि तानाशाही देशों में विकास की गति तीव्र होती है। परन्तु यह चिरस्थायी नहीं होती है क्योंकि इसमें जनता के सहयोग का आभाव होता है। लोकतंत्र के विकास में जन सहयोग होता है। यह विकास खुला और जनहिताय होता है।

## fodkl d fofHkUu i{k
## (Aspects of Development)

मनुष्य जीवन के कई पक्ष है जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। मनुष्य जब इन क्षेत्रों में विकसित हो जाए तभी उसका जीवन विकसित कहलाएगा। मुख्य रूप से विकास के तीन पक्षों का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार हैं।

1. **सामाजिक विकास** (**Social Development**)–मनुष्य जब इस भूमि पर कदम रखा था उसी दिन समाज का निर्माण हो गया था। प्राचीन समाज आधुनिक समाज से भिन्न था तथा धीरे–धीरे समाज का विकास हुआ। इसका अर्थ है कि प्राचीन समाज में परिवर्तन होना ही समाजिक विकास कहलाता है। समाज में समाजिक न्याय की व्यवस्था करना, जात–पात की भावना को दूर करना, समाजिक समानता स्थापित करना, धार्मिक भेद–भाव को दूर करना, सार्वजनिक शिक्षा, जन–स्वास्थ्य की सुविधाए तथा मकान की सुविधाए उपलब्ध कराने, अनेक समाजिक कुरीतियों को दूर करना आदि समाजिक विकास के क्षेत्र में आते है।

2. **आर्थिक विकास** (**Economic Development**)–आर्थिक विकास समाज के आर्थिक से संबंधित हैं। आर्थिक विकास के बारे में कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्थिक विकास का अर्थ कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि से तथा

कुछ विद्वान प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से लगाते हैं। कुछ ने आर्थिक कल्याण में वृद्धि को आर्थिक विकास माना है। आधुनिक युग के विद्वानों ने आर्थिक विकास की विचारधारा को पूर्ण विकास का रूप माना है। अतः आर्थिक विकास का लक्ष्य केवल प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि लाना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाने के लिए उत्पादन की प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, उद्योगों का विकास करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, उद्योगों का विकास करना, आर्थिक विषमताओं को दूर करना, नई टेक्नॉलजी का विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का सही रूप से दोहन करना आदि सभी आर्थिक विकास के क्षेत्र में आते है।

3. **राजनीतिक विकास** (**Political Development**)—विकास की अवधारणा का अर्थ साधारणतः राजनीतिक विकास से जोड़ा जाता है। राजनीतिक विकास के स्वरूपों के बारे में कुछ विद्वानों ने राजनीतिक विकास को ऐसी स्थिति माना हैं जो आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुँचा सकें। कई विद्वान् औद्योगिक समाजों में विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास का अध्ययन करते हैं। कुछ लेखक राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का संसूचक मानते हैं। यह भी कहा जाता हैं कि राजनीतिक विकास राज्य की संस्थाओं के प्रसंग में राष्ट्रवाद की राजनीति है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास की आवश्यक परिस्थिति हैं। कुछ विचारकों ने राजनीतिक विकास को प्रशासकीय और वैधानिक विकास माना हैं। कई लोगों ने यह भी माना हैं कि राजनीतिक विकास में कुछ सीमा तक यह भी समन्वित है कि अधिक—से—अधिक लोग राजनीतिक कार्यों में भाग लें

## jktuhfrd fodkl dh vo/kkj.kk
## (Concept of Political Development)

समाज में परिवर्तन आने की प्रक्रिया को विकास कहा गया है। लेकिन समाज में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। राजनीतिक परिवर्तन उनमें से एक हैं राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया राजनीतिक विकास की संज्ञा दी जाती है। इसलिए डेविस तथा लेविस ने कहा है, ''राजनीतिक संस्थान बदलते हैं और राजनीतिक मूल्य बदलते है।'' कुछ समाजों में परिवर्तन क्रांन्तिकारी तरीकों से आता है। और कुछ में यह सहज ढंग या विकासवादी प्रक्रिया से आता है। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच आने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक विकास किया गया है।

ल्यूसिन पाई, आमण्ड, कोलमैन, रिग्स और माइनर वीनर, डेविड ऐप्टर, एस० पी० हॉन्टिंगटन, राबर्ट टी० होल्ड, एस० एम० लिप्से, सिडनी वर्ग आदि विद्वान् इस प्रत्यम के प्रयोग में लगे जो विकास की सम्पूर्णता के सन्दर्भ में नए राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक हों। इन विद्वानों ने राजनीतिक विकास के प्रत्यय का प्रयोग इस प्रकार किया, जिससे राजनीतिक परिवर्तनों को समझा जा सकें।

1. विलियम चैम्बर्स (William Chambers) के अनुसार, "राजनीतिक विकास को एक ऐसी आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था की ओर अग्रसर समझा जा सकता है जिसमें उन समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने की क्षमता हो जिनका उसे सामना करना पड़ता है। उसमें संरचनाओं का निवेदन और कार्यों की विशिष्टता होती है।''
2. एलफ्रड डायमेण्ट के शब्दों में, ''राजनीतिक विकास एक एसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों का निरंतर सफल रूप मे प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है।''
3. मैकेंजी **(**Mackenzie**)** के अनुसार, ''राजनीतिक विकास समाज में उच्चस्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूलन होने की क्षमता है।''
4. एस० एन० इजेनस्टेड (M.N. Eisenstade) ''राजनीतिक विकास के अन्तर्गत राजनीतिक व्यवस्था के विविध मार्गो तथा संगठनों को आत्मसात करने की योग्यता है। इसमें नवीन व परिवर्तित समस्याओं का समाधान ढूंढ़नें की योग्यता भी शामिल है। जिनको व्यवस्था जन्म देती हो अथवा जो इसे बाह्य स्त्रोतों से आत्मसात करनी पड़ती है।''

5. आमण्ड और पावेल (Almond and Powell) के शब्दों में, ''राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं की अभिवृद्धि, विभिन्नीकरण और विशेषकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है।''

6. जाग्वाराईव (Jagvarible) के शब्दों में, ''राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप से राजनीतिक आधुनिकिकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण का जोड़ है।''

7. मैकेंजी (Mackenzie) के अनुसार, ''राजनीतिक विकास समाज में उच्चस्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है।'' अतः यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण तथा विशेषकरण एवं राजनीतिक संस्कृति का बढ़ता हुआ लौकिकरण है जिससे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता तथा उसकी उप–व्यवस्थाओं में स्वायत्तता आ जाए।

## jktuhfrd fodkl dk fo'ys"k.k
## (Interpretation of Political Development)

विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक विकास व उसके विश्लेषण के बारे में भिन्न–भिन्न विचार प्रकट किए हैं। सभी अपने–अपने ढंग से राजनीतिक विकास के विश्लेषण सम्बंधी विचार प्रकट किए हैं। राजनीतिक विकास की विभिन्न व्याख्याओं का वर्णन निम्नलिखित है :–

1. **राजनीतिक विकास आर्थिक विकास का राजनीतिक पूर्व शर्त है** (**Political development is the political pre-requisite of economic development**)–प्रथम व्याख्या के अनुसार राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त हैं। दूसरे शब्दों में राजनीतिक विकास राजनीतिक को ऐसी स्थिति है जो आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुंचा सके। इसका अर्थ है कि राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। राजनीतिक विकास और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए राजनीतिक परिस्थितियों का अनुकूल बनाना आवश्यक है।

2. **राजनीतिक विकास औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति के रूप में** (**Political development as the politics typical of industrial society**)–दूसरी व्याख्या राजनीति विकास को औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति के रूप में प्रकट करती हैं यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि औद्योगिक जीव न्यूनाधिक रूप से एक ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्रकट करता हैं जिसे कोई भी समाज प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, चाहे वास्तव में वह औद्योगीकृत हो या नहीं। अतः प्रत्येक औद्योगिक समाज राजनीतिक कार्य–संचालन के लिए विशेष मापदण्ड् प्रस्तुत करता है जो कि राजनीतिक विकास में सहायक होते हैं तथा सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए विकास के समुचित लक्ष्यों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं।

3. **राजनीतिक विकास राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में (Political Development is the form of behaviour of the nation state)–**तीसरी व्याख्या के अनुसार राष्ट्रीय राज्य आधुनिकता और राजनीतिक विकास दोनों के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्रीयता की भावना राजनीतिक विकास का ज्वलन्त चिन्ह है और इसलिए कभी–कभी राजनीतिक विकास को राष्ट्रवाद की राजनीति कह दिया जाता है। परन्तु ध्यान रहे कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक है, किन्तु पर्याप्त नहीं ।

4. **राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण का रूप है** (**Political Development is Modernization**)–चौथी व्यवस्था में राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् यह राजनीतिक आधुनिकीकरण का समानार्थक है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों की मान्यता है कि जिन देशों में लोकतंत्र है, वहां की जनता देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती है। जन्म से अधिक योग्यता को महत्त्व दिया जाता है और जहां स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्त्व है, वहां राजनीतिक आधुनिकीकरण है तथा इस प्रकार के देशों अथवा ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक रूप से विकसित समझा जाना चाहिए। इस मत के समर्थक पश्चिमी व्यवहार और व्यवस्था को आधुनिक मानते हैं तथा उसे सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के एक मापदण्ड् के रूप में लेते हैं। राजनीतिक विकास पूर्ण रूप से आधुनिक नहीं है क्योंकी

पश्चिमी देशों में विकास के नए–नए मुद्दे पैदा हो रहें है। जैसे– पर्यावरण उन्मुलन, शोषण तथा अमानवीयता के चिन्ह तथा आणविक युद्ध की सम्भावना को कम करना आदि।

5. **राजनीतिक विकास प्रशासकीय और वैधानिक विकास के रूप में (Political Development is the form of Administration and Legislative Development)**–किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को कुशलता–पूर्वक कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि वहां की शासन–प्रणाली और कानून सूक्ष्म होने चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि राजनीतिक विकास के लिए प्रशासकीय संस्थाएं इस प्रकार से कुशल व विकसित होनी चाहिए कि वे अपने सामने आने वाली हर समस्या का समाधान निकाल सकें और प्रशासन को कुशलता पूर्वक चला सकें।

6. **राजनीतिक विकास बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में** (**Political Develpment is the Contribution of Majority Community**)–छठी व्याख्या के अनुसार राजनीतिक विकास बहुसंख्यक जन सुदाय के योगदान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जहां जनता राजनीति में अधिक सक्रिय है, वहां राजनीतिक के लक्षण हैं। चुनाव, राजनीतिक समस्याएं, प्रचार, प्रदर्शन आदि राजनीतिक विकास के चिन्ह माने जाते हैं। ल्यूसिन पाई का कहना है कि यद्यपि अधिकाधिक लोगों द्वारा राजनीति में भाग लेना निश्चय ही राजनीतिक विकास का प्रतीक है, किन्तु लोकप्रिय भावनाओं को सार्वजनकि व्यवस्था के साथ सन्तुलित करने की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा, अथवा इसका प्रभाव भ्रष्टाचार पुर्ण निकलेगा।

7. **राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण है।** (**Political Development is establisment of Democracy**)–सातवीं व्याख्या के अनुसार लोकतंत्र की स्थापना और विकास को राजनीतिक विकास माना जाता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है तथा लोकतांत्रिक लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जाते हैं। विभिन्न शासन प्रणालियों में लोकतंत्र को सबसे उत्तम शासन प्रणाली माना जाता है। और विकास की प्रक्रिया द्वारा जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां लोकतंत्र स्थापित किया जाता हैं और जहां लोकतंत्र है वहां उसकी संस्थाओं को अधिक कार्यकुशल और दृढ़ बनाया जाता है।

8. **राजनीतिक विकास सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के रूप में (Political Development as a Social and Economic Change)**–आठवी व्याख्या के अनुसार राजनीतिक विकास सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन है। देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति ही राजनीतिक विकास से सम्बन्धित है। समाजिक या आर्थिक परिवर्तन या विकास शासन में स्थायित्त्व पर निर्भर करता है। स्थायित्त्व का अर्थ है कि शासन–प्रणाली में जल्दी–जल्दी परिवर्तन न आए और जो परिवर्तन लाए जाएं, वे व्यवस्थित रूप से लाए। जो स्थायित्त्व केवल स्थिरता और यथास्थिति का समर्थन करता हो, उसे विकास नहीं कहा जा सकता है। स्थायित्त्व का अर्थ विकास से तभी लिया जा सकता है जब वह आर्थिक एवं समाजिक प्रगति से सम्बन्धित हो।

9. **राजनीतिक विकास गतिशीलता और शक्ति का रूप है** (**Political Development as Mobility and force**)–नौवें दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास को गतिशीलता और शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ विद्वानों द्वारा यह कहा गया है कि शासन में गतिशीलता लाना और शक्ति को बढ़ाना ही राजनीतिक विकास है। किसी भी शासन व्यवस्था को प्राकृतिक साधनों व मानवीय संसाधनों का प्रयोग करके गतिशील बनाया जा सकता है। यही नहीं शासन को शक्तिशाली बनाना भी आवश्यक है क्योंकि शक्तिशाली शासन ही अपने सामने आई विभिन्न समस्याओं का समाधान कुशलता–पूर्वक ढूंढ सकता है। राजनीतिक विकास का पक्ष भी लोकतंत्र की स्थापना तथा उसे दृढ़ बनाने की और इशारा करता है क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था में जन–साधारण का अधिकाधिक समर्थन शासनतंत्र को प्राप्त होता है।

10. **राजनीतिक विकास का बहुपक्षीय रूप (Multidimensial View of Political Development)**–अन्तिम दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास बहुमुखी सामाजिक परिवर्तन का एक पहलू है। इस विचार के राजनीतिक विकास को हम विकास के अन्य पहलुओं से सम्बन्धित करते है। समाज में जैसे–जैसे सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन आते रहते हैं तो उनके साथ–साथ राजनीतिक विकास होता रहता है अर्थात् राजनीतिक विकास की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

## fu"d"k

## (Conclusion)

उपरोक्त दस व्याख्याओं के आधार पर राजनीतिक विकास के कई धाराणायें सामने आती हैं। राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय आत्मसम्मान व अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिष्ठा भी समझा जा सकता है। राजनीतिक विकास, इन सभी विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धारणा की परिभाषा करना काफी कठिन हैं।

## jktuhfrd fodkl dh fo'k"krk,a

## (Characteristics of Political Development)

मुख्य रूप से दो विचारकों ल्युसिन पाई तथा आमण्ड व पावेल ने राजनीतिक विकास की विशेषता का वर्णन किया है। अतः इन दोनों विचारकों के द्वारा दिये गए लक्षणों का अलग–अलग वर्णन करके सामान्य विशेषताओं के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

(क) **ल्युसियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास की विशेषताएं** (**Characteristics of Political Development by Lucian Pye**)–इसके द्वारा दी गई विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन विशेष्ताओं के विवेचन को विकास संलक्षण भी कहा जाता है। ल्युसिमन पाई ने राजनतिक विकास से सम्बन्धित तीन लक्ष्णों का विवेचन किया है।

1. *समानता (Equality)*–ल्यूसिन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की प्रथम विशेषता समानता है। समान्ता से तात्पर्य है कि लोगों में राजनीति व्यवस्था के प्रति सामान्य भावना का उत्पन्न होना। लोगों में समानता की अवस्था तब पाई जाएगी जब उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने का अधिकार होगा और राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन–सहभागिता (people participation) में किसी प्रकार का भेदभाव न हों। राजनीतिक विकास के इस लक्षण को इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है।
   1. समान अवसर – राजनीतिक सक्रियता के सभी स्तरों पर नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों।
   2. निष्पक्षता–जन – सहभागिता भेदभाव–रहित हो।
   3. सहयोगी जनता – पराधीन और आदेश प्राप्त करने वाली जनता के स्थान पर राजनीतिक निर्णयों में सम्मिलित और सहयोगी जनता हों।
   4. सर्वव्यापक कानून – समानता का अर्थ कानून के सार्वदेशिक स्वरूप से है जो राज्य के सभा सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है।
   5. राजनीतिक भर्ती – समानता का अर्थ यह भी है कि राज्य मे विभिन्न पदों के लिए भर्ती करते समय अथवा सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करते समय योग्यता तथा कार्य सम्पादन का मापदण्ड लागू होना चाहिए।

   अतः अपरोक्त लक्षणों वाला समाज समानता वाला होगा। यहां उल्लेखनीय है कि पाई केवल सैद्धान्तिक रूप या कानून रूप में ही समानता नहीं चाहता बल्कि यह व्यवहारिक भी होनी चाहिए।

2. **क्षमता** (**Capacity**)–राजनीतिक विकास की दूसरी विशेषता का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से है। राजनीतिक विकास की प्रथम विशेषता समानता का संबंध जन समुदाय से है, लेकिन क्षमता का सम्बन्ध राजनीतिक शक्ति की संरचनात्मक व्यवस्था की प्रभावकारिता से है। पाई के अनुसार इस विशेषता का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था के निर्गतों (outputs) से हैं। साधारण शब्दों में क्षमता का अर्थ है:
   1. किसी राज्य तथा सरकार में आवश्यक कार्यों के सम्पादन की क्षमता कितनी है अर्थात् प्रशासकीय निपुणता, कार्य कुशलता या प्रशासनिक बुद्धि की संगतत कितनी है।
   2. क्षमता का दूसरा अर्थ सार्वजनिक नियमों को लागू करने की कुशलता तथा योग्यता से है।

3. क्षमता का तीसरा अर्थ प्रशासन में विवेकपूर्ण, धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण का उत्पन्न होना है।
4. विवादों का समुचित समाधान करना है।
5. विवादों को तर्कसंगत आधार पर सुलझाा सकता है।

उपरोक्त विशेषताओं का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से होता है। राजनीतिक विकास उसी राजनीतिक व्यवस्था में होता है जिसकी क्षमता इन क्षेत्रों में बढ़ जाती है।

3. **विभिन्नीकरण (Differentiation)**–राजनीतिक विकास की तीसरी विशेषता विभिन्नीकरण है। विभिन्नीकरण से तात्पर्य है कि–
   1. राजनीतिक संरचनाएं अलग–अलग कार्यों के लिए पृथक–पृथक होती है।
   2. समाज तथा राज्य के विभिन्न अंगों, पदों एवं विभागों का सुस्पष्ट होना तथा उनके कार्य निश्चित करना।
   3. राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न कार्यों की सुनिश्चिता होती है।
   4. विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना जिससे कि व्यवस्था का विघटन न हो और उनमें समन्वय स्थापित रहता है।

   अतः यह स्पष्ट है कि विभिन्नीकरण का सम्बन्ध गैर–अधिकारिक संरचनाओं और सम्पूर्ण समाज की सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाओं से है। ल्युसिन पाई समानता को राजनीतिक संस्कृति से, क्षमता को अधिकारिक संरचनाओं से तथा विभिन्नीकरण को सामान्य राजनीतिक क्रियाओं से सम्बन्धित बताकर राजनीतिक विकास इनके आपसी सम्बन्धों के चारों ओर घूमती हुई अवधारणा बना देता है।

(ख) **आमण्ड तथा पावेल द्वारा राजनीतिक विकास की विशेषताएँ (Characteristics of Politcal Development by Almond and Powell)**–आमण्ड तथा पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताएं निम्नलिखित है–

1. *भूमिका विभिन्नीकरण (Role of Specialization)*–यह आमण्ड तथा पावेल के द्वारा दी गई प्रथम विशेषता है। यह विशेषता पाई (Pye) की विभिन्नीकरण की विशेषता के समान है। संरचनाओं के विभिन्नीकरण की तुलना में भूमिका विभिन्नीकरण अधिक महत्त्वपूर्ण है। कई देशों में संरचनाओं का विभिन्नीकरण तो कर दिया जाता है किन्तु व्यवहार में एक ही संरचना सरकार के सभी कार्यों को कर देती है। जैसे चीन, रूस या अन्य साम्यवादी देशों में होता है। यहां संरचनाओं का विभिन्नीकरण तो होता है लेकिन भूमिका का विभिन्नीकरण नहीं होता क्योंकी वहां पर सभी कार्य साम्यवादी दल द्वारा ही सम्पन्न किए जाते है। अतः आमण्ड एवं पावेल इस प्रकार संरचनात्मक विभिन्नीकरण का पक्ष लेता है। जहां वास्तविकता में भूमिकाओं का विभिन्नीकरण हो। जैसे विधानपालिका द्वारा विधायी कार्य भी किए जाएं न कि कार्य पालिका व न्यायिक कार्य भी। यह शक्तियों का पृथककीकरण नहीं है।

2. *उप–व्यवस्था स्वायतता (Sub-System Autonomy)*–राजनीतिक विकास की दुसरी विशेषता आमण्ड तथा पावेल ने उप–स्वायतता को बताया हैं यह विशेषता ल्युसिन पाई की राजनीतिक विकास की क्षमता की विशेषता से मिलती–जुलती है। उप–व्यवस्था स्वायत्तता का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था को उप–व्यवस्थाओं में बांटना तथा उन्हें कार्य करने की शक्ति प्रदान करना है। उनका कहना है कि भूमिका विभिन्नीकरण केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्वायतता प्रदान करने पर ही हो सकता है। इससे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में बढ़ोत्तरी होती है। उप–व्यवस्था की स्वायतता विकेन्द्रीयकरण की और इंगित करती है। इसमें सारी मांगें सीधे केन्द्र के पास ना जाकर अन्य संरचनाओं या उप–व्यवस्थाओं के पास चली जाती है। उन्हें अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार होता हैं इससे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि होती है।

3. *लौकिकरण (Secularization)*–आमण्ड तथा पावेल ने राजनीतिक विकास की तीसरी विशेषता लौकिकरण बताया है। यह ल्यूसिन पाई की समानता से सम्बन्धित है। क्योंकि समानता का सम्बन्ध औचित्यपूर्ण तथा व्यवस्था में प्रतिनिष्ठा रखने वाली राजनीतिक संस्कृति तथा भावनाओं से है और लौकिकरण का संबंध वास्तविकता में राजनीतिक संस्कृति से है अतः समाज में लौकिकरण तभी हो सकता है जब उसमें समानता स्थापित हो जाती है। ल्यूसिन पाई तथा आमण्ड व पावेल की राजनीतिक विकास की विशेषताओं का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों विचारको के विचार में कोई विशेष अन्तर नहीं है। दोनों ने अपने–अपने विचारों को प्रकट करने के लिए केवल विभिन्न शब्दावली का प्रयोग किया है। अतः साधारण भाषा में इन विशेषताओं को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है।

   1. समाज के प्रति लोगों का रचनात्मक दृष्टिकोण।
   2. राजनीतिक व्यवस्था में नीतियों को निर्धारित और क्रियान्वित करने की क्षमता।
   3. राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण व विशेषीकरणं
   4. लोकिकृत राजनीति।

**निष्कर्ष** (**Conclusion**)–अतः यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है जिसके अपने निश्चित लक्ष्ण है। राजनीतिक विकास पर ही एक राष्ट्र अथवा समाज का विकास निर्भर करता है।

ग. **जाग्वाराईव द्वारा राजनीतिक विकास की विशेषताएं** (**Characteristices of Political Development by H. Jagvaribe**)–राजनीतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने में पाई (Pye) और रिन्ज (Ringe) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह सत्य है कि जाग्वाराई व राजनीतिक विकास के अध्ययन करने वाले अग्रणी लेखक नहीं है परन्तु फिर भी उसने राजनीतिक विकास के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाग्वाराईव ने अपनी पुस्तक Political Development: A General Theory and A Latin American Case Study' में राजनीतिक विकास का विश्लेषण विस्तार पूर्वक किया हे। उनके अनुसार राजनीतिक विकास का अध्ययन चार प्रकार से किया जा सकता है–

   1. राजनीतिक विकास परिचर्य के रूप में (The Variables of Political Development).
   2. राजनीतिक विकास एक राजनीतिक दिशा के रूप में (Political Development as a Political Direction).
   3. राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में (Political Development as a Process).
   4. राजनीतिक विकास विभिन्न पहलुओं के रूप में (Political Development as Diffrent as Aspects).

## jktuhfrd fodkl d pj.k
## (Stages of Political Development)

विभिन्न लेखकों ने राजनीतिक विकास के विभिन्न चरणों के सम्बन्ध में अलग–अलग विचार प्रस्तुत किये है जो इस प्रकार हैं।

1. **कैनेथ आरगेन्सकी के विचार** (**Views of Keneth Organski**)–इसके अनुसार राजनीतिक विकास के निम्नलिखित चार चरण हैं।

   क. ***राजनीतिक एकीकरण (Political unification)***–समाज कई आधारों पर बंटा होता है, जैसे–जाति, धर्म वंश व राजनीति इत्यादि। राजनीतिक एकीकरण का अभाव एक तरह की अराजकता होती है। अतः राजनीतिक विकास की प्रथम अवस्था में राष्ट्रीय सरकारें अपनी जनसंख्या पर प्रभावशाली राजनीति एवं प्रशासनिक नियंत्रण की स्थापना करती हैं। राजनीतिक एकीकरण के पश्चात् समाज में

हर दृष्टिकोण से व्यवस्था स्थापित हो जाती हे। राजनीति के एकीकरण के बाद ही आर्थिक विकास संभव होता है।

ख. ***औधोगिकरण (Industrialization)***–राजनीतिक विकास का दूसरा चरण औद्योगिकरण है। समाज में शान्ति व व्यवस्था की स्थापना के बाद सरकार का ध्यान औद्योगिक विकास की और जाता हैं। शान्ति और व्यवस्था स्थापित होने के बाद ही लोग पूंजी संचयन की सोच सकते हैं। देश का औद्योगिकरण पूंजी संचयन पर ही निर्भर करता है।

ग. ***राष्ट्रीय कल्याण (National Welfare)***–यह चरण औद्योगिकरण की अवस्था के बाद आता है। राष्ट्र के औद्योगिक विकास के बाद लोगों की व्यक्तिगत आय बढ़ जाती हैं। सरकार इस प्रकार की नीतियों को अपनाती है, जिनसे किसी एक विशेष वर्ग का कल्याण न होकर राष्ट्र का कल्याण होता है अर्थात् राष्ट्रीय सरकार का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण के स्थान पर राष्ट्रीय कल्याण होता है।

घ. ***समृद्धि (Prosperity)***–राजनीतिक विकास का चौथा चरण भी औद्योगिकरण के बाद ही आता है। इस अवस्था में राष्ट्र में ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा एवं विकसित कर सकता है। अर्थात् व्यक्ति को जीवन विकास की उपयुक्त सुविधाएं प्राप्त होती है। जैसे–सार्वजनिक शिक्षा, रोजगार के उपयुक्त तथा समुचित साधन, नागरिक स्वतंत्रताए, मानव अधिकार, शासन संचालन में जनता की भागीदारी, स्वतंत्रता में जनता की भागीदारी, स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकीकरण, वितरण की प्रभावशाली प्रणाली सम्मिलित है।

2. **हॅन्टिंगटन के विचार (The Views of Huntington)**–हॅन्टिंगटन ने अपने एक निबंध 'पोलिटिक्स एण्ड पोलिटिकल डिके' (Politics and political decay) में राजनीतिक विकास के विभिन्न सम्बन्धों की चर्चा की है। उसने तीन प्रचलित सेटों का वर्णन किया है। इनका उन राज्यों से सम्बन्ध है जिन्होंने सफलतापूर्वक राजनीतिक विकास की निश्चित अवस्था या उसके आगे की अवस्था तक विकास कर लिया हैं राजनीतिक विकास के चरण इस प्रकार हैः

क. ***सत्ता की बुद्धिसंगतता का स्तर (Stage of Power)***–इसमें अनेक स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केन्द्रीय सत्ता का निर्माण हो जाता है। यह सत्ता के केन्द्रीयकरण की अवस्था हैं। इसमें सत्ता के स्त्रोतों के रूप में एक ही केन्द्रीय सत्ता, अभिकरण या प्रकरण स्थापित हो जाता है।

ख. ***नए राजनीतिक कार्यो का विभिन्नीकरण तथा उनके लिए विशिष्ट संरचनाओ का विकास (Diffrentiation of New Political Functions and Specialization of Institution)***–इसमें राजनीतिक प्रक्रिया में नवीन राजनीतिक कार्यों के निष्पादन सम्मलित हो जाते हैं। इनके लिए विशिष्ट संरचनाओं का विकास राजनीतिक विकास की दूसरी अवस्था होती है।

ग. ***अभिवृद्धि सहभागिता (Participation in Growth)***–यह परिसरीय सामाजिक समूहों तथा समाज के भागों को धीरे–धीरे केन्द्रीय सत्ता में शामिल करने का स्तर है। हन्टिगटन के अनुसार यह प्रक्रिया उसी समय सम्भव होती है जब यह तीनों सुनिश्चित क्रिया स्तर के अनुक्रम में उपलब्ध किए जाएं, जिससे हर एक विकास का सम्बन्ध सम्बन्धित स्तर से हो। इसी क्रम में प्रचलित होने पर ही राजनीतिक विकास के रूप में स्तर बन सकता है। अर्थात् प्रथम के बाद दूसरे के ऊपर, नीचे या साथ–साथ प्रचलन घातक होता है। उसमें राजनीतिक विकास नहीं बल्कि राजनीतिक पतन आता है।

3. **आमण्ड के अनुसार स्तर (Stage According to Almond)**–आमण्ड के अनुसार राजनीतिक विकास के निम्नलिखित चरण हैः

क. ***राज्य निर्माण (State Building)***–आमण्ड के अनुसार राजनीतिक विकास की प्रथम अवस्था राज्य निर्माण की है। इस स्तर में केन्द्रीय सत्ता का निर्माण तथा विभिन्न समूहों का केन्द्रीय सत्ता के

अधिकार क्षेत्र में एकीकरण होना है। अर्थात् स्तर में एकीकरण तथ नियंत्रण (Integration and Control) के लक्ष्य की प्राप्ति होती है।

ख. ***राष्ट्र निर्माण (Nation Bulding)***–राजनीतिक विकास का दूसरा चरण है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था राज्य निर्माण के पश्चात् राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर होती है। राष्ट्र निर्माण के बाद राज्य की अपनी पहचान बन जाती है। इस स्तर पर नागरिकों में राष्ट्र के प्रति भक्ति व निष्ठा तथा प्रतिबद्धता उत्पन्न होती है।

ग. ***सहभागिता का स्तर (Stage of Participation)***–राजनीतिक विकास का तीसरा चरण सहभागिता का स्तर हैं। राष्ट्र का निर्माण होने के बाद समाज के विभिन्न समूहों की राजनीतिक सहभागिता सामने आती है। नागरिक सद्भागिता सरकार चलाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहते हैं। समाज के विभिन्न समुह एवं वर्ग राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी मी मांग करते हैं। जब नागरिक राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना प्रारम्भ कर देते हैं तो राजनीतिक विकास की तीसरी अवस्था पूर्ण होती है।

घ. ***वितरण का स्तर (Stage of Distribution)***–राजनीतिक विकास की चौथी अवस्था वितरण है। वितरण के स्तर अर्थात् सामाजिक जीवन के लिए लाभों को पुनः निर्धारण की अनेक विधियों के द्वारा सबकी पहुंच मे लाना शामिल है। अर्थात् राजनीतिक व्यवस्था आय, सम्मान तथा अवसरों का पुनवितरण करें। अतः आमण्ड की मान्यता है कि जिन समाजों मे राजनीतिक विकास का अन्तिम चरण आ गया है, वे सभी उस अनुक्रम से एक स्तर के बाद दूसरे स्तर में पहुंचे हैं और विकासशील राज्यों से भी अनुक्रम रहना अवश्यक है।

## jktuhfrd fodkl ds lpd
## (Indicator of Political Development)

राजनीतिक विकास को तय करने का एक मापदण्ड है जिसे राजनीतिक विकास का सूचक कहा जाता है। किसी देश का राजनीतिक विकास हुआ या नहीं, विकास हो रहा है या फिर राजनीतिक व्यवस्था पतन की ओर जा रही है, यह सब मापने के लिए कुछ संकेतक या सूचक निश्चित किए गए है। सामाजिक तथा राजनीतिक सूचकों की विश्व पुस्तिका में उन सूचकों का वर्णन किया गया है। इन सूचकों को दो प्रकार से बांटा गया हैंः

1. साकारात्मक सूचक
2. नाकारात्मक सूचक

डॉ० जे० सी० जौहरी ने अपनी पुस्तक 'तुलनात्मक राजनीति' में साकारात्मक सूचकों की संख्या 22 तथा नाकारात्मक सूचकों की संख्या 15 रखा है।

1. **साकारात्मक सूचक (Positive Indicator)**–सकारात्मक सूचकों का अर्थ है कि जो समाज या देश को विकास की ओर ले जाता है। ये सूचक निम्नलिखित हैः
    1. राज्य निर्माण या प्रादेशिक एकीकरण।
    2. राष्ट्र निर्माण य राष्ट्रीय एकीकरण ।
    3. स्वायत्तसंगठनों द्वारा बढ़ता हुआ हित स्पष्टीकरण ।
    4. मतदान के अधिकार में वृद्धि तथा बड़ी संख्या में मतदान करने वालों के साथ मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव।
    5. स्थिर तथा लोकतांत्रिक दलों द्वारा बढ़ता हुआ हित समूहीकरण।
    6. प्रेस की स्वतंत्रता तथा जन–संचार माध्यमों का विकास।
    7. मतभेद सहिष्णुता।

8. राजनीतिक विशिष्ट वर्गों के सामाजिक आधार का विस्तार।
9. सरकार की कार्यशीलता में खुलापन व शासितों के प्रति शासकों का उत्तदायित्त्व।
10. शिक्षा सुविधाओं में विस्तार।
11. विधानपालिओं की प्रभावशाली भूमिका तथा प्रतिनिधि द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र की सेवा।
12. राजनीतिक तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण।
13. स्थानीय सरकार की इकाईयों की स्वायत्तता।
14. न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा कानून के शासन की अस्तित्त्व।
15. सैन्य बलों का अराजनीतिक चरित्र।
16. संवैधानिक साधनों के प्रयोग की ओर सहमति जन्म राजनीति।
17. अर्धसरकारी एजेन्सियों जैसे सार्वजनिक उद्यमों की प्रभावशाली भूमिका।
18. सार्वजनिक अधिकारियों की कार्यात्मकता को देखने तथा जन–शिकायतों को दूर करने वाली शक्तिशाली संगठनों की भूमिका।
19. लोक सेवाओं की तटस्थता तथा स्वतंत्रता।
20. राजनीतिक संस्कृति का निरपेक्षीकरण ।
21. निर्णय–निर्माण में लोगों की भागीदारीं ।
22. राजनीतिकरण या राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी।

2. **नाकारात्मक सूचक (Negative Indicators)–**

1. चुनावी हेराफेरी तथा अनियमितताएं।
2. हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन।
3. अप्रतिमानी गड़बड़ियाँ, भूमिगत गतिविधियां तथा शस्त्र आक्रमण।
4. स्वार्थी हितों के लिए राजनीतिक दल बदली।
5. शक्तियों का केन्द्रीयकरण।
6. सामूहिक गिरफ्तारीयां।
7. घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप।
8. राजनीतिक हत्याएं ।
9. सैन्य बलों का राजनीतिकरण।
10. लोक–सेवाओं की शासक दल–अनुक्रम के प्रति वचनबद्धता।
11. विस्तृत भ्रष्टाचार तथा दुष्प्रशासन।
12. मतभेदों को बलपूर्वक दबाना।
13. नियमों को मात्र एक ढांचा या बुत बनाना।
14. सरकारी विचारधारा को अधिमान।
15. राजनीतिक दलों के छोटे–छोटे भागों में विद्यमान।

इस सूची में हम (क) विद्रोहों (ख) दंगों (ग) राज्यों द्वारा पकड़े गए राजनीतिक बन्दियों की संख्या को सम्मिलत कर सकते हैं।

राजनीतिक विकास का अध्ययन इन कारकों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करके लिया जा सकता हैं। राजनीतिक विकास की धारणा आमतौर पर सामाजिक परिवर्तन तथा विशेषतौर पर राजनीतिक परिवर्तन के विश्लषण के लिए एक उपयोगी धारणा प्रदान करती है। राजनीतिक विकास दृष्टिकोण का प्रयोग बहुत से समकालीन राजनीति वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता से किया है। इन प्रयासों ने राजनीति तथा तुलतात्मक राजनीति में मूल्यवान अध्ययनों को सम्भव बनाया है। राजनीतिक विकास के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करना निःसंदेह अनुसंधान का एक रूचिपूर्ण तथा उपयोगी क्षेत्र है।

## jktuhfrd fodkl dh mi;kfxrk
## (Utility of Political Development)

राजनीति विकास की उपयोगिता का वर्णन आमण्ड तथा पावेल ने निम्नलिखित आधारों पर किया हैः

1. **राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन मे सहायक (Helpful in the Study of Political System)–** राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन करने में सहायता मिलती है। आमण्ड तथा पावेल का कहना है कि तकनीकि परिवर्तन व सांस्कृतिक विसरण से राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता हैं यह परिवर्तन राजनीतिक का संकेत है। अतः राजनीतिक विकास जिन बातों को लेकर चलता है उस आधार पर रानीतिक विकास व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता हैं।

2. **राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में सहायक (Helpful in Classification of Political System)–** राजनीतिक विकास की अवधारणा से राजनीतिक व्यवस्थाओं का, उनके अतीत के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के अतीत से यह संकेत मिलता है कि अमुक व्यवस्था ने भूतकाल में समस्याओं का किस प्रकार से सामना और उनका समाधान किया तथा भविष्य में आने वाली समस्याओं का वह किस प्रकार सामना करेगी। अतः अतीत के राजनीतिक विकासों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जा सकता है।

3. **राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में सहायक (Helpful in Comparision of Political System)–** राजनीतिक विकास की तीसरी उपयोगिता यह है कि यह राजनीतिक व्यवस्थाओं के अर्थपूर्ण मानदण्डों के आधार पर तुलना करने में सहायक सिद्ध होता हैं। राजनीतिक विकास को भूमिका विभिन्नीकरण, लौकिकरण और उपव्यवस्था, स्वायत्तता के तत्त्वों द्वारा मापा जा सकता है। इनके अतिरिक्त विकास को अर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक तत्त्वों द्वारा भी मापा जा सकता है। अतः एक प्रकार के लक्ष्णों वाली राजनीतिक व्यवस्था का दूसरे प्रकार के लक्ष्णों वाली व्यवस्था से तुलना की जा सकती है।

4. **राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामान्यीकरण में सहायक (Helpful in Generalization of Political Systems)–**राजनीतिक विकास की अवधारणा यद्यपि एक सिद्धान्त प्रस्तुत करने में सिद्ध नहीं हुई है। लेकिन इसने राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामान्यीकरण में सहायता अवश्य की है। इस समान्यीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक विकास के संकेतकों, विकास के निर्धारकों, राजनीतिक विकास का अन्य विकासों से सम्बन्ध, राजनीतिक विकासों के वर्गीकरण और राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना ने सहायसता की है।

5. **एक कड़ी का कार्य (As a Link)–**राजनीतिक विकास की अवधारणा दो दृष्टिकोंणों, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और क्षेत्रीय अध्ययनों के दृष्टिकोण में एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। इसकी सहायता से इन दोनों दृ ष्टिकोंणों के भेद को दूर किया जा सकता है। अतः राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधुनिक राजनीतिक विकास की अवधारणा का राजनीतिक अध्ययनों में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है राजनीतिक विकास की अवधारणा की आलोचना (Criticism of Concept of Political Development)–राजनितिक विकास की अवधारणा की आलोचना अनेक विचारकों ने निम्नलिखित प्रकार से की हैः

   क. ***राजनीतिक पतन के अध्ययन का अभाव (Lack of Study of Political Decay)–***राजनीतिक विकास की इस अवधारणा के अधार पर यह आलोचना की जाती है कि इसमें राजनीतिक पतन की व्याख्या का अभाव है। राजनीतिक विकास में राजनीतिक संस्थान, राजनीतिक संस्कृतियाँ तथा राजनीतिक मूल्य विकसित तथा परिपक्व होते हैं और उपलब्धि की स्थिति प्राप्त कर लेते है। लेकिन इसके साथ

ही कभी–कभी विभिन्न स्थितियों में नाकारात्मक विकास अथवा गिरावट की और भी बढ़ सकती है। यह राजनीतिक पतन ही कहलाता है। साधारण राजनीतिक विकास के समर्थक केवल आधुनिकता और औधिगिकीकरण को ही सर्वोपरी मानते हैं।

ख. ***सिद्धान्त निर्माण का अभाव (Lack of Theory Building)***–राजनीतिक अवधारणा के विकास में इतनी त्रुटियां हैं कि सिद्धान्त निर्माण सम्भव नहीं हैं। सिद्धान्त निर्माण करना केवल विकास की अवधारणा में ही कठिन नहीं है बल्कि अन्य अवधारणाओं में भी यह कठिनाई पाई जाती है। राजनीतिक विकास की अवधारणा में सिद्धान्त की खोज अधिक जटिल और कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि यह स्वयं में पेचिदा होने के साथ–साथ दूसरी अवधारणाओं के तथ्यों से नियंत्रित व प्रमाणित भी होता है। अतः इस अवधारणा में सिद्धान्त निर्माण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

ग. ***भ्रमोत्पादक (Illusionary)***–राजनीतिक विकास के तीसरे आधार पर आलोचना की जा सकती है कि यह भ्रमोत्पादक है। इस अवधारणा से सम्बन्धित विचारक राजनीतिक से सम्बन्धित सभी विषयों को, जैसे सामाजिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक आदि, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो अथवा अपत्यक्ष रूप से, आधुनिकता में शामिल कर लेते है, जो कि गलत है।

घ. ***अस्पष्ट अवधारणा (Vague Concept)***–राजनीतिक विकास की अवधारणा में विद्वानों ने अनेक तथ्यों, परिवर्त्यों और परिप्रेक्ष्यों पर विचार नहीं किया है, उन्होंने हिंसा क्रांति राजनीतिक अधिकार, स्वतंत्रता, नेतृत्त्व आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी विचार नहीं किया हैं। इस कारण यह अवधारणा अस्पष्ट बन गई है।

ङ. ***जनता का असहयोग (Non co-operation of People)***–कोई भी सर्वेक्षण जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। राजनीतिक विकास के बारें में भी यह सत्य है। जनता राजनीतिक तथा अध्ययनकर्त्ताओं को संदेह की दृष्टि से देखती है। अतएव सहयोग प्रदान नहीं करती तथा राजनीतिक विकास में बाधा पैदा करती हैं।

च. ***व्याख्या लक्षणों पर सहमति का आभाव (Lack of Unanimity on Interpretations and Features)***–राजनीतिक विकास की अवधारणा की व्याख्या और लक्षणों को लेकर विचारकों में सहमति का आभाव है। विचारकों में इतना मतभेद है कि यदि एक विचारक के दृष्टिकोण–विशेष को मान लिया जाए तो लगता हे कि यह एक–पक्षीय है। इस मतभेद का इस बात के द्वारा समर्थन किया जा सकता है कि अमेरिका में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्त्वाधान में तुलनात्मक राजनीतिक समिति ने राजनीतिक विकास के पक्षों पर लगभग आठ पुस्तकों को प्रकाशित किया। प्रायः विकास प्रक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली विकार्यात्त्मक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। उदाहरणार्थ इस प्रश्न पर कि क्या मंद गति के आधुनिकीकरण की कीमत हिंसात्मक क्रान्ति की अपेक्षा अधिक हो सकती है, राज–वैज्ञानिकों द्वारा कोई विचार नहीं गया हैं।

## fu"d"k **(Conclusion)**

उपरोक्त आलोचनाओं से यह नहीं समझाना चाहिए कि यह अवधारणा अनुपयोगी है, तथा यह निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकती है या उसके पास समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने के पर्याप्त साधन नहीं है। बल्कि यह महत्त्वपूर्ण अवधारणा हैं। इसने राष्ट्रवाद के पनपने तथा लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में काफी बड़ा योगदान दिया है।

# vH;kl&iz'u
# (Exercise-Questions)

## fucU/kkRed iz'u **(Essay Type Questions)**

1. विकास से आपका क्या तात्पर्य है? विकास के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।

   What is meant by development? Discuss its various goals.

2. विकास से आप क्या समझते है? इसके विभिन्न पक्षों का वर्णन कीजिए।

What do you mean by Development? Discuss its, main aspects.

3. राजनीतिक विकास की अवधारणा से आप क्या समझते है? राजनीतिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

What do you mean by the concept of political development? Discuss the main features of Political development.

4. राजनीतिक विकास क्या है? ल्युसियन पाई द्वारा दी गई राजनीतिक विकास के विश्लेषण का वर्णन कीजिए।

What is political development? Discuss the interpretation of political development by Lucian Pye.

5. राजनीतिक विकास की अवधारणा का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

Critically examine the concept of political development.

6. राजनीति विकास की अवधाणा पर विभिन्न लेखकों के विचार प्रकट किजिए।

Write views of various writers on the concept of Political development.

7. राजनीतिक विकास क्या है? राजनीतिक विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन किजिए।

What is political development? Describe the various stages of political development.

8. राजनीतिक विकास की अवधारणा से आप क्या समझतें हैं। राजनीतिक विकास की उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

What do you mean by the concept of political development? Describe the utility of political development.

# v/;k; 12

# jk"V&fuekZ.k rFkk jk"Vªh; ,dhdj.k

## (Nation-Building and National Integration)

- राष्ट्र की परिभाषा
- राष्ट्र निर्माण का अर्थ
- राष्ट्र निर्माण के तत्व
- राष्ट्र निर्माण में राज्य की भूमिका
- राष्ट्रीय एकीकरण
- राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ
- राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व

*साधारणतः राज्य, राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जा सकता है। विशेषकर 'राज्य' तथा राष्ट्र शब्दों में बहुत ही कम भेद किया जाता है। जैसे– संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization) राष्ट्रों का संघ न होकर राज्यों का संघ है। अर्जेणटाइना गणराज्य (Republic of Argentina) को इसके संविधान के अनुसार एक 'राष्ट्र' कहा गया है। आधुनिक युग में राष्ट्र में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग रहते हैं जिन्हें एक राष्ट्र के रूप में ढ़ालना वर्तमान राज्य की महत्वपूर्ण समस्या है। राष्ट्र–निर्माण के लिये राजनीतिक स्वतंत्रता, उचित सार्वजनिक सत्ता लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना तथा विभिन्नता में एकता की स्थापना इत्यादि तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही आधुनिक राज्य को राष्ट्र का निर्माण करने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि 'राष्ट्र' तथा 'राष्ट्रीयता' शब्दों का सही अर्थ जान लिया जाय तथा इन दोनों के आपसी भेद को भी स्पष्ट कर दिया जाय।*

*भारत एक विशाल देश है जिसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर लोगों में बहुत विभिन्नता पायी जाती हैं इन विभिन्नताओं के कारण जातिवाद, सम्प्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद जैसी संकीर्ण और संकुचित भावनाएं जन्म लेती है जो राष्ट्रीय एकीकरण को प्राप्त करने के दिशा में रूकावट पैदा करती है। भारत की एकता तथा अखण्डता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अति अनिवार्य है। अतः सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, भ्रष्टाचार को दूर कर, सन्तुलित आर्थिक विकास कर, समुचित शिक्षा व्यवस्था कर, प्रशासन में जनता का विकास कर, समुचित शिक्षा व्यवस्था कर, प्रशासन में जनता का विश्वास जगाकर आदि उपाय कर राष्ट्रीय एकीकरण को जीवित रखा जा सकता है जो भारत की एकता तथा अखण्डता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है।*

## jk"Vª dh ifjHkk"kk

## (Definition of Nation)

राजनीति विज्ञान में लेखकों ने राष्ट्र की परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण से की है। कई लेखकों ने राष्ट्रीयता के अर्थ में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है, जबकि दूसरे उसे राज्य के अर्थों में ग्रहण करते हैं।

राजनीति विज्ञान का समुचित रीति से अध्ययन करने के लिए तीनों संकल्पनाओं को समझना आवश्यक है।

नेशन (राष्ट्र) शब्द की व्युत्पति लैटिन शब्द नेशियो से हुई, जिसका अर्थ है पैदा होना। यह इसे वंशीय अथवा नृवंशीय अर्थ प्रदान करता है। फलतः राष्ट्र से अभिप्राय उन लोगों से जिनका विकास एक नस्ल से हो। राष्ट्र का वास्तविक

अर्थ होता है, ऐसे लोग, जो रक्त सम्बन्धों द्वारा एक राजनीतिक समाज में परस्पर सम्बन्धित हो। बर्गेस (Burgess) लीकॉक (Leacock) आदि विद्वानों ने उसी आधार पर राष्ट्र शब्द की परिभाषा की है।

(1) वर्गेस (Burgess) ने इस बात पर जोर देते हैं कि वह जनसमूह जिसमें जातीय एकता हो और जो भौगोलिक एकता वाले प्रदेश में बसा हुआ हो, राष्ट्र कहलाता है।

यद्यपि वर्गेस सामान्य वंश–परम्परा को राष्ट्र का आवश्यक तत्व नहीं समझते। उनकी दृष्टि में राष्ट्र भौगोलिक एकता वाले एक प्रदेश में बसी हुई नृवशीय एकता वाली जनसंख्या है। नृवंशीय एकता से उनका तात्पर्य इस जनसंख्या से है, जिसकी सामान्य भाषा और साहित्य, सामान्य परम्परा और इतिहास, सामान्य रीति–रिवाज तथा उचित तथा अनुचित की सामान्य चेतना है।

(2) इसी तरह लीकॉक (Leacock) का कहना है कि राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव–संगठन है।

इन विद्वानों ने क्रमशः जातीय दृष्टिकोण पर जोर दिये हैं।

जाति एवं वंश की एकता के आधार पर दिए गए राष्ट्र के उस दृष्टिकोण को बहुत से विद्वान सही नहीं मानते हैं। वे राष्ट्र के राजनीतिक स्वरूप को अधिक महत्व देते है। उनके अनुसार राष्ट्र के लिए राज्यत्व प्राप्त करना जरूरी है। लॉर्ड व्राइस, हैज और गिलक्राइस्ट ने इसी आधार पर राष्ट्र शब्द की परिभाषा दी है–

(क) हेज (Hayes) के कथनानुसार ''एक राष्ट्रीयता राजनीतिक एकता और संप्रभुता को प्राप्त करके राष्ट्र बन जाती है।''

(ख) इसी तरह लार्ड व्राइस के मतानुसार ''राष्ट्र वह राष्ट्रीयता है जिसने अपने आपको स्वतंत्र होने या स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाली राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित कर लिया है।

(ग) राजनीति शास्त्र के एक अन्य विद्वान जिन्होंने राष्ट्र पर अपने वक्तव्य में गिलक्राइस्ट ने लिखा है ''अर्थ की दृष्टि से राष्ट्र और राज्य लगभग समान है, हालांकि राष्ट्र का अर्थ अधिक व्यापक है। राज्य में कुछ और मिला देने से राष्ट्र बनता है अर्थात् वह एक राज्य के रूप में संगठित लोगों की एकता से बनता है।

बहुत से विद्वान उपर बताए गए दोनों आधारों को सही नहीं मानते। उन्होंने भावनात्मक एकता सम्बंधी दृष्टिकोण दिए हैं। इनका कहना है कि अमेरिका आदि देशों के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र के लिए जातीय एकता होना अनिवार्य नहीं है। इसी तरह राज्य भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्य तत्व नहीं कहा जा सकता। सन् 1947 से पहले भारतवासियों का अपना राज्य नहीं था। फिर भी भारत एक राष्ट्र उस समय भी थी और अब भी है। इसलिए ये विद्वान राष्ट्र के लिए भावनात्मक एकता पर बहुत जोर देते है। उनका कहना है कि राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनमें एकता की भावना मौजूद होने के साथ–साथ उस जनसमूह में अपने आपको दूनिया के दूसरे जनसमूहों से अलग समझने की प्रबल भावना होती है। वे यह भी मानते हैं कि इस तरह की एकता की भावना समान जाति, भाषा, धर्म, रीति–रिवाज, साहित्य, संस्कृति, इतिहास आदि से आसानी के साथ उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इन सभी तत्वों की अनिवार्यता की बात को वे मंजूर नहीं करते। इस दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों में ब्लंशली, गार्नर, वार्कर, हाउसर, स्टालिन, नोविकोव आदि हैं।

(अ) गार्नर (Garner) का कहना है ''राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से समान व्यक्तियों का ऐसा सामाजिक समुदाय है जो जीवन की भावनात्मक और और मनोवैज्ञानिक एकता एवं अभिव्यक्ति की ओर सचेत और दृढ़ होता है।''

(ब) ब्लंशली के शब्दों में, ''राष्ट्र ऐसे मनुष्यों के समूह को कहते हैं जो विशेषतया भाषा और रीति–रिवाजों के द्वारा एक समान सभ्यता से बँधे हुए हो। जिससे उनमें अन्य सभी विदेशियों से अलग एकता की सुदृढ़ भावना पैदा होती है।''

(स) हाउसर (Houser) ने कहा है, ''राष्ट्र एक भाषा या जाति से न बनकर लोगों के एक जुट होकर रहने की भावना से बनता है।

इसी तरह बार्कर (Barker) ने भी अपने वक्तव्य दिये थे ''राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो एक निश्चित भूभाग में रहते हुए आपसी प्रेम और स्नेह की भावना से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हों।''

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अलग–अलग विद्वानों ने राष्ट्र शब्द की परिभाषा अलग–अलग तरीके से दी है। फिर भी अब यह सच्चाई आमतौर पर स्वीकार की जाती है कि राष्ट्र केवल नस्ल या जातीय एकता पर आधारित नहीं है। इसी तरह राष्ट्र के लिए राज्य भी अनिवार्य नहीं है। गार्नर (Garner) के स्पष्ट शब्दों में कहा है, ''राष्ट्र के लिए लोगों का राज्य के रूप में संगठित होना जरूरी नहीं है और न ही राज्य के लिए राष्ट्र होना आवश्यक है।

चूंकि आधुनिक युग में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक एकता के तत्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्ततोगत्वा हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्र एक ऐसा मानव–समूह है, जिसमें भावनात्मक एकता विकसित हुई हो, जिसकी एक निश्चित मातृ–भूमि हो। सम्भवतः एक ही नस्ल, समान ऐतिहासिक अनुभव, सम्भवतः समान भाषा, साहित्य, आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक तत्वों पर आधारित सामान्य संस्कृति हो, समान राजनीतिक महत्वाकांक्षा आदि या उनमें से बातें जिनमें साथ–साथ रहने और विकसित होने की उस पर आधारित एक सामूहिक व्यक्तित्व हो। जिसको साधारणतः आत्मनिर्णय के अधिकार द्वारा अथवा कभी–कभी केवल सांस्कृतिक स्वतंत्रता द्वारा उन्नत बनाए रखने का उसमें उत्साह हो।

## jk"Vªh;rk (Nationality)

अभी हाल तक राष्ट्र और राष्ट्रीयता शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जाता था। अब उन्हें दो भिन्न शब्दों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किन्तु वे विद्वान जिन्होंने उनमें अन्तर कर लिया है ''इस अंतर के विषय में किसी प्राकर एकमत नहीं है।'' इस तथ्य का स्पष्ट कारण यह है कि नेशन (राष्ट्र) और नशनैलिटी (राष्ट्रीयता), दोनों की व्युव्यक्ति ''नेटस'' (Natus) से हुई जो जन्म या वंश के विचार का संकेत करता है। किन्तु राष्ट्र और राज्य में तर्कसम्बद्ध अन्तर होते हुए भी अब राष्ट्र का निश्चित रूप से राजनीतिक अर्थ हो गया है क्योंकि अब सभी लोग एक राष्ट्र और एक राज्य का नारा बुलन्द कर रहे हैं। राष्ट्र का अर्थ है राजनीतिक एकता–अन्य समुदायों से भिन्न ऐसे लोगों का एक समुदाय जिनका अपना निजी राजनीतिक अस्तित्व हो। राष्ट्रीयता का राजनीतिक एकता से कोई सम्बनध नहीं है। यह लोगों के इस समूह का संकेत करती है, जो मूल–वंश, भाषा या सामान्य परम्परा या इतिहास की समानता से सम्बद्ध हुए हों। इसलिए राष्ट्रीयता अपने सामान्य जन्म अथवा सामान्य मूल वंश के व्युत्यत्ति अर्थों पर जोर देती है।

राष्ट्रीयता की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित है–

(1) रिचर्ड फ्लोरनॉय (Richard Flournay) के अनुसार ''राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति का स्तर है जो राज्यभक्ति के बन्धन द्वारा राज्य से बंधा हुआ है।''

(2) जॉन स्टुअर्ट मिल (J.S. Mill) के अनुसार ''मानव जाति का एक भाग राष्ट्रीयता कहा जा सकता है, यदि वह सामान्य सहानुभूति द्वारा परस्पर बंधा हुआ है, तथा इसी के समान किसी अन्य समुदाय से सहानुभूति न रखता हो, आपस में सहयोग की अधिक इच्छा रखता हो और एक ऐसी सरकार के अन्तर्गत रखना चाहते हों जो केवल लोगों की बनी हो।

(3) वर्गेस (Burgess) के अनुसार ''राष्ट्रीयता किसी राज्य में रहने वाली सम्पूर्ण जनसंख्या का एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय है जो सामाजिकता व नस्ल के आधार पर संगठित है।''

(4) ब्राइस (Bryce) के अनुसार ''राष्ट्रीयता वह जनसमूह है जो भाषा एवं साहित्य, विचार प्रथाओं और परम्पराओं जैसे बन्धनों में परस्पर इस प्रकार बंधा हुआ हो कि वह अपनी ठोस एकता अनुभव करे तथा उन्हीं आधारों पर बंधी हुई अन्य जनसंख्या से अपने आपको भिन्न समझें।''

(5) गिलक्राइस्ट (Gilehrist) के अनुसार ''राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक भावना अथवा सिद्धांत है जिसकी उत्पत्ति उन लोागें में होती है जो साधारणतः एक जाति के होते हैं, जो एक भू–खण्ड पर रहते हैं, जिनकी एक भाषा, एक इतिहास एक–सी परम्पराएं एवं सामान्य हित होते हैं तथा जिनके एक से राजनीतिक समुदाय तथा राजनीतिक एकता के एक से आदर्श होते हैं।

(6) वोहम (Bohum) के अनुसार ''भाषा एवं संस्कृति की भिन्नता तथा धर्म, जाति एवं रीतियों के अन्तर के परिणामस्वरूप ऐसे सामाजिक समूहों का निर्माण होता है जो राजनीतिक सीमाओं के बारे में स्वतंत्र होते हुए भी मौलिक राष्ट्रीय इकाइयों का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीयता का चिन्ह इस प्रकार किसी राज्य के प्रति लगाव नहीं, वरन् किसी जन–समूह के प्रति लगाव होता है।''

इस प्रकार राष्ट्रीयता से तात्पर्य इन लोगों या समूहों से होता है जो राजनीतिक उद्देश्यों से परे, एक ऐसी समष्टि बनाते हैं जिसका स्वरूप अधिक विस्तृत तथा अधिक व्यापक होता है। उदाहरणस्वरूप हम देखते हैं कि पोलैण्ड में यूक्रेन राष्ट्रीयता में वहाँ के सभी यूक्रेनियन लोग सम्मिलित हैं तथा यूरोप में पोलिश राष्ट्रीयता में यूरोप के सभी पोलिश लोगा आ जाते हैं।

## jk"Vª rFkk jk"Vªh;rk esa Hksn
**(Distinction between National and Nationality)**

वास्तव में दोनों शब्द एक मूल धातु लेटिन शब्द नेशियों से निकले हैं, फिर भी उनके अर्थ में वैज्ञानिक भेद हैं। यह भेद इतना सूक्ष्म है कि इनकी विभाजन रेखा ढूंढना कठिन हो जाता है। अतः हमें इन दोनों में इस प्रकार से भेद ध्यान में रखना चाहिए–

जैसा लार्ड ब्राइस की राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता की परिभाषाओं से स्पष्ट है, उनके विचार में इन दोनों में राजनीतिक संगठन का भी भेद है। अर्थात राष्ट्र तो राजनीतिक रूप से संगठित व स्वतंत्र राज्य बन गया है परन्तु राष्ट्रीयता इस प्रकार संगठित नहीं है। मिल का यही मत रहा है। उन्होंने भी राष्ट्रीयता की परिभाषा करते समय राजनीतिक संगठन पर बल दिया है, जो सम्भवतः राष्ट्र की परिभाषा ही है। वर्गेस (Burgess) तथा गमप्लाविज (Gumplowiez) ने राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता में राजनीतिक संगठन का भेद नहीं मानते, वे उनमें लागों की कम या अधिक संख्या का भेद मानते हैं। उनके मातनुसार अल्पसंख्यक समुदाय ही राष्ट्रीयता है, इस आधार पर भारत में मुसलमान, पारसी तथा पाकिस्तान में हिन्दू, इंग्लैण्ड में स्काच तथा वेल्श लोग राष्ट्रीयताएँ हैं।

इस प्रकार राष्ट्र का क्षेत्र राष्ट्रीयता से बड़ा होता है जब कोई राष्ट्रीयता एक स्वतंत्र राज्य बन जाती है या बनने की इच्छा रखती है, वह राष्ट्र कहलाती है। यदि राष्ट्रीयता स्वतंत्र राज्य नहीं बनना चाहती तो वह केवल राष्ट्रीयता बनकर ही रह जाती है।

## jk"Vª vFkok jk"Vªh;rk ds fuekZ.k ds rRo
**(Constituent Elements of Nation or Nationality)**

राष्ट्रीयता तथा राष्ट्र के निर्माण में मुख्यतः निम्नलिखित तत्व सहायक होते हैं–

(1) **नस्ल की समानता (Community of Race):** यह बात सत्य है कि समान नस्ल के दोनों में एकता की भावना सरलता से उत्पन्न हो जाती है और यही कारण है कि प्राचीन काल में नस्ल की एकता ने मानव–समूहों को जोड़ने तथा इकट्ठा रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

इस सम्बंध में गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि एक नस्ल की उत्पत्ति के प्रति विश्वास, चाहे वह वास्तविक हो अथवा काल्पनिक, राष्ट्रीयता का बन्धन होता है। प्रत्येक राष्ट्रीयता की उत्पत्ति की अपनी पौराणिक कथाएं होती है।''

फिर भी आधुनिक युग में इस तत्व को पूरी तरह लागू कर पाना कठिन है। उसका कारण यह है कि आज संसार में शायद ही कोई ऐसी एक जाति हो जो नस्ल और रक्त की शुद्धता का दावा कर सके। इसके अतिरिक्त अमेरिका, रूस, कनाडा, स्विट्जरलैण्ड आदि अनेक देशों के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ अनेक जातियों और नस्लों के व्यक्तियों ने मिलकर एक पृथक राष्ट्र और राष्ट्रीयता का निर्माण किया है। इसी तरह अरब जाति आदि के ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ एक ही नस्ल के अनेक राष्ट्र और राष्ट्रीयता का निर्माण किया है जो अस्तित्व में हैं। इसलिए प्रायः यह कहा जाता है कि नस्ल एक भौतिक तत्व ही है और उसमें आध्यात्मिक तत्व के मिलने से ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। डा० गार्नर (Garner) के शब्दों में ''नस्ल एक भौतिक तत्व होता है जबकि राष्ट्रीयता एक मिश्रित तत्व है, जिसकी उत्पत्ति आध्यात्मिक तत्व के मिलने से होती है। इस तरह यह कहना अधिक उचित होगा कि नस्ल और राष्ट्र को एक कर देने का अर्थ नैतिक आत्मा का भौतिक जीवन के अधीन कर देना या मनुष्य में पाई जाने वाली पशुता को मानवता का रूप देना होगा।

(2) **धर्म की समानता (Community of Religion):** प्राचीन काल में धर्म की समानता ने राष्ट्र और राष्ट्रीयता के निर्माण में बहुत अधिक योगदान दिया है। आधुनिक युग में भारत का विभाजन भी मुस्लिम लीग और इसके नेता मुहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से धर्म की भिन्नता के आधार पर ही हुआ था। लेकिन आधुनिक युग में धर्म की समानता को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता। कम्युनिस्ट लोग तो धर्म को मानने से इन्कार करते हैं। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित धर्म निरपेक्ष राज्य का प्रचार हो जाने से अब धार्मिक एकता का तत्व अनिवार्य नहीं रह गया। यही वजह है कि धार्मिक उन्माद को भड़काकर जिन्ना और मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने में भले ही सफल हो गए हों, लेकिन पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के साथ नहीं रह सका। अब बांग्लादेश के रूप में वह पाकिस्तान से पूरी तरह अलग हो चुका है। इसी तरह जिन्ना और मुस्लिम लीग के घिनौने प्रचार के बावजूद भारत की आजादी मिलने के समय साढ़े चार करोड़ मुसलमानों ने इसी देश में रहना उचित होगा कि धर्म की समानता से राष्ट्रीयता के विकास में सहायता तो मिल सकती है, लेकिन अनिवार्य तत्व नहीं है।

(3) **भौगोलिक एकता (Geographical Unity):** राष्ट्र और राष्ट्रीयता के जन्म और विकास में मातृ–भूमि के प्रति गहरी श्रद्धा की भावना एक प्रमुख सहायक तत्व के रूप में होती है। इसमें संदेह नहीं कि इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मौजूद रहे हैं जबकि एक राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाले व्यक्तियों ने एक भौगोलिक एकता वाले भू–भाग केरहने पर भी अपने आपको जीवित बनाए रखा है। परन्तु ऐसे व्यक्ति–समूह ने अपनी मातृ–भूमि को प्राप्त करने के प्रयत्न भी बराबर जारी रखे हैं। यहूदियों का उदाहरण ऐसा ही है। सन् 1948 में फिलिस्तीन के इलाके में स्वतंत्र इजराइल राज्य के कायम हो जाने से उनकी राष्ट्रीयता और राष्ट्र के विकास में बहुत अधिक सहायता मिली है। इसलिए भौगोलिक एकता के तत्व को राष्ट्र के और राष्ट्रीयता के विकास में एक सहायक तत्व माना जाता है।

(4) **भाषा, संस्कृति और परम्पराओं की समानता (Community of Language, Culture and Traditions):** प्रत्येक जाति की भावनाओं को प्रकट करने के एकमात्र साधन उसकी अपनी भाषा होती है। अतः भाषायी एकता भी राष्ट्र और राष्ट्रीयता के विकास में सहायक होती है। भाषा के द्वारा ही साहित्य का निर्माण होता है ओर इससे आगे चलकर संस्कृति का विकास होता है, जो कि समान परम्पराओं को जन्म देती है। इसलिए भाषा की समानता को भी राष्ट्र और राष्ट्रीयता के निर्माण में एक प्रमुख तत्व माना जाता है।

भाषा के इस महत्व के बावजूद हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आज संसार में अमेरिका, कनाडा, रूस, भारत, स्विट्जरलैण्ड आदि अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें अनेक भाषाएं बोली जाती है, फिर भी उनका अपना एक राष्ट्र है। इसी तरह अमेरिका, इंग्लैण्ड, ऑस्ट्रलिया आदि ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनमें एक ही भाषा अंग्रेजी लिखी पढ़ी जाती है। फिर भी उनके अलग–अलग राष्ट्र हैं । इसका अर्थ यह है कि किन्हीं भी कारणों से यदि कोई व्यक्ति समूह अलग–अलग भाषाओं के होते हुए भी समान संस्कृति का विकास करने में सफल हो जाता है उसका राष्ट्र सरलता से कायम हो सकता है। भारत में अट्ठारह भाषाओं के बावजूद उनको जोड़ने वाली

संस्कृति मौजूद रही है और उत्तर और दक्षिण में भाषायी भिन्नता के बावजूद संस्कृति के तत्व प्राय एक जैसे रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय एकता कायम रखने में सहायता पहुंचाई हो।

(5) **समान इतिहास (Common History):** किसी भी व्यक्ति–समूह का समान इतिहास भी राष्ट्र और राष्ट्रीयता को उत्पन्न करने में बहुत अधिक सहायक होता है। किसी भी देश में विदेशी आक्रमणकारियों के विरूद्ध छेड़ा गया सामूहिक संघर्ष भी राष्ट्रीयता के विकास में सहायक होता है। सन् 1857 का सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम और जलियांवाला बाग आदि की घटनाएं अभी भी भारतीयों के अन्दर राष्ट्र भावना उत्पन्न करने में सहायक होती है। इसलिए संकट के दिनों में प्रत्येक राष्ट्र के नेता इतिहास की घटनाओं, इतिहास के बीर पुरूषों की सफलताओं और बलिदानों आदि के आधार पर जनता को संकट का सामना करने के लिए तैयार करते दिखाई देते हैं।

(6) **समान हित (Common Interest):** किसी भी व्यक्ति समूह में समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की चेतना भी राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक होती है। 18वीं शताब्दी में अमेरिका में रह रहे विभिन्न यूरोपीय वंश के लोगों को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी कि इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की मांग यही है कि वे आपसी भेदभावों को भूलाकर एक हों और तब ब्रिटेन के विरूद्ध खड़े हों। तभी वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा कर सकते थे।

(7) **समान राजनीतिक महत्वकांक्षाएं (Common Political Aspirations):** आधुनिक युग में समान राजनीतिक महत्वकांक्षाएं भी राष्ट्र–जीवन के विकास में बहुत अधिक सहायक होती है। एक ही शासन के अन्तर्गत रहते हुए विदेशवासियों में एकता की भावना उत्पन्न हो जाती है और समान राजनीतिक आकांक्षाएं उनको संसार में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने की दृष्टि से कठिन परिश्रम, नागरिकों द्वारा त्याग और बलिदान एवं कष्ट सहन करने की प्रेरणा देती है।

## fu"d"kZ
## (Conclusion)

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ये सभी तत्व राष्ट्र और राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक होते हैं। लेकिन हमारे लिए यह कहना कठिन है कि उनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक सहायक होता है। इसका कारण यह है कि मानव जीवन और इसके विकास की प्रक्रिया बहुत उलझनपूर्ण एवं जटिल है। इसीलिए इन तत्वों में से किसी एक या कुछ तत्वों को हम अधिक महत्व नहीं दे सकते।

## jk"Vª fuekZ.k dk vFkZ
## (Meaning of Nation-building)

राष्ट्र निर्माण का शाब्दिक अर्थ है– राष्ट्र का निर्माण करना। यह वह प्रक्रिया है जो पूरे राष्ट्र में एकता की भावना अत्पन्न करती है तथा पूरे राष्ट्र के लिए निष्ठा का एक ही केन्द्र विकसित करती है ताकि जनता संकीर्ण भावनाओं का परित्याग करके पूरे राष्ट्र को अपनी भक्ति तथा निष्ठा का केन्द्र माने। यह वह प्रक्रिया है जो लोागें की जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषायी तथा सांस्कृतिक तथा अनेक संकीर्ण भावनाओं को नष्ट करके राष्ट्रीय भावनाओं तथा निष्ठाओं को विकसित करती है।

लुसिन पाई (Lucian Pye) के अनुसार राष्ट्र निर्माण का अर्थ है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग छोटे कबीलों, गावों, नगरों या छोटी रियासतों के प्रति वफादारी और बन्धनों को विशाल केन्द्रीय राजनीतिक प्रणाली की ओर मोड़ लेते हैं।

डा० जे० आर० ल्युसियन (Dr. J.R. Siwach) के अनुसार ''राष्ट्र निर्माण का अर्थ एक ओर कबीला, सम्प्रदाय, जातीय भाषायी अथवा क्षेत्रीय आधार पर समाज को विभाजित करने वाली समस्याओं को नष्ट करना है और दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक भावनाओं की एकता और भाईचारा है।

# jk"V&fuekZ.k ds rRo
# (Elements of National building)

राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं–

(1) **राष्ट्रीय स्वतंत्रता (National Independence):** यदि कोई राष्ट्रीय समुदाय विदेशी नियंत्रण के अधीन है तो ऐसे समुदाय के लिए राष्ट्र निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। सन् 1947 से पहले भारत जब विदेशी शासन के अधीन था तो राज्य द्वारा राष्ट्र निर्माण की कोई आशा नहीं कि जा सकती थी। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व है।

(2) **उचित सार्वजनिक सत्ता (Legitimate Public Authority):** राष्ट्र निर्माण के लिए उचित सार्वजनिक सत्ता से अभिप्राय ऐसी संवैधानिक अथवा कानून शक्ति से है जिसकी वैधता के बारे में लोगों के मन में कोई शंका अथवा रोष नहीं है। यदि हिंसा अथवा असंवैधानिक साधनों द्वारा कुछ लोग राजनीतिक सत्ता अपने हाथों ले लेते हैं और साधारण लोग इस सत्ता की वैधता को स्वीकार न करते हों, तो ऐसे व्यक्ति केवल शक्ति के बल पर राष्ट्र निर्माण का कार्य नहीं कर सकते।

(3) **राष्ट्रीय भावना (National feeling):** किसी राजनीतिक समुदाय के राष्ट्र निर्माण के लिए केवल बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना और भावना का होना आवश्यक है। जबतक लोगों के दिलों में राष्ट्र के साथ सम्बन्धित होने का गर्व तथा भावना पैदा नहीं होती, तबतक इन लोगों का एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना कठिन हो जाता है।

(4) **विभिन्नता में एकता की स्थापना (Establishment of Unity in Diversity):** वर्तमान युग में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसमें लोगों में भाषा, धर्म, जाति तथा संस्कृति आदि के आधार पर विभिन्नता नहीं पाई जाती। ऐसे राज्यों में विभिन्नताओं के होते हुए भी एकता की स्थापना राष्ट्र निर्माण का अनिवार्य तत्व है।

## jk"V fuekZ.k esa jkT; dh Hkwfedk
## (Role of State in Nation-building)

राज्य राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका है। अरस्तु ने लिखा है ''राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है परन्तु यह अच्छा जीवन बनाए रखने के लिए मौजूद है। इसी प्रकार ग्रीन ने लिखा हैं ''राज्य का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ना, समझौतों को लागू करना अर्थात पुलिस कार्य ही नहीं है, बल्कि उसका कार्य मनुष्यों को, जहाँ तक हो सके, समान अवसर प्रदान करता है ताकि वे अपना वौद्धिक और नैतिक विकास कर सके।''

आधुनिक राज्य राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है–

(1) **राज्य तथा भौगोलिक एकता (State and Geographical Contiguity):** भौगोलिक एकता राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक निश्चित भौगोलिक एकता वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों में समान संस्कृति, खानपान, रहन सहन का ढंग तथा परम्पराओं की समानता उत्पन्न होती है जो राष्ट्र के निर्माण में बहुत सहायता करती है।

(2) **राज्य तथा राष्ट्र–निर्माण का सांस्कृतिक पहलू (State and Cultural aspect of Nation-building):** राष्ट्र निर्माण में सांस्कृतिक विकास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जिन लोगों का रहन सहन खान–पान, पहनावा तथा रीति–रिवाज एक जैसे होते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की एकता की भावना का विकास होता है। जिन देशों में विभिन्न जातियों, नस्लों तथा धर्मों के लोग रहते हैं और जिनकी संस्कृति एक दूसरे से भिन्न है, उन्हें एकता की लड़ी में पिरोने की आवश्यकता होती हैं।

(3) **राज्य तथा राष्ट्र–निर्माण का राजनीतिक पहलू (State and Political aspect of Nation-building):** राज्य ही राष्ट्र को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है और राजनीतिक स्थिरता, शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है। बिना राजनीतिक स्थिरता के कोई भी राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकता। राज्य नागरिकों को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है जिससे लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं

मजबूत होती है। राज्य द्वारा नागरिकों को मतदान करने, चुनाव लड़ने, सरकारी पद ग्रहण करने तथा राजनीतिक संगठन आदि बनाने के अधिकार दिए जाते हैं।

(4) **राज्य तथा राष्ट्र–निर्माण का आर्थिक पहलू (State and Economic aspect of Nation-building):** किसी भी देश के राष्ट्र निर्माण के लिए इसका आर्थिक विकास होना आवश्यक है। यदि किसी देश में धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों केन्द्रित होगा तथा साधारण जनता बहुत निर्धन होगी, जिनके लिए अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी सम्भव नहीं होगी, तो वह देश राष्ट्र–निर्माण में सफल नहीं हो सकता। राज्य द्वारा ही उचित आर्थिक प्रणाली को अपनाकर ऐसी स्थिति को रोका जा सकता है। राज्य ही नागरिकों को रोजगार दिलाने में सहायता करता है, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तथा काम करने के घण्टे निश्चित करता है और देश की औद्योगिक उन्नति के लिए कार्य करता है। राज्य धनी व्यक्तियों पर अधिक कर लगाकर उनके हाथों में धन के केन्द्रीयकरण को रोकने का प्रयत्न करता है।

(5) **राज्य तथा राष्ट्र–निर्माण का सामाजिक पहलू (State and Social aspect of Nation-building):** राज्य सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सामाजिक समानता की स्थापना करता है ताकि नागरिकों में जाति, नस्ल, धर्म, लिंग तथा रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न पैदा किया जा सके।

अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में राज्य राष्ट्र–निर्माण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## jk"Vªh; ,dhdj.k
## (National Integration)

भारत एक विशाल देश है जिसमें जाति, धर्म तथा भाषा आदि के आधार पर लोगों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त देश के कुछ भाग आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अधिक विकसित हैं जबकि कुछ भाग अति पिछड़े हैं। इसके कारण उनमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा तथा ईर्ष्या की भावना पनपती रहती है। भारत के अनेक भागों में दिन–प्रतिदिन साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं। जिससे अनेक व्यक्ति जो निर्दोष है। इस दंगे में जानें जाती है और इस आधार पर भी भेदभाव बना रहता है नागरिकों के बीच। इन बातों के आधार पर नित्य नए राज्यों की मांग होती रहती है और कुछ परिस्थितियों में तो भारत से अलग होकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग की जाती है। कुछ वर्ष पूर्व खालिस्तान की मांग इसी का उदाहरण था जिसके वजह से खालिस्तान समर्थकों ने पुरे पंजाब में आतंक फैला दिया था। आज भी पुरे भारत में कहीं न कहीं स्वतंत्र राज्य की मांग की जाती रही है लेकिन भारत सरकार इनके फन उठते ही कुचल देते हैं क्योंकि भारत अर्थात इण्डिया राज्यों का संध है और भारत के संविधान के अन्तर्गत जो भी पहलू हैं उसे अपनाया जाता रहा है।

## jk"Vªh; ,dhdj.k dk vFk
## (Meaning of National Integration)

राष्ट्रीय एकीकरण का वास्तविक अर्थ है भारत की सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक एकता की परम्पराओं के आधार पर उस राष्ट्र में एक ऐसे संगठित सामूहिक जीवन का निर्माण करना है जिसमें जातिवाद, साम्प्रदायवाद, भाषणवाद और क्षेत्रवाद जैसी संकीर्ण और संकुचित भावनाएं पुरी तरह नष्ट हो जाएं।

राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ बताते हुए सुप्रसिद्ध विद्वान माइरन वीनर (Myron Weiner) ने लिखा है ''इसका अभिप्राय एक सुनिश्चित भूभाग के प्रति ऐसी गहरी राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है जो संकीर्ण और संकुचित वफादारियों को गौण बना देती है या उन्हें नष्ट कर डालती है।

एच० ए० गनी (H.A. Gani) के अनुसार ''राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, दृढ़ता सम्बद्धता की भावना विकसित होती हो और उनमें सामान्य नागरिकता की भावना अथवा राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावनाा का विकास होता है।''

अतः राष्ट्रीय एकीकरण इस भावनात्मक तथा विचारात्मक एकता का नाम है जो सभी भारतवासियों को प्रान्त, भाषा, जाति, मजहब, क्षेत्र आदि की संकीर्णताओं से उपर उठाकर उन्हें एक सूत्र में बांधती है और उन्हें इस राष्ट्र की सनातन परम्परा के अनुसार विविधता में एकता से साक्षात्कार कराती है।

## Hkkjr e jk"Vªh; ,dhdj.k d vk;ke ¼i{k½

## (Dimensions or Aspects of National Integration in India)

राष्ट्रीय एकीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसके कई आयाम हैं। इसका विवरण निम्नलिखित है–

(1) **राजनीतिक आयाम (Political Dimension):** राष्ट्रीय एकीकरण का राजनीतिक आयाम देश के क्षेत्रीय संगठन से सम्बन्धित है। इसके लिए राज्य निर्माण होना अनिवार्य है। सन् 1956 में भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम (State Reorganization Act, 1956) पास किया गया। उसके पश्चात भी भाषा के आधार पर कई नए राज्येां का गठन किया गया जिसके परिणामस्वरूप राज्यों की संख्या 28 हो गई है।

उदाहरणस्वरूप, महाराष्ट्र राज्य में कुछ लोग विदर्भ (Vidarbh) राज्य की, असम में बौडोलैण्ड (Bodoland) उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड (Uttrakhand) तथा विहार में झारखण्ड (Jharkhand) की माँग कर रहे थे और सफल हुए। ऐसी मांगें राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा बनती है।

(2) **सामाजिक आयाम (Social Dimension):** राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सामाजिक एकता तथा सामाजिक एकीकरण का होना आवश्यक है। यद्यपि भारतीय संविधान को छुआछूत को समाप्त कर दिया गया और इसका पालन अपराध घोषित कर दिया गया है। फिर भी समाज में जाति–पाति की इस समस्या का पूर्ण रूप से अन्त नहीं हुआ है। आज भी अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। भारत में उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश आदि राज्येां के जातिवाद बहुत ही मात्रा में मौजूद है इसके अतिरिक्त भाषा, धर्म आदि के आधार पर भारतीय लोगों में भेदभाव बना हुआ है।

(3) **आर्थिक आयाम (Economic Dimension):** भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्धनता तथा भूखमरी का शिकार है, जबकि कई लोग विलासिता का जीवन व्यतित करते हैं। इसके अतिरिक्त देश के कुछ लोगों को भरपेट भोजन तक नहीं मिलता। भारत में विभिन्न क्षेत्रों का असंतुलित आर्थिक विकास भी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत बड़ी बाधा है।

(4) **सांस्कृतिक आयाम (Cultural Dimension):** सभी लोगों की अपनी संस्कृति से घनिष्ठ लगाव होता है और यह उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा (National Mainstream) से दूर रखने का एक कारण बनता है। लोग अपनी संस्कृति की अलग पहचान (Separate Identity) बनाए रखना चाहते हैं और इसके कारण कई बार उग्रवादी और आतंकवादी आन्दोलन भी किए जाते हैं।

(5) **मनोवैज्ञानिक आयाम (Psychological Dimension):** वास्तव में राष्ट्रीय एकीकरण कोई मकान नहीं है जिसे ईटों और गारे से बनाया जा सकता है। यह कोई औद्योगिक योजना भी नहीं है जिसे विशेषज्ञों द्वारा विचार और लागू किया जा सकता है। इसके विपरीत, एकीकरण एक विचार है जो अवश्य ही लोगों के मन में समा जाना चाहिए। यह एक चेतना है जिसे बड़े पैमाने पर लोगों को अवश्य जागृत करना है।

(6) **सामान्य उद्देश्य आयाम (Common Purpose Dimension):** माईरन वीनर (Myron Weiner) ने लिखा है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का इकट्ठा होना राष्ट्रीय एकीकरण का आधार बनता है परन्तु लोगों में इतनी योग्यता तथा क्षमता होनी चाहिए कि वे ऐसे उद्देश्य के बारे में, जो इसके लिए आवश्यक हो, जन भावनाओं को प्रेरित कर सकें।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण के अनेक आयाम (पक्ष) हैं और इसके प्रत्येक पक्ष का उचित हल ही इसकी प्राप्ति को संभव बना सकता है।

# jk"Vªh; ,dhdj.k esa ck/kd rRo
# (Hindrances in the path of National Integration)

भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या अथवा उसके मार्ग में उपस्थित बाधक तत्वों का विचार करते समय अभी तक अपने देश के बुद्धिजीवियों, राजनीतिक दलों और इनके नेताओं ने पश्चिम की भौतिकवादी जीवन प्रणाली द्वारा विकसित किए गए पैमाने के आधार पर ही विचार किया है तथा उनके द्वारा बताए गए उपयों का सहारा लिया गया है। हमें राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या का हल भारतीय सन्दर्भ में खोजना पड़ेगा क्योंकि रोग का निदान करते समय रोग का प्रकृति का भी समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इस दृष्टि से नीचे दिये गये कारण बहुत अधिक विचारनीय है।

(1) **जातिवाद (Casteism):** जातिवाद की समस्या ने राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा पहुंचाई है। यद्यपि जाति का एक सामाजिक बुराई के रूप में अन्त हो रहा है, तथापि अब इसके राजनीतिक और प्रशासनिक बुराई का रूप धारण कर लिया है।

जय प्रकाश नारायण ने कहा था भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है।

(2) **भाषायी उन्माद (Linguistic Fanaticism):** आज भारत में सभी भाषाओं में मौजुद भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता के सूत्र को पहचानकर विभिन्न भाषायी लोगों के आपस में लड़ाते रहते हैं।

(3) **क्षेत्रवाद (Regionalism):** भारत की सांस्कृतिक एकता को न पहचानने के कारण जनता में जो अज्ञान फैला हुआ है राजनीतिक उससे लाभ उठाने के उद्देश्य से राजनीतिक क्षेत्रीयता की संकुचित भावनाएं फैलाते हैं।

(4) **प्रशासन का गिरता स्तर (Deterioration of Administration):** उपर गिनाए गए इन दोनों के कुप्रभाव से अब प्रशासन भी अछूता नहीं रह सका है। भाई–भतीजावाद, लाल फीताशाही, नौकरशाही की सत्ताधारी दल के साथ व्यवहारिक रूप से प्रतिवद्धता प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप आदि ने इतना प्रभावित कर रखा है कि प्रशासन के सर्वोच्च स्तर से बिल्कुल निचले स्तर तक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। खाओ, खिलाओ और खाने दो का तरीका चल रहा है।

(5) **शिक्षा का अभाव (Lack of Education):** अशिक्षा और अज्ञान मानव के विकास के सबसे बड़े शत्रु हैं। आज भी भारत में शिक्षा का अभाव गिरता जा रहा है। संविधान बताते हैं कि दस वर्षों के अन्दर सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था करने का संकल्प लिया गया था लेकिन वह लक्ष्य अभी भी दूर है।

(6) **राजनीतिक अवसरवादिता (Political Opportunism):** राजनीतिक दलों की अवसरवादिता के कारण भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बड़ी बाधाएँ खड़ी है। राजनीतिक दल उपयुक्त कमियों के कारण देश का उत्थान करने की योजनाओं को लागू करने के स्थान पर सत्ता की कुर्सी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।

(7) **असन्तुलित विकास (Imbalanced Growth):** भारत जैसे विशाल देश में समरसता पैदा करने के लिए उसके सभी भागों और इलाकों का सन्तुलित विकास किया जाना चाहिंए। इस दृष्टि से जहाँ देश के किसी भी भोगौलिक भाग की उपेक्षा करना गलत है वहीं विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति को मिलना चाहिए।

(8) **समतायुक्त समाज निर्माण में असफलता (Failure in building of the Education Society):** संविधान निर्माताओं ने धनी–निर्धन, उंच–नीच, छोटे–बड़े, अस्पर्श आदि के सभी भेदभावों को समाप्त करके देश में समतायुक्त समाज का निर्माण का स्वप्न संजोया था। किन्तु देश के आजाद होने के बाद से गरीब व्यक्ति और गरीब हुआ है तथा अमीर और अधिक अमीर हुआ है।

(9) **साम्प्रदायिकता (Communalism):** साम्प्रदायिकता एक ऐसी भावना है, ऐसी विचारधारा है जो किसी राष्ट्र के पतन का एक महत्वपूर्ण कारक बनी है। हमारा भारत खुद भयानक और खतरनाक मानसिकता का मरीज था और अभी भी है पता नहीं कब इस अभिशाप का खात्मा होगा। पहली बार साम्प्रदायिकता भारत को

खण्ड–खण्ड करके एक पाकिस्तान बना चुका है और पता नहीं कितने पाकिस्तानों का निर्माण करायेगा। अभी भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा है।

(10) **गरीबी (Poverty):** भारत में अभी भी कुछ समुदाय ऐसे हैं कि जिसे भरपेट भोजन नहीं मिलता है। राजनीतिक दल गरीबी हटाओ नारे देते हैं लेकिन वास्तव में गरीब को हटाते हैं।

(11) **समाजवाद की असफलता (Failure of Socialism):** समाजवाद की असफलता ने भी राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या को पैदा किया है। यदि समाजवाद सफल हो जाता है तो आर्थिक विकास का फल सभी को चखने को मिलता।

(12) **दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली (Defective education):** भारत की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। हमारी शिक्षा प्रणाली विधार्थीयों के चरित्र निर्माण तथा अनुशासन स्थापित करने में सफल नहीं हुई हैं। जो हमारी शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय एकीकरण की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है।

(13) **आन्दोलन और हिंसा की राजनीति (Politics of Agitations and Violence):** हमारे देश की राजनीति में पिछले कई वर्षों से आन्दोलन तथा हिंसा में वृद्धि हुई है। हमारे नागरिकों को संविधान के अन्तर्गत शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा विरोध प्रगट करने का अधिकार प्रदान किया गया है लेकिन राजनीति में हिंसा की घटनाएं दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

(14) **क्षेत्रीय दल (Regional Parties):** हमारे देश में क्षेत्रीय दलों में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। वर्ष 1998 के चुनाव आयोग ने 34 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय हितों को मद्देनजर रखकर राष्ट्रीय हितों का त्याग कर देते हैं।

(15) **सरकार की नीति (Government's Policy):** सरकार की नीति भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक बनी हुई है। सरकार उपर से क्षेत्रीयवाद, साम्प्रदायिकता आदि के विरूद्ध आवाज उठाती है, लेकिन व्यवहार में वह जातिवाद, क्षेत्रीयवाद तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा ही देती है।

कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के प्रति ढीली नीति को अपनाया है, क्योंकि आमतौर पर मुस्लिम मत कांग्रेस के ही समझे जाते हैं।

(16) **विदेशी ताकतें (Foreign Powers):** विदेशी ताकतें भी कई वर्षों से भारत में अस्थिरता लाने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तान खुले रूप से जम्मू–कशमीर के अग्रवादियों को हथियार तथा वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(17) **अल्पसंख्यक (Minorities):** भारत में अनेकों धर्म के लोग हैं जिसमें भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यक रहते हैं। कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक असंतुष्ट हैं तथा उनको यह शिकायत है कि भारत की बहुसंख्या उनको पृथक पहचान को नष्ट करना चाहती है। धार्मिक अल्पसंख्यकों का ऐसा अविश्वास ही बढ़ रही धार्मिक कट्टरता का मुख्य कारण है। इनकी ऐसी असंतुष्टता जहाँ धार्मिक कट्टरता को जन्म देगी, वहाँ राष्ट्रीय एकीकरण की सफलता के मार्ग में बाधा भी सिद्ध होगी।

(18) **राष्ट्रीय चरित्र का आभाव (Lack of National Character):** भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा यह है कि लोगों में राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भारतीय होने का गर्व करते हैं। प्रायः लोग स्वयं को हिन्दू, मुसलमान सिक्ख, इसाई, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी इत्यादि समझते हैं तथा उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वे सर्वप्रथम भारतीय हैं। भारतीय होने के एहसास का अभाव ही राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा है।

## jk"Vªh; ,dhdj.k ds ekxZ esa ck/kkvksa dks nwj djus ds mik;

## (Methods to remove the hindrances in the way of National Integration)

भारत की एकता तथा अखण्डता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अति अनिवार्य है। वस्तुतः राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए उन बाधाओं को दूर करना चाहिए अन्यथा देश की एकता एवं अखण्डता खतरे में पड़ जाएगी। इन बाधाओं को दूर करने के लिए अग्रलिखित उपाय किए जाने चाहिए।

(1) **सामाजिक समानता (Social Equality):** समाज में विशेष रूप से हिन्दू समाज में प्रचलित ऊँच–नीच की भावना प्रभावशाली ढंग से दूर की जानी चाहिए। पिछड़े वर्ग और हरिजनों में किसी प्रकार की हीनता न हो और उन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाए। इसी प्रकार की व्यवस्था अल्पसंख्यकों के लिए भी करनी चाहिए।

(2) **आर्थिक समानता की स्थापना (Establishment of Economoic Equality):** भारत में जो आर्थिक असमानता प्रचलित है, उससे राजनीति भी दूषित होती है। समस्या तो आर्थिक होती है। इसलिए भारत में इस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई जानी चाहिए, जिससे गरीबी और बेरोजगारी दूर हो, जिससे धन का उचित वितरण हो, देश में न कोई बहुत अमीर हो और न बहुत गरीब हो। इस दिशा में समाजवादी व्यवस्था को अपनाना उचित है।

(3) **प्रशासन में जनता का विश्वास होना (Faith of people in Administration):** प्रशासनिक क्षेत्र में मंत्री और सरकारी कर्मचारी ईमानदार, निष्पक्ष और कार्यकुशल हों। इससे जनता में उनके प्रति विश्वास पैदा होगा। विश्वास के अभाव में बहुत से आंदोलन चलाए जाते हैं और राष्ट्र को उससे हानि होती है।

(4) **राष्ट्रीय संस्कृति का विकास (Development of Nattional Culture):** भारत की संस्कृति प्राचीन और आदर्शमय है। यदि इसका ठीक रूप से विकास किया जाए तो एक राष्ट्रीय संस्कृति का विकास हो सकेगा जिससे सामाजिक, भावनात्मक और राष्ट्रीय संस्कृति का विकास हो सकेगा और सामाजिक, भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलेगा।

(5) **समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निवाकरण (Quick Solution of Problems):** भारत में बहुत से आन्दोलन इस कारण से हिंसात्मक बन जाते हैं क्योंकि उनकी समस्या को सुलझाने का उचित प्रयत्न नहीं किया जाता। असम और पंजाब के आन्दोलन इस तथ्य के उदाहरण हैं। समस्या चाहे भाषा से सम्बन्धित हो क्या अर्थ से सम्बन्धित हो या अन्य कोई भी हो, इसका शीर्घ से शीघ्र निवाकरण होना चाहिए।

(6) **संकीर्ण भावनाओं को दूर करने के प्रयत्न (Removal of Narrow feelings):** राष्ट्र की अखण्डता के लिए सबसे अधिक हानिकारक तत्व लोगों की संकीर्ण भावनाएं हैं। इनको दूर करने के लिए जहाँ उदार शिक्षा एक साधन है, वहाँ समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं और प्रचार के साधनों द्वारा लोगों में उदार दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए।

(7) **विदेशियों पर निगाह रखना (To watch the Foreigners):** संसार के बहुत से राज्य भारत के विकास से प्रसन्न नहीं हैं। वे चाहते हैं कि भारत में ऐसी गतिविधियाँ पैदा की जाएं जिससे कि वह एक महान राष्ट्र न बन सके। भारत में देशद्रोहियों का अभाव नहीं है। विदेशी ताकतें इनके सहारे से देश में गड़बड़ी कराती रहती है। इन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। यदि इन विदेशियों की गतिविधियाँ भारत के अहित में हो तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐतिहासिक आधार पर सिद्ध हुए विदेशी शत्रुओं का किसी भी रूप में विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

(8) **भ्रष्टाचार का दूर करना (To End Corruption):** राष्ट्रीय एकीकरण लाने के लिए प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त करना आवश्यक है। भाई–भतिजावाद बन्द होना चाहिए।

(9) **राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान (To honour National Symbols):** राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सभी भारतीय राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें। राष्ट्रीय झण्डे और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है।

(10) **सिद्धांतों पर आधारित राजनीति (Value-based Politics):** राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के लिए यह आवश्यक है कि राजनीति सिद्धांतों व मूल्यों पर आधारित हो। राजनीतिज्ञों को धर्म, जाति, भाषा अल्पसंख्यक आदि की राजनीति से मुक्त होना पड़ेगा।

(11) **समुचित शिक्षा व्यवस्था (Proper Education System):** समुचित शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय एकीकरण लाने के लिए अति महत्वपूर्ण साधन है। हमारी शिक्षा–प्रणाली देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही होनी चाहिए।

शिक्षा–प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे सम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इत्यादी अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(12) **भाषायी समस्या का समाधान (Solution of Language Problems):** राष्ट्रीय एकीकरण के बनाए रखने के लिए भाषायी समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है। राज्यों के पुनर्गठन पर दुबारा विचार किया जाना चाहिए तथा जिन लोगों की भाषा के आधार पर मांग न्यायसंगत है, उस राज्य की स्थापना की जानी चाहिए।

(13) **सन्तुलित आर्थिक विकास (Balanced Economic Deveopment):** राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के लिए यह आवश्यक है कि देश के सभी क्षेत्रों का योजनाबद्ध आर्थिक विकास किया जाए। पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास बड़ी तेजी से किया जाना चाहिए।

(14) **साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध (Ban on Communal Organisations):** राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को बनाए रखने के लिए साम्प्रदायिक संगठनों एवं दलों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाने चाहिए।

## fu"d"k

## (Conclusion)

इसमें सन्देह नहीं कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या आज एक गम्भीर चुनौती बनी हुई है। लेकिन यह कृत्रिम अधिक है और इसके लिए देश के राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं क्योंकि अपने तुच्छ और संकुचित राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए वे राष्ट्रीय हितों को आज तक पलीता लगाते रहे हैं। इसके विपरीत भारत के सभी निवासियों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावनाएं अन्तर्निरित हैं। चीनी हमले और पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों के दौरान यह प्रभावी रूप से प्रकट हुई हैं। अतः अब सभी देशवासियों को एकजुट होकर राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिए। क्योंकि इस पर ही अपने देश का अस्तित्व और इसकी प्रगति एवं विकास निर्भर है।

जबतक देश में साम्प्रदायिकता, प्रादेशिकता, भाषावाद और जातिवाद के खतरे बने रहेंगे, सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय एकीकरण का अभाव बना रहेगा और देश के विकास में बाधाएं आती रहेंगी। आवश्यकता इस बात की है कि देश के सभी प्रदेशों व क्षेत्राों तथा जनता के सभी वर्गों का सन्तुलित और समान रूप से आर्थिक व औद्योगिक विकास हो, जिससे कि किसी भी प्रदेश और वर्ग के लोगों को इस आधार पर कोई शिकायत न रहे।

**भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर किए गए विभिन्न प्रयास (Efforts made at government and non-government levels to promote national integration in India)**

भारत में राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को बनाए रखने के लिए समय–समय पर जो प्रयास किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं–

(1) ***राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन, 1961 (National Integration Conference, 1961):*** पं० जवाहर लाल नेहरु की प्रेरणा से 28 सितम्बर, 1961 को राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन हुआ, जिससे राष्ट्रीय एकता की समस्या पर विचार किया गया। जो मुख्य निर्णय लिए गए, वे इस प्रकार थे – प्रथम, प्रत्येक व्यस्क नागरिक यह प्रतिज्ञा करें कि वह झगड़े का निपटारा शान्तिपूर्वक ढंग से करेगा। दूसरे, शिक्षा पद्धति में इस प्रकार सुधार लाया जाए जिससे हिन्दी का विकास हो। तीसरे, राजनीतिक दलों, समाचार पत्रों, छात्रों और जनता के लिए आचार संहिता को निश्चित किया जाए। चौथे, आर्थिक विकास में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(2) ***राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन, 1968 (Re-orgnaisation of National Integration Council, 1968):*** भारत सरकार ने मार्च, 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थापना की, जिससे सभी क्षेत्रों के 55 सदस्य थे। जून, 1968 में इसकी बैठक हुई, जिससे निम्नलिखित विषयों पर सुझाव दिए गए थे।

(3) ***राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सात–सूत्री कार्यक्रम (Seven Point Action Programme for National Integration):*** जून, 1975 में आन्तरिक आपातकालीन घोषणा के बाद श्रीमति गांधी ने राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर विचार करने के लिए दो समितियों का गठन किया। इनमें एक समिति के अध्यक्ष ब्रह्मानन्द रेड्डी

और दूसरी समिति के अध्यक्ष प्रो० नुरुल हसन थे। ब्रह्मनन्द रेड्डी की अध्यक्षता में 28 नवम्बर, 1976 को दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय एकता के लिए सात–सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया। ये सात सूत्र–छात्र हिंसा, औद्योगिक सम्बन्ध, उग्रपंथियों की हिंसा, अल्पसंख्यक, हरिजनों से अच्छा बर्ताव, अनुसूचित जन–जातियों तथा क्षेत्रीय समता से सम्बन्धित है।

(4) ***हम एक हैं, प्रदर्शनी का आयोजन (We are One Organised Exhibition):*** 1979 में गांधी जयन्ती के अवसर पर 'हम एक हैं' प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिससे यह दिखलाया गया कि भारत की एकता को बनाए रखने के लिए क्या किया जाए।

(5) ***राष्ट्रीय एकता और अखण्डता (National Integration and Unity):*** राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए जहाँ सरकार की ओर से प्रयत्न होते रहे हैं, वहाँ अनौपचारिक संगठनों जैसे इन्सानी बिरादरी तथा अखिल भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है।

## fu"d"k

## (Conclusion)

भारत एक विशाल देश है। भारत में संविधान के अन्तर्गत लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद की धारणा को अपनाया गया है। वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्र काफी गम्भीर अवस्था में से गुजर रहा है। इसलिए यह अनिवार्य है कि राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की सिफारिशों को वास्तविक रूप देने के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक प्रकार के ऐसे कदम उठाए जाए, जिससे भारतीय लोगों का भावनात्मक तथा राष्ट्रीय एकीकरण हो सके।

# vH;kl&iz'u

# (Exercise-Questions)

## fucU/kkRed iz'u (Essay Type Questions)

1. राष्ट्र की परिभाषा दीजिए। राष्ट्र अथवा राष्ट्रीयता के निर्माण के तत्वों का वर्णन कीजिए।

   Define Nation. Discuss the factors which promote the feeling of nation or nationality.

2. राष्ट्र–निर्माण के मुख्य तत्व कौन–से हैं? राष्ट्र–निर्माण में राज्य की भूमिका का वर्णन कीजिए।

   What are the elements of Nation-building? Discuss the role of state in Nation-building.

3. राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अभिप्राय है? भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए।

   What do you mean by National Integration. Discuss the various dimensions or aspects of National Integration in India.

4. भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में कौन–कौन सी बाधाएँ है? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?

   What are the obstacles in the way of National Integration in India? How can they removed?

5. भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उठाये गये कदमों का वर्णन कीजिए।

   Discuss the various steps taken for National Integration in India.

# v/;k; 13

# miHkkDrk lqj{k.k

# (Consumer Protection)

- उपभोक्ता कौन है?
- उपभोक्ता की समस्याएँ
- उपभोक्ता संरक्षण–विश्वव्यापी आंदोलन
- उपभोक्ता संरक्षण की व्यवस्थाएं

*आधुनिक राज्य एक लोककल्याणकारी राज्य है, जिसमें सरकार को जनता की भलाई तथा हितों की रक्षा के लिये अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इस राज्य में उपभोक्ताओ के हितों का संरक्षण करना भी सरकार की अहम कार्यों में से एक है। उपभोक्ता के साथ वस्तुओं की गुणवता तथा मात्रा में कमी तथा उनकी कीमतों के आधार पर शोषण किया जाता है। कई बार नौकरशाही की सेवाओ के निरंकुश व्यवहार के कारण उपभोक्ताओं को भारी समस्याओ का सामना करना पड़ता है; जैसे टेलीफोन की लाईन खराब होने, बिजली की लाईन खराब होने, पानी की सप्लाई खराब होने आदि पर प्रायः उपभोक्ता सरकारी नौकरशाहों के अनुचित व्यवहार का शिकार रहते हैं। इसके अतिरिक्त किसी विशेष उद्योग के क्षेत्र में किसी एक अथवा दो कंपनियो की स्थिति इतनी प्रभावी तथा महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि लोगों को उन्हीं का बनाया हुआ सामान खरीदना पड़ता है, चाहे उस वस्तु का मूल्य कितना ही महंगा तथा गुणवत्ता घटिया क्यों न हो। अतः उपभोक्ताओं के इस शोषण से संरक्षण के लिये भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा के अनुसार समय–समय पर विभिन्न कानून बनाए गये। इन कानूनों की अधीन सरकार के द्वारा नागरिकों के हितों के संरक्षण हेतु विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है।*

## miHkkDrk dkSu gS\

## (Who is Consumer?)

भारत सरकार द्वारा पारित सुरक्षा अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act 1986) के अनुसार उपभोक्ता की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो मूल्य के एवज में वस्तु खरीदता है या किसी प्रकार की सेवा प्राप्त करता है, वह व्यक्ति कानून की दृष्टि में उपभोक्ता है। कुछ वर्ष पूर्व तक माल खरीदने वाले व्यक्ति की जिम्मेवारी होती थी कि वह माल की मात्रा तथा गुणवता की जांच कर खरीदे क्योंकि उस समय वस्तुओं की किस्में इतनी जटिल नहीं होती थी और उनकी जाँच–पड़ताल की जा सकती थी। लेकिन आज के वैज्ञानिक व तकनीकी के दौर में वस्तुओं की भरमार तथा जटिलता के कारण उपभोक्ता के लिये वस्तुओं की जाँच–पड़ताल करना कठिन ही नहीं असंभव हो गया है। अतः उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक बन गया है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में विक्रेता भी अपने बेचे गये माल के लिये उत्तरदायी है और उसे भी उन शर्तों का ध्यान रखना चाहिए, जिन पर वह माल बेच रहा है। अतः राज्य तथा अन्य संस्थाओं द्वारा व्यापारी या अन्य एजेंसियों के द्वारा उपभोक्ता के शोषण को समाप्त करना तथा हितों का संरक्षण ही उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है।

# miHkkDrk dh leL;k,¡
# (Problems of Consumers)

उपभोक्ता को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी वे बेईमान दुकानदारो द्वारा परेशान किए जाते हैं तो कभी लुभावने स्कीमों और पुरस्कारों द्वारा उन्हें ठगा जाता है। आइये हम उपभोक्ताओं की समस्याओं के बारे में पढ़े–

1. वस्तुओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। व्यापारी वर्ग और दुकानदार विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन विज्ञापनों में दी गई जानकारी हमेशा सही नहीं होती और अक्सर विज्ञापन लुभावने तो अधिक होते हैं किंतु वस्तुएं घटिया होती है। इस प्रकार गलत विज्ञापनों द्वारा ग्राहकों को ठगा जाता है।

2. जिस प्रकार व्यापारी–विज्ञापनों का इस्तेमाल ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए करते हैं, उसी प्रकार वे दूसरे साधनों का सहारा लेते हैं। इनमें ''सेल'' (Sale) और ''स्कीम'' (Scheme) काफी प्रचल में है। ''सेल'' में दुकानदार यह दावा करता है कि वह वस्तुओ को अपने अंकित मूल्य से कम पर बेच रहा है। अखबारो ंके पन्ने आए दिन ''सेल'' की विज्ञापनों से भरे रहते हैं। लेकिन अक्सर, जिस माल पर ''सेल' का दावा किया जाता है वह घटिया होता है या उस वस्तु की कीमत वास्तव में कम की ही नहीं जाती। इस प्रकार की चीजें खरीदकर ग्राहक धोखा खाता है।

   आजकल, एक और साधन ''स्कीम'' है जिसके द्वारा विक्रेता यह प्रचार करता है कि अमुक चीज खरीदने पर कोई दूसरी वस्तु पुरस्कार में दी जाएगी। किंतु वास्तविकता यह होती है कि या तो अधिकांश वस्तुओ पर कोई पुरस्कार ही नहीं निकलता या निकलता भी तो बड़ा मामूली और बेकार। इस प्रकार विक्रेता एक तरह से ग्राहक को बेवकूफ बनाकर अपने माल बेचने में सफल हो जाते हैं।

3. नकली माल की बिक्री की खबर भी हमेशा ही समाचार पत्रों से मिलती रहती है। कुछ व्यापारी बड़ी तथा स्थापित नामों (Branded) वाली कंपनियों की चीजों से मिलती–जुलती वस्तुएं तैयार कर लेते हैं। ये वस्तुएं घटिया प्रकार की होती है और कभी–कभी तो ग्राहकों के जान को खतरा भी पहुंचा सकती है। नकली जीवन रक्षक दवाओं से कई जाने जाती है। उसी प्रकार नकली बिजली के उपकरणों से लोगों की मृत्यु तक विद्युत झटकों से हो जाती है। नकली चीजों की कोई गुणवत्ता नहीं होती। इसको एक तरफ जहां ग्राहकों को क्षति पहुंचती है वही व्यापारी काफी मुनाफा कमाते हैं क्योंकि वे घटियां माल की काफी ऊँचे दाम पर बेचने में सफल हो जाते हैं।

4. मिलावट के द्वारा भी ग्राहकों को छला जाता है। व्यापारी खाद्य सामग्रियों में भी उनकी मात्रा बढ़ाने और लागत मूल्य कम करने के लिए मिलावट करते हैं। ये अक्सर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह एक गंभीर समस्या है।

5. उपभोक्ताओं को सभी चीजों की गुणवत्ता की जांच करने की जानकारी नहीं होती है। अतः सरकार ने वस्तुओ की गुणवत्ता और उसकी विश्वसनीयता निश्चित करने के लिए अनेक चिन्ह को मानकों के रूप में इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। इसके अतिरिक्त गलत मानक–चिन्हों या गुणवत्ता की स्तर को प्राप्त किए बिना उनका इस्तेमाल गैर कानूनी है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि अनेक कोशिशों के बावजूद अनेक उत्पादों पर ऐसे कोई चिन्ह नहीं होते और कई बार होते भी है तो गलत होते हैं।

6. सरकार की कोशिश रहती है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और उनके मूल्य स्थिर रहे। मूल्य स्थिर होने से लोगों के ठगे जाने की संभावना कम होती है किंतु कई बार उत्पादों और वस्तुओं की कृत्रिम कमी सिर्फ इसलिए कर दी जाती है ताकि मूल्यों मे ंवृद्धि कर अधिकाधिक मुनाफा कमाया जा सके। इससे भी उपभोक्ताओं का शोषण होता है।

7. एकाधिकार उपभोक्ता शोषण को बढ़ावा देती है। एकाधिकार वह स्थित है जिसमें एक उत्पादक या सेवा प्रदात्ता (Service Provider) होता है और ग्राहकों की संख्या अधिक होती है। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी उत्पादक ग्राहकों को अपनी शर्तों पर नचाता है और मनमानी वसूल करता है।

8. सरकार उपभोक्ताओं को कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करती है। इसमें लोगों को सरकारी कर्मचारियों और नौकरशाहों से दो–चार होना पड़ता है। प्रायः उपभोक्ता सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के शोषण का शिकार होते हैं। वे उन्हें सेवाओं के बदले रिश्वत लेते हैं।

## miHkksDrk laj{k.k&fo'o0;kih vkanksyu
## (Consumer Protecion-A Worldwide movement)

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना एक जरूरत बन गया है। इसलिए विश्व के सभी देशों ने अपने–अपने देशों में कानून बनाए हैं। किंतु आज का युग संचार का युग है। विश्व छोटा हो गया है। ऐसी स्थिति में विभिन्न देश अपने में आत्मनिर्भर नहीं है और एक दूसरे पर निर्भर है। अतएव, उपभोक्ता संरक्षण का मुद्दा सिर्फ राष्ट्रीय न रहकर, अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। इसी उद्देश्य से 9 अप्रैल, 1985 ई० में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा (UN General Assambly) ने उपभोक्त संरक्षण संबंधी कानून पारित करने विश्व की सरकारों के लिए कुछ दिशा निदेश जारी किए जिसके अनुसार–

(i) देशों से कहा गया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कानून बनाया जाए।

(ii) उत्पादकों के नैतिक स्तर को सुधारने का प्रयत्न किया जाए और अनुचित आचरण के लिए उचित निरोधक उपाय किए जाए

(iii) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और इसके लिए उत्पादन और वितरण सुव्यवस्थित किया जाए।

(iv) उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बल दिया जाए।

इस दिशा में अमेरिका आदि देशों ने कार्रवाई की और निम्न कानूनों को पारित किया–

1. शेरमान एक्ट, (Shaerman Act, 1890)
2. Consumer Credit Protection Act
3. Consumer learning Act
4. Poison Prevnetion Act
5. Australian Industries Act, 1965
6. England's Fair Trading Act
7. Consumer Protection Act of England, 1987.

भारत ने इस दिशा में निम्न कानून पारित किया–

1. आवश्यक वस्तुओं संबंधी कानून, 1955 (Essential Commodities Act, 1955)
2. अजारेदारी एवं सीमितकारी व्यवसायिक व्यवहारों संबंधी अधिनियम (The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 या MRTP)
3. माप तोल संबंधी अधिनियम, 1976 (The standard weight & Measures Act, 1976
4. खाद्य में मिलावट रोक संबंधी कानून (The Prevention of Food Adulteration Act)
5. काला धंधा रोक एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति संबंधी कानून (The prevention of Black Marketing, Maintenance and supplies of essential commodities Act, 1980)
6. उपभोक्ता संरक्षण कानून (Consumer's Protection Act, 1986)
7. उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम, 1993 (Consumer Protection Amendment Act, 1993)

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून तो बना दिये हैं किंतु महत् कानून बना देने से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा संभव नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उपभोक्ताओं को जागरुक बनाया जाए। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के संगठनों को अधिक सशक्त बनाने तथा विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है।

## miHkkDrk l¡j{k.k dh 0;oLFkk,¡
## (Provisions for Consumer Protection)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, 1986 ई० में भारत सरकार ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। इसके अंतर्गत अनेक प्रावधान हैं, जिनमें प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैः–

(i) **उपभोक्ता सुरक्षा परिषदें (Consumer Protection Councils) :** उपभोक्ता संरक्षण कानून तथा 1993 के संशोधन अधिनियम में दो प्रकार के सुरक्षा परिषदों का प्रावधान है।

(क) केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद (Central Consumer Protection Council)

(ख) राज्य उपभोक्ता सुरक्षा परिषद (State Consumer Protection Act)

दोनों परिषदों का कार्य केन्द्रीय व राज्य सरकार को उपभोक्ता की हितों की रक्षा और संवर्धन के संबंध में सिफारिशें देना है। राज्य परिषद राज्य सरकार को तथा केन्द्रीय परिषद केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

(क) ***केन्द्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद (Central Consumer Protection Council) :*** केंन्द्रीय सरकार अपने आदेश के द्वारा 150 सदस्यी एक समिति का गठन करती है जिसे केन्द्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद या केन्द्रीय परिषद भी कहते हैं। ये परिषद उपभोक्ताओं, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों, महिला प्रतिनिधियों, जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्वों, व्यापारियों एवं किसानों के प्रतिनिधियों तथा कुछ नौकरशाहों से मिलकर बनती है। इसके सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार करती है। इस परिषद की सरंचना निम्नलिखित है।

*अध्यक्ष*–केन्द्रीय सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति–विभाग का मंत्री इस परिषद का पदेन (ex-officio) अध्यक्ष होता है।

*उपाध्यक्ष*–केन्द्रीय सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का राज्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। यदि वह विभाग का स्वतंत्र प्रभारी है तो उस विभाग का उपमंत्री परिषद का उपाध्यक्ष होता है।

*सचिव*– सभी राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का सचिव इस परिषद का सचिव होता है।

*सदस्य*–

(i) पांच लोक सभा सदस्य तथा तीन राज्य सभा सदस्य।

(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का आयुक्त।

(iii) उपभोक्ता मामलों से संबंधित केन्द्रीय विभागों के 20 सदस्य।

(iv) उपभोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों के 35 सदस्य।

(v) उपभोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 सदस्य।

(vi) महिलाओं के कम से कम 10 प्रतिनिधि।

(vii) किसानों, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को अधिक से अधिक 20 सदस्य।

*परिषद का कार्यकाल*–परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है पर इसके सदस्य 3 साल से पहले त्यागपत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकते हैं। उनका त्यागपत्र परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित होता है। त्यागपत्र से उत्पन्न खाली जगह बाकी बचे समय के लिए भर दिए जाते हैं।

गैर सरकारी सदस्यों को रेलवे में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्राप्त है।

*परिषद की कार्यशैली*–उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार केन्द्रीय परिषद की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी और इसकी अध्यक्षता परिषद का अध्यक्ष करेगा। उसकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपाध्यक्ष तथा उसकी भी अनुपस्थिति में यह कार्य परिषद के सदस्यों द्वारा चयनित अध्यक्ष करेगा। केन्द्रीय परिषद बैठक के लिए कम से कम 10 दिनों का नोटिस देगी। सरकार को सिफारिशें देने के लिए परिषद कार्यकारी ग्रुप बनाएगी जो उसे सौपे गए कार्य के संबंध में परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

*परिषद की शक्तियां*–केन्द्रीय परिषद को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं–

1. उपभोक्ताओं की सुरक्षा का अधिकार
2. किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार
3. व्यापार संबंधी शिकायतें सुनने का अधिकार
4. सुनवाई करने का अधिकार
5. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
6. चयन करने का अधिकार

(ख) ***राज्य उपभोक्ता सुरक्षा परिषद (State Consumer Protection Coucil) :*** उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम में राज्य उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के निर्माण का प्रावधान है। ये राज्य स्तर की समिति होती है। जिसका गठन प्रत्येक राज्य सरकार करती है। संबंधित राज्यों के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राज्य परिषद की बैठक एक वर्ष में 2 बार अवश्य होती है और इसकी अध्यक्षता राज्य परिषद का अध्यक्ष करता है।

*उपभोक्ता झगड़े निवारण संगठन (Counsumer disputes Redressal Agencies):* जैसे कि हमने पहले देखा है कि उपभोक्ता की अनेक समस्याएं हैं और इनका निवारण आवश्यक है। उपभोक्ता सामग्रियों और सेवाओं से संबंधित विभागों के निपटारे के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में एक त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार जिला स्तर पर जिला स्तरीय फोरम, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय फोरम (State Level Commission) और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तरीय आयोग (National Level Commission) की व्यवस्था की गई है।

1. जिला स्तरीय फोरम (District Level Forum) : उपभोक्ता हितों की रक्षा और झगड़े के निपटारे हेतु राज्य सरकार एक या एक से अधिक जिलों को मिलाकर उनके लिए जिला फोरम स्थापित कर सकती है।

   सरंचना (Composition) : जिला फोरम एक तीन सदस्यी संगठन होता है। इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। जिला फोरम का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जो जिला न्यायधीश बनने की योग्यता रखता हो। जिला फोरम के दो अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें शिक्षा, कानून, व्यापार, लेखा आदि विषयों में विशेष ज्ञान व अनुभव हो। इन दो सदस्यों में एक का महिला होना अनिवार्य है।

   सदस्यों की नियुक्ति (Appointment of Members) : जिला फोरम के सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर होता है। इस चयन समिति में राज्य आयोग का अध्यक्ष, राज्य के कानून विभाग का सचिव तथा राज्य में उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग के सचिव होते हैं।

   *सदस्यों का कार्यकाल व सेवा शर्तें (Time and Service Condition)* : जिला फोरम के सदस्यों की नियुक्ति पाँच वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक इनमें जो भी हो, के लिए की जाती है। कोई भी सदस्य दूसरी बार जिला फोरम का सदस्य नहीं नियुक्त हो सकता है।

सदस्यों की सेवा शर्तें और वेतन राज्य सरकार निश्चित करती है।

जिला फोरम का क्षेत्राधिकार (Juridiction of Distric Forum) : जिला फोरम का अधिकार क्षेत्र संबंध जिले तक या संबंध जिले समूह, जिसके लिए वह गठित किया गया है, तक होता है। इनमें जिले के सीमा के अन्तर्गत उन विवादों की शिकायत की जा सकती है जो 5 लाख रुपये या इससे अधिक राशि के हों। शिकायत विवाद की तिथि के दो वर्ष के भीतर दर्ज कराई जानी चाहिए।

निम्न प्रकार की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है–

(i) वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के कमी होने पर

(ii) व्यापारी या विक्रेता द्वारा गलत तरीके अपनाए जाने पर

(iii) ऐसे मालों की बिक्री पर जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो।

(iv) यदि उपभोक्ता को व्यापारी या विक्रेता के कारण नुकसान पहुंचा हो।

(v) उपभोक्ता से निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल किए जाने पर।

शिकायत दर्ज करने का ढंग (Manner of Complainaing) : निम्नलिखित व्यक्ति या संगठनों द्वारा जिला फोरम में शिकायतें दर्ज की जा सकती है–

(i) पीड़ित उपभोक्ता/उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं शिकायत दर्ज की जा सकती है।

(ii) मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन शिकायत दर्ज कर सकता है।

(iii) केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है।

जिला फोरम की कार्यशैली तथा निर्णय : जिला फोरम एक असैनिक न्यायालय की तरह कार्य करता है और प्रत्येक पक्ष को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कम से कम 30 दिन और अधिक से अधिक 45 दिन का समय देता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला फोरम निम्नलिखित प्रकार के आदेश जारी कर सकती है–

(i) उत्पाद की कमी को दूर किया जाए।

(ii) उत्पाद को बदला जाए।

(iii) उत्पाद की कीमत वापस की जाए।

(iv) उपभोक्ता को फोरम द्वारा निश्चित किया गया मुआवजा दिया जाए

(v) सेवा की कमियों को दूर किया जाए।

(vi) खतरनाक माल की बिक्री बंद की जाए।

(vii) गलत तरीके से व्यापार बंद किया जाए।

(viii) उपभोक्ता द्वारा किए गए व्यय वापस किया जाए।

2. राज्य स्तरीय आयोग (State Level Commission) : उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय आयोग का गठन किया जाता है।

सरंचना (Composition) : राज्य आयोग में तीन सदस्य होते हैं इनमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं। राज्य आयोग का अध्यक्ष राज्य सरकार, राज्य के उच्च–न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के सिफारिशों के आधार पर करती है। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रहा हो या इसकी योग्यता रखता हो। राज्य स्तरीय आयोग के दो अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें व्यापार, अर्थशास्त्र, प्रशासन आदि का विशेष ज्ञान तथा अनुभव हो। इन दो सदस्यों में से एक का महिला होना अनिवार्य है।

सदस्यों की नियुक्ति (Appointment of members) : राज्य आयोग के सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर होता है, इस चयन समिति में राज्य आयोग का अध्यक्ष, राज्य के कानून विभाग का सचिव तथा राज्य के उपभोक्ता मामलों के सचिव होते हैं।

*सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें* : राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए अथवा 67 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी छोटा हो, के लिए की जाती है। कोई भी सदस्य दूसरी बार राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं हो सकता।

सदस्यों की सेवा शर्तें तथा वेतन राज्य सरकार तय करती है।

राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार (Juridiction of State Commisison) : राज्य आयोग राज्य की सीमा के अंतर्गत हुए विवादों की सुनवाई करती है। कुछ मामले सीधे राज्य आयोग के पास दर्ज किए जा सकते हैं। जबकि कुछ जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग में दर्ज किए जाते हैं।

5 लाख से 20 लाख के मामले सीधे राज्य आयोग में दर्ज किए जाते हैं। इसे राज्य आयोग का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (Original Juridiction) कहते हैं। जिला फोरमों के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील राज्य आयोग में दर्ज किए जाते हैं उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं।

राज्य आयोग की कार्यशैली तथा निर्णय : राज्य आयोग एक असैनिक न्यायालय की तरह कार्य करता है। किसी शिकायत कर्त्ता के शिकायत पर वह प्रतिवादी को अपने समक्ष उपस्थित होने तथा संबंधित कागजात प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। राज्य आयोग अपने आदेशों की अवहेलना के लिए दोषी को एक से तीन महीने तक की कैद की सजा दे सकता है।

3. राष्ट्रीय स्तरीय आयोग (National Level Commission) : भारत सरकार उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की आयोग का गठन करती है।

सरंचना (Composition) : राष्ट्रीय आयोग में पाँच सदस्य होते हैं इसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रह चुका हो या होने की योग्यता रखता हो। चार अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें आर्थिक कानून, लेखा, आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान तथा अनुभव हो। इन चार सदस्यों में किसी एक का महिला होना आवश्यक है।

सदस्यों की नियुक्ति (Appointment of Members) : राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। इस चयन समिति में आयोग के अध्यक्ष, भारत सरकार के कानूनी मामलों का सचिव, तथा भारत सरकार में उपभोक्ता मामलों में विभाग के सचिव होते हैं।

सदस्यों का कार्यकाल व सेवा शर्तें : इसके सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु तक अथवा इनमें जो भी छोटा हो, के लिए की जाती है। कोई भी सदस्य दूसरी बार नियुक्त नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश के समान वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। अन्य सदस्यों को 6 हजार रुप्ये का मासिक पारिश्रमिक मिलता है। इसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं।

राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार (Juridiction of National Commission) : इसे भी प्रारम्भिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 20 लाख से अधिक के मामलो, राष्ट्रीय आयोग में दर्ज होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय

सुनवाई का अधिकार भी है। राष्ट्रीय आयोग चाहे तो किसी राज्य आयोग को किसी मामले को उसके पास भेजने का आदेश दे सकता है।

राष्ट्रीय आयोग की कार्यशैली व निर्णयः राष्ट्रीय आयोग एक असैनिक न्यायालय की तरह कार्य करता है और यहां निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाता है। राष्ट्रीय आयोग दिल्ली में स्थित है। अपने निर्णय की अवहेलना के लिए दोषी व्यक्ति को 1 से 3 वर्ष की सजा दे सकती है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

## vH;kl&i'u
## (Exercise-Questions)

### fuc/kkRed i'u (Essay Type Questions)

1. उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है? एक उपभोक्ता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

   What is meant by consumer protection? Discuss the various problems which the consumer has to face.

2. उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए गठित विभिन्न व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए।

   Explain the different provisions made for solving the problem faced by the consumers.

# v/;k; 1

# राजनीतिक सिद्धान्तः अर्थ, प्रकृति तथा महत्त्व
# (Political Theory: Meaning, Nature and Significance)

## लघुतरात्मक प्रश्न
## Short Answer Type Questions)

**1. राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान है जिसमें राजनीति का अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान। यानि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हुआ राज्य द्वारा सार्वजनिक हित के विष्यों पर लिये जाने वाले निर्णयों के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान करना या खोज करना।

विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक सिहांत की भिन्न–भिन्न परिभाषाएं दी हैं।

**डेविड हेल्ड (David Held) के अनुसार–**"राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन राज्य और समाज की प्रकृति व सदयों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमतओं का विवरण शामिल है।"

**कोकर के अनुसार**– "जब राजनीतिक शासन उसके रूप एवं उसकी गतिविधयों का अध्ययन केवल अध्ययन या तुलना मात्र के लिये ही नहीं किया जाता अथवा उनको उस समय के लिये अस्थायी प्रभावों के संदर्भ में ही नहीं आंका जाता बल्कि इनको लोगों की आवश्यकताओं इच्छाओं एवं उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं को समझा व इनका मूल्य आंका जाता है। तब हम इसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं।"

**एण्ड्रयु हैकर के अनुसार–** "राजनीतिक सिद्धांत एक ओर बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य तथा समाज की तलाश है तो दूसरी ओर राजनीतिक एवं सामाजिक वास्तविकतओं की पक्षपात रहित जानकारी का मिश्रण है।"

**जर्मिनों के अनुसार–** राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक आस्तित्व की उचित व्यवस्था के सिद्धान्तों का आलोचनात्मक अध्ययन है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः दार्शनिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन हो। राजनीतिक सिद्धांत में अवलोकन, व्याख्या तथा मुल्यांकन तीन तत्व शामिल है। राजनीतिक सिद्वांतों को एक ऐसी गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है जो व्यक्ति के सार्वजनिक और सामुदायिक जीवन से प्रश्न पुछती है। उसके उचित उत्तर का तलाश करती है तथा काल्पनिक विकल्पों का निर्माण करती है।

**2. राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र से संबंधित किन्हीं चार विषयों का उल्लेख कीजिए।**

**उत्तरः** इस युग में मनुषय के जीवन का कोई भी पहलू राजनीति से अछुता नहीं रह गया है। उदारवादियों ने राज्य तथा राजनीति का संबंध केवल सरकार तथा नागरिकों तक ही रखा है, जबकि मार्क्सवादियों ने उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व माना है। आज के नारीवादी लेखक पारिवारिक तथा घरेलू मामलों में भी राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। राजनीतिक–सिद्धांत–शास्त्रियों को अब बहुत से विषयों के बारे में सिद्धांतों का निर्माण पड़ता है।

राजनीतिक सिंद्धांत से संबंधित उसके चार कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं।

(1) **राज्य का अध्ययन**–प्राचीनकाल से ही राज्य की उत्पति प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र के बारे में विचार देता रहा है, जैसे राज्य की उत्पति कैसे हई उसका विकास कैसे हुआ तथा नगर राज्य के समय से लेकर अब तक के राष्ट्रीय राज्य के रूप में पहुंचने तक इसके स्वरूप का किस तरह विकास हुआ। इसलिए राज्य से संबंधित प्रत्येक गतिविधि को राजनीतिक सिद्धांत की कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है।

(2) **सरकार का अध्ययन**–सरकार ही राज्य का वह तत्व है जिसके द्वारा राज्य की अभिव्यक्ति होती है। सरकार के तीन अंग व्यवस्थापिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका माने गये हैं। राजनीतिशास्त्र में सरकार के अंग उसके प्रकार तथा उसके संगठन आदि का भी अध्ययन किया जाता है। अतः सरकार भी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है।

(3) **नीति–निर्माण की प्रक्रिया**–आधुनिक विद्वानों के अनुसार नीति–निर्माण प्रक्रिया का भी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में अध्ययन किया जाना चाहिए। इस विषय में उन सब साधनों का अध्ययन होना चाहिए जो शासकीय नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इस प्रकार विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के शासन संबंधी कार्यों, मतदाताओं, राजनीतिक दल उनके संगठन तथा उनको प्राभावित करने वाले ढंग का अध्ययन भी किया जाता है।

(4) **मानव व्यवहार का अध्ययन**–राजनीति के आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक व्यवहार को राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय माना है। आधुनिक विद्वानों जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत के विषय का अध्ययन करते हैं उनकी अपनी प्रकृतियां और इच्छाएं होती हैं जिनके अनुसार उसका राजनीतिक व्यवहार नियंत्रित होता है। इस प्रकार राजनीति मनुष्य व्यवहार के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं।

**3. परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की किन्ही चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास काफी पुराना है। मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा जा सकता है।

क. शास्त्रीय या परंपरागत राजनीतिक सिद्वांत

ख. आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत

परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित लेखकों में प्लेटो, अरस्तु, हाव्स, लॉक, केंट, हीगल, कार्ल मावर्स आदि का नाम उल्लेखनीय है। जबकि वर्तमान शताब्दी में लार्ड ब्राइस, मैकाइवर तथा लास्की का भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की चार विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

1. **मुख्यतः वर्णनात्मक अध्ययन**–परंपरागत सिद्धांत या चिंतन की मुख्य विशेषता यह कि यह मुख्यतः वर्णनात्मक है। इसका अर्थ यह है कि इसमें राजनीतिक संस्थाओं का केवल वर्णन किया गया है। अतः न तो व्याख्यात्मक है न प्रयोगात्मक है न विश्लेषणत्मक और न ही इसके माध्यम से राजनीतिक समस्या का समाधान हो पाया है।

2. **मुख्यतः कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन**–परंपरागत अध्ययन मुख्यतः विधि तथा संविधान द्वारा निर्मित औपचारिक संस्थाओं से संबंधित था। उस काल के लेखकों ने इस बात को समझने का प्रयास नहीं किया कि संस्था के औपचारिक रूप से बाहर यानि अनौपचारिक रूप से उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाय। जिससे उसके विशिष्ट व्यवहार का परिक्षण किया जा सके।

3. **मुख्यतः आदर्शात्मक अध्ययन**–परंपरागत चिंतकों के ग्रन्थों को पढ़ने से यह पता चलता है कि वे मानवीय उद्गम (Normative Approach) का सहारा लेकर आदर्श राज्य की रचना का प्रयास किया। मानवीय उद्गम का अर्थ यह है कि पहले मास्तिष्क में किसी विशेष प्रकार के आदर्श की कल्पना कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को व्यवहारिक रूप देने के लिये सिद्धांत का निर्माण किया जाता

है। इस अध्ययन पदृति को अपनाने वाले लेखकों में प्लेटो, हॉब्स, रूसो, थाटे तथा हीगल आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

4. **परंपरागत चिंतन या सिद्धांत पर दर्शन, धर्म तथा नीतिशस्त्र का प्रभाव**–परंपरागत चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे दर्शन तथा धर्म से प्रभावित रहे हैं तथा उनमें नेतिक मूल्य विद्यमान रहे हैं।

**4. आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की किन्हीं चार प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान आनुभाविक पद्धति (Empirical Methods) ने दिया। इन पद्धतियों में इस बात पर बल दिया गया है कि राजनीति के अध्ययन के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाय और तथ्यों तथा आँकड़ों पर विशेष बल दिया जाए।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है।

1. **विश्लेषणात्मक अध्ययन**–आधुनिक लेखकों ने विश्लेषणत्मक द्वष्टिकोण को अपनाया है। उन्होंने व्यक्तियों व संख्याओं के वास्तविक व्यवहार को समझने के लिये अनौपचारिक संरचनाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं व व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया। ईस्टन, डहल, बेबर तथा आमण्ड इत्यादि अनेक विद्वानों ने व्यक्ति के कार्यों व उसके व्यवहार पर अधिक बल दिया है क्योकि उनके विश्लेषण करने से राजनीतिक व्यवस्था को समझना आसान था।

2. **अध्ययन की अन्त शास्त्रीय पद्धति**–आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था की अनेक उप–व्यवस्थाओं में से एक है और उन सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन अलग अलग नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था पर समाज की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आदि व्यवस्थाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अतः हमें किसी समाज की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक ढंग से समझने के लिये उस समाज की आर्थिक सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। यही पद्धति अन्तः शास्त्रीय पद्धति कहलाती है।

3. **अनौपचारिक कारकों का अध्ययन**–आधुनिक विद्वान राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिये उन सभी अनौपचारिक कारकों का अध्ययन करना आवश्यक समझते हैं जो राजनीतिक संगठन के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वह जनमत, मतदान, आचरण, विधानमंडल कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दवाब समूह, तथा जनसेवकों के अध्ययन पर भी बल देते हैं।

4. **आनुभाविक अध्ययन**–राजनीति के आधुनिक विद्वानों ने राजनीति को शुद्ध विज्ञान बनाने के लिये राजनीतिक तथ्यों के माप तोल पर बल दिया है। यह तथ्य प्रधान अध्ययन हैं जिसमें वार्स्तावकतओं का अध्ययन होता है।

**5. राजनीतिक सिद्धांत की कोई चार उपयोगिता बताइए। अथवा राजनीतिक सिद्धांत के कोई चार उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के समक्ष आने वाली सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढ़ना है। यह मनुष्य के सामने आने वाली कठिनाईयों की व्यास्था करता हैं तथा सुभाव देता है जिससे की मनुष्य अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सके।

राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के महत्व (उद्धेश्य) को निम्नलिखित तरीकों से प्रकट किया जा सकता है।

1. **भविष्य की योजना संभव बनाता है**–राजनीतिक सिद्धांत सामान्यीकरण पर आधारित है। अतः यह सिद्धांत वैज्ञानिक होता है इसी आधार पर वह राजनीति विज्ञान को तथा राजनीतिक व्यवहार को भी एक विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। इसके लिये नये नये क्षेत्र ढूढ़ता है तथा नई परिस्थितियों में समस्याओं के समाधान के लिये नये नये सिद्धांत का निर्माण करता है। ये सिद्धांत न केवल

तात्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं बल्कि भविष्य की परिस्थितियों का भी आंकलन करते हैं। इस प्रकार देश व समाज के हितों को भी ध्यान में रखकर भविष्य की योजना बनाना संभव होता है।

2. **समस्याओं के समाधान में सहायक**–राजनीतिक सिद्धांत का प्रयोग शान्ति, विकास, अभाव तथा अन्य सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिये भी किया जाता है। राष्ट्रवाद, अलगाववाद, प्रभुसत्ता, जातिवाद तथा युद्ध जैसी समस्याओं को सिद्धांत की सहायता से ही नियंत्रित किया जा सकता है। बिना किसी सिद्धांत के जटिल समस्यओं को सुलझाना आसान नहीं होता दे।

3. **वास्तविकता को समझने का साधन**–राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। सिद्धांन्तशास्त्री, सिद्धांत के निर्माण करने से पहले समाज में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक परिस्थितियों का तथा समाज की इच्छाओं आकांक्षाओं व प्रकृतियों का अध्ययन करता है। तथा उन्हें उजागर करता है। यह अध्ययन के द्वारा तथ्यों तथा घटनाओं का विश्लेषण करके समाज में प्रचलित कुरीतियों तथा अन्धविश्वासों को उजागर करता है। अतः यह हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकाल देता है।

4. **सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक**–मानव–समाज एक गतिशील समाज है जिसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन समाज के राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर डालते हैं। ऐसे परिवर्तन के विभिन्न पक्षों तथा उनके द्वारा उत्पन्न प्रभावों को समझने के लिये राजनीतिक सिद्धांत सहायक सिद्ध होता है।

## oLrfu"B ¼cg&fodYih½ i:'u
## (Objective Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं उनमें से ठीक उत्तर का चयन कीजिए।

**1. निम्नलिखित में से किसे पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है–**

(क) प्लेटो

(ख) अरस्तु

(ग) मार्क्स

(घ) मैकेयावेली

**2. थ्यूरी (Theory) शब्द की उत्पति थ्योरिया (Theoria) शब्द से हुई है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का है।**

(क) अंग्रेज़ी

(ख) ग्रीक

(ग) ट्यूटोनिक

(घ) फ्रैंच

**3. निम्नलिखित में से किसका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शामिल है–**

(क) राज्य तथा सरकार

(ख) शक्ति

(ग) नारीवाद

(घ) उपरोक्त तीनों

**4. राजनीतिक सिद्धांत को मुख्यतः कितने भागों में बाँटा गया है–**

(क) दो

(ख) तीन

(ग) चार

(घ) पांच

**5. निम्नलिखित में कौन–सा विद्वान आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है–**

(क) हॉबस

(ख) हीगल

(ग) मैकाइवर

(घ) डेविड ईस्टन

**6. निम्नलिखित में कौन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री है–**

(क) डेविड ईस्टन

(ख) लासवेल

(ग) हीगल

(घ) कार्ल पॉपर

**7. निम्नलिखित का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शामिल नहीं है।**

(क) शक्ति

(ख) व्यक्ति तथा राज्य के संबंध

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन

(घ) संपूर्ण समाज का अध्ययन

**8. राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक अत्यन्त अनियांत्रित उपक्षेत्र है'' यह कथन है।**

(क) लासवेल

(ख) वास्बी

(ग) डेविड ईस्टन

(घ) वी.वी. डाइक

**9. निम्नलिखित में राजनीतिक सिद्धांत के तत्व माने जाते है–**

(क) अवलोकन

(ख) व्याख्या

(ग) मुल्यांकन

(घ) उपरोक्त सभी

**10. विकासशील देशों में निम्नलिखित में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति है–**

(क) राजनीतिक सिद्धांत के वैज्ञानिक बना दिया गया है

(ख) राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिकीकरण हो चुका है

(ग) राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने में कोई प्रयास नहीं किये गये है।

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

**11. निम्नलिखित में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का लक्षण नहीं है–**

(क) आदर्शात्मक अध्ययन

(ख) कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन

(ग) वर्णनात्मक अध्ययन

(घ) अन्तः शास्त्रीय पद्धति

**12. निम्नलिखत में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्ण नहीं है–**

(क) आनुभाविक अध्ययन

(ख) विश्लेषणात्मक अध्ययन

(ग) अनौपचारिक कारकों का अध्ययन

(घ) आदर्शात्मक अध्ययन

**13. व्यवहारवादियों का मुख्यतः बल रहा है–**

(क) मुल्यों

(ख) क्या होना चाहिए के अध्ययन पर बल

(ग) मूल्य–विहीन अध्ययन

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

**14. व्यवहारवादियों का संबंध निम्नलिखित से है।**

(क) मानवीय उद्‌गम

(ख) आनुभाविक उद्‌गम

(ग) मानवीय तथा आनुभाविक दोनों

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

**15. राजनीतिक सिद्धांत–**

(क) भविष्य की योजना संभव बनाता है

(ख) समस्याओं के समाधान में सहायक होता है।

(ग) अनुगामियों का मार्ग दर्शन करता है

(घ) उपरोक्त तीनों कार्य करता है।

**16. निम्नलिखित आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्ण है–**

(क) दर्शन तथा धर्म का प्रभाव

(ख) मुख्यतः वर्णात्मक अध्ययन

(ग) मुख्य कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन

(घ) अन्तःशास्त्रीय अध्ययन

**17. राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता है–**

(क) राजनीतिक सिद्धांत भविष्य की योजना संभव बनाते हैं।

(ख) राजनीतिक सिद्धातं राजनीतिक वास्तविक्ता समझने में सहायक होते हैं

(ग) राजनीतिक सिद्धांत सरकार (शासन) को औचित्य प्रदान करने में सहायत हो

(घ) उपरोक्त सभी

**उत्तरः**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ख | (2) | ख | (3) | घ | (4) | ख | (5) | घ |
| (6) | ग | (7) | घ | (8) | ख | (9) | घ | (10) | ग |
| (11) | घ | (12) | घ | (13) | ग | (14) | ग | (15) | घ |
| (16) | घ | (17) | घ | | | | | | |

# v/;k; 2

# 'kfDr dh vo/kkj.kk

# (Concept of Power)

## y/kqrjkRed iz'u

## (Short Answer Type Questions)

**1. शक्ति से आपका क्या अभिप्राय है?**

**उत्तरः** शक्ति राजनीति शास्त्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। साधारणतः शक्ति एक ऐसी योग्यता है जिससे व्यक्ति दूसरों से अपनी आज्ञा पालन करवाता है और यदि दूसरे ऐसा नहीं करते तो उन्हें घोर क्षति सहन करनी पड़ती है। लासवैल ने शक्ति को राजनीति शस्त्र को अध्ययन का मूलविषय माना है। विभिन्न विद्वानों द्वारा शक्ति की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी गयी हैं।

**लासवैल के अनुसार**–एक अनुभववादी व्यवस्था के रूप में राजनीति–शास्त्र के रूप रचना तथा उपयोग का अध्ययन है।

**बेफर के अनुसार**–राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है।

**एम. जी. स्मिथ के अनुसार**–लोगों तथा वस्तुओं के उपर बल या प्रोत्साहन द्वारा प्रभावशाली रूप में कार्य करने की योग्यता को शक्ति कहते हैं।

**मैकाइवर के अनुसार**–शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यवहार को नियांत्रित, विनियमित और निर्दोशत करने की क्षमता से है।

**रॉबर्ट ए. डहल के अनुसार**–शक्ति की परिभाषा प्रायः प्रभाव की एक विशेष स्थिति के रूप में की जाती है। जिसमें आज्ञा का अनुपालन न करने पर भारी हानि उठानी पड़ती है।

**लासवैल और कैपलिन के अनुसार**–शक्ति प्रभाव को लागु करने की एक विशेष स्थिति है और वांछित नीतियों का पालन न करने पर वास्तविक या घमकीपुर्ण प्रक्रिया के साथ भारी हानि पहुँचाने का एक तरीका है।

उपर्युक्त परिमाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शक्ति वह योग्यता अथवा सामर्थ्य है। जिसके द्वारा व्यक्ति सवेच्छा से दूसरे के कार्यो व नीतियों को इस तथ्य की सहायता से इस प्रकार प्रभावित करता है कि यदि उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य न किया जाये तो अवज्ञा करने वालों का हानि अठानी पड़ सकती है।

**2. शक्ति की कोई चार विशेषताएं लिखिए।**

**उत्तरः** शक्ति की चार विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

(i) शक्ति दुसरों पर इच्छा थोपनो की क्षमता है तथा इसके प्रयोग द्वारा व्यक्ति दूसरों को वह कार्य करने के लिये विवश कर सकता है, जो उन्हें वैसा नहीं करना था।

(ii) शक्ति का संबंध स्थिति अथवा पद के साथ होता है। जब तक व्यक्ति विशेष स्थिति अथवा पद पर होता है वह शक्ति का प्रयोग करता है। पद छोड़ने के साथ शक्ति भी समाप्त हो जाती है।

(iii) शक्ति के प्रयोग के लिये परस्पर विरोधी हितों का होना आवश्यक होता है। उदाहरणस्वरूप कोई भी व्यक्ति कर नहीं देना चाहता, परन्तु उसको शक्ति के भय के कारण ऐसा करना ही पड़ता है।

(iv) शक्ति के साथ वैधता की अवधारण जुड़ी है। सत्ता को प्रभावी बनाने के लिये वैधता जरूरी है।

**3. शक्ति के किन्ही चार क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** शक्ति अनेक स्त्रोतों से उत्पन्न होकर अपने आपको विभिन्न रूपों में प्रकट करती है।

शक्ति के प्रमुख स्त्रोतों का वर्णन निम्नलिखित है।

(i) **ज्ञान**–मानवीय क्षेत्र में शक्ति का पहला स्त्रोत ज्ञान है। साधारण अर्थ में ज्ञान, व्यक्ति या व्यक्ति–समूह को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबन्धित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति के विभिन्न विशेषताओं को इस तरह संचालित किया जाता है जिससे वे शक्ति का साधन बन सके। व्यक्ति में नेतृत्व करने का गुण उसकी इच्छा–शक्ति, सहन–शक्ति अपने आपको व्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू है।

(ii) **संगठन**–संगठन अपने–आपको में शक्ति का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। असंगठित व्यक्तियों के मुकाबले में संगठित व्यक्तियों के पास अधिक शक्ति होती है।

(iii) **आर्थिक साधन**–जिस व्यक्ति के पास आर्थिक साधनों की बहुतायत होती है, वह चुनाव जीतकर शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जिस राष्ट्र के आर्थिक साधन बहुत होते हैं वह दुनिया के अन्य देशों को आर्थिक सहायता आदि देने के नाम पर बहुत अधिक प्रभावित करते हैं।

(iv) **सत्ता**–जिन सभी तत्वों के कारण शक्ति आर्थिक महत्वपूर्ण बनती है उसे हम सत्ता कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि सरकारी तंत्र में वह सक्रिय रूप से भागीदार बन जाता है।

**4. राष्ट्रीय शक्ति का क्या अर्थ है? टिप्पणी लिखें।**

**उत्तरः** एक राष्ट्र द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति जिसके आधार पर वह अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों को स्थापित करता है, उसकी राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। किसी भी राष्ट्र की सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति आदि का सामूहिक रूप राष्ट्रीय शक्ति कहलाता है। यह शक्ति राष्ट्र में सत्ताधारीयों व नीति–निर्माताओं की शक्ति हाती है। विश्व के सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति का स्तर एक जैसा नहीं होता जिन राष्ट्रों में राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारिक तत्वों की बहुलता होती है, उन राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति पर्याप्त रूप से विकसित होती है। सैनिक शक्ति का संबंध राज्य की उस क्षमता से है, जिसके द्वारा वह देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है तथा देश में शान्ति एवं व्यवस्था बनाएं रखता है। आर्थिक शक्ति का संबंध राष्ट्र की आर्थिक साधनों, औधोगिक एवं तकनीकी विकास तथा राष्ट्र की मानव धन से हाता है। राष्ट्र की मनोवैज्ञानिक शक्ति से अभिप्राय है। राष्ट्र के नेताओं तथा विचारकों की नीतियां निर्णयों तथा व्यक्तिगत योग्यताओं के द्वारा राष्ट्रीय हितों के लक्ष्य की प्राप्ति। प्रत्येक राष्ट्र के लिये इन तीनों प्रकार की शक्तियों का होना अनिवार्य है और इनमें से प्रत्येक शक्ति की प्राप्ति एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर करती है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति उस राष्ट्र के भोगोलिक स्थिति तकनीकी उन्नति जनसंख्या का आधार, आर्थिक पद्वति विदेश नीति शासन–प्रणाली, नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय मनोबल इत्यादि तत्वों पर निर्भर करती है।

**5. शक्ति तथा प्रभाव में अन्तर स्पष्ट कीजिए।**

**उत्तरः** शक्ति एवं प्रभाव राजनीतिशस्त्र की दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। शक्ति एवं प्रभाव के संबंधों की प्रकृति जटिल है। शक्ति तथा प्रभाव में अन्तर निम्नलिखित बातों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।

(i) शक्ति दमनात्मक होती है। जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो लोगों के पास उसको मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। प्रभाव में व्यक्ति की अपनी इच्छा कार्य करती है।

(ii) शक्ति एक भौतिक तत्व है, अतः उसका प्रयोग एवं उसका परिणाम स्पष्टतः दिखायी देता है।

(iii) शक्ति बाध्यकारी स्वरूप की होती है। अतः जिन पर शक्ति प्रयोग किया जाता है उनमें कटुता उत्पन्न होती है। किन्तु प्रभाव नैतिक एवं मानसिक है।

(iv) शक्ति को अलोकतंत्रीय माना जाता है, क्योंकि वह भय पर आधारित होती है। जबकि प्रभाव को लोकतंत्रीय माना जाता है क्योंकि उसका आधार स्वेच्छा पर आधारित होता है, भय नहीं।

## oLrfu"B ¼cg&fodYih i'u½
## (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। उनमें से ठीक उत्तर का चयन कीजिए।

**1. शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी?**

(क) मैक्यावली

(ख) लासेवैल

(ग) कार्ल मार्क्स

(घ) डेविड ईस्टन

**2. 'Modern Political Analysis' नामक पुस्तक किस विज्ञान में लिखी है?**

(क) राबर्ट ए. डहल

(ख) डेविड ईस्टन

(ग) लासवैल

(घ) बैकर

**3. 'Politics- Who, what, get, when and how' का लेखक कौन है?**

(क) राबर्ट ए. डहल

(ख) कैटलिन

(ग) लासवैल

(घ) डेविड ईस्टन

**4. "राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता।" यह कथन किस विद्वान का है।**

(क) राबर्ट ए. डहल

(ख) बैकर

(ग) डेविड ईस्टन

(घ) कैटलिन

**5. "शक्ति राजनीति का ह्रदय है" यह कथन किस विद्वान का है?**

(क) कैटलिन

(ख) फ्रेडरिक

(ग) लासवैल

(घ) राबर्ट ए. डहल

**6. "शक्ति मित्र बनाने और लोगों को प्रभावित करने की योग्यता है" यह कथन किसका है?**

(क) डेविड ईस्टन

(ख) राबर्ट ए. डहल

(ग) फ्रेडरिक तथा शूमो

(घ) लासवैल

**7. "एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे व्यक्ति की शक्ति है", यह कथन किसका है?**

(क) सेम्युल बीयर

(ख) गार्नर

(ग) गिलक्राइस्ट

(घ) राबर्ट ए. डहल

**8. निम्नलिखित में कौन शक्ति का स्त्रोत है?**

(क) आत्मज्ञान

(ख) संगठन

(ग) व्यक्तिगत आकर्षण

(घ) उपरोक्त तीनों

**9. निम्नलिखित में कौन शक्ति की विशेषता नहीं है?**

(क) सापेक्षवाद

(ख) सम्बन्धात्मकता

(ग) धर्म

(घ) स्थिति परकता

**10. राष्ट्रीय शक्ति में कौन सा तथ्य शामिल नहीं है।**

(क) सैनिक शक्ति

(ख) धार्मिक शक्ति

(ग) आर्थिक शक्ति

(घ) मनोवैज्ञानिक शक्ति

**उत्तरः** (1) क (2) क (3) ग (4) ख (5) ख
(6) ग (7) घ (8) घ (9) ग (10) ग

# v/;k; 3

# lÙkk

# (Authority)

**1. सत्ता का क्या अर्थ है?**

**उत्तरः** सत्ता शब्द, जिसे अंग्रेज़ी में Authority कहते हैं, की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द आक्टोराइटस (Auctorities) से हुई है, जिसका अर्थ उस भाषा में अर्थ सहमति अथवा स्वीकृति है। राजनीति विज्ञान में सत्ता की अवधारणा का बहुत महत्व है। सत्ता का राज्य में वही स्थान है जो आत्मा का शरीर में है। सत्ता द्वारा ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं तथा अधीनस्थों द्वारा उनको स्वीकार किया जाता है। आज्ञाएं देना तथा अधीनस्यों द्वारा स्वीकारना, सत्ता के यह दो प्रमुख पहलू है। अतः राज्य की शक्ति के वहाँ की जनता की वैध समर्थन प्राप्त हो जाता है तो उसे सत्ता कहा जाता है। सत्ता की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के मतानुसार निम्नलिखित है।

मैकाइवर के अनुसार, "सत्ता आदेशों का पालन करवाने की शक्ति या प्रभाव को प्रायः सत्ता कहते है।"

जोवेनल के अनुसार, "सत्ता दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है।"

बीच के अनुसार, "दूसरों को प्रभावित करने या निर्दोशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं।" एच. ए. साइमन के अनुसार, "सत्ता निर्णय लेने की कह शक्ति है जो दूसरे के कार्यों को निर्देशित करती है। यह उन दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिनमें एक विशिष्ट और दुसरा उसके अधीन होता है।"

अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह निकर्ष पर पहुंचते हैं कि सत्ता का आधार विवेकयुक्त एवं औचिन्यपूर्ण होता है तथा इसमें राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की सहमति अथवा स्वीकृति प्राप्त होती है।

**2. सत्ता के कोई चार तत्व एवं विशेषताएँ बताएँ।**

**उत्तरः** सत्ता के कोई चार तत्व निम्नलिखित हैं।

(i) **प्रभुत्व**–सत्ता द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं, क्रियाओं तथा कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है। अन्य शब्दों में राजनीतिक सत्ता का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभुत्व रहता है।

(ii) **पदसोपान**–सत्ता की स्थापना विभिन्न अधिकारियों के आपसी संबंधों से होती है, जिन्हें पद–सोपान के रूप में स्वीकार किया जाता है। उच्च अधिकारी के पास अधिक सत्ता होती है और उसके आदेशों का पालन अन्य अधिकारियों को करना पड़ता है।

(iii) **उतरदायित्व**–सत्ता का एक अन्य तत्व उतरदायित्व होता है। एक राजनीतिक व्यवस्था में लोक कल्याण, विधि व्यवस्था का उतरदायित्व उस व्यवस्था में सत्ताधारी का होता है।

(iv) **निश्चितता**–सत्ता को निश्चित होना अति आवश्यक है। अनिश्चता की स्थिति में सता की अवहेलना होने की पूरी संभावना रहती है। सत्ता प्रत्येक राजनीतिक संगठन में सदैव औपचारिक व निश्चित होती है। निश्चितता के आधार पर संगठन के प्रत्येक अधिकारी के कार्य, शक्तियाँ व उतरदायित्व निश्चित किये जाते हैं।

**3. सत्ता के किन्ही चार रूपो का वर्णन कीजिए।**

उत्तरः सत्ता के चार रूप निम्नलिखित हैं।

(i) **परंपरागत सत्ता**–जब अधीनस्थ व्यक्ति उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा तो सदा से होता है तो इस प्रकार की सत्ता को परंपरागत सत्ता कहा जाता है। जैसे–राजतंत्र में प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन करती है।

(ii) **संवैधनिक सत्ता**–जब किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा सत्ता प्राप्त होती है तो उसे संवैधानिक सत्ता कहा जायेगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति की संविधान ज्ञरा जो शक्तियां दी गयी है, इनका आधार संवैधानिक सत्ता है।

(iii) **औचित्यपूर्ण सत्ता**–वह सत्ता जो कानून के अनुसार उचित हो और जिसे सब व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा के आधार पर स्वीकार करते है, उसे औचत्यिपूर्ण सत्ता कहते हैं। जैसे लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गयी सरकार की सत्ता औचित्यपूर्ण होती है।

(iv) **करिश्मावादी सत्ता**–जब एक सत्ताधारी की शक्ति को वहाँ की जनता उसके असाधारण गुणों, चरित्र, व्यक्तित्व के कारण महत्व देती है और उसकी आज्ञओं का पालन करती है तो इसे चमत्कारी सत्ता कहा जाता है। जैसे भारत में नेहरू के सत्ता का आधार करिश्मावादी व्यक्तित्व था।

**4. सत्ता तथा शक्ति में कोई चार अन्तर का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** सत्ता तथा शक्ति राजनीतिक विज्ञान की दो महत्वपूर्ण तथा भिन्न भिन्न अवधारणएं है। सत्ता को आदेश देने का अधिकार है जबकि शक्ति आदेश देने का क्षमता है। सत्ता का स्तरूप कानूनी होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि शक्ति का रूप भी कानूनी ही हो।

निम्नलिखित मुख्य आधारों पर शक्ति तथा सत्ता का अन्तर स्पष्ट किया जा सकता है।

(i) **शक्ति बल पर, जबकि सत्ता नियमों व धारणाओं पर आधारित**–शक्ति व सत्ता दोनों का अर्थ साधारण तौर पर नियंत्रण में रखने की स्थिति से लिया जाता है, परन्तु वास्तव में शक्ति का आधार बल अर्थात अन्यों पर अपने निर्णयों को बल–पूर्वक लागू कराने को शक्ति कहा जा सकता है। जबकि कानूनों, नियमों, धारणाओं, विश्वास तथा मुल्यों के अनुसार अपने निर्णय को अन्यों पर लागू करने को सत्ता कहा जायगा।

(ii) **शक्ति वैध या अवैध, परन्तु सत्ता वैध**–शक्ति औचत्यिपूर्ण भी हो सकती है अथवा अवैध यानि अनौचित्यपूर्ण भी हो सकता है परन्तु सत्ता प्रायः औचित्यपूर्ण या वैध ही होगी।

(iii) **सत्ता में विवेक का अंश होता है जबकि शक्ति में यह अंश नहीं होता**–सत्ता के लिये यह आवश्यक है कि विवेक के आधार पर अपने विचारों द्वारा अन्य लोगों को सहमत कराना जबकि शक्ति अन्य के व्यवहारों को अपने पक्ष में करने की क्षमता का नाम है, क्योकि आज्ञा प्रदान करने की क्षमता ही शक्ति है।

(iv) **सत्ता शक्ति की तुलना बहुउद्देश्यीय है**–शक्ति की तुलना में सत्ता बहुउद्देश्यीय है सत्ता का प्रयोग सामान्य उद्देश्यों के लिये किया जाता है। जबकि शक्ति का प्रयोग विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया है।

## oLrfu"B ¼cg&odfYid½ i:'u
## (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछेक वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं । उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए।

**1. ''सत्ता दूसरे व्यक्ति की स्वीकृत प्राप्त करने का गुण है'' यह कथन किसका है?**

(क) टॉनी

(ख) डेविड ईस्टन

(ग) जोबेनल

(घ) राबर्ट डहुल

2. सत्ता की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन ठीक है?

(क) स्वीकृति

(ख) परंपरागत सत्ता

(ग) राजनीतिक सत्ता

(घ) अवैध सत्ता

3. **'Politics-Who gets, whats, when and how'** नामक पुस्तक किस विद्धान ने लिखी है।

(क) राबर्ट ए. डहल

(ख) लासवैल

(ग) डेविड ईस्टन

(घ) बैकर

4. सत्ता तथा शक्ति

(क) परस्पर विरोधी हैं

(ख) एक ही धारणा के दो नाम हैं

(ग) दो अलग–अलग अवधारणएं है

(घ) दोनों में कोई संबंध नहीं है

5. सत्ता जिसे अंग्रेज़ी में **Authority** कहते हैं की उत्पति लेटिन भाषा के निम्नलिखित शब्द से हुई है–

(क) स्टेटस

(ख) सिविटास

(ग) आक्टोराईटस

(घ) सुपरेनस

6. "उचित शक्ति को प्रायः सत्ता कहा जाता है।" यह कथन है।

(क) राबर्ट ए. डहल

(ख) डेविड ईस्टन

(ग) लासवैल

(घ) कैटलिन

7. "सत्ता से मेरा अभिप्राय व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अपनी योजनाओं को स्वीकृत करवाता है", यह कथन है–

(क) जोविनल

(ख) डेविड ईस्टन

(ग) राबर्ट ए. डहल

(घ) लासवैल

8. "सत्ता आदेशों का पालन करवाने की शक्ति है" यह कथन है

(क) राबर्ट ए. डहल

(ख) लासवैल

(ग) डेविड ईस्टन

(घ) उपरोक्त तीनों में से कोई नहीं

**9. निम्नलिखित में कौन सत्ता का आधार है**

(क) संविधान

(ख) अनैतिकता

(ग) बल

(घ) अत्याचार

**10. निम्नलिखित में से कौन–सा तत्व सत्ता की स्वीकृति नहीं है।**

(क) सामाजिक दबाव

(ख) मनौवैज्ञानिक दबाव

(ग) व्यक्तिगत गुण

(घ) हितों का दबाव

**उत्तरः** (1) ग (2) क (3) ख (4) ग (5) ग

(6) क (7) क (8) क (9) क (10) घ

# v/;k; 4

# vkSfpR;iw.kZ ¼oS/krk½
# (Legitimacy)

## y/kqrjkRed iz'u
## (Short Answer Type Questions)

**1. औचित्यपूर्णता (वैधता) का क्या अर्थ है?**

**उत्तरः** साधारणतः वैधता का अर्थ है किसी नीति कानून अथवा निर्णय का समाज के द्वारा कानूनों रीति रिवाजों, लोगों के विश्वासों में ठीक या न्यायसंगत समझा जाना। लेकिन दूसरे शब्दों में जब सरकार के किसी कार्य को जनता उचित मानती है तथा उसे अपना समर्थन देती है तो उस कार्य को औचित्यपूर्ण या वैध माना जाता है। राजनितिक व्यवस्था की नीतियों कार्य–कलापों, संरचनाओं, नेताओं, अधिकारियों के प्रति उक्त विश्वास को ही राजनीति शास्त्र में 'औचित्यपूर्णता' कहा जाता है।

विभिन्न विद्वानों द्वारा औचित्यपूर्णता की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गयी हैं–

**एस०एम० लिप्सेट के अनुसार–**"औचित्यपूर्णता का अर्थ व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास पैदा किया जाए तथा बनाए रखा जाय कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिये सबसे अधिक उपयोगी हैं।"

**प्लानो तथा रिग्स के अनुसार**–"वैधता ऐसा गुण है जिसके अधीन कर्मचारी इच्छापूर्वक स्वीकार करते हैं, जो राजनीतिक शक्ति के प्रयोग को औचित्यपूण सत्ता में परिवर्तित करता है। वैधता उस विहित सहमति को स्पष्ट करती है जो व्यक्तिगत नेताओं संस्थओं और व्यवहारों संबंधी नियमों को सत्कार तथा स्वीकृति प्रदान करती है।"

**मेक्स बैबर के अनुसार–**औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित होती है और अनुपालन प्राप्त करती है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि औचित्यपूर्णता शासन और शासित के संबंध तथा आदेश देने की शक्ति एवं उसके अनुपालन की स्थिति का निर्धारण करती है। यह राजनीतिक व्यवस्था का वह गुण है जिसके आधार पर जनता को यह विश्वास हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता की संरचना, उसकी नीतियाँ तथा कार्य समाज कल्याण के लिये उचित है और जनता उसे निःसंकोच अपना समर्थन तथा सहमति प्रदान करती है।

**2. औचित्यपूर्णता की कोई चार विशेषताएं लिखिए।**

**उत्तरः** औचित्यपूर्णता की चार विशेषताएं निम्नलिखित है।

1. **विश्वास पैदा करने की योग्यता–** औचित्यपूर्णता की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें विश्वास पैदा करने की योग्यता होती है और इस विश्वास के कारण ही जनता राजनीतिक सत्ता को स्वीकार करती है तथा उसका समर्थन करती है।

2. **औचित्यपूर्णता शक्ति को सत्ता में बदलने का साधन–** औचित्यपूर्णता शक्ति को सत्ता में बदलने का साधन है। जहाँ केवल शक्ति होती वहाँ सत्ता नहीं होती है। शक्ति जहाँ वैध हो जाती है तब सत्ता में बदल जाती है। औचित्यपूर्णता के आने पर ही शासक शासन करने की सत्ता प्राप्त करता है।

3. **औचित्यपूर्णता व्यवस्था में स्थायित्व लाती है–** औचित्यपूर्णता किसी भी व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिये आवश्यक है किसी भी व्यवस्था में स्थायित्व तब आता है जब लोगों का उस व्यवस्था में विश्वास हो और विश्वास पैदा करने की योग्यता औचित्यपूर्णता में है।

4. **औचित्यपूर्णता राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को निश्चित करती है–** औचित्यपूर्णता राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को निश्चित करती है। यदि कोई सरकार औचित्यपूर्ण न हो तो वह अधिक प्रभावशाली नहीं होती, जबकि औचित्यपूर्ण सरकार अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए तानाशाह भी अपने शासन को आचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिये प्रयत्नशील रहता है।

**3. औचित्यपूर्णता के संकट से आप क्या समझते हैं?**

**उत्तरः** औचित्यपूर्णता तथा सामाजिक परिवर्तन में गहरा संबंध है। समाज में जब भी कभी महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का प्रभाव राजनैतिक व्यवस्था पर अवश्य पड़ता है। औचित्यपूर्णता के संकट का अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था या किसी संख्या के बारे में जनता की सहमति कम हो गयी हो, या समाप्त होने की आशंका पैदा हो गयी है। जैसे जब श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 1975 में आन्तरिक संकट की घोषणा कर दी तथा हज़ारों लोगों को जेल भेज दिया तथा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया तो लोगों के मन में इन्दिरा सरकार की औचित्यपूर्णता के संबंध में शंका उत्पन्न हो गयी थी। आमतौर पर राजनीतिक व्यवस्था की औचित्यपूर्णता की समस्या के लिये नयी परिस्थितियाँ, अनुदारवादी समूहों के स्तर को खतरा तथा किसी व्यवस्था से अधिक आशाएं इत्यादि कारण मुख्य भुमिका निभाती हैं अतः हम यह कह सकते हैं कि जब कोई राजनीतिक व्यवस्था जनता का समर्थन खोना शुरू कर देती है तो औचित्यपूर्णता का संकट पैदा हो जाता है।

**4. औचित्यपूर्णता की वैधता को प्राप्त करने तथा उसे बनाएं रखने के कोई चार उपाय बताएं।**

**उत्तरः** प्रत्येक सरकार को अपनी नीतियों को मनवाने के लिये समय–समय पर बल प्रयोग करना पड़ता है। परन्तु इसका प्रयोग कानूनों के अनुसार ही होना चाहिए, तभी वैध माना जा सकता है। अनेक सरकारी अधिकारियों को सत्ता या प्रधिकार कानूनों या नियमों के अनुसार दिया जाता है। यदि वे उन कानूनों या नियमों से अधिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करें तो उनकी सत्ता या प्रधिकार वैध नहीं रहेगा।

एक राजनीतिक व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को प्राप्त करने तथा बनाए रखने के चार उपाय अथवा साधन निम्नलिखित है।

1. **राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तनशीलता–**किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिये वैधता की स्थिति तभी बनी रह सकती है जब वह अपनी बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार बदल सके।

2. **कानूनी व्यवस्था की परिवर्तनशीलता–**वैधता की स्थिति के लिये यह आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्था का आधार वैधानिक हो। इसका अर्थ यह है कि राजसत्ता भले ही एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति–समूह द्वारा प्राप्त की गयी हो, किन्तु उसकी स्वीकृति का आधार कानूनी होना चाहिए।

3. **परंपराओं को उचित मान्यता–**किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उस देश की परंपरओं प्रथाओं व रीति रिवजों को उचित मान्यता दी जाए। यदि कोई परिर्वतन परंपराओं की पूर्ण अवहेलना करके किया जाता है तो उसके लिये संकट उत्पन्न होना स्वभाविक है।

4. **निजी चमत्कारी गुण–**किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए चमत्कारी नेतृत्व का होना अति आवश्यक है। क्योंकि नेतृत्व से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को स्थिरता व ढुढ़ता प्राप्त होती है, क्योंकि जनसाधारण इस प्रकार के नेताओं की आगाओं का पालन करना अपना कर्तव्य समझने लगती है।

# oLrfu"B ¼cg&fodYih½ i:'u
# (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछेक वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए।

1. **औचित्यपूर्णता (Legitimacy) शब्द किस भाषा से लिया गया है?**
   (क) ग्रीक
   (ख) लैटिन
   (ग) अंग्रेजी
   (घ) फ्रैंच

2. **निम्नलिखित में से कोन सा औचित्यपूर्णता का आधार है?**
   (क) विचारधारा का सम्मान
   (ख) नवीन आस्थाओं का विकास
   (ग) शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण
   (घ) सशस्त्र सेनाओं का अधिक से अधिक प्रयोग

3. **निम्नलिखित में औचित्यपूर्णता का आधार कौन नहीं है।**
   (क) नैतिकता
   (ख) स्थायित विश्वास
   (ग) विचारधारा का सम्मान
   (घ) पाश्विक शक्ति

4. **निम्नलिखित में कौन सा तत्व औचित्यपूर्णता के संकट को जन्म नहीं देता है?**
   (क) परंपराओं को उचित मान्यता
   (ख) नई अवस्थाओं का विकास
   (ग) करिश्मावादी नेतृत्व
   (घ) लोगों के धर्मिक विचारों में गिरावट

5. **निम्नलिखित तत्व औचित्यपूर्णता के संकट को जन्म देता है–**
   (क) नवीन अवस्थाएं
   (ख) परंपरओं को उचित मान्यता
   (ग) करिश्मावादी नेतृत्व
   (घ) उपरोक्त तीनों

6. **"औचित्यपूर्णता का संकट परिर्वतन का संकट है", यह कथन किसका है?**
   (क) रॉबर्ट ए. डहल
   (ख) डेविड ईस्टन
   (ग) लिप्सेट
   (घ) रॉबट्स

**7. आधुनिक युग में औचित्यपूर्णता की अवधारणा की व्याख्या सर्वप्रथम निम्नलिखित विज्ञान के द्वारा की गई–**

(क) रॉबर्ट ए. डहल

(ख) आर. आई. रिग्स

(ग) डेविड ईस्टन

(घ) लासवैल

**8. औचित्यपूर्णता की विशेषताओं के संबंध में ठीक नहीं है–**

(क) व्यवस्था में स्थायित्व लाना

(ख) स्वाभाविक सहमति

(ग) शक्ति के प्रयोग को बढ़ावा देना

(घ) बलिदान की भावना पैदा करना

**9. एक राजनीतिक प्रणाली की औचित्यपूर्णता उतनी ही अधिक होगी**

(क) जितनी अधिक वह प्रणाली लोकतंत्रीय होगी

(ख) जितनी अधिक उस प्रणाली की प्रभाविकता होगी

(ग) जितना अधिक उस देश का आर्थिक विकास होगा

(घ) जितनी अधिक उस प्रणाली की सामाजिक मान्यता होगी।

**उत्तरः** (1) ख (2) क (3) घ (4) घ (5) घ

(6) ग (7) ख (8) ग (9) ख

# v/;k; 5

# fof'k"V&oxZ ¼vfHktu½ rFkk fof'k"V&oxZ ds fl)kar

# (Elite and Theories of Elite)

## y/kqRrjkRed iz'u

## (Short Answer Type questions)

**1. विशिष्ट–वर्ग (Elite) का क्या अर्थ है?**

**उत्तरः** समाज में कुछ चुने हुए व्यक्तियों के समूह को विशिष्ट–वर्ग कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को जनता की जनता द्वारा तथा जनता के लिए कहा जाता है परन्तु व्यवहारिक तौर पर वह जनता के एक एक विशिष्ट वर्ग की सरकार होती है। ये समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी बृद्धि, योग्यता, प्रभाव अथवा व्यवहार के कारण समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं। यह विशिष्ट–वर्ग सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हैं। जिससे हमें कई प्रकार के विशिष्ट वर्ग दिखायी देते हैं–नगर का विशिष्ट–वर्ग, वकीलों का विशिष्ट–वर्ग, डॉक्टरों का विशिष्ट–वर्ग और यहाँ तक कि परिवार में विशिष्ट–वर्ग। इस वर्ग में विभिन्न क्षेत्रों के कुछ चुनिन्दा व्यक्ति होते हैं जो अपने क्षेत्र के संबंध में निर्णय लेने अथवा निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट वर्ग उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो देश की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। यद्यपि यह वर्ग अल्पसंख्यक श्रेणी में होता है परंतु देश के सभी राजनीतिक निर्णय इस वर्ग की इच्छानुसार लिये जाते हैं।

**2. विशिष्ट वर्ग की परिभाषा दीजिए।**

**उत्तरः** समाज में कुछ चुने हुए व्यक्तियों के समुह को विशिष्ट वर्ग कहा जाता है। ये समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बुद्धि, योग्यता प्रभाव अथवा परिस्थितियों केकारण समाज में अन्य व्यक्तियों से कुछ उच्च स्थान रखते हैं।

विभिन्न विज्ञानों द्वारा विशिष्ट वर्ग की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं।

**प्रेस्थस के अनुसार**–विशिष्ट–वर्ग अलपसंख्या में विशिष्ट नेता होते हैं जो सामुदायिक विषयों के अनुपात अधिक शक्ति रखते हैं।

**सी० राईट मिल्स के अनुसार**–विशिष्ट–वर्ग वे व्यक्ति होते हैं जो आज्ञा देने वाले पदों पर आसीन होते हें।

**जेरियन्ट सी० पेरी के अनुसार**–विशिष्ट–वर्ग वे अल्पसंख्यक लोग है जो राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों पर अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं।

**लासबैल के अनुसार**–राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग एक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति रखने वालों का वर्ग होता है। सत्ताधारियों में नेता तथा वे सामाजिक संगठन होते हैं जिनके प्रति उत्तरदायित्व को एक निश्चित अवधि के दौरान कायम रखा जाता है।

**परेटो के अनुसार**–संकीर्ण रूप में शासकीय विशिष्ट वर्ग में वे कुछ लोग शामिल होते हैं जो सफल होते हैं और जो राजनीतिक तथा सामाजिक रूप में शासकीय कार्य करते हैं।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विशिष्ट वर्ग अल्पसंख्यकों का एक ऐसा समूह होता है जो प्रत्येक समाज (राजनीतिक व्यवस्था) में शक्ति का प्रयोग करता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था, शासन–शासित लोगों के एक छोटे से समूह (विशिष्ट वर्ग) के हाथों में होती है।

**3. विशिष्ट वर्ग के कोई चार विशेषताएं (लक्ष्ण) का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** अभिजन समाज का एक विशिष्ट वर्ग होता है जिसका कार्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समाज को नेतृत्व प्रदान करना होता है।

विशिष्ट–वर्ग के निम्नलिखित चार विशेषताएं (लक्ष्ण) हैं।

(i) **अल्पसंख्यक समूह–**विशिष्ट–वर्ग में समाज के कुछ चुनिन्दा लोग होते हैं जो सभी राजनीतिक संस्थाओं पर नियंत्रण रखते हैं तथा व्यवस्था के लिए सभी राजनीतिक निर्णय लेते हैं। प्लेटो तथा अरस्तु ने कहा है कि शासन करने के गुण तो केवल कुछ ही व्यक्तियों में होते हैं और ऐसे लोगों का जन्म ही शासन करने के लिये होता है।

(ii) **विशिष्ट–वर्ग का विशेष महत्व–**प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विशिष्ट–वर्ग को विशेष स्थान प्राप्त होता है। वह वर्ग देश की राजनीतिक दशा को निश्चित करता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये साधन निश्चित करता है। इस वर्ग को जनता का भी समर्थन प्राप्त होता है और जनता का उनमें विश्वास होता है।

(iii) **श्रेष्ट वर्ग (विशिष्ट–वर्ग) की अवधारण मनुष्यों की प्राकृतिक असामानता के सिद्धांत पर आधारित–**विशिष्ट–वर्ग की अवधारणा इस सिद्धात पर आधारित है कि मनुष्यों में प्राकृतिक रूप से असामानता पाई जाती है। प्रत्येक समाज में दो प्रकार के वर्ग होते हैं। एक वह वर्ग है जिसमें शासन करने तथा साधारण व्यक्तियों का नेतृत्व करने की योग्यता होती है। और दूसरे वर्ग में वे लोग शामिल होते हैं जिनमें नेतृत्व करने अथवा राजनीतिक निर्णय लेने की योग्यता नहीं होती, वे दूसरों के अधीन रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। इनमें से प्रथम वर्ग को ही विशिष्ट वर्ग कहा जाता है।

(iv) **समाज के सभी क्षेत्रों में विशिष्ट–वर्ग–**विशिष्ट–वर्ग समाज के प्रत्योक क्षेत्र में पाये जाते हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विशिष्ट–वर्ग सामाजिक विशिष्ट–वर्ग राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग, धार्मिक विशिष्ट–वर्ग तथा सेनिक विशिष्ट वर्ग आदि पाये जाते हैं।

**4. पेरेटो द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट–वर्ग के सिद्धांत पर संक्षिप्त नोट लिखिए।**

**उत्तरः** पेरेटो इटली का एक प्रसिद्ध समाज शास्त्री था जिसने अपनी पुस्तक 'The Mind and Society' में अपने विशिष्ट–वर्ग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या की है। पेरेटो का विशिष्ट–वर्गीय सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य अपनी मूल योग्यताओं व क्षमताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और यह विशेषता समाज में असमानता को अनिवार्य बना देती है। प्रत्येक समाज में एक अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो प्रभावशाली ढंग से शासन करता है और शक्ति तथा प्रभाव का प्रयोग करता है। पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं, वे ही विशिष्ट–वर्ग होते हैं।

पेरेटो के अनुसार प्रत्येक समाज की जनसंख्या को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न वर्ग तथा उच्च वर्ग। निम्न वर्ग में साधारण जनता को शामिल किया जाता है, जबकि उच्च वर्ग में विशिष्ट–वर्ग के लोग शामिल होते हें। पेरेटो ने फिर विशिष्ट वर्ग को दो श्रेणियों में बांटा है शासकीय विशिष्ट वर्ग तथा गैर शासकीय विशिष्ट–वर्ग ।

शासकीय विशिष्ट वर्ग में शारीरिक तथा मानसिक गुण पाये जाते हैं तथा उनके पास शक्ति होती है जिनका प्रयोग ये समाज पर शासन करने हेतु करते हैं। ये सामान्य जनता पर बल तथा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रचार, दोनों का ही प्रयोग करते हैं। शासकीय विशिष्ट वर्ग बल तथा छल कपट दोनों द्वारा जनता पर शासन करता है।

**5. पेरेटो के अनुसार विशिष्ट–वर्ग के संचालन की घारणा क्या है?**

**उत्तरः** पेरेटो के अनुसार, प्रत्येक समाज में व्यक्ति और विशिष्ट को अनवरत रूप से ऊँचे स्तर से नीचे स्तर की ओर और नीचे स्तर से उँचे स्तर की और आते–जाते रहते हैं। पतनकारक तत्वों की संख्या बढ़ती रहती है और दूसरी और शासित वर्गो ऊंचे गुणों से सम्पन्न तत्व उभरते रहते हैं। पेरेटो का कहना है इस प्रक्रिया क माध्यम से समाज का प्रत्येक विशिष्ट वर्ग अन्ततः नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरे लोग आ जाते हैं। यह विशिष्ट वर्ग के संचालन का सिद्धांत है। पेरेटो के अनुसार समय तथा परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट वर्ग में कुछ नए व्यक्ति आते रहते हैं और इस वर्ग के कुछ व्यक्ति आम जनता की श्रेणी में जाते रहते हैं। यह क्रम सदा चलता रहता है। चूँकि व्यक्तियों के मुल्य में समय ज्ञान तथा परिस्थितियों के अनुसार परिर्वतन होता रहता है। इसलिए विशिष्ट–वर्ग में भी परिर्वतन होता रहता है। परेटो का कहना है कि विशिष्ट वर्ग का संचालन का प्रभाव क्रान्तियों को रोकने तथा समाज में गतिशीलता बनाए रखने के लिये बहुत आवश्यक होता है।

**6. मोस्का (Mosca) के विशिष्ट–वर्ग संबंधी सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए।**

**उत्तरः** मोस्का एक इटालियन विद्वान था, जिसने अपनी पुस्तक 'The Ruling Class' में अपने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मोस्का ने अपने सिद्धांत का आरंभ अरस्तु के सरकारों के वर्गीकरण–राजतंत्र कुलीनतंत्र तथा लोकतंत्र को अस्वीकार करते हुए किया है। मोस्का का कहना है कि विश्व में सिर्फ एक ही प्रकार की सरकार कार्यशील है और वह है अल्पतंत्र। मोस्का का कहना है कम विकसित समाज से लेकर पूर्णतया विकसित समाज तक प्रत्येक समाज में लोगों के सदैव दो वर्ग उभरते हैं एक वर्ग जो शासन करता है और दूसरा वर्ग जो शासित होता है। पहला वर्ग जो सदैव कम संख्या में रहता है सभी राजनीतिक कार्य करता है। शक्ति पर एकाधिकार रखता है और शक्ति द्वारा लाये गए लाभ का आनन्द लेता है। जबकि दूसरा वर्ग, जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोग होते हैं पहले द्वारा निर्देशित तथा नियंत्रित किया जाता है। थोड़ा या बहुत कानूनी ढंग से तथा बहुत स्वेच्छा चारी तथा हिंसक ढंग से यह पहले को कम से कम दिखाने के लिए जीविका को मौलिक साधन तथा राजनीतिक तन्त्र की चेतना के लिये अनिवार्य कर्तव्य साधन प्रदान करता है। मोस्का ने आगे लिखा है, "जितना बड़ा राजनीतिक समुदाय होगा और बहुसंख्यकों के लिये शासित होना अधिक कठिन होगा, बहुसंख्यकों के लिये अल्पसंख्यकों के विरोध में प्रतिक्रिया करने के लिये संगठित होना उतना ही कठिन होगा।"

मोस्का के अनुसार शासक वर्ग श्रेष्ट संगठित तथा अपने गुणों के कारण समाज द्वारा सम्मानित होता है। और इसे ही विशिष्ट वर्ग कहा जाता है।

**7. विशिष्ट–वर्ग के विभिन्न सिद्धांतों के कोई चार विशेषताएं लिखिए।**

**उत्तरः** विशिष्ट वर्ग संबंधी विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर चार विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

(i) विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सभी विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग होते हैं–विशिष्ट वर्ग तथा साधारण वर्ग। विशिष्ट वर्ग शासन करता है तथा साधारण वर्ग यानि जनता विशिष्ट वर्ग के द्वारा शसित होता है।

(ii) प्रत्येक समाज में सत्ता कुछ विशिष्ट वर्ग के हाथों में होती है। जो अल्पसंख्यक होती है यानि उनकी संख्या कम होती है।

(iii) विशिष्ट–वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सभी विद्वान मानते हैं कि विशिष्ट वर्ग सदा बदलते हैं। यानि समय तथा परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट वर्ग में कुछ नए व्यक्ति आते रहते हैं। और इस वर्ग के कुछ व्यक्ति आम जनता की श्रेणी में जाते रहते हैं। इसे विशिष्ट वर्ग का परिचलन या संचालन कहा जाता है।

(iv) विशिष्ट–वर्ग का सिद्धांत मनुष्यों में प्राकृतिक समानता के सिद्धांत को नहीं मानता है। यह योग्यता, धन, चरित्र, गुण, क्षमता, समय, तथा परिस्थितियों के आधार पर असमानता को स्वीकार करता है।

# oLrfu"B ¼cg&odfYid½ i:'u
## (Objective Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछेक वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए।

**1. "विशिष्ट–वर्ग वे व्यक्ति होते हैं जो आज्ञा देने वाले पदों पर आसीन होते हैं।" विशिष्ट वर्ग की यह परिभाषा निम्नलिखित विद्वान की है।**

(क) सी. राईट मिल्स

(ख) पेरेटो

(ग) मोस्का

(घ) जेरियन्ट सी. पेरी

**2. "विशिष्ट–वर्ग वे अल्पसंयक लोग हैं जो राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों पर अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं", विशिष्ट वर्ग की यह परिभाषा निम्नलिखित विद्वान की है।**

(क) मोस्का

(ख) जेरियन्ट सी. पेरी

(ग) सूजन कैलर

(घ) लासवैल

**3. निम्नलिखित विशिष्ट–वर्ग का लक्ष्ण है–**

(क) मनुष्यों की प्राकृतिक असमानता

(ख) अल्पसंख्यक समूह

(ग) विशिष्ट–वर्ग स्थायी नहीं होता

(घ) उपरोक्त तीनों

4. **'दी माइण्ड एण्ड सोसाइटी' (The Mind and Society) नामक पुस्तक निम्नलिखित विद्वान ने लिखी है**

(क) पेरेटो

(ख) मोस्का

(ग) सी. राईट मिल्स

(घ) लासवैल

**5. "इतिहास कुलीनतन्त्रों का कब्रिस्तान है", यह कथन है**

(क) डेविड ईस्टन

(ख) पेरेटो

(ग) मोस्का

(घ) मिशलस

**6. 'The Ruling Class' नामक पुस्तक का लेखक है–**

(क) पेरेटो

(ख) मोस्का

(ग) राबर्ट मिशल्स

(घ) राईट मिल्स

7. **'The Managerial Revolution' नामक पुस्तक का लेखक है–**

(क) बर्नहाम

(ख) पेरेटो

(ग) मोस्का

(घ) आरटेगा वाई. गासे

8. **"राजनीतिक संस्था के सत्ताधारियों को राजनीतिक विशिष्ट वर्ग कहा जाता है", यह कथन है**

(क) डेविड ईस्टन

(ख) पेरेटो

(ग) लासवैल

(घ) सी. राईट मिल्स

9. **निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम अल्पतंत्र के लौह नियम के साथ जुड़ा हुआ है।**

(क) मोस्का

(ख) राबर्ट मिशल्स

(ग) जेम्स बर्नहाम

(घ) लासवैल

10. **राजनीतिक विशिष्ट–वर्ग निम्नलिखित प्रकार की शासन प्रणाली में मौजूद होता है–**

(क) राजतंत्र

(ख) लोकतंत्र

(ग) साम्यवादी शासन–प्रणाली

(घ) प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणाली में

11. **कौन–से निम्नलिखित विद्वान ने विशिष्ट–वर्ग के सिद्धांत के बारे में नहीं लिखा है–**

(क) पेरेटो

(ख) मोस्का

(ग) राबर्ट मिशल्स

(घ) डेविड ईस्टन

12. **"जनता की, जनता द्वारा तथा जनता के लिये सरकार को जनता में से उभरे एक विशिष्ट वर्ग की सरकार में बदल दिया जाता है", यह कथन है–**

(क) मोस्का

(ख) सी. राईट मिल्स

(ग) लासवैल

(घ) मोरिस डुबर्जर

13. **विशिष्ट–वर्ग समाज के संस्थगत हृदय की उपज है यह कथन निम्नलिखित विद्वान का है**

(क) मोस्का

(ख) सी. राईट मिल्स

(ग) जेम्स बर्नहाम

(घ) पेरेटो

**14. मोस्का ने विशिष्ट–वर्ग को किस नाम से पुकारा है?**

(क) शासक वर्ग

(ख) शक्ति अभिजन वर्ग

(ग) सत्ता अभिजन वर्ग

(घ) शासकीय विशिष्ट वर्ग

**उत्तरः**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | क | (2) | ख | (3) | घ | (4) | क | (5) | घ |
| (6) | ख | (7) | क | (8) | ग | (9) | ख | (10) | घ |
| (11) | घ | (12) | घ | (13) | ख | (14) | क | | |

# v/;k; 6

# ukdj'kkgh
# (Bureaucracy)

## y/kqrjkRed iz'u
## (Short Answer Type questions)

**1. नौकरशाही से आप क्या समझते हैं?**

*अथवा*

**नौकर शाही का क्या अर्थ है?**

*अथवा*

**नौकरशाही का परिभाषा दीजिए।**

**उत्तरः** नौकरशाही जिसे अंग्रेज़ी में Bureaucracy कहा जाता है वास्तव में फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो (Bureau) तथा क्रेसी (Cracy) से लिया गया है। ब्यूरो का अर्थ है डेस्क अथवा लिखने की मेज तथा क्रेसी का अर्थ शासन होता है। इसलिए नौकरशाही को डेस्क सरकार भी कहा जाता है। नौकर शाही उन सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों के वर्ग को कहा जाता है जो स्थायी रूप से प्रशासनिक कार्यो की जिम्मेदारियां संभालते हैं। ये पदसोपानिक व्यवस्था के अन्तर्गत एक दूसरे से गुंथे रहते हैं। इन्हें सरकारी खजाने से निर्धारित वेतन प्रति माह तथा सेवानिवृति के पश्चात पेंशन दिया जाता है। इनकी नियुक्ति या भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर (लिखित तथा मौखिक) होती है। नियुक्ति से पहले इन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इनका कार्यकाल स्थायी होता है परन्तु विशेष परिस्थितियों में इन्हें समय से पहले हटाया जा सकता है। इन्हे प्रशासनिक समस्याओं की पूरी जानकारी होती है, अतः सरकार का सारा प्रशासनिक कार्य इन्हीं नौकरशाहों की सहायता द्वारा किया जाता है।

नौकरशाही के संबंध में विभिन्न विचारकों का मत निम्नलिखित है–

**मैक्स बैबर के अनुसार–**नौकरशाही प्रशासन की उस व्यवस्था का नाम है जिसकी विशेषता है– विशेषज्ञता, निषपक्षता तथा मानवता का अभाव।

**डीमाक के अनुसार–**नौकरशाही का अर्थ है विशेषीकृत पदसोपान एवं संचार की लम्बी रेखाएँ।

**फाइनर के अनुसार**–प्रशासनिक सेवा ऐसे अधिकारियों का समुच्चय है जो स्थायी, वैतनिक तथा प्रशिक्षित होता है।

**राबर्ट सी. स्टोन के अनुसार–**इस शब्द का शब्दिक अर्थ कार्योलय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा शासन है।

**2. नौकरशाही की चार मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।**

(i) **योग्यता के आधार पर नियुक्ति–**प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति निर्धारित शैक्षणिक या अन्य योग्यता के आधार पर होती है। उनकी नियुक्ति राजनीतिक आधारों पर नहीं की जाती है।

(ii) **पदसोपान का सिद्धांत**–प्रशासनिक अधिकारी अर्थात नोकरशाही पद–सोपान के सिद्धांत पर गठित होती है। आदेश उच्चतर अधिकारियों द्वारा आते हैं तथा निम्नतर अधिकारियों को इनकी आज्ञाओं का

पालन करना पड़ता है। निम्न अधिकारी अपने कार्यों के लिये अपने से उच्च अधिकारी के प्रति उतरदायी होता है।

(iii) **कार्यों का उचित विभाजन**–नौकरशाही में पूरे प्रशासनिक कार्य को तर्कपूर्ण ढंग से उचित रूप में बांटा जाता हैं। पदसोपानिक व्यवस्था केकारण प्रशासनिक ढांचा बन जाता है और हर स्तर के कर्मचारी को उसकी जिम्मेदारी तथा कार्य स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है।

(iv) **स्थायी कार्यकाल**–नौकरशाही के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। सरकार के परिर्वतन से उनके कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु विशेष परिस्थितियों में इन्हें समय से पूर्व हटाया जा सकता है।

**3. नौकरशाही के चार कार्यों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** नौकरशाही के चार मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं।

(i) **मंत्रियों की सहायता करना**–नीति निर्माण के कार्य तथा विभाग से संबंधित प्रशासनिक कार्यों में मंत्रियों की सहायता प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है।

(ii) **नीतियों को क्रियान्वित करना**–देश का शासन चलाने के लिये मंत्री नीतियों का निर्माण करते हैं। उन नीतियों का क्रियान्वयन नौकरशाही यानि प्रशासनिक अधिकारियों के द्धारा किया जाता है।

(iii) **प्रशासकीय कार्य**–सरकार की नीतियों को लागू करना तथा उसके अनुसार प्रशासन चलाना नौकरशाही का कार्य होता है। नीति निर्माण के समय मंत्रियों को आँकड़े तथा तथ्य उपलब्ध कराना तथा मंत्री को विधानमंडल में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता प्रशासनिक अधिकारियों द्धारा दिया जाता है।

(iv) **विभागों में समन्वय स्थापित करना**– नौकर शाही शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करती हैं।

**4. लाल फीताशाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए।**

**उत्तरः** नौकरशाही की मुख्य विशेषता लालफीता शाही है। लाल फीता शाही का अर्थ है–लोक सेवकों द्वारा अपने कार्यों में अनावश्यक देरी करना। नौकरशाही अपना सब कार्य निश्चित नियमों तथा लिखित नियमों के अनुसार करती हैं। वे कठोर अनुशासन तथा नियमों से बन्धे होते हैं और इन नियमों का सहारा लेकर ही वे निर्णय करने तथा आदेश देने में व्यर्थ की देरी लगाते हैं। इसके कारण कोई भी कार्य समय परनहीं होता तथा लोगों को दफ्तरों के चक्कर अनावश्यक रूप से काटने पड़ते है। इसे ही लालफीताशाही कहते हैं। नौकरशाही अपना दबदबा इसी आधार पर बनाए रखते हैं। लालफीताशाही के कारण ही जनता को अधिकारियों के पीछे घूमने तथा उनकी खुशामद करने के लिये विवश होते हैं।

**5. लोक सेवा की तटस्थता से आपका क्या अभिप्राय है?**

**उत्तरः** मंत्री राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं तथा उनके सभी निर्णय राजनीतिक से प्रेरित होते हैं। मंत्रियों का कार्यकाल अस्थायी होता है। मंत्रियों के पास समय की कमी होती है तथा वे प्रशासनिक कार्यो से भी अनमिज्ञ, होते हैं। इसलिए सारे प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेवारी प्रशासनिक अधिकारियों यानि लोक सेवकों को निभानी होती है। अतः लोक सेवकों को तटस्थ होना अति आवश्यक हो जाता है। तटस्थ का अर्थ है कि लोक सेवकों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए तभी वे निष्पक्ष होकर सरकार के नीतियों को क्रियान्बित कर सकते हैं। भारत में प्रशासनिक अधिकारियों को सक्रिय राजनीति में भाग लेने तथा किसी भी राजनीतिक संगठन के सदस्य बनने पर प्रतिबंध है। यानि उन्हें निष्पक्ष होकर सार्वजनिक हित में सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करता है।

**6. नौकरशाही के महत्व की चार बातों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** नौकरशाही का चार महत्व निम्नलिखित हैं।

(i) प्रजातंत्र में सरकार अस्थायी होती है यानि सरकारे बदलती रहती है, परन्तु प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यकाल स्थायी होता है जिसके कारण उनका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

(ii) प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यकाल स्थायी होने के कारण वे अपने कार्य में दक्ष होते हैं तथा उनमें अनुभवों की भी बहुतायत होती है। नई सरकार या मंत्रियों के बदलने से भी प्रशासन या प्रशासनिक कार्यों में काई गतिरोध नहीं आता है, यानि प्रशासन का कार्य निरंतर चलता रहता है।

(iii) मंत्री के पास समय की कमी होती है तथा वे विशेषज्ञ भी नहीं होते हैं इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों के बिना शासन चलाना संभव नहीं होता है।

(iv) मंत्री जनता के हितों को ध्यान रखकर नीति निर्माण का कार्य करते हे। तथा प्रशासनिक अधिकारी इनकों क्रियान्वित करते हैं।

**7. नौकरशाही के चार दोषों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** (i) **लालफीताशाही**–नौकरशाही निश्चित तथा कठोर नियमों के अधी कार्य करती है अतः कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है।

(ii) **औपचारिकता**–नौकरशाही में औपचारिक्ता के कारण आत्म–निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अधिकारियों को पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना होता है जिसके कारण वे यंत्रवत हो जाते हैं तथा निर्णय लेने में घबराते हैं।

(iii) **सत्ता की भूख**–नौकरशाही सत्ता की भूखी होती है। सत्ता को बढ़ाने के चक्कर में वे जनता की भलाई को भूल जाते हैं।

(iv) **तानाशाही व्यवहार**–नौकरशाही का व्यवहार तानाशाही का होता है। वे किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते उनका तर्क होता है कि वे नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए कोई गलत काम नहीं करते।

**8. नौकरशाही के दोषों को दूर करने के चार उपाय बताओ।**

**उत्तरः** नौकरशाही के दोषों को दूर करने के चार उपाय निम्नलिखित हैं।

(i) **सत्ता का विकेन्द्रीकरण**–नौकरशाही की निरंकुशता तथा तानाशाही पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस कार्य के लिए शक्तियों तथा सत्ता का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण किया जाए।

(ii) **प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना**–न्यायपालिका द्वारा न्याय देने में व्यर्थ की देरी होती है तथा आम जनता को व्यर्थ का खर्च भी होता है। साधारण न्यायालय द्वारा प्रशासकों या नौकरशाही पर नियंत्रण करने में कठिनाई आती है। इसलिए नौकरशाही को अपने कार्य के प्रति उतरदायी तथा उन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशसकीय न्यायाधिकारणों की स्थापना की जानी चाहिए।

(iii) **प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल न हो**–प्रशासन को तथा प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि आम जनता की समझ में आ सके और जनता को नौकरशाही के शोषण से बचाया जा सके।

(iv) **जनता में जागृति पैदा करना**–नौकरशाही को सुधारने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि नौकरशाही के प्रति जनता को जागरूक बनाया जाय यानि जनता को सरकारी कानूनों नियमों तथा जनता को उनके कर्तव्यों की जानकारी भी दी जानी चाहिए।

**9. स्थायी तथा राजनीतिक कार्यपालिका में चार अन्तर बताए।**

**उत्तरः** राजनीतिक कार्यपालिका का तात्पर्य संसदीय सरकार में मंत्री से है जबकि स्थायी कार्यपालिका का तात्पर्य प्रशासकीय अधिकारी या नौकरशाही से है। स्थायी तथा राजनीतिक कार्यपालिका में चार अन्तर निम्नलिखित है।

(i) **राजनीतिक कार्यपालिका निर्वाचित और स्थायी कार्यपालिका नियुक्त होती है–** राजनीतिक कार्यपालिका यानि मंत्री का चुनाव लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली में देश के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से किया जाता है जबकि स्थायी कार्यपालिका यानि नौकरशाही की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है।

(ii) **लोक सेवा के अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं मंत्री नहीं–**मंत्री के लिये कोई योग्यता निर्धारित नहीं रहती है तथा प्रत्येक मंत्री को एक अथवा एक से अधिक विभाग दिये जाते हैं इसलिए मंत्री अपने विभाग के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। जबकि लोक सेवक का कार्यकाल स्थायी होता है, इसलिए ये बहुत अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं।

(iii) **राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित जबकि स्थायी कार्यपालिका का निश्चित–**राजनीतिक कार्यपालिका यानि मंत्री का कार्यकाल अल्प समय के लिये होता है, यानि सरकार के कार्यकाल या कार्यपालिका प्रमुख पर निर्भर करता है। जबकि लोकसेवाओं का कार्यकाल निश्चित होता है। निश्चित कार्यकाल के पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता।

(iv) **मंत्री उत्तरदायी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं–**संसदीय सरकार में मंत्री अपने कार्यों के लिये सीधे तौर पर संसद तथा जनता के प्रति उतरदायी होते हैं जबकि प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यों के लिये मंत्री के प्रति उतरदायी होते हैं। क्योंकि ये अपने समस्त कार्य मंत्रियों के अधीन रहते हुए करते हैं।

**10. अच्छी लोक सेवाओं के गुणों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** अच्छी लोक सेवा के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं।

(i) अच्छी लोक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि लोक सेवकों को दलगत राजनीति से अलग होना चाहिए। यानि निष्पक्ष होकर जनता के हित में कार्य करना चाहिए। उसका किसी विशेष दल के साथ संबंध नहीं होना चाहिए।

(ii) उन्हें ईमानदार तथा निःस्वार्थ होना चाहिए।

(iii) उन्हें योग्य तथा अनुभवी होना चाहिए ताकि किसी को उन पर अनुचित दबाव डालने का अवसर न मिल सके।

(iv) उन्हें अपने कार्यों तथा कर्तवयों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्हें सरकार की नीतियों को दलगत भावना तथा निस्वार्थ भाव से पूरी निष्ठा के साथ लागू करना चाहिए

**11. वचनबद्ध नौकरशाही से आपका क्या अभिप्राय है?**

**उत्तरः** वचनबद्ध अथवा प्रतिबद्ध नौकरशाही का तात्पर्य नौकरशाही का किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के सिद्धान्तों एवं नीतियों को पालन करते हुए क्रियान्तित करने से है। यानि उस दल के निर्देशनुसार कार्य करती है। प्रतिबद्ध या वचनबद्ध नौकरशाही निष्पक्ष एवं स्वंतत्र होकर कार्य नहीं करती, बल्कि इसका कार्य किसी दल विशेष की योजनाओं को आँख बन्द कर लागु करना होता है। वचनबद्ध नौकरशाही केवल साम्यवादी देश, जैसे–रूस व चीन जैसे देशों में पायी जाती हैं। इन देशों में एक ही राजनीतिक दल की सरकार है और वहां पर नौकरशाही उस देश की सरकार यानि साम्यवादी दल के सिद्धान्तों, लक्ष्यों एवं नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध है।

**12. नौकरशाही तथा विकास कार्यों पर टिप्पणी लिखिए।**

**उत्तरः** आधुनिक राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोककल्याण कारी राज्य में सरकार का लक्ष्य नागरिकों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करना है। सरकार विकासात्मक तथा लोक कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में भूमिका निभाती है। अतः कल्याणकारी राज्य की सफलता चरित्रवान प्रशसकीय योग्यता व व्यवहारिक ज्ञान संपन्न नौकरशाही पर निर्भर करती है। राजनीतिक कार्यपालिका यानि मंत्रियों के द्वारा नीति का निर्माण किया जाता है परंतु इन नीतियों का क्रियान्वयन नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। यानि वास्तविक प्रशासन इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। इस प्रकार नौकशाही लोकसेवकों के रूप में जनता के विकास तथा कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

**13. नौकरशाही की भर्ती के कौन कौन से तरीके हैं। संक्षेप में समझाएं।**

**उत्तरः** नौकरशाही की भर्ती के लिये मुख्यतः निम्नलिखित तरीके अपनाएं जाते हैं।

1. **राजनीति पर आधारित नियुक्ति–**कुछ देशों में अधिकारियों की नियुक्ति राजनीति से प्रेरित होती है। सरकार के बदलने पर उच्च अधिकारियों को भी बदल दिया जाता है। अमेरिका में चुनाव के पश्चात् प्रत्येक नया राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा पुराने अधिकारियों को अपने पद से हटा देता है। इन अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीति के आधार पर की जाती है। इस पद्धति को लूट–खसोट पद्धति (Spoil System) कहते हैं।

2. **योग्यता के आधार पर नियुक्ति–**इस पद्धति में अधिकारियों की नियुक्ति उनके शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य निर्धारित योग्यताओं के आधार पर की जाती है। नियुक्ति ठीक ढंग से करने के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की जाती है, जो लिखित तथा मौखिक परीक्षा के आधार पर योग्यता की सूची तैयार करती है तथा मेधाक्रम में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्धारा की जाती है। इस पद्धति को प्रत्यक्ष भर्ती भी कहते हैं। यह पद्धति भारत इंगलैंड जर्ममनी आदि देशों में अपनायी जाती है।

3. **अप्रन्यक्ष भर्ती अथवा पदोन्नति–** लोक सेवाओं की भर्ती का एक अन्य तरीका यह है कि एक विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित अनुभव प्राप्त करने के पश्चात उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रणाली के द्वारा अनुभवी व्यक्ति चुने जाते हैं तथा इससे कर्मचारियों का उत्साह तथा कार्यकुशलता बढ़ती है।

4. **व्यक्तिगत तथा सामूहिक भर्ती–** व्यक्तिगत भर्ती विशेष येाग्यता वाले व्यक्तियों की साक्षात्कार के बाद पदों पर नियुक्ति की जाती है। यदि पदों की संख्या अधिक हो और अधिक कर्मचारियों की भर्ती करनी हो तो सामूहिक भर्ती का ढ़ंग अपनाया जाता है। सामाजिक भर्ती में विशेष योग्यता की आवयश्यकता नहीं होती है।

## oLrfu"B ¼cg&odfYid½ i:'u
## (Objective Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ के वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए।

**1. Bureaucracy शब्द की उपति किस भाषा से हुई है?**

(क) लैटिन भाषा

(ख) जर्मन भाषा

(ग) फ्रांसीसी भाषा

(घ) अंग्रेज़ी भाषा

**2. फ्रांसीसी भाषा में Bureau शब्द का अर्थ होता है–**

(क) डैस्क

(ख) राज्य

(ग) सरकार

(घ) समाज

**3. लोकसेवकों की नियुक्ति होती है–**

(क) राजनीतिक आधार पर

(ख) योग्यता के आधार पर

(ग) प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर

(घ) मनोनीत किये जाते हैं

**4. नोकरशाही किसको परामर्श देती है?**

(क) संसद को

(ख) राजनीतिक दलों को

(ग) मंत्रियों को

(घ) न्यायपालिका को

**5. जनता तथा सरकार के मध्य कड़ी का काम करते है–**

(क) लोकसेवक

(ख) धार्मिक नेता

(ग) संसद

(घ) न्यायपालिका

**6. "नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की वास्तविक कीमत है", यह कथन है**

(क) फाइनर

(ख) गैटेल

(ग) मोरिसन

(घ) मैक्स वेबर

**7. सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने का अधिकार है–**

(क) संसद को

(ख) न्यायपालिका को

(ग) लोक सेवकों को

(घ) उपरोक्त सभी को

**8. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है?**

(क) मंत्रियों को परमर्श देना

(ख) नीतियों का लागू करना

(ग) बिलों की रूपरेखा तैयार करना

(घ) संसद सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना

**9. नौकरशाही का प्रयोग किसके लिये किया जाता है?**

(क) राजनीतिक दल

(ख) संसद

(ग) सरकारी कर्मचारी

(घ) उपरोक्त में से किसी के लिये नहीं

**10. "प्रशासनिक सेवा ऐसे अधिकारियों का समुच्चय है जो स्थायी, वैतनिक और प्रशिक्षित होता है", यह कथन है–**

(क) फाइनर

(ख) लास्की

(ग) डेविड ईस्टन

(घ) ब्राइस

**11. "नौकरशाही वह शासन–प्रणाली है जिसमें लोक सेवकों में इतनी अधिक केन्द्रित हो जाती है कि सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है।", यह विचार है–**

(क) गिलक्राइस्ट

(ख) पेरेटो

(ग) लास्की

(घ) सीले

**12. "नौकरशाही प्रशासन की उस व्यवस्था का नाम है जिसकी विशेषता है'। विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव", यह कथन है**

(क) राबर्ट ए. डहल

(ख) ब्लंशली

(ग) मैक्स वेबर

(घ) वैण्टले

**13. नौकरशाही का अर्थ बदनामी तथा बिगाड़ के कारण घोटाला, स्वेच्छाचारिता कार्यालय की कार्रवाई तथा तानाशाही होकर रह गया है", यह विचार है–**

(क) विलोबी

(ख) फाइनर

(ग) जॉन एबेग

(घ) मुनरो

**14. "मंत्रियों के उतरदायित्व की छाया में नौकरशाही फलती फूलती है" यह विचार है–**

(क) रैम्जे म्योर

(ख) ब्राइस

(ग) ऑग्स्टेन

(घ) लास्की

**15. भारत में स्थायी कार्यपालिका है–**

(क) मंत्रिमंडल

(ख) राष्ट्रपति

(ग) उप–राष्ट्रपति

(घ) प्रशासनिक अधिकारी

उत्तरः (1) ग (2) क (3) ख (4) ग (5) क

(6) ग (7) ग (8) घ (9) ग (10) क

(11) ग (12) ग (13) ग (14) क (15) घ

# v/;k; 7

# jktuhfrd laLÑfr

# (Political Culture)

**1. राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं?**

*अथवा*

**राजनीतिक संस्कृति की मुख्य परिभाषा दीजिए**

*अथवा*

**राजनीतिक संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक संस्कृति एक आधुनिक व व्यापक अवधारणा है। प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग–अलग होती है इसलिए इसकी राजनीतिक संस्कृति भी अलग होती हैं जिस तरह संस्कृति में मानव–समुह के व्यवहारों उसकी मान्यताओं विश्वासों घ्रणा कर्तव्य आदि सभी बातों को शामिल करते हैं उसी तरह राजनीतिक संस्कृति में लोगों की राजनीतिक मान्यताओं, राजनीतिक व्यवहार, अधिकार, कर्तव्य आदि को शामिल करते हैं। अतः जब मानव समुदाय के संस्कृति तत्व राजनीति व्यवहार को प्रभावित करते हैं तब उन्हें राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है।

राजनीतिक संस्कृति को आधुनिक लेखकों ने निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है।

आमण्ड एव उनके सहयोगी पावेल के अनुसार, "राजनीतिक संस्कृति एक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उसके सदस्यों की राजनीतिक समस्याओं के प्रति मिलने वाले दृष्टिकोणों और अभिवृतियों या अनुकूलन का नाम है।"

**सरिक रोबो के अनुसार**–राजनीतिक संस्कृति व्यक्तिगत मूल्यों, विश्वासों और भावनात्मक दृष्टिकोणों या व्यवहारों की प्रतिकृति है।

**पारसन्स के अनुसार**–राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति किया गया अनुकूलन है।

**राय मैक्रीडिस के अनुसार**–राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एक मानव समूह के द्वारा स्वीकृत सामान्य लक्ष्णों और सामान्य नियमों से होता है।

**2. राजनीतिक संस्कृति की पांच विशेषताओं का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक संस्कृति की पांच विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

(i) **एक व्यापक धारणा**–राजनीतिक संस्कृति के बारे में आधुनिक विद्वानों का कहना है कि वह एक व्यापक धारणा है जो देश में रहने वाले मानव समुदाय द्वारा अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनायी गयी विश्वासों मूल्यों और मनोभावों आदि से बनती है। जिस तरह देश का साहित्य, संगीत, परंपराएं ओर आस्थाएँ आदि लगातर चलने वाली धारा उस देश की संस्कृति बन जाती है उसी तरह एक देश की राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्थाएं एवं उनकी कार्य प्रद्धति की मिली जुली धारा उस देश एवं समाज की राजनीतिक संस्कृति कहलाती है।

(ii) **गतिशीलता**–राजनीतिक संस्कृति सामाजिक और आर्थिक परिवारों या तत्वों से बराबर प्राभावित होती है। जिसके कारण वह स्थिर न होकर सदैव गतिशील रहती है।

(iv) **अमूर्त नैतिक अवधारणा**–राजनीतिक संस्कृति को केवल अनुभव किया जा सकता है या उसे समझा जा सकता है। असलिए उसे एक अमूर्त नैतिक अवधारणा कहकर पुकारा गया है।

(v) **सामान्य संस्कृति का भाग**–किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित राजनीतिक संस्कृति आधारभूत रूप में उस समाज की सामान्य संस्कृति का ही एक अंग या भाण होती है क्योंकि वह उस समाज की विश्वासों, मूल्यों और मनोभावनाओं, आदि विभिन्न रूप में जुड़ी हुई होती है।

**3. नागरिक राजनीतिक संस्कृति व सैद्धान्तिक राजनीतिक संस्कृति पर संक्षिप्त नोट लिखिए।**

**उत्तरः** **नागरिक राजनीतिक संस्कृति**–नागरिक राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक गतिविधियों और अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में सचेत एवं जागरूक रहते है। इसमें विशिष्ट वर्ग को राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार होता है। साथ ही इस वर्ग को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस आदि देश ऐसी राजनीतिक संस्कृति के उदाहरण हैं।

**सैद्धान्तिक राजनीतिक संस्कृति**–इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में एक विशेष प्रकार की राजनीतिक विचारधारा को प्रोत्साहन दिया जाता है तथा समाज के व्यक्तियों के जीवन को इसी विचारधारा के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया जाता है। इसी राजनीतिक विचारधारा को सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन में पूरी तरह लागु किया जाता है। राजनीतिक विचारधारा के विरोध को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाता और इससे मतभेद रखने वालों का पूरी तरह दमन पर किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान और उससे पहले के मुसोलिनी–कालीन इटली और हिटलर–कालीन जर्मनी तथा कम्यूनिष्ट शासन–व्यवस्थाएं इसके उदाहरण हैं। सैनिक तानाशाही वाली सरकार इसी श्रेणी के अन्तरर्गत आते हैं।

**4. समरूप राजनीतिक संस्कृति व खण्डित राजनीतिक संस्कृति पर संक्षिप्त नोट लिखिए।**

**उत्तरः** **समरूप राजनीतिक संस्कृति**–जिस देश के निवासियों के राजनीतिक विचारों में बहुत अधिक विषमता नहीं होती वहां समरूप राजनीतिक संस्कृति पायी जाती है। ऐसे देशों में लोगों के राजनीतिक उद्देश्यों ओर उनकी प्राप्ति के साधनों के विषय में एक जैसे विचार होते हैं और विभिन्न नेताओं तथा दलों में आधातमूल बातों पर गहरे मतभेद नहीं होते। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश।

**खण्डित राजनीतिक संस्कृति**–बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में खण्डित राजनीतिक संस्कृति प्रायः देखने को मिलती है। यह संस्कृति प्रायः ऐसे देशों में मिलती है जहां विभिन्न वर्गों या राजनीतिक दलों के राजनीतिक प्रतिमान अलग–अलग तरह के होते हैं। और उनमें सहमति कायम होना सरल नहीं होता, जैसे फ्रांस एवं इटली इत्यादि।

**5. राजनीतिक संस्कृति के आधारों का विवरण दिजिए।**

*अथवा*

**राजनीतिक संस्कृति को प्राभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।**

*अथवा*

**राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों का उल्लेख कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व व आधार निम्नलिखित हैं–

(i) **ऐतिहासिक आधार**–राजनीतिक व्यवस्था व राजनीतिक स्ंस्कृति के निर्माण में परंपराओं की अपनी भूमिका होती है। राजनीतिक घटनाएं सदैव राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। जैसे फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति पर वहां की क्रान्ति 1789 का प्रभाव पड़ा। भारत की राजनीतिक संस्कृति पर भारत छोड़ो आन्दोलन र्सावनय अवज्ञा आन्दोलन आदि अन्य राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव पड़ा। अतः राजनीतिक संस्कृति पर ऐतिहासिक घटनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता हे।

(ii) **भोगोलिक आधार**–किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाला दूसरा व महत्वपूर्ण तत्व भौगोलिक आधार है। बड़े क्षेत्रफल व बड़ी जनसंख्या वाले देश पर छोटे मोटे राजनीतिक

तूफानों का कोई असर नहीं होता जबकि छोटे आकार के देश में हिंसा द्वारा शीघ्र परिर्वतन किया जा सकता है। नेपाल की राजनीतिक संस्कृति को भारत की राजनीतिक संस्कृति ने प्रभावित किया है इस कारण भारत व नेपाल की सीमा सटी होता है। अपनी भोगोलिक स्थिति के कारण स्विट्जरलैंड ने तटस्थ विदेश नीति के अपना रखा है। आधुनिक भारत की राजनीतिक संस्कृति को भौगोलिक स्थिति ने खूब प्रभावित किया है।

(iii) **जातीय तत्व**–प्रत्येक समाज में विभिन्न जातीय समूह होते हैं जो जातीय भेदभाव व विरोधों के जन्म देते हैं। जातीय तत्व राजनीतिक सस्कृति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। भाषायी, सांस्कृतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय व धार्मिक विभिन्नताएं इन भेदों व विरोधों को गहरा करती है। दक्षिण अफ्रिका की राजनीतिक संस्कृति राज्य के अन्य भागों से भिन्न होती है।

**6. राजनीतिक संस्कृति की पांच उपयोगिता वर्णन कीजिए अथवा राजनीतिक संस्कृति का राजनीति–शास्त्र के अध्ययन में क्या महत्व है।**

**उत्तरः** राजनीतिक संस्कृति की उपयोगिता या महत्व निम्नलिखित है।

(i) **राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित**–राजनीतिक संस्कृति की सर्वप्रथम उपयोगिता यह है कि इसने विद्वानों का ध्यान राजनीतिक व्यवस्था पर केन्द्रित किया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एस. पी. वर्मा के अनुसार व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीतिक–शस्त्र के अध्ययन को व्यक्तिवादी बना दिया है, परन्तु बाद में राजनीतिक संस्कृति ने राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक शास्त्र विषय बना दिया है।

(ii) **राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र विस्तृत करने में सहायक**–राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक तत्वों के साथ–साथ गैर–राजनीतिक तत्वों–समाजिक व आर्थिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। इसी कारण राजनीति शास्त्र के विज्ञानों को राजनीतिक सस्कृति ने ग़ैर–राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया अतः इससे राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई।

(iii) **व्यवहार के नियामकों के अध्ययन में सहायक**–राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवहार के समझने में सहापता करती है। राजनीतिक संस्कृति हमें राजनीति में तर्क पूर्ण तत्वों के साथ–साथ तर्कहीन तत्वों के अध्ययन के भी योग्य बनाती है।

राजनीतिक विकास के विभिन्न आयामों व दिशाओं के समझने में सहायक– राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा ने राजनीतिक विकास की अवधारणा के समझने में सहायता प्रदान की है। यह राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक ह्रास कैसे और क्यों होता है, समझने में सहायता करती है।

**7. राजनीतिक संस्कृति की आलोचना के आधार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक संस्कृति की आलोचना के आधार निम्नलिखित है।

(i) **अस्पष्ट अवधारणा**–राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा असष्ट है। विचारकों द्वारा न तो उचित परिभाषांए दी है और न ही कोई सुनिश्चित व्याख्या की है।

(ii) **राजनीतिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन असंभव**–राजनीतिक संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, परन्तु यह तुलनात्मक अध्ययन केवल लोकतंत्रीय समाजों या राष्ट्रों में ही किया जा सकता है। अधिनायक वादी समाजों में तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में विचारकों ने उल्लेख नहीं किया है।

(iii) **राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक संरचना में संबंध अस्पष्ट**–विचारकों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि राजनीतिक संस्कृति का उस देश की राजनीतिक संरचना से क्या संबंध है। क्या केवल राजनीतिक संस्कृतिक की संरचना को प्रभावित करती है, इन प्रश्नों का राजनीतिक संस्कृति के प्रतिपादकों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्रस्तुत किया है।

(iv) **पुराना विचार, नया नाम**–राजनीतिक संस्कृति की यह कहकर आलोचना की गयी है कि यह पुराने विचारों के रूप में नया नाम है। यानि जिनका राजनीतिक संस्कृति में उल्लेख किया गया है, उनका अध्ययन राजनीतिक शास्त्र में पहले भी किया जाता था। जैसे–राजनीतिक मूल्य, राष्ट्रीय चरित्र इत्यादि। ऐसी स्थिति में मौलिकता कहाँ है, नवीनता क्या है?

## oLrfu"B ¼cg&fodYih½ i'u
## (Objective Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए।

**1. राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सर्तप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया–**

(क) आमण्ड

(ख) मैक्यावली

(ग) डॉ. एस. पी. वर्मा

(घ) पारसन्स

**2. राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है–**

(क) राजनीतिक दलों से संबंध

(ख) दवाब समूहों से संबंध

(ग) सामान्य संस्कृति का भाग

(घ) सरकार से संबंध

**3. आमण्ड व पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के घटक (अंग) है–**

(क) ज्ञानात्मक अनुकूल्न

(ख) प्रभावात्मक अनुकूलन

(ग) मुल्यांकन अनुकूल्न

(घ) उपरोक्त सभी

**4. आमण्ड व बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के रूप हैं–**

(क) संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति

(ख) पराधीन राजनीतिक संस्कृति

(ग) भागीदार राजनीतिक संस्कृति

(घ) उपरोक्त सभी

**5. राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों के संबंध में ठीक नहीं है–**

(क) ऐतिहासिक तत्व

(ख) भौगोलिक तत्व

(ग) मानसिक तत्व

(घ) सामाजिक तत्व

**6. राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों के संबंध में निम्नतिखित में से ठीक नहीं है।**

(क) राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन

(ख) राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है

(ग) राजनीतिक व्यवहार के निर्धारिकों का अध्ययन

(घ) राजनीतिक दलों व समूहों का अध्ययन

**7. ये शब्द किस विचारक के हैं–"राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति मुख्य रूप से शासकों इकाइयों और प्रक्रियाओं की औचित्यपूर्णता से संबंधित है।"**

(क) फाइनर

(ख) पारसन्स

(ग) आमण्ड

(घ) एरिक रोवे

**8. यह कथन किस लेखक का है–"राजनीतिक संस्कृति व्यक्तिगत मूल्यों विश्वासों और भावनात्मक दृष्टिकोणों या व्यवहारों की प्रतिकृति है।"**

(क) आमण्ड

(ख) पावेल

(ग) एरिक रोबे

(घ) इनमें से कोई भी नहीं

**9. यह कथन किस विद्यान का हैं–"राजनीतिक संस्कृतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति किया गया अनूकूलन है।"**

(क) पावेल

(ख) डेनिस कावानाग

(ग) लास्की

(घ) पारसन्स

**10. यह कथन किस राजनीति शास्त्री का है। राजनीतिक संस्कृति में न केवल राजनीति के प्रति दृष्टिकोण राजनीतिक मूल्य, विचार धाराएं, राष्ट्रीय चारित्र और सांस्कृतिक प्रकृति ही शामिल है, बल्कि इसमें राजनीति की शैली, पद्धति और रूप भी सम्मिलित होते हैं।**

(क) डॉ. एस. पी. वर्मा

(ख) सी. बी. गैना

(ग) प्रो. लास्की

(घ) पावेल

**उत्तरः** (1) क (2) ग (3) घ (4) घ (5) ग

(6) घ (7) क (8) ग (9) घ (10) क

# v/;k; 8

# jktuhfrd lekthdj.k

# (Political Socialization)

## लघुतरात्मक प्रश्न
## (Short Answer Type Questions)

1. **राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ बताइए।**

*अथवा*

**राजनीतिक समाजीकरण का परिभाषा दीजिए।**

**उत्तरः** व्यक्ति समाज में रहना या व्यवहार करना समाज से सीखता है धीरे–धीरे वह सामाजिक प्राणी के रूप में परिणत हो जाता है। इसी क्रम को समाजीकरण कहते हैं। राजनीतिशास्त्र के विद्वानों ने इस प्रक्रिया का प्रयोग राजनीतिक क्षेत्र में किया और इस प्रक्रिया के द्वारा ही मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास किया और इस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण का नाम दिया। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया दें जिसके द्वारा व्यक्ति के राजनीतिक अनुकूलन का पता लगता है अर्थात इसके द्वारा व्यक्ति के राजनीतिक संस्कृति की ओर रूझान का पता लगता है।

राजनीतिक समाजीकरण की प्रस्तुत परिभाषाएं निम्नलिखित है।

**आमण्ड एवं सिडनी वर्बा के अनुसार–** राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाये रखा जाता हैं और उनमें परिवर्तन किये जाते हैं।

**डेनिस कावानाग के अनुसार–**राजनीतिक समाजीकरण शब्द उस प्रक्रिया के लिये प्रयोग किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति आकर्षित होता है और उसे सीखता एवं विकसित करता है।

**हरबर्ट एच. हायमन के अनुसार–**राजनीतिक समाजीकरण विभिन्न मध्यस्थ एजेन्सियों के माध्ययम से व्यक्ति द्वारा अपनी सामाजिक स्थितियों के संबंधित प्रतिरूपों का अध्ययन है।

**एरिफ रो के अनुसार–**राजनीतिक समाजिकरण वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा एक राजनीतिक संस्कृति के मूल्य विश्वास और भावनाएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाए जाते हैं।

2. **राजनीतिक समाजीकरण की चार मुख्य विशेषताओं का वर्णन किजिए।**

**उत्तरः** (i) ***एक सामाजिक प्रक्रिया–***राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सभी समाजों में चलती रहती है। लोकतातित्रक राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रक्रिया की गति प्रायः तेज होती है और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रक्रिया की गति धीमी होती है।

(ii) ***राजनीतिक परिर्वतन से गहरा संबंध–***राजनीतिक समाजीकरण का राजनीतिक बदलाव से भी गहरा संबंध है। एक और राजनीतिक समाजीकरण से बननेवाले नए विश्वास और मूल्य राजनीतिक परिर्वतन ला सकते हैं तो दुसरी और राजनीतिक परिर्वतन के बाद भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है और वह चलती रहती है।

(iii) ***सीखने की प्रक्रिया–***प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों और के परिवेश या वातावरण से प्रभावित होता है और उससे उसमें राजनीतिक अनुकूलन की भावनाएं विकसित होती है और उसे नई नई बातें सिखाती है, जिन्हें राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है।

(iv) ***राजनीतिक समाजीकरण औपचारिक तथा अनौपचारिक है***–राजनीतिक समाजीकरण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ढंग से होता है। यदि राजनीतिक समाजीकरण सचेत रूप में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं, समाचार पत्रों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो यह राजनीतिक समाजीकरण की औपचारिक प्रक्रिया है। दूसरी और यदि लोगों के राजनीतिक मूल्य विश्वासों और अभिवृतियों में परिर्वतन विशेष प्रयत्नों से न होकर अपने आप होता है तो इसे अनौपचारिक प्रक्रिया कहते है।

**3. राजनीतिक समाजीकरण के पाँच प्रमुख अभिकरणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक समाजीकरण के पाँच प्रमुख अभिकरण निम्नलिखित है।

(i) **शिक्षण संस्थाएं**–विद्यालय कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि राजनीतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में अलग–अलग तरह की सामाजिक–राजनीतिक विचारधाराओं से परिचित होता है और इससे उसका राजनीतिक समाजीकरण होने लगता है।

(ii) **मित्र–मंडली**–मित्रगण आपस में एक दूसरे की भावनाओं और मूल्यों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अतः यदि उनमें सार्वजनिक मामलों की जानकारी पाने की रूचि अधिक होती है, तब उस स्थिति में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

(iii) **प्रचार के आधुनिक साधन**–प्रचार के आधुनिक साधन यानि रीडियो, दूरदर्शन, समाचार–पत्रों आदि का राजनीतिक समाजीकरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि प्रचार के साधनों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण नहीं होता है वहाँ राजनीतिक समाजीकरण की गति बहुत तेज होती है।

(iv) **आजीविका के साधन**–आजीविका के विभिन्न साधन और उससे जुड़े हुए हालात भी व्यक्तियों को सोचने समझने के तरीकों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं।

(v) **राजनीतिक दल**–आधुनिक लोकतंत्र के युग में राजनीतिक दलों का राजनीतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दल अपने दल के वार्षिक अधिवेशन, चुनावी घोषणा–पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों द्वारा लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करते है। अतः राजनीतिक दल लगातार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

**4. परिवार की राजनीतिक समाजीकरण में भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** परिवार एक पीढ़ी से दुसरे पीढ़ी तक राजनीतिक समाजीकरण का संचार करता है। शिशु का पहला संबंध परिवार के सदस्यों से होता है। परिवार में रहकर धीरे–धीरे बड़ा होते हुए अनेक बातों को सीखते हुए समाज से जुड़ता है। स्थापित सत्ता शासन का समर्थन या विरोध बहुत हद तक व्यक्ति के परिवारिक संस्कारों और परिवारों से नियत्रित होते हैं। कोई व्यक्ति यदि अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है या उससे उदासीन रहता है, यह बहुत हद तक परिवारिक प्रभाव के द्वारा होता है। समाज की यह धारणा है कि जिन परिवारों में परिवार के सदस्य सार्वजनिक मामलों में रूचि लेते हैं, या राजनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उस परिवार के बच्चों का राजनीतिक समाजीकरण सरलता से और जल्दी से होता है। इसके विपरित ग्रमीण परिवेश में जहाँ परिवार में इस तरह के वातावरण का अभाव देखा जाता है वहां उन परिवारों के बच्चे बड़े होने पर भी राजनीतिक कार्यों के बारे में उदासीन देखे गये है।

**5. राजनीतिक समाजीकरण के पाँच महत्वों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक समाजीकरण के पाँच महत्वपूर्ण निम्नलिखित है।

(i) **आधुनिकता का आधार**–राजनीतिक समाजीकरण को राजनीतिक समाज की आधुनिकता का आधार माना गया हैं। इससे राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता हैं।

(ii) **राजनीतिक विकास में सहायक**–राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाये रखा जा सकता है या फिर उसमें परिर्वतन किया जा सकता है। यह राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्फूर्ति लाने का साधन है। यह परिर्वतन की आधार भूमि तैयार करती है। यह राजनीतिक विकास में सहायक है।

(iii) **व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की नियंत्रित करती है**–किसी व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार काफी हद तक उस व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि राजनीतिक समाजीकरण परिपूर्ण हुआ है तो वह व्यक्ति राजनीति व्यवस्था में रूचि लेगा, परन्तु यदि उसका राजनीतिक समाजीकरण अधूरा है तो वह व्यक्ति राजनीतिक उदासीनता का शिकर हो जाता है।

(iv) **राजनीतिक संस्कृति के लिये आवश्यक**–जिस समाज में राजनीतिक समाजीकरण ठीक व सुव्यवस्थित है वहाँ राजनीतिक संस्कृति के सन्तुलित विकास में सहायता मिलेगी। अगर राजनीतिक समाजीकरण अनियामित अधूरा और अव्यवस्थित है तो इससे दूषित व अधूरी राजनीतिक संस्कृति का ही निर्माण होगा।

(v) **मनुष्य को राजनीतिक प्रणाली बनाने में सहायक**–मनुष्य आज एक सामाजिक प्राणी से राजनीतिक प्राणी बन गया है। राजनीति उसके जीवन के प्रत्येक पक्ष में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समा गयी है। उसकी गतिविधियां राजनीतिक अभिवृतियों से प्रभावित होने लगी है। अतः व्यक्ति का निर्माण राजनीतिक समाजीकरण से होता है।

## oLrfu"B ¼cg&fodYih½ i:'u
## (Objective Type Questions)

निम्नतिखित प्रश्नों के कुछ वैकल्पिक उतर दिये गये हैं। उन्में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

**1. निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक समाजीकरण का नहीं है–**

(क) परिवार

(ख) विद्यालय

(ग) धार्मिक संस्थान

(घ) क्रान्तियाँ

**2. किन समाजों में राजनीतिक समाजीकरण संभव है?**

(क) लोकतांत्रिक समाजों में

(ख) तानाशाही समाजों में

(ग) पिछड़े समाजों में

(घ) सभी समाजों में

**3. राजनीतिक समाजिकरण की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है।**

(क) एक सामाजिक प्रक्रिया

(ख) सीखने की प्रक्रिया

(ग) औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा

(घ) उपर्युक्त सभी

**4. यह कथन किस विद्वान का है "राजनीतिक समाजनीकरण का अर्थ जनता का समाजीकरण है, क्योंकि उसके द्वारा आम व्यक्ति अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित करते हैं।"**

(क) आस्टिन रेने

(ख) जॉन ऑस्टिन

(ग) हरबर्ट स्पैंसर

(घ) डेविस कावानाग

**5. राजनीति व्यवस्था के बारे में दृष्टिकोण और विश्वास की स्थापना और विकास राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है," यह कथन किसका है?**

(क) ऐलन आर. बाल

(ख) आमण्ड

(ग) पावेल

(घ) सिडनी पर्बा

**उत्तरः** (1) घ (2) घ (3) घ (4) घ (5) ग

(6) ग (7) क (8) क

# v/;k; 9

# jktuhfrd lgHkkfxrk

# (Political Participation)

## y/kqrjkRed iz'u

## (Short Answer Type Questions)

**1. राजनीतिक सहभागिता से आप क्या समझते है?**

*अथवा*

**राजनीतिक सहभागिता की परिभाषा दीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक सहभागिता राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। राजनीतिक सहभागिता व प्रक्रिया है जिसके आधार पर लोग राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक प्रक्रियाओं अथवा गतिविधियों में भाग लेते है। इसका अर्थ राजनीतिक क्रिया करना अथवा राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना है। राजनीतिक क्रियाओं में मताधिकार का प्रयोग, राजनीतिक दलों की सदस्यता, सार्वजानिक मामलों पर अपने विचार प्रकट करना, चुनाव प्रचार करना तथा राजनीतिक कार्यपालिका के साथ संपर्क स्थापित करना आदि बातें शामिल हैं।

राजनीतिक सहभागिता की महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं।

**रूश तथा एल्थॉफ के अनुसार**–राजनीतिक सहभागिता का भाव राजनीतिक प्रणाली के पृथक–पृथक स्तरों पर व्यक्तियों को शामिल होना है।

**दीन्ज युलाऊ के अनुसार**–साधारण जनता की निर्णय–निर्माण प्रक्रिया अथवा नीति–निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी को राजनीतिक भागीदारी कहा जाता है।

**डी. के. विश्वास के अनुसार**–राजनीतिक सहभागिता का अभिप्राय लोगों द्वारा राजनीतिक अधिकारों का केवल प्रयोग ही नहीं अपितु इसका भाव कार्य को वास्तव में प्रभावित करती है।

**जुलियन एल. वुडवर्ड** ने ऐसी गतिविधियों में निम्नलिखित पाँच गतिविधियों को शामिल किया है।

1. चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना ।
2. किसी दबाव–समूह का सदस्य बनकर उसका समर्थन करना ।
3. विधानमंडल के सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से बात चीत करना ।
4. किसी राजनीतिक दल के कार्य में भाग लेना।
5. अन्य नागरिकों के साथ मौखिक रूप से राजनीतिक विषयों का आदान प्रदान करना।

**2. राजनीतिक समभागिता के चार मुख्य लक्ष्णों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक सहभागिता के चार मुख्य लक्ष्ण निम्नतिखित हैं–

(i) **समानता**–समानता राजनीतिक सहभागिता की मुख्य विशेषता है। यानि सभी नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए और नागरिकों के बीच जाति, धर्म इत्यादि के आधर पर भेद–भाव नहीं होना चाहिए।

(ii) **स्वतंत्रता**–राजनीतिक सहभागिता के लिये नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकें।

(iii) **देश भक्ति**–राजनीतिक सहभागिता से लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा होती है क्योंकि सभी को देश की राजनीति में भाग लेने का अवसर मिलता है।

(iv) **राजनीतिक अधिकार**–राजनीतिक सहभागिता की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें प्राय सभी व्यस्क नागिरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं। इस अधिकारों को प्रदान करते समय नागरिकों में किसी प्रकार भेद–भाव नहीं किया जाता।

**3. राजनीतिक सहभागिता को निर्धारित करने वाले तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक सहभागिता को निधार्रित करने वाले तत्व निम्नलिखित है।

(i) **सामाजिक तत्व**–एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी शिक्षा धर्म जाति परिवार, लिंग, भाषा आदि उसकी राजनीतिक सहभागिता को बहुत प्रभावित करते हैं। साक्षर व्यक्ति असाक्षर की अपेक्षा राजनीतिक में अधिक दिलचस्पी रखते हैं तथा राजनीतिक कार्यो में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

(ii) **आर्थिक तत्व**–धन का राजनीति के साथ काफी घनिष्ठ यानि निकट का संबंध है। जिन लोगों के पास आर्थिक साधन होते हैं, वे उन्हें सुरक्षित रखने के लिये राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने या सत्कार के निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण बनाये रखने का प्रयास करता है। जबकि गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अतः गरीब व्यक्ति सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने में असमर्थ होता है।

(iii) **राजनीतिक तत्व**–राजनीतिक भागीदारी मुख्यतः देश में स्थापित राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्रीय है तो राजनीतिक सहभागिता का स्तर ऊंचा होगा जबकि यदि सर्वसतवादी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था निम्न स्तर की होगी। राजनीतिक सहभागिता काफी हद तक लोगों में राजनीतिक जागृति तथा राजनीतिक दलों की कार्यशीलता पर भी निर्भर करती है।

(iv) **मनोवैज्ञानिक तत्व**–प्रत्येक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक भावनाएं उसको बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। जिन लोगों में नेतृत्व, आत्म–विश्वास, सामाजिक दायित्व तथा राजनीतिक क्षमता के लक्षण होते हैं वे राजनीतिक में सक्रिय या अधिक रूप से भाग लेते हैं जबकि कुछ लोग स्वभाव से ही उदासीन तथा निराशवादी होते हैं और उनमें राजनीति में भाग लेने के कोई उत्सुकता नहीं होती।

**4. राजनीतिक सहभागिता को निर्धारित करने वाले सामाजिक तत्वों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक सहभागिता को निधारित करने में निम्नलिखित सामाजिक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(i) **पारिवारिक पृष्ठभूमि**–कई परिवार राजनीतिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय होते हैं और ऐसे परिवारों की सन्तान पर भी उसका असर पड़ता है जैसे नेहरू–गाँधी परिवार, देवीलाल परिवार, भजन लाल परिवार इत्यादि।

(ii) **शिक्षा का स्तर**–शिक्षित लोग राजनीतिक गतिविधियों में अधिक एवं सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जबकि अनपढ़ लोग राजनीतिक गतिविधियों में कम रूचि रखते हैं।

(iii) **जाति एवं धर्म**–भारत में जाति व धर्म भी राजनीतिक सहभागिता को बहुत प्रभावित करते हैं। मतदाता जातीय अथवा धर्म के आधार पर मतदान करते हैं राजनीतिक उम्मीदवारों द्वारा भी चुनाव अभियान में इन तत्वों को खुलकर प्रचार करते हैं।

(iv) ***लिंग***–लिंग भेद भी राजनीतिक सहभागिता को काफी मात्रा में प्रभावित करती है। पुरूषों की तुलना में स्त्रियाँ राजनीतिक गतिविधियों में प्रायः कम भाग लेती हैं।

(v) **आयु**–व्यक्ति की आयु भी उसकी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती है। अक्सर यह देखा गया है कि व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी राजनीतिक सहभागिता भी बढ़ती रहती है।

**5. राजनीतिक सहभागिता के महत्व का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक सहभागिता के निम्नलिखित महत्व है।

(i) **राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता**–राजनीतिक सहभागिता सरकार के प्रति विश्वास पैदा करती है। राजनीतिक सहभागिता के कारण लोग सराकर को समझते हैं तथा उनके द्वारा निर्मित कानूनों को स्वेच्छा से पालन करते हैं।

(ii) **समानता**–राजनीतिक सहभागिता समाज में समानता स्थापित करती है। क्योंकि समाज में सभी नागरिकों को एक प्रकार के राजनीतिक अधिकार दिये गये हैं।

(iii) **नैतिक गुणों का विकास**– राजनतिक सहभागिता लोगों में नैतिक गुणों का विकास करती है, इससे लोगों में सहयोग सहनशीलता तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होती है।

(iv) **शासकों तथा शासितों के बीच संबंध का ज्ञान**–राजनीतिक सहभागिता शासकों व शासितों के बीच मधुर संबंधों को स्थापित करने में सहायता करती है।

(v) **शान्ति व व्यवस्था**–राजनीतिक सहभागिता समाज में शान्ति व व्यवस्था स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है।

## oLrfu"B ¼cg&fodYih½ iz'u
## (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं उनमें से ठीक उत्तर का चयन कीजिए।

**1. राजनीतिक सहभागिता की विशेषता है–**

(क) समानता

(ख) स्वतंत्रता

(ग) जन–प्रभुसत्ता

(घ) उपरोक्त सभी

**2. निम्नलिखित में से राजनीतिक सहभागिता को निर्धारित अथवा प्रभावित करने वाले कौन तत्व है।**

(क) मनोवैज्ञानिक

(ख) सामाजिक तथा आर्थिक तत्व

(ग) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं

(घ) उपरोक्त सभी

**3. जनमत–संग्रह निम्नलिखित में किस राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता का एक साधन है–**

(क) राजतंत्र

(ख) तानाशाही

(ग) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

(घ) अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

**4. राजनीतिक सहभागिता का महत्व है–**

(क) राजनीतिक शिक्षा की प्राप्ति

(ख) शान्ति व्यवस्था

(ग) राजनीतिक स्थिरता

(घ) उपरोक्त सभी

**5. 'Political Participation' नामक पुस्तक किस विज्ञान द्वारा लिखी गयी है।**

(क) डविड ईस्टन

(ख) लेस्टर मिलब्राथ

(ग) लार्ड ब्राईस

(घ) मैकलास्की

**6. आमण्ड तथा वर्बा (Almond and Verba) ने राजनीतिक सहभागिता के कितने रूप बनाए हैं।**

(क) दो

(ख) तीन

(ग) चार

(घ) पाँच

**7. राजनीतिक सहभागिता के दो रूपों– (i) स्वायत सहभागिता तथा (ii) परियोजित सहभागिता की बात निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की है।**

(क) लासवैल

(ख) आमण्ड तथा वर्बा

(ग) माईरन

(घ) लास्की

**8. आमण्ड तथा पावेल द्वारा निम्नतिखित में से किस प्रकार की राजनीतिक सहभागिता का समर्थन किया गया है–**

(क) सक्रिय सहभागिता

(ख) प्रशासनिक सहभागिता

(ग) परियोजित सहभागिता

(घ) औचित्यपूर्ण सहभागिता

**9. "साधारण जनता की निर्णय–निर्माण प्रक्रिया अथवा नीति–निर्माण प्रक्रिया में भागीदारिता को राजनीतिक भागीदारी कहा जाता है।" राजनीतिक सहभागिता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है।**

(क) हीन्ज युलाऊ

(ख) लास्की

(ग) डी. के विश्वास

(घ) लासवैल

**उत्तरः** (1) क (2) घ (3) ग (4) घ (5) ख

(6) क (7) ग (8) क (9) क

# v/;k; 10

# jktuhfrd vk/kfudhdj.k

# (Political Modernization)

## y/krjkRed i'u

## (Short Answer Type questions)

**1. आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं?**

*या*

**आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है?**

**उत्तरः** आधुनिकीकरण आधुनिक युग की विशेषता है। आधुनिकीकरण की अवधारण व्यापक और विशाल अवधारण है। आधुनिकीकरण में भौगोलिक सामाजिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में परिर्वतन को शामिल किया जाता है। आधुनिकीकरण सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिर्वतन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिर्वतनों को समाज के लोगों ने लाभदायक व आवश्यक समझकर स्वीकार किया है। कुछ लोगों ने आधुनिकीकरण की अवधारणा और विकास की अवधारणा को एक माना है लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि विकास के लिये विशेष उद्देश्य या क्षेत्र निशिचित किया जाता है। जबकि आधुनिकीकरण की अवधारणा का संबंध समाज के समुचे परिर्वतन से है। आधुनिकता ने रीति रिवाजों कानूनों शासन–पद्धतियों, सिद्धांतों, आर्थिक ढांचों व राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है।

आधुनिकता की विभिन्न परिभाषाएं निम्नलिखित हैं–

स्मैलर के अनुसार–किसी राज्य की आर्थिक उन्नति को आधुनिकीकरण कहते हैं।

लरनर के अनुसार–यह विवेकपूर्ण परिर्वतन की प्रक्रिया है।

हॉन्टिंगटन के अनुसार–आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय विचारों तथा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिर्वतन शामिल रहता है।

आई०आर० सिनाय के अनुसार–आधुनिकीकरण परंपरावादी के स्थान पर नई व्यवस्था और समाज का विकास है।

**2. आधुनिकीकरण की किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।**

**उत्तरः** आधुनिकीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

(i) **सामाजिक परिर्वतन–**आधुनिकीकरण सामाजिक परिर्वतन लाती है। आधुनिकीकरण द्वारा नये समाज या आधुनिक समाज का निर्माण होता हैं। इसमें औद्योगिक विकास होता है। शहरीकरण होता है। लोगों के सोचने, रहने के ढंग में परिर्वतन आ जाता है।

(ii) **विवेकीकरण–**आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषता विवेकीकरण है। यह जीवन के प्रति तर्कशील दृष्टिकोण का निर्माण करती है। नीतियों का निर्माण तथा स्थितियों का निर्धारण विवेक के आधार पर होता है।

(iii) **गतिशीलता**–आधुनिकीकरण की एक और विशेषता है। गतिशीलता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र के परिर्वतन से जुड़ी हुई है। इसलिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया रुकती नहीं है।

(iv) **शिक्षा का प्रचार**–शिक्षा ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आमूल चूल परिर्वतन लाने एवं विकास करने का आधार होती है। इसलिए आधुनिक व विकसित समाज शिक्षा के प्रसार पर ही नहीं बल्कि विविधतापूर्ण शिक्षा पर भी बल दे रहा है।

**3. आधुनिकीकरण के किन्ही चार तत्वों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।**

**उत्तरः** आधुनिकीकरण के चार तत्व निम्नलिखित है।

(i) **साक्षरता**–आधुनिकीकरण साक्षरता की मात्रा पर निर्भर करता है। साक्षरता आधुनिकीकरण का आधार है। भिन्न–भिन्न राज्यों या समाजों में साक्षरता का स्तर भिन्न–भिन्न होता हैं, जिसके कारण आधुनिकीकरण का स्तर भी भिन्न होता हैं। भारत में साक्षरता की दर दिन–प्रतिदन बढ़ती जा रहीं है। अतः आधुनिकीकरण भी उसी दर से बढ़ रहीं है।

(ii) **शहरीकरण**–आधुनिकीकरण का एक और तत्व शहरीकरण है। नगरों की वृद्धि के साथ–साथ उनका विकास भी अनिवार्य है। भारत में शहरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो आधुनिकीकरण का चिहन है।

(iii) **वैज्ञानिक दृष्टिकोण**–लोगों का दृष्टिकोण आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि लोगों का दृष्टिकोण है तो लोग परंपराओं एवं रीति रिवाजों के कारण परिर्वतन का विरोध करेंगे। इसके विपरित वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नागरिकों में परिर्वतन की चाह रहती है। तथा वे आधुनिकीकरण में सहायता करते हैं।

(iv) **औद्योगिकरण**–औधोगिकरण ने आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। जो राज्य औद्योगिक रूप से जितना विकसित व उन्नत होगा उतना ही वहां आधुनिकीकरण होगा। औधोगिकरण से ने केवल आर्थिक विकास होता है। बल्कि सामाजिक विकास भी होता है। यानि ऊंच–नीच, छुआ–छूत, जाति प्रथा इत्यादि कुरितियां समाज से दूर होती हैं।

**4. आधुनिकीकरण के मार्ग में आने वाली किन्ही चार बाधाओं का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** आधुनिकीकरण का आधार परिर्वतन है। परंतु कुछ तत्व तथा कुछ लोग परिर्वतन का विरोध करते हैं। यानि आधुनिकीकरण का विरोध करते हैं। उनके विरोध यानि आधुनिकीकरण के मार्ग में आने वाली चार बाधाएं निम्नलिखित है।

(i) **अज्ञानता**–अज्ञानता के कारण मनुष्य आधुनिकरण के साधनों के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अज्ञानता लोगों के रूढ़िवादी बना देती है। अतः अज्ञानता आधुनिकता के मार्ग में बहुत बड़ी वाधा है।

(ii) **आर्थिक करण**–आधुनिकता परिवर्तन लाती हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण परिवर्तन लोगों पर बोझ बन जाता है। उनके खर्च को बढ़ा देता है। अतः ऐसे परिवर्तनों का लोगों द्वारा विरोध किया जाता है।

(iii) **रूढ़िवादी दृष्टिकोण**–लोग अपने रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण आधुनिकीकरण के नहीं अपना सकते। जैसे–परिवार नियोजन आधुनिकीकरण का एक चिह्न है। परंतु पुरानी पीढ़ी के लोग रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण परिवार नियोजन अपनाने के पक्ष में नहीं है।

(iv) **यथास्थिति की इच्छा**–आधुनिकीकरण का आधार परिवर्तन है तथा परिवर्तन में अनिश्चितता की स्थिति बना रहती है। इसलिए विरोधियों का कहना है कि परिवर्तन की स्थिति में भविष्य सुरक्षित रहेगा या न नहीं, इसलिए वे यथाशक्ति बनाए रखने के पक्ष में है।

**5. राजनीतिक आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं?**

*अथवा*

**राजनीतिक आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है?**

**उत्तरः** राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा राजनीति शास्त्र की नवीन अवधारणाओं में से एक है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के कुछ लेखक औद्योगिक प्रक्रिया, कुछ गैर–औद्योगिक प्रक्रिया कुछ पाश्चात्यीकरण इत्यादि मानते हैं। कुछ अन्य विचारक द्वारा इसे समाज में सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का परिवर्तन माना है। परंतु राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा काफी व्यापक है क्योंकि इसमें शहरीकरण, औद्योगीकरण, लौकिकीकरण, लोकतंत्रीकरण, शैक्षिक तथा जनसहभगिता सम्मिलित है।

कुछ विचारकों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा निम्नलिखित रूप में की है–

एस.पी.हॉन्टिंगटन के अनुसार, "राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय चिन्तन तथा क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं।"

कोलमैन के अनुसार, "राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढाँचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला तथा इतना शक्तिशाली है कि उसमें उठने वाली मांगों का सामना कर सके।

कलाउडन ई॰ वेल्श के अनुसार, "राजनीतिक आधुनिकीकरण साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित प्रक्रिया है तथा इसका लक्ष्य एक आधुनिक समाज की स्थापना है।

डा॰एस॰पी॰वर्मा के अनुसार, "राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है, उनके अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक स्तर, बौद्धिक स्तर, जनसंख्या के स्तर, सामाजिक स्तर तथा आर्थिक स्तर पर मानवीय चिन्तन, कार्यों एवं संबंधों में परिवर्तन करती है।

**6. राजनीतिक आधुनिकीकरण की किन्हीं चार मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक आधुनिकीकरण की चार मुख्य विशेषता निम्नलिखित है।

(i) **शक्तियों का केन्द्रीकरण**–राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मानव जीवन से संबंधित गतिविधियों की सभी प्रकार की शक्तियों राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्रीकृत होने लगती है। राज्य में शक्ति के केन्द्रीकरण का अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति महत्त्वपूर्ण और अन्य शक्तियों का नियामक बन जाय।

(ii) **सत्ता का स्थानान्तरण**–राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक और विशेषता है, सता का स्थानान्तरण। सता के स्थानान्तरण से तात्पर्य है कि पुरानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सताओं का स्थान राजकीय राजनीतिक सता ले लेती है। सता के परंपरागत स्त्रोत निर्बल होने लगते हैं, तब उनका स्थान राष्ट्रीय राजनीतिक सता ले लेती है।

(iii) **राजनीतिक संस्थाओं का विशेषीकरण**–कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से सरकार के कार्यों में वृद्धि हुई है और इसी कारण से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं जटिल हो गयी हैं। इसलिए जटिलता से निपटने के लिये आधुनिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होना अनिवार्य है।

(iv) **केन्द्र व परिसर में अन्तः क्रिया**–यहाँ केन्द्र से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था से है और परिसर से तात्पर्य समाज से है। केन्द्र व समाज की पारस्परिकता को बढ़ाने में राजनीतिक दल तथा दवाब–समूह, नौकरशाही, निर्वाचनों के माध्यम ने सहायता की है तथा संचार के साधनों ने इसमें निरन्तरता को बनाए रखा है।

**7. आधुनिक राष्ट्र के रूप में एडवर्ड ए–शिल्स ने राजनीतिक लोकतंत्र की क्या विशेषताएं बताई हैं?**

**उत्तरः** एडवर्ड ए–शिल्स ने 'राजनीतिक लोकतंत्र' की प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं और सार्वजनिक स्वतंत्रता के माध्यम से नागरिक शासन के राज्य के रूप में परिभाषित किया है। इस व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता है–

(i) **सर्वोच्य विधानमंडल–**इस व्यवस्था में विधानमंडल सर्वोच्च होता है विधानमंडल का निर्वाचन जनता द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया जाता है। विधानमंडल की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत विधेयक आधिनियम नहीं बन सकता।

(ii) **राजनीतिक दल–**इस व्यवस्था में राजनीतिक दल होते हैं तथा बहुमत प्राप्त दल द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है तथा अन्य दल विरोधी दल के रूप में भूमिका निभाते हैं।

(iii) **निश्चित अवधि–**कार्ययालिका की अवधि निश्चित होती है

(iv) **सता पर नियंत्रण–**सता के दुरुपयोग के हमेशा संभावना बनी रहती है इसलिए यह आवश्यक है कि सत्ता के उपयोग पर नियंत्रण बना रहे।

(v) **स्वतंत्र न्यायपालिका–**प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के लिये स्वत्रंत न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। स्वतंत्र न्यायपालिका होने से संविधान की सुरक्षा होती है तथा राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण बना रहता है।

**8. राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रभावित करने वाले चार तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रभावित करने वाले चार प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं

(i) **राजनीतिक संरचनाएँ और संस्कृति–**राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में से प्रथम देश की संरचनाएं और संस्कृति है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिये राजनीतिक संरचनाओं को परंपरागतता की भावना से मुक्त होना होगा। जैसे–नेपाल व भूटान देश पर अभी तक भी राजनीतिक संरचनाओं पर परंपरागतता का पूर्ण प्रभाव दिखायी पड़ता है।

(ii) **राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति–**राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति की अहम भूमिका है। राजनीतिक व्यवस्था का रूप सामाजिक व्यवस्था द्वारा तैयार किये गये वातावरण के अनुरूप ही होता है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं में तीव्रता या शिथिलता दोनों ला सकती है। अगर राजनीतिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक है तो राजनीतिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगी। परन्तु अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक आधुनिकीकरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

(iii) **राजनीतिक नेतृत्व–**राजनीतिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने या रोकने में राजनीतिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और अभिमुखीकरण आधुनिकता है तो वे राजनीति में आधुनिकीकरण को लाने में प्रयत्न करेंगे। जैसे–भारत में राजनीतिक नेताओं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं ने राजनीतिक आधुनिकीकरण में सहायता की।

(iv) **ऐतिहासिक तत्व–**जब भी कभी समय की धारा के विपरीत कोई भी परिवर्तन किया गया तो वह परिवर्तन हुआ ही नहीं है। इसी तरह राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन अथवा राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने का प्रयास किस समय किया जाये यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः इतिहास की धारा के अनुसार परिवर्तन लाना आसान ही नहीं होता, बल्कि स्वतः ही होने लगता है।

## oLrqfu"B ¼cgq&fodYi dh½ iz'u
## (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछेक वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए–

**1. "किसी राज्य की आर्थिक उन्नति को आधुनिकीकरण कहते हैं" यह कथन किस विद्वान का है?**

(क) स्मैलर

(ख) लरनर

(ग) प्रो॰ लास्की

(घ) डा॰ गुलशन राय

**2. आधुनिकीकरण साध्यों या गन्तव्यो की बुद्धि संगतता है" ये शब्द किस विद्वान ने कहे?**

(क) प्रो॰ गार्नर

(ख) मि॰ बलाद्द

(ग) सिडनी वर्बा

(घ) रजनी कोठारी

**3. "आधुनिकीकरण परंपरावादी के स्थान पर नई व्यवस्था और समाज का विकास है" यह विचार किस लेखक ने प्रकट किया है?**

(क) आई॰आर॰सिनाय

(ख) मिस फॉलेट

(ग) सी.वी.गैना

(घ) मैवयावली

**4. आधुनिकीकरण की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित ठीक है–**

(क) विवेकीकरण

(ख) सामाजिक परिवर्तन

(ग) राष्ट्रीय एकीकरण

(घ) उपरोक्त सभी

**5. आधुनिकीकरण के पक्षों के संबंध में निम्नलिखित ठीक है–**

(क) सामाजिक पक्ष

(ख) आर्थिक पक्ष

(ग) मनोवैज्ञानिक पक्ष

(घ) उपरोक्त सभी

**6. आधुनिकीकरण के तत्वों के संबंध में निम्नलिखित ठीक है–**

(क) साक्षरता

(ख) उच्च शिक्षा

(ग) समाचार–पत्र

(घ) उपरोक्त सभी

**7. आधुनिकता को कौन–कौन से तत्व प्रभावित करते हैं?**

(क) धर्म का घटता प्रभाव

(ख) वैज्ञानिक दृष्टिकोण

(ग) उच्च जीवन–स्तर

(घ) उपरोक्त सभी

**8. आधुनिकीकरण के रास्ते में निम्नलिखित बाधा नहीं है–**

(क) अज्ञानता

(ख) नये आविष्कार की अपूर्णता

(ग) लोगों का स्वभाव

(घ) लोगों का शिक्षित होना

**9. राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं के संबंध में ठीक नहीं है–**

(क) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

(ख) राज्य का अधिकाधिक प्रवेशन

(ग) सत्ता का स्थानान्तरण

(घ) संस्थाओं का विशेषीकरण

**10. निम्नलिखित में से कौन–सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का निर्धारक नहीं है–**

(क) राजनीतिक संरचनाएं

(ख) परंपराएँ

(ग) राजनीतिक नेत्तृत्व

(घ) ऐतिहासिक तत्व

**11. "राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला तथा इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का सामना कर सकें।" यह शब्द किस विज्ञान के हैं?**

(क) कार्ल मैन

(ख) डा॰ गार्नर

(ग) डॉ.जे.सी.जौहरी

(घ) कलाइड वेल्श

**12. "राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय चिन्तन तथा क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं।" ये शब्द किस लेखक ने कहे?**

(क) एस.पी. हॉन्टिंगटन

(ख) डॉ. एस.पी.वर्मा

(ग) राबर्ट वार्ड

(घ) डॉ. गुलशन राय

**उत्तरः** (1) क (2) ख (3) क (4) घ (5) घ
(6) घ (7) घ (8) ध (9) क (10) ख
(11) क (12) क

# v/;k; 11

# jktuhfrd fodkl

# (Political Development)

## y?kqrjkRed ç'u

## (Short Answer Type questions)

**1. विकास से आपका क्या अभिप्राय है?**

*अथवा*

**विकास की परिभाषा दीजिए।**

**उत्तरः** विभिन्न लेखकों के विकास के संबंध में अलग–अलग दृष्टिकोण है। कुछ विद्वान विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुंचा सके। कुछ विद्वान इसका संबंध राजनीतिक, सामाजिक, अर्थिक परिवर्तन से बताते हैं। कुछ लेखक विकास को आधुनिकीकरण का सूचक मानते हैं। कुछ विद्वान विकास का अर्थ प्रशासनिक और वैधानिक विकास से लेते हैं।

विकास की परिभाषा विभिन्न विज्ञानों ने निम्नलिखित रूप में दी है–

**लयुसियन पाई के अनुसार**–राजनीतिक विकास, संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है।"

**मैंकेजी के अनुसार,** "विकास समाज में उच्चस्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है।"

**आमण्ड और पावेल के अनुसार,** "विकास राजनीतिक संरचनाओं की अभिवृदि, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीरण है।

**एच.मिटलमैन के अनुसार,** "विकास का अर्थ समाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के तर्क–संगत प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना है।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विकास एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति मात्र नहीं है, बल्कि यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसी संरचनाओं या संस्थाओं का निर्माण करती है जो समाज में उत्पन्न समस्याओं का समाधान निकालने में समर्थ है। विकास की अवधारणा का संबंध परिवर्तन से है।

**2. विकास के किन्हीं चार उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** पहले विकास का अर्थ मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति से था परंतु आज के संदर्भ में विकास का उद्देश्य या लक्ष्य बदल गया है। विकास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

(i) **जीवन का स्तर**–विकास का पहला और महत्त्वपूर्ण लक्ष्य लोगों के रहन–सहन के स्तर के विकास से है। इसका तात्पर्य है कि लोगों को जीवन के स्तर की न केवल आवश्यक सुविधाएं ही प्राप्त ही बल्कि वे अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, अपनी कार्य–कुशलता को बढ़ा सके।

(ii) **प्रकृति का दोहन**–विकास का दूसरा लक्ष्य है, प्रकृति का दोहन। मानव से यह आशा की जाती है कि वे प्राकृतिक साधनों का प्रयोग एक सीमा में रहकर करे जिससे प्राकृतिक साधनों का नाश न हो अर्थात प्राकृतिक साधनों का शोषण न करके उनका मात्र दोहन होना चाहिए।

(iii) **रोजगार उपलब्ध करवाना**–विकास का अन्य लक्ष्य है, देश के नागरिकों के रोजगार उपलब्ध कराना। अधिकतर देश में बेरोजगारी का संबंध देश की जनसंख्या से है, अर्थात जिस देश की जनसंख्या अधिक है, वहां पर बेरोजगारी की समस्या अधिक पायी जाती है। विकास के लक्ष्य को निधारित करते समय बेरोजगारी को दूर करने का लक्ष्य सामने होता है।

(iv) **लोकतंत्र का विकास**–विकास का एक अन्य लक्ष्य है– लोकतंत्र का विकास लोकतंत्र के निर्माण में सहायता करता है और इसके फलस्वरूप लोकतंत्र विकास में अपना योगदान करता है। यानि जब लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, तभी विकास सर्वाधिक सुनिश्चित होगा।

**3. राजनीतिक विकास का क्या अर्थ है?**

*अथवा*

**राजनीतिक विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं?**

**उत्तरः** समाज में परिवर्तन आने की प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। समाज में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को राजनीतिक विकास की संज्ञा दी जाती है।

राजनीतिक विकास की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से निम्नलिखित रूप में की है–

आमण्ड और पावेल के अनुसार, "राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं की अभिवृद्धि, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है।"

**एलफ्रड डायमेण्ट के अनुसार,** "राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नये प्रकार के लक्ष्यों का निरन्तर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है"।

**जाग्वाराईव के अनुसार,** "राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण का जोड़ है।"

**ल्युसियन पाई के अनुसर,** "राजनीतिक विकास, संस्कृति का विसरण है और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्निकरण तथा विशेषीकरण एवं राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता लौकिकीकरण है, जिससे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता तथा उसकी उप–व्यवस्थाओं में स्वायतता आ जाये।

**4. राजनीतिक विकास के सूचक से क्या अभिप्राय है? किन्हीं पांच सकारात्मक सूचकों का उल्लेख कीजिए।**

**उत्तरः** प्रत्येक वस्तु या चीज को मापने के लिए कोई–न–कोई मापदण्ड होता है, उसी तरह राजनीतिक विकास को तय करने के लिए एक मापदण्ड है जिसे राजनीतिक विकास के सूचक कहा जाता है। किसी देश का राजनीतिक विकास हुआ है या नहीं, विकास हो रहा है या कि राजनीतिक व्यवस्था पतन की ओर जा रही है, यह जब मापने के लिए कुछ संकेतक या सूचक निश्चित किये गये हैं। इन सूचकों को दो प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है– (1) सकारात्मक सूचक (2) नकारात्मक सूचक

**सकारात्मक सूचक**–सकारात्मक सूचक का संबंध समाज या देश के विकास से है। ऐसे पांच सकारात्मक सूचक निम्नलिखित है।

1. राज्य–निर्माण या प्रादेशिक एकीकरण।
2. राष्ट्र–निर्माण या राष्ट्रीय एकीकरण।
3. मतदान के अधिकार में वृद्धि तथा बढ़ी संख्या में मतदान करने वालों के साथ मुक्त तथा निपक्ष चुनाव।
4. स्थिर तथा लोकतांत्रिक दलों द्वारा बढ़ता हुआ हित समूहीकरण।
5. स्वागत संगठनों द्वारा बढ़ता हुआ हित स्पष्टीकरण।

**5. राजनीतिक विकास के नकारात्मक सूचकों से आप क्या समझते है, किन्हीं पांच नकारात्मक सूचकों का उल्लेख कीजिए।**

**उत्तरः** नकारात्मक सूचकों का अर्थ समाज या देश के राजनीतिक विकास को नकारात्मक दिशा में मापन। ऐसे पांच नकारात्मक सूचक निम्नलिखित हैं।

(i) चुनावी हेराफेरी तथा अनियमितताएं।

(ii) हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन।

(iii) स्वार्थी हितों के लिये दल–बदल।

(iv) शक्तियों का केन्द्रीकरण।

(v) अप्रतिभानी गड़वड़ियां, भूमिगत गतिविधियां तथा सरास्त आक्रमण।

**6. जॉन एच. कॉटस्की ने राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यवस्थाों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है।**

**उत्तरः** जॉन एच. कॉटस्की ने राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यवस्थाओं के पांच वर्ग बताएं हैं जिसको विकास के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है।

(i) परंपरागत कुलीन–तन्त्रीय सर्वसतावाद।

(ii) राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के सत्ता को प्रभुत्व का संक्रमणकालीन स्तर।

(iii) कुलीनतन्त्रीय सर्वाधिकारवाद।

(iv) बुद्धिजीवियों का सर्वाधिकारवाद।

(v) लोकतंत्र।

अतः कॉटस्की के अनुसार, राजनीतिक विकास का क्रम परंपरागत स्तर से प्रारंभ होता है और लोकतंत्र पर समाप्त हो जाता है।

**7. एडवर्ड शिल्स ने राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यवस्थाओं की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है?**

**उत्तरः** एडवर्ड शिल्स ने राजनीतिक विकास के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए राजनीतिक व्यवस्थाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है।

1. परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था 2. संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यक्स्था तथा 3. आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था

संक्रमणकालीन श्रेणी को उन्होंने पुनः पांच श्रेणियों में विभाजित किया है।

1. राजनीतिक प्रजातंत्र 2. टयूटेलरी प्रजातंत्र, 3. आधुनिकीकरणशील, वर्गतंत्र, 4. सर्वाधिकारी वर्गतंत्र एव 5. परंपरागवादी वर्गतंत्रा।

राजनीतिक राज्यों के इन प्रकारों से यह पता चलता है कि परंपरागत से राजनीतिक विकास की दिशा में आधुनिकता की ओर संक्रमण, विशिष्ट वर्ग की योग्यता पर निर्भर करता है जो परंपरागत विश्वासों एवं मूल्यों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। राजनीतिक राज्यों के इन प्रकारों से उन विशेषताओं का आभास होता है जिनमें वास्तविक राजनीतिक व्यवस्थाएं आधुनिकता को प्राप्त करने के अपने प्रयत्नों को न्यूनाधिक रूप में विकसित कर सकती है।

**8. कैनेथ ऑर्गेन्सिकी ने राजनीतिक विकास के आनुकूमाणिक स्तर (चरण) कौन–से–बताए है।**

**उत्तरः** कैनेय ऑर्गेन्सकी ने राजनीतिक विकास के स्तरों की खोज करते हुए विकास के चार चरण बताये हैं जो निम्नलिखित हैं।

1. **प्रथम चरण अथवा प्रथम सोपान**–राजनीतिक एकीकरण, जिसमें केन्द्रीय सरकार राष्ट्र की एकता के सूत्र में संगठित कर लेती है और इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है। ऐसी प्रभुस्तवसंपन्न सरकार और औद्योगीकरण की सफलता की प्रथम शर्त बन जाती है।
2. **द्वितीय चरण अथवा द्वितीय सोपान**–इस पर औद्योगिकरण प्रारंभ हो जाता है।
3. **तृतीय चरण अथवा तृतीय सोपान**–इसका प्रारंभ औद्योगिकरण के शुरू हो जाने के बाद होता है। औद्योगिकरण राष्ट्रीय हित की पूर्ण शर्त बन जाता है।
4. **चतुर्थ चरण अथवा चतुर्थ सोपान** –इस सोपान पर समृद्धि की मांग की जाती है, जिसमें औद्योगिक तकनीक का विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है।

**9. राजनीतिक विकास की अवधारणा की किन्हीं चार उपयोगिताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राजनीतिक विकास की उपयोगिता का वर्णन आमण्ड व पावेल ने निम्नलिखित आधारों पर की है।

1. **राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में सहायक**–आमण्ड पावेल का कहना है कि तकनीकी परिवर्तन और सांस्कृतिक विसरण से राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन राजनीतिक विकास का संकेत है अतः राजनीतिक विकास जिन बातों को लेकर चलता है उनके आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है।
2. **राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में सहायक**–राजनीतिक व्यवस्थाओं के अतीत से यह संकेत मिलता है कि अमुक व्यवस्था ने भूतकाल में किस समस्या का किस तरह से सामना और समाधान किया या आने वाले समय में किस तरह आने वाली समस्याओं का सामना करेगी। अतः अतीत के राजनीतिक विकासों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जा सकता है।
3. **राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में सहायक**–राजनीतिक विकास की तीसरी उपयोगिता यह है कि यह राजनीतिक व्यवस्थाओं के अर्थपूर्ण मानदण्डों के आधार तथा आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर तुलना करने में सहायक सिद्ध होता है।
4. **राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामान्यीकरण में सहायक**–राजनीतिक विकास की अवधारणा यद्यपि एक सिद्धांत प्रस्तुत करने में सक्षम सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन इसने राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामान्यीकरण में सहायता अवश्य की है। इस सामान्यीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक विकास के संकेतकों, विकास के निर्धारकों, राजनीतिक विकास का अन्य विकास से संबंध, राजनीतिक विकासों से वर्गीकरण और राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में सहायता की है।

## oLrfu"B ¼cg&fodYi½ ç'u
## (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए।

**1. तीसरी दुनिया के राज्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक ठीक है–**

(क) नवोदित राज्य

(ख) आधुनिकीकरण शील राज्य

(ख) विकासशील राज्य

(घ) उपर्युक्त सभी

**2. राजनीतिक विकास की अवधारणा का निर्माण किन देशों के राजनीतिक विकास का अध्ययन करने के लिये किया गया है–**

(क) पूंजीवादी देश

(ख) साम्यवादी देश

(ख) विकसित देश

(घ) विकासशील देश

**3. राजनीतिक विकास की अवधारणा को प्रमुख विद्वान कौन है–**

(क) ल्युसियन डब्लू पाई

(ख) कोल मैन

(ख) नार्मन एस. वुचानन

(घ) जोसेफ ला पालोम्बारा

**4. निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास की अवधारणा का समर्थक नहीं है–**

(क) लास्की

(ख) सामाजिक विकास

(ख) ल्युसियन पाई

(घ) एफ.डब्लू रिस

**5. राजनीतिक विकास की विशेषताओं के संबंध में विकास का 'समष्टि लक्षण' की अवधारणा का किसने प्रतिपादन किया है?**

(क) आर्गेन्सकी

(ख) कॉस्टकी

(ख) ल्युसियन

(घ) कार्न हॉसर

**6. 'Political order in changing society' के लेखक कौन है–**

(क) हॉन्टिंगटन

(ख) ल्युसियन पाई

(ख) एडवर्ड ए.शिल्स

(घ) कार्न हॉसर

**7. 'Stages of Political Development' के लेखक निम्नलिखित में से कौन है?–**

(क) केनेय आर्गेन्सकी

(ख) कार्न हॉसर

(ख) रजनी कोठारी

(घ) सेम्युअल पी.हॉन्टिंगटन

**8. राजनीतिक विकास का साधन है–**

(क) राष्ट्रीयता की भावना

(ख) विकेन्द्रीकरण व जनता की सह–भागीदारी

(ग) आधुनिक नौकरशाही

(घ) उपरोक्त सभी

**9. आमण्ड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था को विकास की ओर ले जाने में निम्नलिखित का योगदान है–**

(क) राज्य निर्माण

(ख) राष्ट्र निर्माण

(ख) सहभागिता

(घ) उपयुक्त संभी

**10. एडवर्ड शिल्स ने नवोदित राज्यों के कितने नमूने बताएं हैं–**

(क) पाँच

(ख) दस

(ख) सात

(घ) चार

**11. राजनीतिक विकास को निम्नलिखित में से किस ने राष्ट्रीय राज्य के विकास के रूप में देखा है–**

(क) कोलमैन

(ख) रोसटोव

(ख) डेविड एप्टर

(घ) एडवर्ड शिल्स

**12. राजनीतिक विकास समाज के उच्च–स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूलन होने की क्षमता है– यह कथन निम्नलिखित का है–**

(क) डब्लू. जे. मैकेंजी

(ख) आमण्ड तथा कोल्मैन

(ख) एल्फ्रेड डायमेंट

(घ) एफ. डब्लू रिग्स

**उत्तरः** (1) घ (2) घ (3) क (4) क (5) ग

(6) क (7) क (8) घ (9) घ (10) क

(11) घ (12) क

# v/;k; 12

# jk"V&fuekZ.k rFkk jk"Vªh; ,dhdj.k

# (Nation-Building and National Integration)

## y/kqrjkRed iz'u

## (Short Answer Type questions)

**1. राष्ट्र की परिभाषा दीजिए।**

**उत्तरः** राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राष्ट्र की परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण से की है जिन्हें हम क्रमशः जातीय दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण और भावनात्मक एकता संबंधी दृष्टिकोण कह सकते है।

1. **जातीय एकता संबंधी**–राष्ट्र या अंग्रेजी भाषा का नेशन शब्द की उत्पति लैटिन भाषा की नेशियो शब्द से हुई है। इसका अर्थ जन्म या नस्ल अथवा जाति, वंश या नस्ल, जुड़े हुए संगठित जन–समूह को एक राष्ट्र कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने राष्ट्र शब्द की परिभाषा इसी आधार पर की है जो निम्नलिखित है।

   लीकॉक के अनुसार, "राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है।"

   वर्गेस के अनुसार, "वह जन–समूह जिसमें जातीय एकता हो और भौगोलिक एकता वाले प्रदेश में बसा हुआ हो, राष्ट्र कहलाता है।

2. **राजनीतिक एकता संबंधी**–कुछ विद्वान राष्ट्र के राजनीतिक स्बरूप को अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार, राष्ट्र के लिये राज्यत्व प्राप्त करना जरूरी है।

   हेज के अनुसार, एक राष्ट्रीयता राजनीतिक एकता और संप्रभुता को प्राप्त करके राष्ट्र बन जाती है।

3. **भावनात्मक एकता संबंधी दृष्टिकोण**–कुछ विद्वानों का कहना है कि राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनमें एकता की भावना मौजूद होने के साथ–साथ इस जन समह में अपने आपको दुनिया के दूसरे जन समूहों से अलग समझने की प्रबल भावना होती है। वे यह भी मानते हैं कि इस तरह की एकता की भावना समान जाति, धर्म, रीति–रिवाज, साहित्य, संस्कृति, इतिहास आदि से आसानी के साथ उत्पन्न हो जाती है। इस दृष्टिकोण के समर्थक ब्लन्शली, गार्नन, वार्कर, हाउसर, स्टालिन, नोविकोत आदि हैं।

   बलनशली के अनुसार–"राष्ट्र ऐसे मनुष्यों के समूह को कहते हैं जो विशेषतया भाषा और रीति रिवाजों के द्वारा एक समान सभ्यता से बंधे हुए हों जिससे उनमें अन्य सभी विदेशियों से अलग एकता की सृदृढ़ भावना पैदा होती हो।

**2. राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता के निर्माण के मुख्य चार तत्वों का ज्ञान कीजिए।**

**उत्तरः** (i) **भौगोलिक एकता**–राष्ट्र और राष्ट्रीयता के जन्म और विकास में मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा भी भावना एक प्रमुख सहायक तत्व के रूप में होती है। परंतु कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो एक भौगोलिक एकता वाले भाग के न रहने पर भी अपने आपको जीवित बनाए रखा है। परंतु ऐसे जन–समूह अपनी मातृभूमि को प्राप्त करने के प्रयत्न भी बराबर जारी रखे हैं। जैसे–यहूदियों का

फिनिस्तीन के इलाके में स्वंतत्र इजराइल राज्य के कायम हो जाने से उनकी राष्ट्रीयता और राष्ट्र के विकास में काफी सहायता मिली है।

(ii) **समान हित**–किसी भी व्यक्ति–समूह में समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की चेतना भी राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक होती हैं। जैसे 18वी शताब्दी में अमेरिका में रह रहे विभिन्न यूरोपीय वंश के लोग ब्रिटेन के खिलाफ सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के लिए एक जुट होकर स्वतंत्रता के लिये खड़े हो गये तथा स्वतंत्रता भी प्राप्त की।

(iii) **धर्म की समानता**–प्राचीन काल में धर्म की समानता ने राष्ट्र और राष्ट्रीयता के निर्माण में बहुत अधिक योगदान दिया है। आधुनिक युग में भारत का विभाजन भी मुस्लिम लीग और उसके नेता मुहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशों से धर्म की भिन्नता के आधार पर हुई थीं। लेकिन आधुनिक युग में धर्म की समानता को इतना महत्व नहीं दिया जाता।

(iv) **भाषा, संस्कृति और परंपराओं की समानता**–भाषायी एकता भी राष्ट्र और राष्ट्रीयता के विकास में सहायक होती है। भाषा के द्वारा ही साहित्य का निर्माण होता है। और उससे आगे चलकर संस्कृति का विकास होता हैं जो कि समान परंपराओं की जन्म देती है। इसलिए भाषा की समानता को भी राष्ट्र और राष्ट्रीयता के निर्माण में एक प्रमुख तत्व माना गया है।

**3. राष्ट्र–निर्माण से आप क्या समझते हैं?**

*अथवा*

**राष्ट्र–निर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।**

**उत्तरः** राष्ट्र–निर्माण का अर्थ है–राष्ट्र का निर्माण करना। राष्ट्र निर्माण वह प्रक्रिया है जो पूरे राष्ट्र में एकता की भावना उत्पन्न करती है तथा पूरे राष्ट्र के लिये निष्ठा का केन्द्र विकसित करती है ताकि जनता संकीर्ण भावनाओं का परिन्याग कर सके। राष्ट्र निर्माण वह प्रक्रिया है जो लोगों को जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषायी तथा सांस्कृतिक अनेक संकीर्ण भावनाओं को नष्ट करके राष्ट्रीय भावअनाओं तथा निष्ठाओं को विकिसित करती है।

कुछ विद्धानों ने राष्ट्र–निर्माण की परिभाषा निम्नलिखित तरीकों से दी है।

**फेड्रिक के अनुसार**–राष्ट्र–निर्माण एक समूह को संगठित करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व और घरेलू योजनाओं के लिए समुह के प्रति वफादारी है।

**ल्युसियन पाई के अनुसार**–राष्ट्र–निर्माण का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग छोटे कबीलों, गाँवों, नगरों या छोटी रियासतों के प्रति वफादारी और बंधनों को विशाल केन्द्रीय राजनीतिक प्रणाली की और मोड़ लेते हैं।"

**4. राष्ट्र–निर्माण में राज्य के भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** अरस्तु ने लिखा है–राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं की पुर्ति के लिए हुई है परन्तु वह अच्छा जीवन बनाए रखने के लिये मौजूद है।

ग्रीन के अनुसार–राज्य का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ना, समझौतों को लागू करना अर्थात पुलिस कार्य ही नहीं है बल्कि उसका कार्य मुनष्यों को जहाँ तक हो सके, समान अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपना बौद्धिक और नैतिक विकास कर सके।

आधुनिक राज्य निम्नलिखित तत्वों के आधार पर राष्ट्र–निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(i) **राज्य तथा भौगालिक एकता**–एक निश्चित भौगोलिक एकता वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों में समान संस्कृति खान–पान, रहन–सहन तथा परंपराओं की समानता उत्पन्न होती है। जो राष्ट्र के निर्माण में बहुत सहायता करती है। यद्यपि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उन्नति तथा आवागमन के साधानों के विकास के फलस्वरूप राष्ट्र–निर्माण के इस तत्व का महत्व कम हो गया है।

(ii) **राज्य तथा राष्ट्र–निर्माण का राजनीतिक पहलू**–राज्य ही राष्ट्र को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है और राजनीतिक स्थिरता शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है। लोकतंत्रीय शासन–प्रणाली में सभी नागिरिकों की राजनीतिक भागीदारी होती है। जो राष्ट्र–निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

(iii) **राज्य तथा राष्ट्र–निर्माण के आर्थिक पहलू**–किसी भी देश के राष्ट्र–निर्माण के लिये उसका आर्थिक विकास होना आवश्यक है यदि किसी देश में धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होगा तो साधारण जनता बहुत निर्धन होगी तो वह देश राष्ट्र–निर्माण में सफल नहीं हो सकता।

(iv) **राज्य तथा राष्ट्र–निर्माण का सामाजिक पहलू**–राज्य सामाजिक समानता की स्थापना करता है ताकि नागरिकों में जाति, नस्ल, धर्म, लिंग तथा रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव न किया जा सके। अतः सामाजिक समानता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

**5. राष्ट्रीय एकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है?**

*अथवा*

**राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है?**

**उत्तरः** राष्ट्रीय एकीकरण उस भावनात्मक तथा विचारात्मक एकता का नाम है जो सभी भारतवासियों को प्रान्त, भाषा, जाति, मज़हब, क्षेत्र आदि संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठाकर उन्हें एकता की भावना में डुबोकर उन्हें इस राष्ट्र की सनातन परंपरा के अनुसार विविधता में एकता लाती है।

कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने निम्नलिखत तरीकों से राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ बताया है।

*माईरन बीनर के अनुसार*– राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय एक सुनिश्चित भू भाग के प्रति ऐसी गहरी राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है जो संकीर्ण और संकुचित वाफादारियों को बना देती है या उन्हे नष्ट कर डालती है।

*डॉ. एस. राधाकृष्णनन के अनुसार*– राष्ट्रीय एकीकरण एक घर नहीं है जो चुने और ईट से बनाया जा सकता है। यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है जिस पर विशेष्ज्ञों द्वारा विचार किया जा सकता है और रचनात्मक रूप दिया जा सकता है। इसके विपरित एकीकरण एक ऐसा विचार है जिसका विकास लोगों के दिलों में होता है। यह एक चेतना है जिसने जनसाधारण को जागृत करना है।

**6. राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली किन्हीं चार बाधाओं का उल्लेख कीजिए।**

**उत्तरः** राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली चार मुख्य बाधाएं निम्नलिखित हैं।

(i) **जातिवाद**–जातिवाद की समस्या ने राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। जातीय संगठनों की भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर किया जाता है। चुनाव प्रचार में जाति के आधार पर वोट मांगी जाती है। प्रशासन में भी जातीयता का समावेश हो गया है।

(ii) **क्षेत्रवाद**–अनेक राजनीतिक दल भारत को एक राष्ट्र के स्थान पर बहुराष्ट्रीय राज्य का झूठा प्रचार करके क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता को न पहचाने की कारण जनता में जो अज्ञानता फैला हुआ है, राजनीतिज्ञ उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से राजनीतिक क्षेत्रीयता की संकुचित भावनाएं फैलाते है।

(iii) **शिक्षा का आभाव**–अशिक्षा और अज्ञानता मानव के विकास के सबसे बड़ा शत्रु हैं। इस अज्ञानता का दूरूपयोग करके राजनीतिक नेता और दल साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद आदि तत्वों का बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा पहुँचाते हैं।

(iv) **प्रशासन का गिरता स्तर–**भाई–भतीजावाद, लालफीताशाी, नौकरशाही की सत्ताधारी दल के साथ गठबंधन प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप आदि ने प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला रखा है। इन सभी बातों से राष्ट्रीय एकीकरण को हानि पहुंचती है।

**7. भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कोई पांच उपाय बताएं।**

**उत्तरः** भारत की एकता तथा अखण्डता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अनिवार्य है। अतः राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए बाधाओं को दूर करने के निम्नलिखित उपाय अपनाया जाना अति आवश्यक है।

(i) **सामाजिक समानता–**समाज में प्रचलित ऊँच–नीच, जात–पात, छआछूत की भावना को प्रभावशाली ढंग से दूर करना तथा पिछड़े बर्गो की कानूनी संरक्षण देकर सामाजिक हीनता को भावना की दूर करना चाजिए।

(ii) **आर्थिक समानता की स्थापना–**भारत में इस प्रकार की आर्थिक नीति अपनायी जानी चाहिए जिससे गरीबी और बेरोजगारी दूर हो, धन का समान वितरण हो ताकि देश में धन का केन्द्रीकरण कुछ हाथें में न हो। इस दिशा मे देश मे समाजवादी व्यवस्था को अपनाना चाहिए।

(iii) **राष्ट्रीय संस्कृति का विकास–**भारत की संस्कृति प्राचीन और आदर्शमय है। अतः राष्ट्रीय संस्कृति का विकास यदि उचित ढंग से किया जाय तो इससे सामाजिक, भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलेगा।

(iv) **संकीर्ण भावनाओं को दूर करना–**राष्ट्र की एकता एव अखण्डता के लिये जातिवाद भाषावाद, क्षेत्रवाद, इत्यादि संकीर्ण भावनाओं की दूर किया जाना अति आवश्यक है। इन संकीर्ण भावनाओं को दूर करने के लिए शिक्षा, समाचार पत्र पत्रिकाओं तथा प्रचार के साधनों की सहायता से लोगों में उदार दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए।

(v) **प्रशासन में जनता का विश्वास होना–**प्रशासन में जनता का विश्वास पैदा करने के लिये मंत्री एवं सरकारी कर्मचारी की ईमानदार निष्पक्ष एवं कार्यकुशल बनाना होगा।

## वस्तुनिष्ठ (बहु-वैकल्पिक) प्रश्न
## (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं उनमें से ठीक उत्तर का चयन कीजिए।

**1. राष्ट्र (Nation) शब्द की उत्पति नेशियो (Natio) शब्द से हुई है, जो निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है–**

(क) यूनानी

(ख) लेटिन

(ग) इटालियन

(घ) फ्रैच

**2. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का तत्व है–**

(क) नस्ल की समानता

(ख) भौगोलिक एकता

(ग) समान भाषा

(ध) उपरोक्त सभी

**3. निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र निर्माण को प्रभावित नहीं करता है–**

(क) औद्योगीकरण

(ख) शिक्षा का प्रसार

(ग) नगरीकरण

(ध) साम्प्रदायिकता

**4. "समान नस्ल, भाषा, समान आदतों, रीति–रिवाजों तथा समान धर्म जैसे तत्वों द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है।" राष्ट्र की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है।**

(क) बर्गेस

(ख) फोडेर

(ग) गिलक्राइस्ट

(घ) लीकॉक

**5. "एक राष्ट्रीयता, राजनीतिक एकता तथा प्रभुसता को प्राप्त करके राष्ट्र बन जाती है", यह कथन किस विद्वान का है?**

(क) गिलक्राइस्ट

(घ) बग्रेस

(ग) हेज

(घ) स्टॉलिन

**6. "राष्ट्रीयता किस व्यक्ति का स्तर है जो राज्य भक्ति के बन्धन द्वारा राज्य से बंधा हुआ है", यह कथन किस विद्वान का है?**

(क) जे॰ एस॰ मिल

(ख) गिलक्राइस्ट

(ग) रिचर्ड क्लेरनी

(घ) लॉर्ड ब्राइस

**7. भारत में निम्नलिखित में कौन राष्ट्र निर्माण में बाधा है?**

(क) साम्प्रदायिकता

(ख) जातिवाद

(ग) भ्रष्टाचार

(घ) उपरोक्त तीनों

**8. निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करता है–**

(क) औद्यौगिकरण

(ख) शिक्षा का प्रसार

(ग) नगरीकरण

(ध) उपरोक्त तीनों

**9. "भारतीय राष्ट्रीय निर्माण में सफलता के कई कारण है, परंतु उनमें मुख्य कारण पश्चिमी विशिष्ट वर्ग का समाज के सुधार तथा स्वतत्रता प्राप्ति के लिए वचनवद्धता का होना है", यह कथन किसका है?**

(क) जवाहरलाल नेहरू

(ख) सरदार पटेल

(ग) श्रीनिवास

(घ) उपरोक्त तीनों

**10. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा है–**

(क) जातिवाद

(ख) साम्प्रदायिकता

(ग) भाषावाद

(घ) उपरोक्त तीनो

**11. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने का उपाय है–**

(क) समानता

(ख) भाषावाद

(ग) साम्प्रदायिकता

(घ) गरीबी

**12. भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या का मुख्य कारण है–**

(क) विभिन्न धमों के लोगों का होना

(ख) भारत का एक विशाल देश होना

(ग) विभिन्न भाषाए बोलनें वाले लोगों का होना

(घ) भारत की जनता का अनपढ़ एवं अज्ञानी होना

**13. भरतीय संविधान में निम्नलिखित की व्यवस्था की गयी है–**

(क) अन्तः खण्ड परिषद की

(ख) अन्तर्राज्यीय परिषद की

(ग) अन्तः सरकार परिषद की

(ख) उपरोक्त में से कोई नहीं

**14. अन्तर्राज्यीय परिषद (Inter State Council) का अध्यक्ष कौन होता है–**

(क) प्रधानमंत्री

(ख) राष्ट्रपति

(ग) मुख्यमंत्री

(घ) लोकसभा का अध्यक्ष

**15. "राष्ट्रीय एकीकरण लोगों के हदयों तथा मस्तिष्कों का एकीकरण है" ये शब्द है–**

(क) जवाहरलाल नेहरु

(ख) महात्मा गाँधी

(ग) सरदार पटेल

(घ) डा॰ राजेन्द्र प्रसाद

**16. राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गयी–**

(क) 1956

(ख) 1990

(ग) 1975

(घ) 1978

**17. राष्ट्रीय एकता परिषद का पुर्नगठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया–**

(क) 1975

(ख) 1980

(ग) 1990

(घ) 1995

**उत्तरः** (1) ख, (2) घ, (3) घ, (4) ख, (5) ग (6) ग (7) घ (8) घ (9) ग (10) घ, (11) क (12) घ (13) ख (14) क (15) क (16) क (17) ख

# v/;k; 13

# miHkksDrk laj{k.k

# (Consumer Protection)

1. **उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते है?**

   *अथवा*

   **उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है?**

**उत्तरः** भारत सरकार द्वारा सन् 1986 में पारित –'उपभोक्ता' सुरक्षा अधिनियम' वस्तु के अनुसार उपभोक्ता की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति मूल्य देकर कोई वस्तु खरीदता है अथवा किसी प्रकार की सेवा प्राप्त करता है, वह व्यक्ति कानून की दृष्टि में उपभोक्ता है। कुछ वर्ष पहले तक माल खरीदने वाली व्यक्ति की यह जिम्मेवारी होती थी कि वह माल की गुणवता का मात्रा को जाँचकर खरीदें। इसके लिए वह व्यापारी के जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता था। उस समय वस्तुओं की किस्में इतने जटिल नहीं थी, जिसके कारण उनकी जाँच–पड़ताल की जा सकती थी। परंतु आज के वैज्ञानिक व तकनीकी समाज में उपभोक्ता के लिये वस्तुओं की जाँच–पड़ताल करना काफी जटिल हो गया है। अतः उपभोक्ता के हितों सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक बन गया है। इस कल्याणकारी राज्य में अब यह नियम प्रचलित है कि विक्रेता भी अपने बेचे गये माल के लिये अत्तरदायी है और उसे भी उन शर्तो का ध्यान रखना चाहिए, जिन पर वह माल बेच रहा है। अतः उपभोक्ता के शोषण के समाप्त करने के लिये राज्य तथा अन्य संस्थाओं द्वारा संरक्षण दिया जाना ही 'उपभोक्ता संरक्षण' कहलाता है।

2. **उपभोक्ताओं के सामने आने वाली किन्ही चार प्रमुख समस्याओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाली चार प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है।

(1) व्यापारिक संस्थानों तथा दुकानदारों द्वारा अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं के बेचने के लिये समाचार–पत्रों, रेड़ियो तथा टेलिविजन इत्यादि तरीकों द्वारा वस्तुओं के गुण बढ़ा–चढ़कर प्रसारित किये जाते हैं, जिनके कारण उपभोक्ता गुमराह हो जाते हैं तथा घटिया एवं नकली वस्तुएं खरीदने के लिये भी तैयार हो जाते हैं।

(2) व्यापारी वर्ग अधिक लाभ कमाने के लिये अपनी बिक्री की जाने वाली वस्तुओं में मिलावट करते हैं जिनसे कई बार उस वस्तु का प्रयोग करने वाले के स्वास्थ्य को भी हानि हो सकती है।

(3) कई उत्पादकों द्वारा घटिया तथा नकली वस्तुएं बनाकर तथा उन्हें बेचकर भी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है।

(4) कई बार नौकरशाही की सेवाओं के निरकुंश व्यवहार के कारण उपभोक्ताओं को भारी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे टेलिफोन की लाईन खराब होने बिजली की लाईन खराब होने आदि पर प्रायः उपभोक्ता सरकारी नौकरशाहीं के अनुचित व्यवस्था का शिकार रहते है।

3. **भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के लिये कौन–कौन से कानून पारित किये गये हैं? संक्षेप में लिखें।**

**उत्तरः** भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं का संरक्षण संबधी निम्नलिखित कानून पारित किये गये है–

(1) सन् 1955 का आवश्यक वस्तुओं संबधी कानून (The essential Commodities Act, 1955)

(2) सन् 1969 का अजारेदारी एवं सीमितकारी व्यावसायिक व्यवहारों संबधी कानून (MRTP Act, 1969)

(3) सन् 1976 का माप–तौल संबधी कानून

(4) सन् 1976 का खाद्य में मिलावट रोक संबंधी कानून

(5) सन् 1980 का कालाधन्धा रोक एवं आवश्यक वस्तुओं की पुर्ति को कायम रखने संबंधी कानून

(6) उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियत, 1986

(7) उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम, 1993

**4. केन्द्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** केन्द्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिक्षद को केन्द्रिय परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इनका गठन केन्द्रीय सरकार के आदेयाानुसार निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है।

(1) इनके सदस्यों की संख्या 150 होती है।

(2) केन्द्रीय सरकार के खाद्य व आपूर्ति विभाग का मंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा तथा राज्यमंत्री उपाध्यक्ष होगा।

(3) पाँच सदस्य लोकसथा के तथा तीन सदस्य राज्य सभा से लिये लायेगे।

(4) 20 सदस्य केन्द्रीय सरकार के विभागों से जिनका संबंध उपभोक्ता हितो की सुरक्षा से है।

(5) 35 सदस्य उपभोक्ताओं एवं उनके संगठनों के प्रतिनिधि होगें।

(6) महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिनकी संख्या 10 से कम नहीं होगी।

(7) किसानों, व्यापारियों व उद्योगो के प्रतिनिधियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

(8) राज्यों के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री।

(9) इसके अतिरिक्त 15 ऐसे प्रतिनिधि होगों जो उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(10) केन्द्रीय सरकार में खाद्य व आपूर्ति विभाग का संचिव इस परिषद का सचिव होगा।

परिषद का कार्यकाल– केन्द्रीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिये की जाती है। परिषद के सदस्य त्यागपत्र देकर अपना पद कार्यक्रम के पूर्व भी त्याग सकते है। त्याग पत्र दिये जाने की स्थिति में खाली जगह बाकी बचे हुए समय के लिये भरा जाता है।

केन्द्रीय परिषद का कार्य करने का ढ़ंग– केन्द्रीय परिषद की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी तथा इस बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष एवं दोनों की अनुपस्थिति में केन्द्रीय परिषद कार्रवाई चलने के लिये सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनती है। केन्द्रीय परिषद बैठक के लिये कम–से–कम 10 दिन का नोटिस देगी। केन्द्रीय परिषद कार्यो को सुखरू क्ष से चलने के लिए कार्यवाही ग्रुप का गठन करती है। इन कार्यकारी ग्रुपों की सिफारिशों केन्द्रीय परिषद के सामने प्रस्तुत की जाती है।

केन्द्रीय परिषद को उपभोक्ताओं के सुरक्षा के लिये निम्नलिखित छह अधिकार दिये गये है।

(1) सुरक्षा का अधिकार।

(2) सूचना प्राप्त करने का अधिकार।

(3) चयन करने का अधिकार।

(4) सुनवाई का अधिकार।

(5) व्यापार संबधी शिकायतें सुनने का अधिकार।

(6) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

**5. राज्य उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के गठन एवं उद्देश्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।**

**उत्तरः** केन्द्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिक्षद की तरह 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में राज्य उपभोक्ता सुरक्षा परिषदों का गठन करने का अधिकार प्रत्येक राज्य को प्राप्त है।

***राज्य उपभोक्ता सुरक्षा परिक्षद का गठन***–राज्य सरकार के खाद्य व आपूर्ति मंत्री को राज्य अपभोक्ता सुरक्षा परिक्षद का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तथा दुसरे सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसकी बैठक वर्ष में दो बार अवश्य होगी।

***उद्देश्य व कार्य***–राज्य परिषद के कार्य व उद्देश्य केन्द्रीय परिषद की तरह है। अन्तर सिर्फ इतना है कि यह सिर्फ राज्य स्तर पर होगी। यह उपभोक्ता के हितों को बढ़ावा एवं सरंक्षएा का कार्य करेगी।

**6. जिला फोरम में शिकायत करने का अधिकार किन्हें प्राप्त है तथा क्या निर्णय दे सकता है?**

**उत्तरः** जिला फोरम में निम्नलिखित तरह के व्यक्ति शिकायत कर सकते हैं–

(1) उपभोक्ता द्वारा जिसे वस्तुएं बेची गयी हो।

(2) मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संस्था द्वारा

(3) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा

(4) उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर एक या अधिक उपभोक्ताओं द्वारा।

जिला फोरम एक असैनिक न्यायालय की तरह कार्य करती है। प्रत्येक पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये कम–से–कम 30 दिन एवं अधिक से अधिक 45 दिन का समय दिया जाता है। साधारणतः एक वर्ष के अन्दर शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है लेकिन इस अवधि के बाद भी जिला फोरम शिकायत को स्वीकार कर सकती है।

जिला फोरम के निर्णयः– जिला फोरम शिकायत के आधार पर निम्नलिखित कारवाई कर सकती है।

(1) वस्तुओं की कमियों को दूर किया जाये।

(2) वस्तुओं को बदला जाय।

(3) वस्तु की कीमत कायम की जाय।

(4) उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाये।

(5) सेवा में कमियों को दूर किया जाये।

(6) खतरनाक माल की बिक्री न की जाये।

(7) गलत व्यापार के तरीके बन्द किये जाये।

**7. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अनुसार राज्य आयोग के कार्य बताइए।**

**उत्तरः** प्रत्येक राज्य में उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिये एक आयोग की स्थापना की गयी है, जिसे राज्य आयोग कहा जाता है। राज्य आयोग में एक अध्यक्ष जिसका चुनाव उच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के रुप में तथा अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति व्यापार, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्याोग व प्रशासन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की जाती है। इन दो सदस्यों में एक महिला सदस्य होती है। राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर की जाती हे।

***नियुक्ति कार्यकाल एवं वेतन***–राज्य आयोग के सदस्यों का चयन एक चयन सीमित द्वारा किया जाता है। राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य 67 वर्ष की आयु में अपने पद से सेवानिवृत होता है। किसी भी व्यक्ति को अधिकतम दो बार सदस्य नियुक्त किया जाता है। राज्य आयोग के सदस्यों के वेतन व भत्ते राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दिये जाते है।

***अधिकार क्षेत्र***–उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार राज्य आयोग के अधिकार क्षेत्र को दो भागों में बाँटा गया है।

(1) *प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र*–5 लाख से 20 लाख तक के मूल्य से संबधित वस्तुओं के मामले सीधे राज्य आयोग में ले जाये जा सकते हैं। राज्य आयोग को किसी भी जिला फोरम के रिकार्ड को अपने पास मँगवाने का अधिकार है यदि उसने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग किया है।

(2) *अपीलीय अधिकार क्षेत्र*–उपभोक्ताओं को जिला फोरम के निर्णयों के विरूद्व राज्य आयोग मे अपील करने का अधिकार प्राप्त है।

***राज्य आयोग से संबधित प्रकिया***–राज्य आयोग एक असैनिक न्यायालय की तरह कार्य करता है। राज्य आयोग के आदेशों की अवहेलना होने पर एक महीने से तीन महीने तक की कैद की सजा दी जा सकती है।

**8. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में राष्ट्रीय आयोग की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए।**

**उत्तरः** राष्ट्रीय स्तर के आयोग को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण भी कहा जाता है। इसके उदस्यों की संख्या उपभोक्ता अधिनियम 1986 के द्वारा 5 निर्धारित किया है। आयोग में एक अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति सर्वाच्य न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मे से तथा अन्य 4 सदस्यों की नियुक्ति आर्थिक क्षेत्र, कानूनी क्षेत्र, लेखा व उद्योग क्षेत्र या फिर प्रशासनिक क्षेत्र के अनुभवी प्राप्त व्यक्तियों में से की जाती है। 4 सदस्यों में से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।

***नियुक्ति व कार्यकाल***–आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों की होती है। तथा उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष निर्धारित है। किसी सदस्य को दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता।

***वेतन तथा भत्ते***–राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को सर्वोच्य न्यायाधीश के समान वेतन व भत्ते दिये जाते हैं। दुसरे सदस्यों को 6000 रूपया मासिक पारिश्रमिक पुरे महीने के लिये तथा यदि सदस्य कम समय के लिये है तो 300 रूपया प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाता है। सदस्यों के वेतन व भत्ते संतित निधि में से दिये जाते है।

***राष्ट्रीय आयोग का स्थान***–राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय आयोग की बैठक अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बुलायी जाती है।

***राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र***–राष्ट्रीय आयोग को प्रारंभिक व अपीलीय अधिकार प्राप्त है। 20 लाख रूपये तक के मामले के सुनिवाई का अधिकार राष्ट्रीय आयोग के पास है। विभिन्न राज्यों के राज्य आयोग के निर्णय के विरूद्व अपील राष्ट्रीय आयोग के पास आती है।

***राष्ट्रीय आयोग के निर्णय***–राष्ट्रीय आयोग एक असैनिक न्यायालय की तरह कार्य करती है तथा निर्णय बहुमत के आधार पर ली जाती है। राष्ट्रीय आयोग के निणर्यों के विरूद्व सर्वोच्च प्यायालय में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय की अवहेलना की स्थिति मे एक महीने से लेकर 3 महनीने तक की कैद की सजा दी जा सकती है।

## oLrfu"B ¼cgq fodYih½ iz'u
## (Objective Type Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। उनमें से ठीक उत्तर का चयन कीजिए।

**1. भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया–**

(क) सन् 1986

(ख) सन् 1992

(ग) सन् 1993

(घ) सन् 1980

**2. निम्नलिखित में से सन् 1969 में कौन सा अधिनियम पास किया जाता गया?**

(क) आवश्यक वस्तुओं संबधी कानून

(ख) नाप–तौल संबधी कानून

(ग) इजारेदारी एवं समितकारी संबधी कानून

(ग) उपभोक्ता संरक्षण कानून

**3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में निम्नलिखित वर्ष में संशोधन किया गया–**

(क) सन् 1990

(ख) सन् 1992

(ग) सन् 1993

(घ) सन् 1995

**4. उपभोक्ता कितनी अवधि के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है?**

(क) 2 वर्ष

(ख) 1 वर्ष

(ग) 6 महीने

(घ) 3 महीने

**5. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है?**

(क) केन्द्रीय कानून मंत्री

(ख) सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश

(ग) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश

(घ) प्रधानमंत्री

**6. M.R.T.P एक्ट केस वर्ष लागू किया गया–**

(क) सन् 1959

(ख) सन् 1969

(ग) सन् 1986

(घ) सन् 1976

**7. जिला –फोरम कितनी धनराशि के मूल्य तक की क्षातिपूर्ति का विवाद सुन सकता है?**

(क) एक लाख

(ख) दो लाख

(ग) तीन लाख

(घ) पांच लाख

**8. केन्द्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद में संसद के कितने सदस्य होते है**

(क) 5 सदस्य

(ख) 7 सदस्य

(ग) 8 सदस्य

(घ) 11 सदस्य

**9. केन्द्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है–**

(क) 2 वर्ष

(ख) 3 वर्ष

(ग) 5 वर्ष

(घ) 7 वर्ष

**10. केन्द्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है–**

(क) उपराष्ट्रपति

(ख) केन्द्रीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री

(ग) उपरोक्त में से कोई नहीं

(घ) केन्द्रीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का राज्यमंत्री

**11. 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अपभोक्ता फोरम के पास कौन शिकायत कर सकता है?**

(क) कोई भी नागरिक

(ख) राजनीतिक दल

(ग) उपभोक्ता

(घ) सरकारी अधिकारी

**12. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किन सेवाओं एवं वस्तुओं को सम्मिलित किया गया–**

(क) डाक्टरी सेवाएँ

(ख) गैस–सिलिण्डर

(ग) दवाईयाँ

(घ) उपरोक्त सभी

**उत्तरः** (1) क. (2) ग, (3) ग, (4) क (5) ख, (6) ख, (7) घ, (8)ग, (9) ख, (10) ख, (11) ग, (12) घ